प्रतिवेदन

दिनाँक २१ दिसम्बर, १९७० को बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन में हुए गोली काँड के संबंध में

द्वारा

न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सेन

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग

(क्ष—अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ५ मार्च, १९७४—१४ फाल्गुन, १८९५.

क्र. ८-२३(१)-७३-क्ष-१.—राज्य शासन व्दारा पारित निम्नलिखित संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र. च. राय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग).

संकल्प

भोपाल, दिनांक ५ मार्च, १९७४—१४ फाल्गुन, १८९५.

क्र. ८-२३-७३-क्ष-१.—बिरलाग्राम, नागदा, जिला उज्जैन, में २१ दिसम्बर, १९७० को हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण में करने हेतु पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। घटना से सम्बध्द निम्नलिखित विषयों पर न्यायिक जांच शासन की ८ जनवरी, १९७१ की अधिसूचना (क्र. १०७-८१७२-१-क्ष-७०) व्दारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सेन को सौंपी गई थी:—

(क) बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन में हुए जो उपद्रव इस स्थिति पर पहुंचे कि पुलिस व्दारा दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को गोली चलाई गई, उनकी पृष्ठभूमि, कारणों तथा अनुक्रम की जांच करने तथा उनपर प्रतिवेदन देने के लिये;

(ख) उक्त उपद्रवों को उद्दीप्त करने तथा उनमें भाग लेने और उस स्थिति को, जिसके कि अन्तर्गत २१ दिसम्बर १९७० की घटनाएं आती हैं और जिसकी परिणति उक्त घटनाओं मे हुई, गुरूतर बनाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की जांच करने तथा उनके बारे में प्रतिवेदन देने के लिये;

(ग) इस बारे में जांच करने के तथा प्रतिवेदन देने के लिये कि क्या विभिन्न अवसरों पर पुलिस व्दारा किया गया बल प्रयोग न्यायोचित

तथा स्थिति को नियंत्रित करने के हेतु आवश्यक सीमाओं के भीतर था ;

(घ) इस बारे में जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये कि क्या पुलिस के अलावा किसी व्यक्ति व्दारा भी गोली चलाई गई और क्या वह गोली चालन न्यायोचित था; एवं

(ङ) उक्त उपद्रवों को रोकने तथा उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिये स्थानीय प्रशासन व्दारा किये गये उपायों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की जांच करने तथा उसपर प्रतिवेदन देने के लिये।

२. आयोग ने अपनी कार्रवाई १० फरवरी १९७१ को प्रारम्भ की और जांच में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों से लिखित वक्तव्य आमन्त्रित किये। जिला अधिकारियों तथा मिल के व्यस्थापक के अतिरिक्त अन्य श्रमिक संगठनों ने लिखित बयान आयोग को पेश किये। आयोग ने उज्जैन में ५ मार्च, १९७१ को अपनी पहली बैठक में जांच प्रक्रिया निश्चित की। आयोग ने श्रमिकों की स्थिति की तुलना करने के लिये नागदा में स्थित उद्योगों के समान देश के अन्य भागों में स्थित उद्योगों का निरीक्षण किया। जांच के पूरे अभिलेखों के साथ आयोग ने २० जनवरी, १९७३ को अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया।

३. आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार २१ दिसम्बर, १९७० के उपद्रवों के प्रसंग में विश्लेषण किये गये तथ्यों का सारांश यह है कि ग्रेसिम मिल तथा इंजीनियरिंग डिवीजन बिरलाग्राम (नागदा) में बोनस तथा वेतन निर्धारण के प्रश्न पर मजदूरों में कुछ समय से अशान्ति थी। उनकी मांग ४५ प्रतिशत बोनस तथा वेतन निर्धारण के संबंध में थी। अपनी मांगों को स्वीकृत कराने के लिये कुछ मजदूरों ने एक संघर्ष समिति का निर्माण भी कर लिया। बोनस एक्ट के अनुसार बोनस की राशि मजदूरी के २० प्रतिशत तक ही दी जाना चाहिये। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार २० प्रतिशत बोनस के अतिरिक्त ११ प्रतिशत अनुदान की राशि देना भी निश्चित हुआ था। वेतन निर्धारण का प्रश्न इस समझौते के व्दारा नेशनल प्रोडक्शन कौंसिल के व्दारा किया जाना था। फिर भी विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से ३५-४० और ८० प्रतिशत बोनस की मांग की गई घटना के समय मजदूरों में कई अर्से से चल रहे आपसी और आन्तरिक झगड़ों के कारण कोई भी संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं था और न कोई समझौता भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में उनसे कोई समझौता किया जाना संभव नहीं हो पाया।

४. आयोग की राय में संघर्ष समिति के कारण आन्दोलन में तीव्रता आ गई। इस बीच श्रमिकों के विरोधी दलों में कुछ तनाव उत्पन्न हुआ। क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये स्थानीय प्रशासन को १५ नवम्बर, १९७० को धारा १४४ के प्रतिबन्धक आदेश लागू करना पडे। फिर भी प्रायः दिन प्रति दिन इस आदेश का उल्लंघन किया गया। उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाता रहा और शान्ति बनाये रखने के लिये जो भी कार्रवाई आवश्यक थी वह की जाती रही। ५ दिसम्बर, १९७० को संघर्ष समिति की ओर से एक कार्यकर्ता

भूख हड़ताल पर बैठ गया। १२ दिसम्बर, १९७० को मिल के व्यवस्थापकों की ओर से एक नोटिस लगाया गया जिसमें ग्रेसिम के मजदूरों को ३१ प्रतिशत तथा इन्जीनियरिंग विभाग के मजदूरों को २४·५ प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की गई। वेतन वृध्दि का प्रश्न पूर्व समझौते के अनुसार आपसी समझौते के लिये छोड़ दिया गया।

५· १२ दिसम्बर, १९७० से संघर्ष समिति के इशारे पर कुछ मजदूर हड़ताल पर चले गये। मजदूरों को हड़ताल में शामिल होने की धमकियां दी जाने लगी। श्री तिवारी, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे ने इसी दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। व्यवस्थापकों ने इस स्थिति में मजदूरों के काम पर न आने के लिये १४ दिसम्बर, १९७० को घोषणा की। फिर भी मजदूर कारखाने में रहे और अवैधानिक कार्यवाहियां करते रहे। श्रम न्यायालय व्दारा काम पर उपस्थित होने की दी गई अंतरिम आज्ञा की अवज्ञा मजदूरों ने की। संघर्ष समिति के नेता तथा हड़तालियों ने अशान्ति का वातावरण बना दिया।

६· २१ दिसम्बर, १९७० को ७·३० बजे सुबह जब हड़तालियों की भीड़ पावर हाउस गेट के पास एकत्रित थी तो उसे उप पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी ने हटने के लिये चेतावनी दी। भीड़ ने हटकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसी समय फेक्ट्री का सायरन (रुक-रुक) कर बजा जो असामान्य था सायरन के बजते ही बड़ी भीड़ पावर हाउस के फाटक के पास एकत्रित हो गई। भीड़ लाठियों, लोहे की छड़ों से तथा पाईप से लेस थी। सभी लोग उग्र रूप धारण किये हुए थे। भीड़ तीन तरफ से स्टाफ वाले फाटक की ओर बढ़ रही थी। अश्रुगेस तथा लाठी चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीषण पथराव के कारण अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा पुलिस घायल हो गये। बिरला विश्राम गृह तथा अतिथि गृह को आग लगा दी गयी। पुलिस गाड़ी तथा निजी वाहनों को भी भीड़ ने आग लगा दिया गया। जो उपद्रवी कारखाने के अंदर थे उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, कारखाने के शस्त्रागार से शस्त्र और बारूद लूट ली गई। इस स्थिति में पुलिस को गोली चलाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था और पुलिस ने गोली चलाई। जब १० बजे से कर्फ्यू लगाया गया तब उपद्रव बन्द हुए। पुलिस की गोली से २ व्यक्ति मारे गये। उपद्रवकारियों ने मिल के इन्जीनियर श्री ओबेराय को मारा जिसके फलस्वरूप बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बिरला ग्राम आगजनी, लूट और विनष्टीकरण का एक नगर बन गया था। कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि घटना के दिन बिरला ग्राम की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई बड़ा भारी युध्द हुआ हो।

७· आयोग के विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री एस· बी· सेन के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(क) आयोग के मत में २१ दिसम्बर, १९७० के उपद्रव की पृष्ठभूमि तथा उसका मुख्य कारण बोनस तथा वेतन वृध्दि की नाजायज मांग पर मजदूरों में मतैक्त न होकर उनका दुराग्रह का रवैया, श्रम संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा, साथ ही वास्तविक प्रतिनिधित्व करने के लिये मजदूर संघ का अभाव तथा संघर्ष

समिति (जो न तो पंजीकृत और न मान्यता प्राप्त समिति थी) का युक्तिहीन रुख रहा। व्यवस्थापकों की यह दिक्कत रही कि वे किस संघ से समझौता करें कि जो सबको मान्य हो।

उपद्रव के अनुक्रम जिसकी परिणति २१ दिसम्बर, १९७० को गोली चालन में हुई का संक्षित विवरण उपर्युक्त कंडिका ६ में वर्णित है।

(ख) जांच के अनुसार ५६ व्यक्ति ऐसे थे जो उपद्रव को उद्दीप्त करने तथा स्थिति को गुरुतर बनाने के लिये उत्तरदायी थे।

(ग) पुलिस व्दारा जो बल प्रयोग तथा गोली चालन किया गया उसे आयोग ने यथोचित माना है।

(घ) आयोग ने अपने निष्कर्ष में श्री बलवन्तसिंह व्दारा गोली चालन यथोचित बताया है, परन्तु श्री सागरमल गुप्ता, श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री जीतेन्द्र गोथरवाल व्दारा जो गोली चलाई गई वह न्यायोचित नहीं माना।

(ङ) स्थानीय अधिकारियों व्दारा स्थिति को नियंत्रण में करने तथा उपद्रव को रोकने के लिये जो कार्यवाही की गई वह आयोग ने पर्याप्त मानी है।

८. राज्य शासन ने विचारार्थ विषयों के संबंध में आयोग के निर्णयों और निष्कर्षों पर विचार किया और वह (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर आयोग के सब निष्कर्षों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। विचारार्थ विषय (ख) के प्रसंग में शासन ने निर्णय लिया है कि जिन ५६ व्यक्तियों व्दारा इस उपद्रव में भाग लेकर अवैधानिक कार्यवाही की गई थी यदि उनमें से किसी के विरुध्द पूर्व से ही कोई मुकदमें नहीं चल रहे हों तो अब मुकदमें चलाये जाएं। विचारार्थ विषय (घ) के संबंध में उल्लेखनीय है कि सर्वश्री राजेन्द्र बुंदेला तथा जितेन्द्र गोथरवाल के व्दारा बिना औचित्य के गोली चलाने के आरोप पर उनके विरुध्द मुकदमें चलाये गये परन्तु उसमें वे छूट गये। अतएव शासन की राय में इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

९. आयोग ने नागदा में जैसी स्थिति उत्पन्न हुई उसे भविष्य में उद्योगों में रोकने के लिये सुझाव दिया है कि प्रत्येक उद्योग संस्थान में मजदूरों का एक ही संघ होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि यदि उद्योग में एक ही संघ हो तो भिन्न-भिन्न मजदूर संघों के व्दारा आपस में झगड़ते रहने से शान्ति सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ता है वह नहीं रहेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं जो भारत शासन तथा राज्य शासन के समक्ष अलग से विचाराधीन हैं। शासन की राय में वर्तमान श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत यह संभव नहीं है। अतः इस स्थिति के सम्बन्ध में राज्य शासन व्दारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

१०· राज्य शासन, तदनुसार, निम्नानुसार संकल्प करता है:—
संकल्प किया—

(एक) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषयों (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर उसके निष्कर्ष उसके व्दारा दर्शाये गये कारणों के आधार पर स्वीकार किये जाएं।

(दो) (क) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषय (ख) के प्रसंग में आयोग व्दारा बतलाए गये जिन ५६ व्यक्तियों ने उपद्रव में भाग लेकर अवैधानिक कार्रवाई की उनके खिलाफ यदि पूर्व से कोई मुकदमें नहीं चल रहे हों तो पुलिस महानिरीक्षक को कहा जाए कि अब मुकदमें चलाये जाने की पहल की जाए।

(ख) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ विषय (घ) के संबंध में चूंकि श्री राजेन्द्र बुन्देला तथा जीतेन्द्र गोथरवाल जिनके विरूध्द आयोग ने बिना औचित्य के गोली चलाने का निष्कर्ष निकाला था, मुकदमा चला परन्तु वे छूट गये हैं। अतएव शासन की राय में अब प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) आयोग व्दारा उद्योग में एक ही मजदूर संघ रहने की की गई सिफारिश निःसंदेह यद्यपि उचित है, किन्तु वर्तमान श्रम अधिनियमों के अंतर्गत यह संभव नहीं है अतएव इस संबंध में राज्य शासन व्दारा अभी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

११· शासन उन सभी व्यक्तियों और उनके संबंधियों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता है जिन्हें उज्जैन जिले में स्थित बिरला ग्राम, नागदा में २१ दिसम्बर, १९७० को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में चोटें आई अथवा जो मारे गये।

१२· अन्त में, शासन न्यायमूर्ति श्री एस· वी· सेन को देश की सर्वोत्तम न्यायिक परम्पराओं के अनुसार जिस लगन और सावधानी से जांच का कार्य सम्पन्न करने के लिये निरन्तर परिश्रम करना पड़ा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता है।

१३· आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाएं, और

(ख) कि, यह संकल्प प्रकाशन विभाग व्दारा समाचार पत्रों को जारी किया जाए, और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में प्रकाशित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र॰ च॰ राय,

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग)।

विषय सूची

			पृष्ठ
१.	प्रस्तावना	अध्याय एक से तीन	१–१७
२.	विचारणीय विषय (क)	अध्याय चार	१८–४८
३.	विचारणीय विषय (ख)	अध्याय पांच	४९–८३
४.	विचारणीय विषय (ग)	अध्याय छः	८४–९७
५.	विचारणीय विषय (घ)	अध्याय सात	९८–१०२
६.	विचारणीय विषय (ङ)	अध्याय आठ	१०३–१२७
७.	परिशिष्ट :		
	परिशिष्ट—अ	घटना स्थल का निरीक्षण—नागदा	१२८–१३३
	परिशिष्ट—आ	प्रश्नावली तथा उत्तर	१३४–१४३
	परिशिष्ट—इ	विभिन्न रेयान उद्योगों की मूल मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते का तुलनात्मक चार्ट	१४४–१४५
	परिशिष्ट—ई	उन स्थानों की सूची, जिनका आयोग द्वारा दौरा किया गया.	१४६
	परिशिष्ट—उ	निरीक्षण के समय परीक्षित व्यक्तियों की सूची	१४७–१४८
	परिशिष्ट—ऊ	दिनांक ५-१२-१९७२ को श्री एस. के. मित्रा, श्रम उपायुक्त, पश्चिम बंगाल शासन, कलकत्ता का साक्ष्य.	१४९–१५०
	परिशिष्ट—ए	पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई गवाहों की सूची	१५१–१६९
	परिशिष्ट—ऐ	उन गवाहों की सूची जिनका परीक्षण किया गया.	१७०–१७४
	परिशिष्ट—ओ	औद्योगिक शांति के लिए राष्ट्रपति गिरि की योजना.	१७५–१७६
	परिशिष्ट—औ	घटनाक्रम	१७७–१८६

नागदा (१६७१) जांच आयोग

प्रतिवेदन

प्रस्तावना

अध्याय—एक

२३ दिसंबर, १६७० को मध्यप्रदेश विधान सभा में एक हंगामा हुआ था। अनेक स्थगन प्रस्ताव रखे गए थे। ये प्रस्ताव उन उपद्रवों के संबंध में थे, जो नागदा में २१ दिसम्बर, १६७० को हुए थे। ये अभिकथन थे कि पुलिस ने ग्रासिम के कामगारों पर गोलियां चलाई थीं। आठ स्थगन प्रस्ताव थे, जो श्री शाकिर अली खां, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री कृष्णकुमार नूतन, श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, श्री जमुना प्रसाद शास्त्री, श्री कल्याण जैन, श्री माधोसिंह और श्री कन्हैयालाल मेहता व्दारा रखे गए थे।

२· श्री शाकिर अली खां का यह अभिकथन था कि २१ दिसंबर, १६७० को बिरलाग्राम में पुलिस ने ग्रासिम के कामगारों पर अश्रु गैस, लाठियों से हमला किया था और गोलियां भी चलाई थीं, जिसके फलस्वरूप दो व्यक्ति मारे गए थे और बहुत से घायल हो गए थे। इससे वातावरण तनावपूर्ण और विस्फोटक हो गया था। श्री यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि वहां १२ दिसंबर १६७० से हड़ताल थी और शासन की निष्क्रियता और कठोरता के कारण परिस्थिति विस्फोटक हो गई थी। २१-१२-७० को पूरी तरह शांति भंग हो गई थी। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग तीस व्यक्ति घायल हो गए। श्री कृष्णकुमार नूतन ने उन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए और यह बताते हुए कि तीन कामगारों की मृत्यु हो गई है, यह बताया कि इन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के लिए मिल के प्राधिकारी ही उत्तरदायी थे। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मंडेलिया, श्री धारीवाल और सुरक्षा अधिकारी श्री बलवन्त सिंह को, जो मुख्य रूप से इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी थे, गिरफ्तार करने के बदले कामगारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता ने भी कहा कि तीन कामगार मारे गए हैं और सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए हैं। श्री जमुनाप्रसाद शास्त्री ने कामगारों को वैध बोनस और मांगों से वंचित रखने के संबंध में शासन और ग्वालियर रेयान के प्रबंधकों के बीच किसी षडयंत्र का होना बताया। श्री कल्याण जैन ने तीन कामगारों के मारे जाने और सौ व्यक्तियों के घायल होने की बात बताई। श्री माधोसिंह ने पुलिस और प्रबन्धकों व्दारा गोली चलाने की बात कही, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और कफ्यू लगा दिया गया। उन्होंने

कामगारों और जनता पर पुलिस के अत्याचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रबन्धकों ने आग लगाई थी, लेकिन कामगारों को ही उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। श्री कन्हैयालाल मेहता ने २१-१२-७० के पूर्व अंतिम तीन महीनों का ग्रासिम के कामगारों के आन्दोलन और विवाद का और १२ दिसम्बर १९७० को हड़ताल पर चले जाने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुलिस व्दारा बिना किसी चेतावनी के अमानवीय रूप से और बर्बरता से गोली चलाई गई थी। लाठी भी चलाई गई थी, जिससे तीन व्यक्ति मर गए थे और पैंतीस व्यक्ति घायल हो गए थे।

३. मैंने ऊपर उनके स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित बातों का सारांश ही दिया है। विधान सभा के भीतर बहसें हुई थीं, विवाद हुए थे और तू-तू-मैं-मैं हुई थी। मुख्य मंत्री ने, उन्हें प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वक्तव्य दिया था। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के अधीन एक जांच आयोग गठित करने का सुझाव दिया था। इसके बावजूद इस पर आगे बहस होती रही।

४. कुछ दिनों के बाद मुझे मुख्य न्यायाधिपति से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ कि मैं २१-१२-७० की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष होना चाहूंगा या नहीं। आयोग स्वीकार करने की मेरी इच्छा जान लेने के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र में निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की गई:—

"भोपाल, ८ जनवरी, १९७१—पौष १८, १८९२.

क्र. १०७-८१७२-एक-क्ष-७०.—जांच आयोग अधिनियम १९५२ (क्रमांक ६० सन् १९५२), की धारा ३ व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्व्दारा निम्नलिखित की जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करता है:—

(क) उन उपद्रवों की पृष्ठभूमि, कारण और घटनाक्रम, जो बिरलाग्राम, नागदा, जिला उज्जैन में हुए थे तथा जिनकी परिणति २१ दिसम्बर, १९७० को पुलिस व्दारा गोली-चालन में हुई;

(ख) वे व्यक्ति जो उपद्रवों को भड़काने और उनमें भाग लेने तथा स्थिति को गुरुतर बनाने के लिए उत्तरदायी थे, जिसने २१ दिसंबर, १९७० की घटनाओं का रूप ग्रहण कर लिया;

(ग) क्या पुलिस व्दारा विभिन्न अवसरों पर उपयोग में लाया गया बल उचित और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सीमा के भीतर था;

(घ) क्या पुलिस के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति व्दारा भी गोली चलाई गई थी और क्या ऐसा करना उचित था; और

(ङ) कथित उपद्रवों को रोकने और उससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन व्दारा किए गए उपाय पर्याप्त थे अथवा नहीं।

२. आयोग में केवल एक सदस्य होगा, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री एस. बी. सेन।

३. राज्य शासन एतद्व्दारा यह निदेश देता है कि जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० सन् १९५२), के सभी उपबन्ध आयोग की समस्त कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मा. सिं. चौधरी,
अपर मुख्य सचिव.

५. मामले के गुणावगुण और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करने के पूर्व, इस संबंध में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने के लिए आयोग की शक्तियों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत आयोग की बैठकों का स्थान और समय निश्चित करना तथा यह निश्चित करना आता है कि बैठकें सार्वजनिक होंगी या प्रायवेट। वह किसी भी सदस्य के अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहते हुए या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य का स्थान रिक्त रहते हुए भी अपना कार्य कर सकेगा। चूंकि यह एक व्यक्ति आयोग है, अतः उक्त अन्तिम वाक्य लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका परिणाम यह होगा कि यदि मैं किसी भी कारण से कार्य प्रारंभ नहीं कर सका, तो आयोग का कार्य रुक जायगा। उच्च न्यायालय में मेरे कर्तव्यों के अतिरिक्त मेरे पास आयोग का भी कार्य था। और, इसलिए उच्च न्यायालय के अत्यावश्यक मामलों के लिए कभी-कभी आयोग का कार्य रोकना पड़ा था। किन्तु मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री बिशंभरदयाल मुझे सदैव जब भी आवश्यक हुआ आयोग का कार्य करने की अनुमति देते रहे। मेरी अस्वस्थता के कारण मुझे आयोग का कार्य कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था।

६. इस प्रतिवेदन और मेरे व्दारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के पूर्व मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जांच आयोग अधिनियम की धारा १२ के अधीन संबंधित शासन को, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना पड़ते हैं। राज्य शासन ने इस अधिनियम के अधीन कोई नियम नहीं बनाए हैं। अतः मुझे केन्द्रीय सरकार व्दारा धारा १२ के अधीन बनाए गए नियमों का सहारा लेना पड़ा। मैंने कोई साक्ष्य शपथपत्र पर नहीं लिया, अपितु पक्षों को स्वयं अपना साक्ष्य देने की अनुमति दी। जैसा कि किसी न्यायिक कार्यवाही में सामान्यतः अनुसरण किया जाता है।

७. मैं ३० सितम्बर, १९७२ को, अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व, जांच कार्य पूरा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहता था, किन्तु मेरी अस्वस्थता और परिवार में 'शोक' के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। अतः मैं यह प्रतिवेदन अपनी सेवा-निवृत्ति के उपरांत प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्याय—दो

अधिसूचना के प्राप्त होते ही मैंने अपने मुख्य न्यायाधिपति से सम्पर्क स्थापित किया। इसी बीच मुझे आयोग में कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में शासन से एक सूचना प्राप्त हुई। मैंने तत्काल उत्तर दिया, किन्तु योग्य व्यक्तियों की तलाश करने और उनकी नियुक्ति करने में कुछ समय लग गया। मुझे मुख्य न्यायाधिपति व्दारा आयोग के सचिव के रूप में श्री आर. के. सेठ, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई थी और मैंने १० फरवरी, १९७१ को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से प्रारम्भिक मुद्दे तय करने के लिए दिनांक ५ मार्च १९७१ को उज्जैन में मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए निवेदन किया गया था। मेरे व्दारा दि. १० फरवरी, १९७१ को जारी की गई अधिसूचना निम्नानुसार है—

''जांच आयोग

अधिसूचना

इन्दौर, दिनांक १० फरवरी, १९७१.

चूंकि ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक ८ जनवरी, १९७१'' में प्रकाशित अधिसूचना क्र. १०७-८१७२-एक-क्ष-७०, के अधीन राज्य शासन ने निम्नलिखित बातों की जांच करने तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (क्र. साठ, सन् १९५२) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अधिनियम'' कहा गया है), की धारा ३ के अधीन एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की है:—

(क) उन उपद्रवों की पृष्ठभूमि, कारण तथा घटनाक्रम, जो बिड़लाग्राम नागदा, जिला उज्जैन में हुए थे तथा जिनकी परिणति २१ दिसंबर, १९७० को पुलिस व्दारा गोली-चालन में हुई;

(ख) वे व्यक्ति, जो उपद्रवों को भड़काने और उनमें भाग लेने तथा स्थिति को गुरुतर बनाने के लिए उत्तरदायी थे, जिसने २१ दिसंबर, १९७० की घटनाओं का रूप ग्रहण कर लिया;

(ग) क्या पुलिस व्दारा विभिन्न अवसरों पर उपयोग में लाया गया बल उचित और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सीमा के भीतर था;

(घ) क्या पुलिस के अतिरक्त अन्य किसी व्यक्ति व्दारा भी गोली चलाई गई थी और क्या ऐसा करना उचित था; और

(ङ) उक्त उपद्रवों को रोकने और उससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन व्दारा किये गये उपाय पर्याप्त थे अथवा नहीं।

अतएव, अब अधिनियम की धारा ८ व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जांच में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों तथा संघों को एतद्व्दारा सूचना दी जाती है कि वे २५ मार्च, १६७१ तक निम्नलिखित कागजात दाखिल कर दें:—

(एक) जिन बातों के संबंध में जांच की जानी है तथा प्रतिवेदन दिया जाना है, उनसे सम्बन्धित कथन तीन प्रतियों में और उसके साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियमों के अनुसार शपथ-पत्र, जिनमें कथन में उल्लिखित सभी तथ्यों का सत्यापन किया गया हो;

(दो) मूल दस्तावेजों तथा उन्हें दाखिल करने वाले व्यक्ति व्दारा सत्यापित उनकी प्रतिलिपियों सहित तीन प्रतियों में दस्तावेजों की एक सूची : सूची नियमों तथा आदेशों (सिविल) व्दारा विहित फार्म में होनी चाहिए:

(तीन) प्रत्येक पक्षकार व्दारा परीक्षित किये जाने वाले गवाहों की तीन प्रतियों में सूची।

उपर्युक्त कथन तथा कागज-पत्र सचिव, नागदा जांच आयोग, उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, इन्दौर को भेजे जाने चाहिए।

सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह भी अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोग की बैठक दि. ५-३-७१ को प्रातः १०.३० बजे सर्किट हाउस, उज्जैन में होगी।

(१) पक्षकारों की उपस्थिति में प्रारम्भिक मुद्दे तय करना;

(२) स्थल-निरीक्षण सहित आयोग की आगामी बैठकों का स्थान, तारीख तथा समय निर्धारित करना;

(३) इस बात पर विचार करना कि आयोग के समक्ष उपस्थिति व्यक्तिगत रूप में होगी या संघों व्दारा कांउसिल की मार्फत होगी;

(४) जांच से प्रासंगिक अन्य किन्हीं भी बातों पर विचार करना।

ह· एस· बी· सेन,
जांच आयोग·"

कार्यालय : म. प्र. उच्च न्यायालय,
खण्ड पीठ, इन्दौर

२. तदनुसार ५ मार्च, १६७१ को सर्किट हाउस, उज्जैन के परिसर में आयोग की प्रथम बैठक हुई। मैंने उज्जैन को अपना कार्यस्थल इसलिए चुना क्योंकि उपद्रव का स्थान उसी जिले के भीतर था तथा सभी पक्षकारों के लिए यहां पहुंचना तथा घटना के संबंध में अपना कथन प्रस्तुत करना सुविधाजनक था। इसके साथ

ही राज्य प्राधिकारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना था। उपर्युक्त अधिसूचना निम्नलिखित समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराई गई थी :—

(१) दैनिक जागरण, इन्दौर।
(२) नई दुनिया, इन्दौर।
(३) इन्दौर समाचार, इन्दौर।
(४) दैनिक भास्कर, उज्जैन।
(५) नवभारत।
(६) प्रजादूत।
(७) टाइम्स आफ इण्डिया।
(८) स्टैट्समैन।
(९) दि हिन्दू।
(१०) अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता।
(११) हितवाद, भोपाल।
(१२) एम. पी. क्रांनिकल, भोपाल।
(१३) अवन्तिका।

अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद मुझे पक्षकारों के बयानों की काफी समय तक प्रतीक्षा करना पड़ी। निःसंदेह पक्षकार ५-३-७१ को सर्किट हाउस, उज्जैन में उपस्थित हुए। निम्नलिखित पक्षकार सामने उपस्थित हुए थे:—

(१) ग्वालियर, रेयान सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधक-गण।
(२) इन्जीनियरिंग श्रमिक संघ, नागदा।
(३) ग्रासिम श्रमिक संघ, नागदा।
(४) संघर्ष समिति, नागदा।
(५) नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा।
(६) ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा।
(७) ग्रासिम मजदूर यूनियन, नागदा तथा ग्रासिम इन्जीनियरिंग डिविजन, नागदा।
(८) श्री पंचानन बराल, नागदा।
(९) श्रीमती उषा भाटिया।
(१०) जिला प्राधिकारीगण (कलेक्टर आदि)।

३. उपस्थित पक्षकार इस बात से सहमत थे कि विज्ञप्ति व्यापक रूप से प्रकाशित की गई थी तथा वे लोग इससे संतुष्ट थे। वे आगे किसी प्रकार के प्रकाशन की अपेक्षा नहीं रखते थे। पक्षकार इस बात से भी सहमत हो गए थे कि प्रविवरण अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएं तथा यदि प्रविवरणों को

हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी होना चाहिए। पक्षकार इस बात से भी सहमत थे कि जांच उज्जैन में की जा सकती है तथा बैठक विक्रम कीर्ति मंदिर, उज्जैन के परिसर में आयोजित की जाए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहली तारीख २२ मार्च, १९७१ पूर्वाह्न ९ बजे निर्धारित की गई। यह भी आदेश दिया गया कि आयोग की बैठकों में जनता भी उपस्थित हो सकेगी। जब तक कि परिस्थितिवश ऐसा करना अवांछनीय न हो जाए। आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्तारनामे तथा अन्य दस्तावेज एवं आवेदन-पत्रों पर भुगतान योग्य न्यायालय शुल्क का प्रश्न भी बैठक में उठाया गया। गवाहों के परीक्षण के क्रम का प्रश्न भी उठाया गया, किन्तु यह निर्णय किया गया कि इस मामले पर बाद में विचार किया जाएगा।

४. नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्रमांक ५ के एडवोकेट श्री भटनागर ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें जांच में अन्तर्ग्रस्त विचाराधीन व्यक्तियों में प्रविवरण प्रस्तुत करने के पूर्व, कम से कम दो या तीन बार मिलने की अनुमति दी जाए और इसके लिए उन्होंने जिला प्राधिकारियों के लिए निदेश प्राप्त किए थे। उनसे इस संबंध में आवेदन करने के लिए कहा गया था। ग्रासिम श्रमिक संघ, नागदा पक्षकार क्रमांक ३ के एडवोकेट श्री चांदवास्कर ने भी अनुरोध किया था कि जांच में रुचि रखने वाले कुछ विचारणाधीन व्यक्तियों को आयोग के संबंध में विशेष सूचना दी जाए। उन्हें उन व्यक्तियों के नाम तथा और अधिक ब्यौरे भी देने के लिए कहा गया था। ऐसे भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे कि पहले जिला प्राधिकारी अपना प्रविवरण प्रस्तुत करें और उसके बाद अन्य संबध्द पक्षकारों को अपना प्रविवरण प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाए। चूंकि बचाव तथा अन्य प्रकार का कोई प्रश्न न होने के कारण यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। सभी पक्षकारों को अनुमत समय तक अपने कथन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। श्री चांदवासकर के माध्यम से ग्रासिम श्रमिक संघ व्दारा अनुरोध किए जाने पर बन्दियों को स्थलनिरीक्षण की तारीख तथा अधिसूचना की जानकारी दी गई। बंदियों से साक्षात्कार के अन्य आवेदन भी प्राप्त हुए। उनसे इस संबंध में जिला प्राधिकारियों—जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करने के लिए कहा गया।

५. २३-३-७१ को कुछ सुनवाई करने के पश्चात् मैंने इस आशय का आदेश दिया कि आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्रों पर कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगाया जाएगा और यदि मुख्यतारनामें पर न्यायालय शुल्क नहीं लगा होगा, तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु मुख्तारनामा सदैव लिखित, हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित होगा। आदेशिका फीस (प्रोसेस फी), भोजन-व्यय तथा यात्रा व्यव के भुगतान का प्रश्न आगे के लिए स्थगित कर दिया गया था।

६. पक्षकारों व्दारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर लिखित कथन प्रस्तुत करने का समय बढ़ा दिया गया था। दिनांक २७-५-७१ को पहली बार आयोग को लिखित कथन प्राप्त हुआ। उस तारीख को केवल प्रबन्धकवर्ग ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया था। अन्य पक्षकारों ने अपना कथन प्रस्तुत नहीं किया था। वे और समय चाहते थे, जो मंजूर कर दिया गया। उसके बाद पक्षकारों ने समय-समय पर लिखित कथन प्रस्तुत किए, किन्तु प्रस्तुत करने की तारीखों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने प्रत्युतर भी प्रस्तुत किए। क्योंकि कुछ

पक्षकार कतिपय ऐसे व्यक्तियों को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, जो विचाराधीन बंदी थे। अतः मैंने पक्षकारों को इस आशय की सूचना दी कि यदि उनमें से कोई साक्ष्य देना चाहे तो उसे ऐसा करने दिया जाएगा, किन्तु उसे उचित आवेदन कर आयोग को अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी सामने नहीं आया और मुझे विचारणाधीन बन्दियों से साक्ष्य के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सभी पक्षकारों ने एकमत होकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं श्रमिकों की स्थितियों की तुलना करने की दृष्टि से नागदा में स्थित व्यापारिक संस्थान के समान अन्य संस्थानों का भी निरीक्षण करूं। एकमत होकर किया गया अनुरोध निम्नलिखित व्यापारिक संस्थानों का निरीक्षण करने का था :—

(१) केशवराम रेयांन फैक्टरी, डा. घ. नया सराय, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल)।

(२) सेन्चुरी रेयांन फैक्टरी, मुरवाड रोड, कल्याण।

(३) नेशनल रेयांन कार्पोरेशन, लि. मोहोने, कल्याण।

(४) श्रीराम रेयान्स, कोटा (राजस्थान)।

(५) ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कं॰ लि॰ मबूर कोथीकोड, (केरल)।

(क) विचारणीय विषय पर चर्चा करते समय मैंने अपने निरीक्षणों, के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

७॰ आयोग की प्रश्नावली का उत्तर पक्षकार क्र॰ १ प्रबंधकवर्ग तथा जिला प्राधिकारी पक्षकार क्र॰ १० को छोड़कर किसी भी पक्षकार ने नहीं दिया। दिये गए उत्तरों से मुझे पता चला कि ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड के संचालकगण निम्नानुसार हैं:—

(१) श्री जी॰ डी॰ बिड़ला।

(२) श्री के. एम. डी. ठाकरसी।

(३) श्री श्रेयास प्रसाद जैन।

(४) श्री एल. एन. बिड़ला।

(५) श्री के. जी. माहेश्वरी।

(६) श्री सूरजमल मोहता।

(७) श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी।

(८) श्री राजाराम मुछाल।

तथापि जिला प्राधिकारियों व्दारा दिए गए उत्तर में कुछ अंतर पाया गया है। ऊपर उल्लिखित संचालकों के अतिरिक्त उन्होंने श्री अरुणकुमार राय तथा श्री योगीन्द्रभाई मफतलाल के नाम का भी उल्लेख किया है। जहां तक इस जांच कार्य का संबंध है, यह अंतर विशेष महत्व नहीं रखता। इसलिए मैं मामले की गहराई में नहीं गया। संचालकों के अतिरिक्त, दिन-प्रति-दिन के प्रबंध कार्य की जिम्मेदारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा कारखाना प्रबंधक की है, जिनके नाम

क्रमश: श्री इन्दु पारिख, श्री बी॰ एन॰ पूरनमलका तथा श्री जे॰ सी॰ धारीवाल है। यह कम्पनी, जिसे संक्षेप में ग्रासिम के रूप में जाना जाता है, इसी तरह की तथा इससे भिन्न प्रकार की व्यापारिक संस्थानों का संचालन करती है। इसी प्रकार की व्यापारिक संस्थान निम्नलिखित हैं:—

(१) दि स्टेपल फाइबर डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा।

(२) दि स्टेपल फाइबर यूनिट, बिड़लाकूटन कोजी कोड केरल।

इस व्यापारिक संस्थान व्दारा संचालित विभिन्न प्रकार की इकाइयां इस प्रकार हैं:—

(१) इन्जीनियरिंग डिविजन बिडलाग्राम, नागदा।

(२) केमिकल डिविजन, बिड़लाग्राम, नागदा (निर्माणाधीन)।

(३) वीविंग डिविजन, बिड़लानगर, ग्वालियर, म॰ प्र॰।

(४) पल्प एण्ड प्लांटेशन डिविजन, बिड़लाकूटम् कोजीकोड, केरल।

(५) हरिहर पोलीफाइबर्स हरिहर, मैसूर (निर्माणाधीन)।

(६) टेक्सटाइल डिविजन, भिवाणी हरियाण।

बिड़लाग्राम (म॰ प्र॰) तथा बिड़लाकूटम (केरल) की स्टेपल फाइबर इकाइयां विस्कोज स्टेपल फाइबर का निर्माण कर रही हैं

८॰ ग्रासिम कम्पनी नागदा की तरह की छः व्यापारिक संस्थायें कार्यरत हैं, जैसा कि जिला प्राधिकारियों व्दारा यथासमय पर बताया गया था। वे निम्नानुसार हैं:—

(१) नेशनल रेयांन कारपोरेशन लिमिटेड, मोहने, कल्याण।

(२) त्रावणकोर रेयांन लिमिटेड, बेरमपूर।

(३) सेंचुरी रेयांन मुरबाड़ रोड, कल्याण।

(४) जे. के. सिन्थेटिक लिमिटेड, कोटा।

(५) ग्वालियर रेयांन्स, ग्वालियर।

(६) श्रीराम रेयांन, कोटा।

इनमें से जे. के. सिन्थेटिक लिमिटेड कोटा तथा त्रावणकोर रेयांन बेरमपूर को छोड़कर मैंने सभी व्यापारिक संस्थाओं का निरीक्षण किया है।

९॰ ग्रासिम कम्पनी में सुरक्षा की भी व्यवस्था है। इस कम्पनी ने पारियों में जमादारों को निम्नलिखित स्थानों पर तैनात रखा है अर्थात् मुख्य व्दार दक्षिणी व्दार बिजलीघर व्दार, मशीन क्र. ७ तथा ८, सी. एस. २, रेल्वे गेट, सी. एस. २ मुख्य व्दार तथा जमादारों को सी॰एस॰ २ विभाग में कारखाने के भीतर मालगोदाम तथा साइडिंग में प्रयोगशाला तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों में भी तैनात किया गया है। कम्पनी व्दारा २६ जमादार नियोजित किये गये हैं तथा उन्हें आवश्यकता के अनुसार कालोनी और कारखाने के परिसर के

बाहर अन्य स्थानों पर तैनात किया गया है। कम्पनी के पास बन्दूकों तथा गोला बारूद को सुरक्षित रूप से रखने के लिए एक शस्त्रागार भी है।

१०. विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर चुकने के पश्चात् स्थल निरीक्षण की टीपों और साथ ही कतिपय व्यक्तियों के लिये गये बयानों को पक्षकारों के समक्ष यह जानने के लिए रखा गया था कि जांच के दौरान इनका उपयोग करने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं उठाई। समय-समय पर बयान प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकारों ने गवाहों की सूची प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया। सूचियां प्रबन्धक वर्ग जिला प्राधिकारियों तथा नागदा मिल मजदूर संघ व्दारा प्रस्तुत की गई थीं। इन सूचियों में गवाहों की कुल संख्या ३१२ थी। अन्ततः पक्षकारों ने इनका परीक्षण नहीं किया तथा मेरे समक्ष परीक्षित गवाहों की कुल संख्या ७३ थी, जिसमें से पक्षकार क्र. १ प्रबन्धक वर्ग ने ३९, जिला प्राधिकारियों ने ३३ तथा पक्षकार क्र. ७ ने एक गवाह का परीक्षण किया। नागदा मिल मजदूर संघ व्दारा म. प्र. के तत्कालीन श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी को समन किया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। चूंकि बुलाने वाले पक्षकार ने जोर नहीं दिया, अतः उन्हें फिर नहीं बुलाया गया।

११. गवाहों के परीक्षण के पूर्व यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रत्येक पक्षकार के लिए किस क्रम में गवाहों का परीक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हैं, आयोग को स्वयं अपने नियम बनाने हैं। केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार सामान्यतः शासन को शुरुआत करनी पड़ती है, किन्तु इस जांच के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता। मैंने इसी नीति का पालन किया। पक्षकारों को परीक्षण के क्रम के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। मैंने सर्वप्रथम पक्षकारों को आपस में समझौता कर लेने के लिए कहा, किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। अतएव, पक्षकारों को सुनने के बाद मैंने निम्नलिखित आदेश दिया:—

"पक्षकार निम्नलिखित क्रम में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे:—

(१) जिला प्राधिकारी,

(२) प्रबन्धकवर्ग,

(३) दि इंजीनियरिंग श्रमिक संघ,

(४) दि ग्रासिम श्रमिक संघ,

(५) दि ग्रासिम संर्घष समिति,

(६) दि नागदा मिल मजदूर संघ,

(७) दि ग्रासिम मजदूर संघ तथा इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस,

(८) दि ग्रासिम मजदूर यूनियन तथा ग्रासिम इंजीनियरींग डिविजन,

(९) श्री पंचानन बराल, तथा

(१०) श्रीमती उषा भाटिया।"

११

इसके बाद एक और उलझनभरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि पक्ष किस क्रम में प्रति-परीक्षण करेंगे इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई। अन्ततः मैंने एक आदेश दिया, जिसमें प्रति-परीक्षण का क्रम ऐसा रखा गया था कि प्रबन्धकवर्ग गवाहों का प्रति-परीक्षण श्रमिक पक्षकारों व्दारा उनका प्रति-परीक्षण करने के बाद करेंगे। जिला प्राधिकारियों के गवाहों के सम्बन्ध में ही रहेगी। यह स्थिति मैंने इस मामले को पुनर्विचार के लिए इस उद्देश्य से छोड़ दिया था, ताकि अवसर उपस्थित होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सके, किन्तु पूरी जांच में कोई कठिनाई नहीं हुई और जिला प्राधिकारियों के गवाहों का परीक्षण किया गया और अन्त में अर्थात् जब सभी अन्य पक्षकारों ने प्रति-परीक्षण कर लिया, तब प्रबन्धक वर्ग ने गवाहों का प्रति-परीक्षण किया। यह पाया गया कि प्रबन्धकवर्ग के गवाहों के मामले में श्रमिक पक्षकार बहुत आग्राही नहीं थे, और इसलिये प्रति-परीक्षण के क्रम में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। इस समय तक सभी पक्षकार दस्तावेज दाखिल कर चुके थे। प्रबन्धकवर्ग ने ७०१ दस्तावेज, नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्रमांक ५ ने ४ दस्तावेज, ग्रासिम मजदूर संघ पक्षकार क्रमांक ६ ने २६ दस्तावेज, ग्रासिम मजदूर यूनियन ने ६ दस्तावेज और जिला प्राधिकारी पक्षकार क्रमांक १० ने ६६३ दस्तावेज प्रस्तुत किए। शेष पक्षकारों ने एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। गवाहों का परीक्षण पूरा हो जाने पर पक्षकारों के तर्क सुने गए और यह कार्य २९ सितम्बर, १९७२ को अर्थात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मेरे सेवा-निवृत्त होने के एक दिन पूर्व समाप्त हो गया।

बाहर अन्य स्थानों पर तैनात किया गया है। कम्पनी के पास बन्दूकों तथा गोला बारूद को सुरक्षित रूप से रखने के लिए एक शस्त्रागार भी है।

१०. विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर चुकने के पश्चात् स्थल निरीक्षण की टीपों और साथ ही कतिपय व्यक्तियों के लिये गये बयानों को पक्षकारों के समक्ष यह जानने के लिए रखा गया था कि जांच के दौरान इनका उपयोग करने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं उठाई। समय-समय पर बयान प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकारों ने गवाहों की सूची प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया। सूचियां प्रबन्धक वर्ग जिला प्राधिकारियों तथा नागदा मिल मजदूर संघ व्दारा प्रस्तुत की गई थीं। इन सूचियों में गवाहों की कुल संख्या ३१२ थी। अन्ततः पक्षकारों ने इनका परीक्षण नहीं किया तथा मेरे समक्ष परीक्षित गवाहों की कुल संख्या ७३ थी, जिसमें से पक्षकार क्र. १ प्रबन्धक वर्ग ने ३९, जिला प्राधिकारियों ने ३३ तथा पक्षकार क्र. ७ ने एक गवाह का परीक्षण किया। नागदा मिल मजदूर संघ व्दारा म. प्र. के तत्कालीन श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी को समन किया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। चूंकि बुलाने वाले पक्षकार ने जोर नहीं दिया, अतः उन्हें फिर नहीं बुलाया गया।

११. गवाहों के परीक्षण के पूर्व यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रत्येक पक्षकार के लिए किस क्रम में गवाहों का परीक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हैं, आयोग को स्वयं अपने नियम बनाने हैं। केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार सामान्यतः शासन को शुरुआत करनी पड़ती है, किन्तु इस जांच के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता। मैंने इसी नीति का पालन किया। पक्षकारों को परीक्षण के क्रम के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। मैंने सर्वप्रथम पक्षकारों को आपस में समझौता कर लेने के लिए कहा, किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। अतएव, पक्षकारों को सुनने के बाद मैंने निम्नलिखित आदेश दिया:—

"पक्षकार निम्नलिखित क्रम में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे:—

(१) जिला प्राधिकारी,

(२) प्रबन्धकवर्ग,

(३) दि इंजीनियरिंग श्रमिक संघ,

(४) दि ग्रासिम श्रमिक संघ,

(५) दि ग्रासिम संर्घष समिति,

(६) दि नागदा मिल मजदूर संघ,

(७) दि ग्रासिम मजदूर संघ तथा इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस,

(८) दि ग्रासिम मजदूर यूनियन तथा ग्रासिम इंजीनियरींग डिविजन,

(९) श्री पंचानन बराल, तथा

(१०) श्रीमती उषा भाटिया।"

इसके बाद एक और उलझनभरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि पक्ष किस क्रम में प्रति-परीक्षण करेंगे इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई। अन्ततः मैंने एक आदेश दिया, जिसमें प्रति-परीक्षण का क्रम ऐसा रखा गया था कि प्रबन्धकवर्ग गवाहों का प्रति-परीक्षण श्रमिक पक्षकारों व्दारा उनका प्रति-परीक्षण करने के बाद करेंगे। जिला प्राधिकारियों के गवाहों के सम्बन्ध में ही रहेगी। यह स्थिति मैंने इस मामले को पुनर्विचार के लिए इस उद्देश्य से छोड़ दिया था, ताकि अवसर उपस्थित होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सके, किन्तु पूरी जांच में कोई कठिनाई नहीं हुई और जिला प्राधिकारियों के गवाहों का परीक्षण किया गया और अन्त में अर्थात् जब सभी अन्य पक्षकारों ने प्रति-परीक्षण कर लिया, तब प्रबन्धक वर्ग ने गवाहों का प्रति-परीक्षण किया। यह पाया गया कि प्रबन्धकवर्ग के गवाहों के मामले में श्रमिक पक्षकार बहुत आग्रही नहीं थे, और इसलिये प्रति-परीक्षण के क्रम में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। इस समय तक सभी पक्षकार दस्तावेज दाखिल कर चुके थे। प्रबन्धकवर्ग ने ७०१ दस्तावेज, नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्रमांक ५ ने ४ दस्तावेज, ग्रासिम मजदूर संघ पक्षकार क्रमांक ६ ने २६ दस्तावेज, ग्रासिम मजदूर यूनियन ने ६ दस्तावेज और जिला प्राधिकारी पक्षकार क्रमांक १० ने ६६३ दस्तावेज प्रस्तुत किए। शेष पक्षकारों ने एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। गवाहों का परीक्षण पूरा हो जाने पर पक्षकारों के तर्क सुने गए और यह कार्य २९ सितम्बर, १९७२ को अर्थात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मेरे सेवा-निवृत्त होने के एक दिन पूर्व समाप्त हो गया।

अध्याय—तीन

मैं अब संक्षेप में विभिन्न पक्षकारों व्दारा प्रस्तुत पक्ष का उल्लेख करूंगा। प्रस्तुत पक्षों के बारे में ब्यौरेवार उल्लेख तथा उनके सम्बन्ध में चर्चा मैं उस समय करूंगा जब मैं प्रत्येक विचारणीय विषय पर प्रकाश डालूंगा। जिला प्राधिकारियों का कथन है कि विचारणीय विषय (क) अर्थात् उपद्रव की पृष्ठभूमि, कारण तथा घटना क्रम से सम्बध्द मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

(एक) संघर्ष समिति का गठन तथा स्वरूप, जो कि पंजीयित संघ नहीं थी तथा जिसे सभी कामगार-समूहों का समर्थन तथा विश्वास प्राप्त नहीं था।

(दो) विवादों से सम्बन्धित किसी भी पक्षकार ने विवादों के निपटारे के लिए विधि व्दारा उपबन्धित तरीकों का सहारा नहीं लिया।

(तीन) कामगारों की मांगों को स्वीकार करने में प्रबन्धक वर्ग अनिच्छा तथा दिनांक १२-१२-१९७० को बोनस की मात्रा की घोषणा का नोटिस लगाने सम्बन्धी उनका एकपक्षीय निर्णय, जिस पर कामगारों ने आक्रोश तथा विरोध प्रकट किया।

(चार) दिनांक २०-१२-७० को नागदा में श्री मण्डेलिया का कथित पत्रकार-सम्मेलन।

(पांच) बलवाइयों के हिंसक तथा गैर कानूनी कार्य, जो उस समय और अधिक भड़क गए जब उन्हें प्रबन्धक वर्ग के शस्त्रागार से लूटे गए आग्नेयास्त्र तथा गोला बारूद अचानक मिल गए तथा जिसका उन्होंने मुक्त रूप से प्रयोग किया।

विचारणीय विषय क्र. (ख) के सम्बन्ध में जिला प्राधिकारियों का कथन है कि:—

(१) संघर्ष समिति के नेताओं तथा अनुयायियों ने कामगारों को भड़काया और साथ ही उपद्रवों में भाग लिया।

(२) दिनांक ५-१२-७० की कथित सभा के पश्चात कामगारों में संघर्ष समिति व्दारा जाग्रत की गई उच्चाकांक्षाओं से उनका मन अभिभूत हो गया था। दिनांक १२-१२-७० की सूचना में घोषित प्रबन्धक वर्ग के एकपक्षीय निर्णय से उनकी इन आशाओं पर पानी फिर गया। संघर्ष समिति ने ही आन्दोलन में गति बनाये रखी और यकायक दिनांक २१-१२-७० को सामूहिक हिंसा पर उतारू हो गई।

जिला प्राधिकारियों का कहना है कि पुलिस व्दारा बल प्रयोग उन परिस्थितियों में, जिनका उन्होंने अपने बयानों में उल्लेख किया है, उचित था।

२. विचारणीय विषय क्र. (घ) के सम्बन्ध में जिला प्राधिकारियों का यह तर्क है कि प्रबन्धकों के सुरक्षा अधिकारी श्री बलवन्तसिंह व्दारा गोली चालन किया गया था और वह उचित था। श्री बलवन्तसिंह के अतिरिक्त श्री सागरमल गुप्ता, जो बलवाइयों में से ही एक थे, ने भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था। तथापि, श्री सागरमल गुप्ता की मृत्यु हो गई। अंततः मामले की परिस्थितियों की दृष्टि से जिला प्राधिकारियों ने अपनी कार्यवाही को उचित ठहराया।

३. प्रबन्धकवर्ग ने भी कामगारों तथा विशेष रूप से संघर्ष समिति को दोषी बताया है। उनका कहना है कि विभिन्न संघों ने अनेक अवसरों पर अत्यंत अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य किया है तथा प्रबन्धकवर्ग पर अनुचित दबाव डालने के लिये हड़ताल के अस्त्र का उपयोग किया है। उनकी ओर से ऐसे प्रयास कामगारों की स्थिति में सुधार करने की सच्ची इच्छा से अभिप्रेरित नहीं थे, किन्तु कामगारों के समक्ष अत्यंत अनुचित मांगों की मृगमरीचिका खड़ी करके अपनी सदस्यता में वृध्दि करने के विचार से प्रेरित थे। उन्होंने यह भी दोषारोपन किया कि अधिकार-लिप्सा से प्रेरित आन्तरिक तथा अन्तः संघीय प्रतिस्पर्धा भी आन्दोलन के लिए उत्तरदायी थी। अधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न संघों ने विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का सहारा लिया। संघर्ष समिति ने, वित्तीय वर्ष १९६९-७० के लिए ४५ प्रतिशत बोनस की मांग की, जो किसी भी विधि, करार या प्रथा के प्रतिकूल थी। जब यह समिति श्रमिक न्यायालय के समक्ष असफल हो गई तो उसने हड़ताल का आश्रय लिया। उसने श्रमिक कानूनों के अधीन सांविधिक प्राधिकारियों पर भी कुछ दोष लगाया, उनके अनुसार सांविधिक प्राधिकारियों ने उतनी तत्परता से कार्यवाही नहीं की जितनी इस स्थिति में आवश्यक थी।

४. प्रबन्धकवर्ग का आगे यह कथन है कि आपसी बातचीत, सुलह या मध्यस्थता व्दारा विवादों को निपटाने के लिए किए गए करार के बावजूद संघर्ष समिति ने हिंसक तथा विध्वंसक तरीके अपनाए। निःसंदेह जिला प्राधिकारियों ने स्थिति का सामना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश जारी किए थे किन्तु संघर्ष समिति के नेताओं तथा उनके अनुयायियों ने आदेशों का उल्लंघन किया। न्यायालयों के निर्णयों के बावजूद संघर्ष समिति के नेता निश्चयपूर्वक विधि का उल्लंघन कर रहे थे। प्रबंधकवर्ग का निष्कर्ष यह है कि यह आंदोलन संघर्ष समिति की सुविचारित तथा सुयोजित योजना के कारण हुआ। सैकड़ों सशस्त्र कामगारों ने प्रबंधकवर्ग की सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाई। लोगों को जीवित जलाने तथा सभी निर्माण प्रक्रिया को ठप करने के उनके प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि स्थिति और भी बिगड़ गई और तीन लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने एक युवा इंजीनियर को भी मार डाला। प्रबन्धक वर्ग यह भी स्वीकार करता है कि उनके सुरक्षा अधिकारी श्री बलवन्त सिंह ने भी गोली चलाई थी किन्तु यह उसने उस समय एक अन्तिम उपाय के रूप में किया था जब उनके जीवन तथा अन्य कर्मचारियों के जीवन को आसन्न खतरा पैदा हो गया था तथा एक निश्चित योजना के अनुसार खुल्लमखुल्ला हिंसक कार्यवाही की जा चुकी थी। इस हिंसक भीड़ ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, वाहनों तथा अन्य वस्तुओं को जला दिया। प्रबन्धक वर्ग का स्पष्ट शब्दों में यह कथन है कि पुलिस का गोली चलाना पूर्णतः उचित था क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि हिंसा का आश्रय लेकर भीड़

विधि का उल्लंघन करने पर उतारू थी तथा कर्फ्यू लगाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। संक्षेप में उन्होंने दोष संघर्ष समिति पर ही लगाया है, जो हड़तालों, अवैध मांगों, आदेशों की अवहेलना तथा हिंसक तरीके अपनाने के लिए उत्तरदायी थी।

५. श्रमिकों की ओर से आठ पक्षकार उपस्थित हुए थे। इसमें दो वैयक्तिक पक्षकार भी शामिल हैं। वे हैं-इंजीनियर श्रमिक संघ, ग्रासिम श्रमिक संघ, संघर्ष समिति, नागदा मिल मजदूर संघ, ग्रासिम मजदूर संघ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन। दो वैयक्तिक पक्षकार श्री पंचानन बराल तथा श्रीमती उषा भाटिया हैं।

६. इंजीनियरिंग श्रमिक संघ का कथन है कि इस सम्पूर्ण घटना के लिए प्रबंधकवर्ग तथा पुलिस उत्तरदायी है और गंभीर रूप से तथा सहसा भड़काए जाने के बाद पुलिस अनुचित तथा अनावश्यक गोलीचालन के लिए उत्तरदायी है। उसका यह भी कहना है कि पुलिस व्दारा किया गया बल-प्रयोग अत्यधिक तथा अनुचित था। पुलिस कठोर भी हो गयी थी। वह प्रबन्धक वर्ग के हाथ की कठपुतली थी। इस संघ के अनुसार सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक दि. २१-१२-७० के पूर्व नागदा में पूरे समय इस विशिष्ट प्रयोजन से उपस्थित रहे जिसके कारण यह अवांछित घटना हुई। कामगारों के नेता बिना किसी कारण दि. २१-१२-७० से पहले दो बार गिरफ्तार किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने भी कोई कदम नहीं उठाया, यद्यपि उन्हें स्थिति के संबंध में जानकारी दे दी गई थी।

७. ग्रासिम श्रमिक संघ का कथन है कि प्रबन्धक वर्ग तथा पुलिस सम्पूर्ण घटना के लिए उत्तरदायी है। उनका तर्क भी वही है जो इंजीनियरिंग श्रमिक संघ व्दारा दिया गया है।

८. ग्रासिम श्रमिक संघ, जो कि एक अपंजीयित, अप्राधिकृत तथा अव्यवस्थित संस्था है, का कथन है कि दि. २१-१२-७० की घटना का कारण यह है कि पुलिस, प्रबन्धक वर्ग, श्रम विभाग तथा प्रशासन ने नागदा में व्याप्त स्थिति पर काबू पाने के लिए अयोग्य तथा लापरवाह अधिकारियों को भेजा था। उसने विशेष रूप से यह कहा कि आन्दोलन को दबाने के लिये प्रबन्धक वर्ग तथा पुलिस मिल गए थे और उसी उद्देश्य से पुलिस व्दारा अवांछित गोली चालन तथा लाठी चार्ज किया गया। इस संघर्ष समिति के अनुसार प्रबन्धक वर्ग ने भी उपद्रव करने के लिए कतिपय अवांछित तत्वों को भड़काया। उसका यह भी कहना है कि इन व्यक्तियों ने प्रबन्धकों के कुछ विश्वासपात्र कर्मचारियों से कुछ सहायता प्राप्त की तथा पावर हाउस गेट के सामने उपद्रव करना आरम्भ कर दिया तथा कामगारों को चोटें पहुंचाईं। इस संघर्ष समिति के अनुसार, यह जानबूझकर इसलिए किया गया कि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट को गोली चालन तथा लाठी चार्ज करने का कुछ बहाना मिल सके। उसके अनुसार, गोली चालन पूर्णतः अनुचित था। पुलिस ने शान्तिपूर्ण कामगारों पर प्रहार किया। उसने श्रम विभाग पर भी दोष लगाया क्योंकि उसने कामगारों तथा प्रबन्धक वर्ग के बीच समझौते की दृष्टि से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कोई पहल नहीं की।

९. कतिपय तथ्यों का उल्लेख करने के पश्चात् नागदा मिल मजदूर संघ का कहना है कि प्रबन्धक वर्ग, कामगारों के द्रविड़ दल के जरिए, जो कि

नागदा तैनात अधिकारियों से मिला हुआ था, उपद्रव करवाने का प्रयत्न कर रहा था। इस नागदा मिल मजदूर संघ का यह कथन भी है कि, श्रमिक उपद्रव उन्हें पीटने की दृष्टि से जानबूझकर करवाया गया था। इसका कारण यह था कि उस समय लुगदी की कमी थी। यदि हड़ताल या अन्य उपद्रव के कारण उत्पादन को हानि पहुंचे तो उत्पादन सम्बन्धी बीमा प्रभावी हो सकता था। प्रबन्धक वर्ग ने इस तरीके से यह सुनिश्चित किया क्योंकि उत्पादन में से ५० प्रतिशत की क्षतिपूर्ति बीमा व्दारा हो जाएगी। इस संघ का यह भी अभिकथन है कि कामगारों के कतिपय बफादार समूह हैं जिन्होंने मिलकर भड़काने का काम किया। प्रबन्धक वर्ग शासकीय अधिकारियों का स्वागत-सत्कार किया करता था क्योंकि नागदा में कोई सर्किट हाउस नहीं है।

श्री द्रविड़ जिनका प्रबन्धक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध था, अपने पैर जमाना चाहते थे तथा प्रबन्धक वर्ग समस्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजी था। आगे यह भी कहा गया कि यह घटना श्री मंडेलिया व्दारा दिए गए वक्तव्य के कारण घटी थी, जिसके अनुसार यह इंजीनियरी अनुभाग को हरिहर अंतरित करना चाहते थे और कास्टिक सोड़ा संयंत्र नागदा में स्थापित नहीं करना चाहते थे। यह उत्तेजना प्रबन्धक वर्ग के कर्मचारियों, श्री वी॰ वी॰ द्रविड़ तथा उनके संघ के कामगारों, शासकीय अधिकारियों तथा श्री मंडेलिया के प्रेस वक्तव्य के कारण उत्पन्न हुई थी। उनका कहना है कि किया गया वल प्रयोग उचित नहीं था और गोली चालन प्रबन्धक वर्ग के व्यक्तियों तथा सुरक्षा अधिकारियों व्दारा किया गया था। स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में नहीं थे।

१०. ग्रासिम मजदूर संघ का कहना है कि श्रमिक संघ के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रबन्धक वर्ग की मनमानी तथा एकपक्षीय कार्यवाही और श्रमिकों में आई नई जागृति के साथ तालमेल बैठाने में बिड़लाओं की असफल नीति ही २१ दिसम्बर, १९७० की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। उसने यह भी दोष लगाया है कि श्री गंगाराम तिवारी का दल तथा उनके अनुगामी श्री हीरालाल शर्मा, श्री वहीदउद्दीन कुरैशी, श्री पदम सिंह यादव २१-१२-७० की घटनाओं के लिए उत्तरदायी थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन जारी किए गए आदेश की संघर्ष समिति व्दारा अवहेलना को नजरंदाज करने की नीति भी एक कारण थी। २१-१२-७० तक स्थानीय प्रशासन व्दारा कार्यवाही अन्यमनस्क रूप से की गई थी, यद्यपि संघ ने श्री समर सिंह, कलेक्टर व्दारा समझौता कराने के प्रयासों की प्रशंसा की है।

११. ग्रासिम मजदूर यूनियन का कहना है कि इन्टक के दोनों समूहों की प्रतिव्दन्दिता और उनकी संघ पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप ही यह बलवा हुआ। कपटपूर्ण व्यवहार व्दारा कामगारों की एकता को कमजोर बनाने की दृष्टि से प्रबन्धक वर्ग व्दारा निरंतर अपनाए गए रुख ने इसे और भी भड़काया शासन ने समस्याओं को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाने में उपेक्षा बरती। उसके अनुसार २१-१२-७० की घटना अचानक तथा अनपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए शासन स्वयं जिम्मेदार था। संघ ने बार-बार आगाह किया किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रम विभाग ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं

उठाए। बोनस सम्बन्धी एकपक्षीय नोटिस और श्री मंडेलिया के उकसाने वाले वक्तव्य ने आग में घी डालने का कार्य किया। प्रबन्धक वर्ग की मजदूर विरोधी गतिविधियों और कामगारों की वास्तविक तकलीफों के प्रति अपनाया गया कड़ा रुख भी इनमें से एक कारण है। प्रबन्धकवर्ग व्दारा अर्जित लाभ कामगारों की हालत में सुधार करने के लिए खर्च नहीं किया गया।

१२· अब मैं व्यक्तिगत पक्षकारों, अर्थात् श्री पंचानन बराल तथा श्रीमती उषा भाटिया के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने पृथक्-पृथक् कथन प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उसका सार एक ही है। २१-१२-७० की घटनाओं के लिए उन्होंने प्रबन्धकवर्ग, जिसमें श्री मंडेलिया भी सम्मिलित है, द्रविड़ के संघ के कुछ व्यक्तियों तथा स्थानीय कर्मचारियों पर दोष लगाया है। उनका आगे यह भी कहना है कि इसमें भाग लेने वाले प्रबंधक वर्ग के आदमी तथा उसके किराए के टट्टू थे और किया गया बल प्रयोग उचित नहीं था।

१३. मैंने जांच मार्च, १९७१ में प्रारम्भ की और उसे सितम्बर, १९७२ तक पूरा किया। चूंकि मैं पदासीन न्यायाधीश था। अतः इस दौरान उच्च न्यायालय के कार्य में भी व्यस्त रहता था और इसलिए जांच पूरी करने में कुछ समय लग गया। उच्च न्यायालय के कार्य को जारी रखना आवश्यक था क्योंकि आयोग का कार्य सतत नहीं हो सकता था। गवाहों को बुलाया गया, उनमें से कुछ आए और कुछ नहीं आए, अन्य लोगों को पुनः बुलाना पड़ा, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन दिए और उसके बाद निरीक्षण भी किया जाना था। इतना सब होने में काफी समय लग गया। आयोग के सचिव के संबंध में भी कठिनाई थी। श्री आर· के· सेठ, जो उच्च न्यायालय, म· प्र·, इन्दौर के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार थे, आयोग के सचिव नियुक्त किए गए किन्तु उन्हें उच्च न्यायालय व्दारा इन्दौर से स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री ए· सी· दालानी, अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर को आयोग का अंशकालिक सचिव नियुक्त किया गया। जिरह की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें सचिव के रूप में बनाये रखना आवश्यक नहीं समझा और सहायक सचिव श्री एस. सी. मित्रा सचिव की समस्त शक्तियों के साथ जांच पूरी होने तक प्रभारी रहे।

१४· इस जांच के संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण जांच के दौरान न तो कोई विरोध और न कोई विवाद उत्पन्न हुआ और समस्त पक्षकारों ने इस भावना के साथ सहयोग किया कि वे कभी भी आपस में नहीं लड़े, यद्यपि मैं यह कह सकता हूं कि आयोग के कार्य की शुरूआत में उन्होंने जो उत्साह बतलाया था वह धीरे-धीरे कम होता गया और अंततः केवल दो पक्षकारों, अर्थात् प्रबन्धकवर्ग तथा जिला प्राधिकारियों ने ही सक्रिय भाग लिया। यद्यपि नागदा मिल मजदूर संघ, अर्थात् पक्षकार क्रमांक ५ ने आयोग के कार्य में कोई अधिक सक्रिय भाग नहीं लिया, तथापि उसने अंत तक आयोग को सहायता दी। शेष पक्षकार जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुए यद्यपि कुछ पक्षकार साक्ष्य अभिलिखित करते समय उपस्थित थे।

१५. विशेष रूप से मैं सभी दस पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले सभी वकीलों, इंदौर संभाग के कमिश्नर सहित जिला प्राधिकारियों, श्रम

अधिकारियों, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय जबलपुर एवं दोनों के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

१६. मैं आयोग के कर्मचारियों को, उनके व्दारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। कर्मचारियों में पहले उल्लिखित सचिवों के अलावा श्री के. पी. बालगोपालन आशुलिपिक, श्री पी. बी. क्षीरसागर, आशुलिपिक, श्री पी. सी. चटर्जी, लेखापाल, श्री बी. डी. कुलकर्णी, लिपिक, तथा श्री बी॰ के॰ चक्रवर्ती, मुद्रलेखक सम्मिलित थे।

१७. मैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री पी. के. तारे को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे सेवानिवृत्त हो जाने पर भी मुझे आयोग के कार्य के लिए श्री के. पी. बालगोपालन आशुलिपिक की अंशकालिक रूप में सेवाएं होने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि उसके बिना इस प्रतिवेदन को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। वे आदि से अंत तक आयोग के काम में व्यस्त रहे और उन्होंने गवाहों के बयानों को लगभग पूरा लिखा। मैं उन सभी लोगों व्दारा दिए गए सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिससे जांच संतोषजनक ढ़ंग से पूरी की जा सकी।

अध्याय—चार

विचारणीय विषय (क)

उन उपद्रवों की पृष्ठभूमि, कारण तथा घटनाक्रम, जो बिड़लाग्राम, नागदा जिला उज्जैन में हुए थे तथा जिनकी परिणति २१ दिसम्बर, १९७० को पुलिस व्दारा गोली चालन में हुई।

यह विचारणीय विषय तीन भागों में विभाजित किया जाता है:—

(एक) उपद्रवों की पृष्ठभूमि;

(दो) कारण, तथा

(तीन) घटनाक्रम।

२. इस पृष्ठभूमि में हमें यह देखना है कि सेट-अप क्या था और समय-समय पर उसमें कैसे परिवर्तन हुए, जिसमें नागदा में मजदूरों की विद्यमान परिस्थितियों की तुलना में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों का परिवेश तथा स्थिति शामिल है। इस संबंध में हम इसी स्वरूप के अन्य औद्योगिक संस्थानों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि इसी प्रकार के विभिन्न संस्थानों में प्राप्त होने वाली सुविधाओं तथा उनकी स्थितियों से यह पता लग सकता है कि केवल नागदा में ही गड़बड़ क्यों उत्पन्न हुई। इस संबंध में मैंने पक्षकारों के कहने पर अनेक संस्थानों को जाकर देखा। वे निम्नलिखित हैं:—

(१) केशवराम रेयन, त्रिबेणी, जिला हुगली।

(२) श्रीराम रेयन्स, कोटा।

(३) श्रीराम फर्टीलाइजर्स, कोटा।

(४) दी बिड़ला कांटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लिमिटेड, दिल्ली।

(५) सेन्चुरी रेयन्स, कल्याण, बम्बई।

(६) नेशनल रेयन कारपोरेशन, मोहाने, कल्याण।

(७) ग्वालियर रेयन, सिल्क, मेन्युफैक्चरिंग, कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर।

मैं नीचे उन तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं जो मुझे उन संस्थानों में देखने को मिले। बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली को छोड़, सभी सिन्थेटिक धागा तैयार करते हैं। चूंकि मेरा संबंध उस संस्थान से है जो सिन्थेटिक धागा तैयार करता है, अतः मैं वहां की कार्य स्थिति के संबंध में जानकारी मालूम करना चाहता था ताकि मैं उसकी ग्रासिम नागदा से तुलना कर सकूं तथा गड़बड़ी के वास्तविक कारण का पता लगा सकूं। इन सभी कारखानों में कार्य स्थिति कुछ छोटे-मोटे विभेदों के साथ एक समान ही प्रतीत होती है।

३· सर्वप्रथम मैं केशवराम रेयन, त्रिबेणी जिला हुगली गया। उसमें लगभग २६०० कामगार हैं। उनके अतिरिक्त उसमें कुछ अनियत कामगार भी थे। इनमें से ७०० कामगारों को कारखाने की ओर से आवासग्रह प्राप्त थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे, जिनके आवासगृह स्वयं कारखाने व्दारा किराए पर लिए गए थे। शेष कामगार आसपास के ग्रामों से आते थे क्योंकि उनके पास अपने मकान थे। प्रत्येक कामगार की सामान्य मजदूरी २०० रू· होती है। उन्हें अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जो २२·३७ रू· होते हैं। मंहगाई भत्ता, जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें कारखाने की ओर से प्रतिवर्ष दो जोड़ी जूते भी मिलते हैं। उन्हें साबुन तथा वर्दियां भी मिलती हैं। लगभग १७०० कामगारों को प्रतिदिन एक पाव के हिसाब से दूध भी दिया जाता है। कामगारों को पानी तथा बिजली की पूर्ति मुफ्त की जाती है। एक क्लब भी है, जहां खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं। वहां एक सिनेमा हाल है, जहां एक माह में दो या तीन बार मुफ्त सिनेमा दिखलाया जाता है। कारखाने व्दारा कामगारों के बच्चों के लिये ८ वीं कक्षा तक की एक शाला की व्यवस्था की गई है, जिसमें नाममात्र का शिक्षण-शुल्क लिया जाता है। कामगारों की सुविधा के लिये एक प्रसूति चिकित्सालय है। कारखाने के परिसर में कुछ बिस्तरों वाला एक औषधालय है। औषधालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक सर्जन है। वहां एक सहकारी साख संस्था तथा एक सहकारी भण्डार है।

४· इसके अतिरिक्त, कामगारों को २० प्रतिशत बोनस तथा अनुग्रह-राशि के बतौर ५ रू· का भुगतान किया जाता है। यहां श्रमिकों के तीन संघ हैं, जो क्रमशः इन्टक साम्य· दल (मार्क्सवादी) तथा साम्य· दल (भारतीय) से संबंधित है। किसी भी संघ को शासन व्दारा मान्यता प्रदान करने का कोई प्रश्न नही हैं।

५. तत्पश्चात् मैं सेंचुरी रेयन, कल्याण, बम्बई गया। वहां के कामगार निम्नानुसार सात श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:—

(१) उत्कृष्ट रूप से कुशल	१६५—११—३२७ १/२
(२) कुशल ए	१५३—८—२४६
(३) कुशल बी	१४८—६-१/२—२२६
(४) अर्ध्द कुशल ए	१३३—५—१६३
(५) अर्ध्द कुशल बी	१२८—३—१६४
(६) अकुशल-ए	१२०-१/२—२-१/२—१५०-१/२
(७) अकुशल बी	११५-१/२—२—१३६-१/२

कामगारों को उक्त वेतनमानों का भुगतान सेंचुरी रेयन तथा रेयन कामगार संघ के बीच हुये समझौते के अनुसार किया जाता है। यह १६७३ तक प्रभावशील है जबकि वे कतिपय परिवर्तनों की आशा कर सकते हैं। उक्त समेकित मजदूरी के अतिरिक्त कामगारों को १०४ रू· मंहगाई-भत्ता भी दिया जाता हैं। इसमें तदर्थ मंहगाई भत्ते के रूप में भुगतान किये गये २० रू· भी शामिल हैं। हर तीन माह में मंहगाई-भत्ते में परिवर्तन होता है, जो बम्बई के कामगार वर्ग के लिए

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जीवन निर्वाह के मूल्य में कमी या वृध्दि पर निर्भर होता है। कारखाने में केवल एक संघ है, जो रेयन कामगार संघ कहलाता है तथा इन्टक से सम्बध्द है। इस संघ पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है।

६. ५०० रू. तक के वेतन पाने वाले सभी कामगार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं तथा इस योगना के अधीन सभी लाभ प्राप्त करते हैं। कारखाना अपनी स्वयं की भविष्य निधि योजना चला रहा है, जिसके अन्तर्गत भी कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। अनिवार्य कामगारों को कारखाने व्दारा मकान दिये गये हैं, किन्तु ये अनिवार्य कामगार लगभग १० प्रतिशत ही हैं। जिन कामगारों को, आवासग्रह नहीं दिये गये हैं, उन्हें कोई मकान-भत्ता नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों को ये आवास-ग्रह समुचित लाइसेंस फीस पर पर्याप्त रूप से सज्जित कर दिये जाते हैं। वहां एक चिकित्सालय है, जहां तीन पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं। इस चिकित्सालय का सौ बिस्तर वाले चिकित्सालय के रूप में विकास किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला ९ दिसम्बर १९७१ को रखी गयी थी। कुछ आपाती रोगियों को बम्बई भेजा जाता है। कारखाने ने बम्बई के किसी चिकित्सालय के साथ स्थायी व्यवस्था कर ली है। पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त चार आमन्त्रित विशेषज्ञ भी आते हैं। कारखाने व्दारा एक चल चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। यह चल चिकित्सालय कारखाने के कामगारों के स्थल पर चिकित्सा के लिये निकटवर्ती ग्रामों तक जाता है। कारखाना कर्मचारी राज्य बीमा योजना में लगभग ४ प्रतिशत अंशदान देता है।

७. कामगारों के बच्चों के शिक्षण के लिये मैट्रिक स्तर तक एक शाला की व्यवस्था है। इस शाला में तीन भाषायें, यथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा मराठी पढ़ायी जाती है। छात्रों से केवल नाममात्र का शुल्क लिया जाता है।

८. कारखाने के कामगारों के लिये प्रबन्धक वर्ग ने एक क्लब तथा एक मनोरंजन केन्द्र की व्यवस्था की है। यह क्लब १९६८ से चल रहा है। क्लब में एक खुला आडिटोरियम, एक टेनिस कोर्ट, आभ्यंतर तथा बाह्य बेडमिन्टन कोर्ट, तथा एक तरण ताल है। क्लब में एक सुसज्जित पुस्तकालय भी है। सभी कर्मचारी इसके सदस्य बनने के हकदार हैं। यहां एक मंदिर, एक महिला-मण्डल तथा एक बालक क्लब है। प्रशिक्षित कामगार शिक्षकों व्दारा कामगार शिक्षण कक्षायें भी संचालित की जाती हैं। कारखाना प्रतिवर्ष अपने खर्च पर १० से १२ कामगारों को भारत दर्शन के लिए भेजता है। कामगारों को अपने कठिनाइयों के निवारण के लिये, निचले स्तर पर हुए समझौते से संतुष्ट न होने पर, उच्चतम प्राधिकारियों से मिलने की इजाजत है।

९. इस संस्थान में पिछले १०-१२ वर्षों से कोई श्रमिक गड़बड़ी या हड़ताल नहीं हुई। औद्योगिक विवाद सदैव न्यायालय के बाहर ही हल कर लिये गये। कोई भी मामला व्यावहारिक तौर पर, आधिकारिक रूप में श्रम विभाग को नहीं भेजा गया। कामगारों को २९·०४ प्रतिशत बोनस का भुगतान किया गया। इस बोनस के अतिरिक्त, सामान्य मासिक, मजदूरी के २५ प्रतिशत के बराबर विशेष उपस्थिति बोनस का भुगतान उन कामगारों को किया जाता है जो वर्ष में किसी भी दिन अनुपस्थित नहीं रहते। त्यौहार अग्रिम भी दिया जाता है।

१०. कामगारों के लाभ के लिये एक उपभोक्ता सहकारी संस्था है, जो एक उचित मूल्य की दूकान चला रही है, जहां सभी घरेलू वस्तुयें उपलब्ध रहती हैं। वहां कामगारों के लिए एक कैन्टीन है, जहां ०·५० रू· में पूरा भोजन मिलता है।

११· सेंचुरी रेयन एम्पलाइज को-आपरेटिव सोसायटी, जो कि एक पंजीयित संस्था है, के आवास-गृह अर्ध सहायियत गृह-निर्माण योजना के अधीन शासन व्दारा दिये गये ऋण से बनाये गए हैं। इसमें १०८ फ्लैट हैं। कारखाने ने कामगारों के लिये अन्य ६४ फ्लैटों का भी निर्माण किया है। इनमें से ३२ ऊपर उल्लिखित योजना के अधीन तथा ३२ शासन से बगैर ऋण लिये कारखाने व्दारा बनाये गये हैं।

१२· दूसरा संस्थान, जहां मैं गया, नेशनल रेयन कारपोरेशन, मोहोन, कल्याण था। इसमें लगभग ६,००० कामगार हैं। इसमें कुशल तथा अकुशल कामगार शामिल हैं। इसमें एक कामगार कम से कम १२० रू· मूल तथा प्रति दिन ३·६० रू· मंहगाई-भत्ता, जो २६ दिनों का ९३·६० रूपये होता है, पाता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न श्रेणियों के कामगारों को दिये जाने वाले वेतनमान दर्शाती है:—

(१) श्रेणी एक कुशल—ए:	१५५—७-१/२—२००—८—२४८ रू· (२६ दिन)
(२) श्रेणी दो कुशल—बी:	१५०—६—२१०—७—२२४ (२६ दिन)
(३) श्रेणी तीन अर्ध्द कुशल—ए:	१३५—४-१/२—१८०—५—१६० रू· (२६ दिन)
(४) श्रेणी चार अर्ध्द कुशल—बी:	१३०—२-१/२—१५०—३—१६५ रू· (२६ दिन)
(५) श्रेणी पांच अकुशल—ए:	१२५—२-१/२—१५० रू· (२६ दिन)
(६) श्रेणी छः अकुशल—बी:	१२०—२—१४० रू· (२६ दिन)

इस कारखाने में दो संघ हैं—एक मान्यताप्राप्त है और दूसरा मान्यताप्राप्त नहीं है। मान्यताप्राप्त संघ इन्टक से संबध्द है और जो संघ मान्यताप्राप्त नहीं है वह पीजेंट वर्कर्स यूनियन से संबध्द है। तीन वर्षों से इनमें से कोई भी संघ सक्रिय नहीं है। कामगारों को २० प्रतिशत बोनस दिया जाता है। कोई अनुग्रह-राशि नहीं दी जाती है। कामगारों के लाभ के लिये ७१ बिस्तर वाले एक चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। इस चिकित्सालय में एक सर्जन, छः पूर्ण-कालिक चिकित्सक तथा चार विशेषज्ञ हैं। लगभग १/६ कामगारों को आवासगृह प्रदान किये गये हैं। यहां सहकारिता आधार पर एक क्रय-विक्रय केन्द्र है। सभी कामगारों को वर्ष में तीन दिन का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जाता है। उन्हें किये गये वास्तविक कार्य के प्रत्येक १७ दिन के लिये एक दिन का स्वत्वपूर्ण अवकाश भी मंजूर किया जाता है, बशर्ते कारखाना अधिनियम के उपबन्धों

के अनुसार कामगार सवेतन छुट्टी का पात्र हो। कम्पनी कतिपय शर्तों के अधीन कामगारों को वर्दी प्रदान करती है। मजदूरी के अलावा कतिपय भत्ते भी दिये जाते हैं। कामगारों को उपस्थिति बोनस मिलता है।

१३· श्रीराम रेयन्स, कोटा में १,२०० व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से ९४० कामगार निम्नानुसार हैं:—

(क)	कुशल कामगार	४००
(ख)	अर्द्ध कुशल	४००
(ग)	अकुशल	१४०

कामगारों के लिए एक प्रतीक्षा शेड की व्यवस्था है। जो कामगार पहले आ जाते हैं वे अपना काम प्रारंभ होने तक उसमें प्रतीक्षा करते हैं। कुल कामगारों में से ६०० कामगारों को आवास-गृह दिये गये हैं। जिन कामगारों को आवास-गृह नहीं दिये गये हैं उन्हें कोई मकान-भत्ता नहीं दिया जाता है। कुछ कामगारों के अपने स्वयं के मकान हैं जबकि शेष कामगार किराये के मकानों में रहते हैं। विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के वेतनमान निम्नानुसार हैं:—

(१)	कुशल—ए	१७०—३६० रु·
(२)	कुशल—बी	१३५—२३४ रु·
(३)	कुशल—सी	१२०—१८६ रु·
(४)	अर्द्ध कुशल	१०५—१५९ रु·
(५)	अकुशल—ए	१००—१४२ रु·
(६)	अकुशल—बी	९०—११४ रु·

वार्षिक वेतनवृध्दि के अतिरिक्त कामगारों को मंहगाई-भत्ता भी दिया जाता है, जो मूल्य सूचकांक से संबध्द होता है। मंहगाई-भत्ते की वर्तमान दर ६५ रू. है। यदि कामगार स्कूटर, आटोसाइकिल, आदि रखते हों तो उन्हें २५ रू. प्रति माह वाहन-भत्ता भी दिया जाता है, अन्यथा उन्हें ७ रू. साइकिल भत्ता दिया जाता है। यदि कोई कामगार बीमा-पालिसी लेता है तो उसे बीमा अर्थ-सहायता के रूप में ५ रू. प्रतिमाह दिया जाता है। कामगार अपने वेतन की ४ प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान करते हैं। अधिकतम अर्थात् २० प्रतिशत बोनस दिया जाता है।

१४· कामगारों को रियायती वस्त्र कार्ड दिये जाते हैं, जिनके ध्दारा वे किसी भी डी· सी· एम· की दूकान से २० प्रतिशत छूट पर वस्त्र ले सकते हैं। विवाह के समय पुरूष कामगार को ५० रू. तथा महिला कामगार को १०० रू. का विवाह उपहार दिया जाता है। कामगारों के पहले दो बच्चों के विवाह के अवसर पर भी उपहार दिये जाते हैं। कामगारों को ०·६० रू· प्रति थाली के हिसाब से सहायित्यत भोजन दिया जाता है। ९ वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। बच्चों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं। शाला में ७६० बच्चे हैं। कामगारों की कालोनी में एक मंदिर भी है। श्रीराम रेयन्स में एक औषधालय है।

कामगारों को उनके मूल्यवान सुझावों पर उपयुक्त उपहार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यहां से एक पाक्षिक पत्र भी निकलता है, जिसमें कामगार लेख आदि लिखते हैं।

१५. इस कारखाने में श्रीराम रेयान कर्मचारी यूनियन नामक केवल एक यूनियन है। यह किसी भी राजनैतिक दल से सम्बध्द नहीं है। कामगारों के मनोरंजन के लिए एक स्टेडियम तथा एक नाट्यगृह एवम् थियेटर की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष में एक बार कामगारों को संस्थान के खर्च से पिकनिक पार्टी के लिए ले जाया जाता है। श्रीराम रेयान में कोई श्रमिक अशान्ति नहीं है।

१६. मैंने श्रीराम फर्टीलाइजर्स कोटा का भी निरीक्षण किया। इसमें नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या ११०० है, जिनमें से १५० को आवासगृह दिए गए हैं। शेष अपने निजी या भाड़े के आवासगृहों में रहते हैं। जिन्हें आवासगृह नहीं दिए गए हैं उन्हें गृहभाड़ा अर्थ-सहायता दी जाती है। कामगारों को वाहन-भत्ता भी मिलता है, जैसा कि ऊपर बताए अनुसार श्रीराम रेयान में दिया जाता है। एक किराना स्टोर है जहां कामगारों को थोक मूल्य पर फुटकर सामान मिल सकता है। कामगारों के बच्चों को छत्रवृति दी जाती है। बीमा प्रीमियम के लिए अर्थ-सहायता दी जाती है। बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अस्सी प्रतिशत कामगारों के बैंक में खाते हैं। उन्हें रेडियों, घड़ियां, सिलाई मशीनें आदि खरीदने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिए जाते हैं। एक महिला कल्याण केन्द्र है। अन्य सुविधाएं प्राय: उसी प्रकार की हैं जैसी कि श्रीराम रेयान में हैं। इस कारखाने में भी कोई श्रमिक अशान्ति नहीं हुई है।

१७. यद्यपि मेरे निरीक्षण के समय बिड़ला काटन मिल देहली में किसी सिन्थेटिक धागे का उत्पादन नहीं हो रहा था। तथापि मैंने केवल उन स्थिति की, जिनमें कार्य किया जाता है, तुलना करने तथा कामगारों की प्रतिक्रिया जानने के अभिप्राय से निरीक्षण किया था। मिल में ६५०० कामगारों के नाम दर्ज हैं। इनमें से ४५०० कामगार प्रतिदिन कार्य करते हैं। कार्य करने की स्थितियों या वेतन या भत्तों के सम्बन्ध में कोई श्रमिक अशान्ति नहीं हुई है। कामगारों की न्यूनतम उपलब्धि २२५ रू. मासिक है, जिसमें मजदूरी, महंगाई-भत्ता तथा लाभांश (बोनस) शामिल है। कोई वेतन श्रेणी नहीं है और कामगारों को कोई वेतन वृध्दि नहीं दी जाती है। उन्हें ४ प्रतिशत लाभांश दिया जाता है। जहां तक सुख सुविधाओं का सम्बन्ध है केवल ७०० से ८०० कामगारों को आवासगृह दिए गए हैं। मिल ब्दारा अन्य कोई सुख-सुविधाए नहीं दी जातीं।

१८. मैंने ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर के बुनाई विभाग का भी निरीक्षण किया। यद्यपि यह संस्था उसी कम्पनी की है जिसकी नागदा स्थित प्रेसिम संस्था है तथापि प्रबन्ध पूर्णतया भिन्न प्रकार का तथा स्वतंत्र है। मैंने इस संस्था का निरीक्षण केवल इस बात का पता लगाने के लिए किया कि नागदा में ऐसी गड़बड़ क्यों हुई जबकि कार्य करने की स्थितियां ग्वालियर जैसी ही हैं। नागदा तथा ग्वालियर स्थित स्थापनाएं एक ही संस्था की हैं तथापि नागदा में तोड़-फोड़ होने पर भी ग्वालियर में कुछ नहीं हुआ।

यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि, जो संघ नागदा में कार्य कर रहे हैं, वे उन संघों से भिन्न हैं, जो ग्वालियर में कार्य कर रहे हैं अथवा कम से कम वे भिन्न तरीके से कार्य कर रहे हैं।

१९. ग्वालियर रेयान में १३०० कामगारों के नाम दर्ज हैं, जिनमें से १००० कामगार प्रतिदिन तीन पारियों में कार्य करते हैं। प्रत्येक कामगार की न्यूनतम उपलब्धि १६७ रु॰४३ पै॰ है और महंगाई-भत्ते सहित अधिकतम उपलब्धि ३८८ रु॰ ५३ पै॰ होती है। उन्हें २० प्रतिशत बोनस + ४·३३ प्रतिशत तदर्थ रूप से दिया जाता है। लगभग ४२ कामगारों को वर्दियां दी गई हैं, ९४ कामगारों को आवास-गृह दिए गए हैं। कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि से उधार लेने की सुविधा है।

२०. यह घटना होने के पहले नागदा स्थित ग्रेसिम में निम्नलिखित वेतन-मान थे:—

	न्यूनतम	अधिकतम
(१) श्रेणी ए	३२४.२६	४४२.१६
(२) श्रेणी बी	३१७.७१	४२३.८२
(३) श्रेणी सी	३०४.६१	३७६.६६
(४) श्रेणी डी	२९१.५०	३३०.८१
(५) श्रेणी ई	२७८.४०	३१७.७१

टिप्पणी—इसमें मूल वेतन, मंहगाई-भत्ता और लाभांश (बोनस) शामिल है। कामगारों को महंगाई-भत्ता दिया जाता है, जो बम्बई, अहमदाबाद और शोलापुर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबध्द किया गया है। इसकी गणना प्रति तीन माह अर्थात् वर्ष की तिमाही के लिए की जाती है। लाभांश (बोनस) भुगतान अधिनियम, १९६५ की धारा ११ के अधीन देय २० प्रतिशत अधिकतम लाभांश (बोनस) के अतिरिक्त अनुग्रह पूर्वक, तदर्थ रूप में तथा विशेष वितरण के रूप में भी भुगतान किया जाता है। कामगारों को सेवा का एक वर्ष पूरा कर लेने पर प्रत्येक वर्ष के लिए उपदान के रूप में एक माह की मूल मजदूरी (एक महीने का तात्पर्य है २६ दिन) दी जाती है। विभिन्न विभागों के पात्र कामगारों को, करार और पचांट के अनुसार उन पर लागू होने वाली निम्नलिखित दर से भत्ता दिया जाता है:—

(१) मूल मजदूरी का १२ १/२ से १५ प्रतिशत।

(२) मूल मजदूरी का २० से २२ १/२ प्रतिशत।

(३) २६ दिन की उपस्थिति के लिए १४ रु॰। समस्त कामगारों को प्रति रात्रि ३६ पैसे रात्रि पारी भत्ता दिया जाता है। कामगारों को कारखाना अधिनियम, १९४८ के अधीन अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त आठ सवेतन छुट्टियां दी जाती हैं, जो रकम लगभग २ लाख रुपये प्रति वर्ष होती है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ भी दिए जाते हैं। इसके

अलावा अन्य सुविधाएं हैं जैसे दूध, विटामिन की गोलियां देना, कई विभागों के कामगारों को वर्दियां देना, जिनकी लागत प्रति वर्ष ४ लाख रु० से अधिक होती है। कामगारों को केवल ५ रू. अथवा १० रू. प्रतिमाह की प्रतीक दर पर परिवार के लिए ऐसे आवास-गृह दिए जाते हैं, जिनका भाड़ा मूल्य ४० रू. से ४५ रू. प्रतिमाह तक होता है तथा साथ ही जल और १२ यूनिट तक बिजली की पूर्ति निःशुल्क की जाती है। एक विद्यालय भी है, जिसमें उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की सुविधा है।

२१० आंकड़े यह दर्शाते हैं कि नागदा के कामगारों की स्थिति इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के कामगारों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। सेंच्युरी रेयांस, कल्याण (बम्बई) नेशनल रेयांस कार्पोरेशन, मोहने-कल्याण (बम्बई) और श्रीराम रेयांस कोटा में लगभग समान उपलब्धियां और सुविधाएं होने पर वहां यथार्थतः कोई श्रमिक अशान्ति नहीं हुई। केशोराम रेयान में हुई गड़बड़ी के बारे में यह माना जा सकता है क्योंकि वहां के कामगारों को समान सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अतएव, आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि लाभांश (बोनस) की मात्रा कसकने वाली बात नहीं थी। कारण कोई दूसरा होना चाहिए। नेताओं ने स्वयं लोकप्रिय बनने के लिए और प्रबन्धक वर्ग का विरोध करने के लिए लाभांश (बोनस) का मामला उठाया। वास्तविकता यही थी, जो शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगी। आंकड़े प्रदर्श २ पी ३६६ में दिए गए हैं, जो विभिन्न रेयान उद्योगों की मूल मजदूरी और महंगाई भत्ता की तुलनात्मक तालिका है। मैं यहां इन संस्थाओं व्दारा दिए जाने वाले लाभांश का उल्लेख करना चाहूंगा:—

(१) ग्रेसिम, नागदा।	३१ प्रतिशत
(२) सेन्च्युरी रेयांस, कल्याण	२६.०४ प्रतिशत
(३) नेशनल रेयान, कल्याण	२० प्रतिशत
(४) श्रीराम रेयांस, कोटा	२० प्रतिशत
(५) केशोराम रेयान, कलकत्ता	२० प्रतिशत धन (+) ५ रू० अनुग्रह पूर्वक अनुदान

ग्रेसिम, नागदा के कामगार ऐसी कोई शिकायत नहीं कर सकते कि उन्हें अन्य संस्थाओं के अपने साथियों की अपेक्षा कम लाभांश (बोनस) दिया जाता है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में अन्य संस्थाएं स्थित हैं वहां महंगाई अधिक है और जीवन निर्वाह व्यय नागदा की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। अतएव, नागदा के कामगारों को, जो उन्हें मिलता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। बम्बई और कलकत्ता निश्चित रूप से नागदा की अपेक्षा अधिक महंगे स्थान हैं। रहन-सहन का समान स्तर रखने के लिए एक कामगार को नागदा में जितनी रकम चाहिए उसे बम्बई में उससे दुगुनी रकम की आवश्यकता होगी। अतएव, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखा जाए यह स्पष्ट होगा कि उपलब्धियों, सुविधाओं तथा लाभांश (बोनस) के आधार पर कामगारों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए थी।

२२· अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि उपद्रव क्यों हुआ और उसकी पृष्ठभूमि तथा कारण क्या हैं। हम बाद में इस उपद्रव-क्रम का पता लगाएंगे।

२३. दि ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी, लिमिटेड, नागदा, एक संस्था का नाम है, जो संक्षेप में ग्रेसिम, नागदा कहलाती है। यह भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन २५ अगस्त, १९४७ (प्रदर्श २ पी ७) को पंजीयित हुई थी। इसमें दो विभाग हैं तन्तुक विभाग (स्टेपल फाइबर डिवीजन) और इंजीनियरी विभाग। तन्तुक विभाग (स्टेपल फाइबर डिवीजन) जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, तन्तुक (स्टेपल फाइबर) के उत्पादन से संबंधित है जबकि इंजीनियरी विभाग मशीनों के निर्माण के लिए है। तन्तुक विभाग (स्टेपल फाइबर डिवीजन) की स्थापना वर्ष १९५४ में हुई थी और इंजीनियरी विभाग १९६२ में स्थापित हुआ था। अत्यन्त सीमित मात्रा में रेशम और विदेशी रेशों को छोड़कर वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं देश में पैदा होनेवाली और बाहर से आयतित कपास से पूरी की जाती हैं। तथापि, माल्थस के सिध्दान्त के अनुसार देश की जनसंख्या में समय-समय पर वृध्दि हुई है। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के बावजूद जनसंख्या की वृध्दि को नियन्त्रित नहीं किया जा सका है। प्राकृतिक रेशे (फाइबर) अर्थात् कपास और अत्यन्त सीमित मात्रा में अन्य रेशे बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतएव यह आवश्यकता हुई कि अन्य रेशों से, विशेषत: तन्तुक (स्टेपल फाइबर) से कपडे तैयार किए जाएं। फिलहाल ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो कपास और कपास भिन्न रेशों का उत्पादन करती हैं जिससे देश की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह भी कहा जा सकता है कि जबकि सूती वस्त्रों की आवश्यकता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है वहीं इस बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए कपास की उपलब्धता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी तन्तुक (स्टेपल फाइबर) के निर्माण के क्षेत्र में लगभग एक अगुआ उपक्रम है। तन्तुक का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया व्दारा किया जाता है और इंजीनियरी विभाग में इस उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी का निर्माण किया जाता है। कारखाने में लगातार २४ घंटे विधायन कार्य होता है और यदि यह किसी कारण बंद हो जाता है तो विधायन के दौरान का विस्कोज कुछ समय बाद जम कर कड़ा हो जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के पहले चरण में लकड़ी के गूदे (वुड पल्प) का सोडियम हाइड्राइड व्दारा समुपचार किया जाता है। गूदा भिगाया जाता है और उसका परिपाक किया जाता है। परिपाक के बाद उसकी कार्बन बाई सल्फाइड व्दारा अभिक्रिया की जाती है जिससे सेलूलोस जेन्थेट बन जाता है। जब विस्कोज का घोल तैयार हो जाता है तो अधिक कास्टिक सोडे व्दारा सेलूलोस जेन्थेट को घोला जाता है। तत्पश्चात् विस्कोज का परिपाक होने दिया जाता है और फिर उसे तन्तुक (स्टेपल फाइबर) के रूप में कात लिया जाता है। तथापि, विस्कोज अस्थिर पदार्थ है और यदि उसे पड़ा रहने दिया जाए तो वह वैसा ही नहीं रहता। उसमें अपने आप कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। विस्कोज को २४ घंटे के भीतर रेशों के रूप में बदल दिया जाना चाहिए बशर्तें कि तापमान की सामान्य तथा एक सी स्थिति और अन्य स्थितियां बनाए रखी जा सकें। विस्कोज का संग्रह वातानुकूलित कमरे में किया जाना चाहिए। यदि विस्कोज को रेशे के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है विधायन में बाधा उपस्थित हो जाती

है तो वह सांद्र हो जाता है और कताई के लिए अर्थात् तन्तुक (स्टेपल फाइबर) के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुपयोगी हो जाता है। जब विस्कोज का सांद्रीकरण (जेलीफिकेशन) होने लगता है तो वह बेकार हो जाता है और किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यदि उसे २४ घंटे से अधिक समय तक रखा जाता है तो वह धीरे-धीरे कड़ा और अधिक कड़ा होता जाता है। ऐसा नियन्त्रित स्थिति में भी होता रहता है। मैंने इसका उल्लेख श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (१ अ॰ ग॰ २६) के साक्ष्य से किया है, जो १६६६ से तन्तुक (स्टेपल फाइबर) विभाग में कार्यपालक प्रबन्धक हैं। इस जटिल प्रक्रिया का कामगारों को ज्ञान एक प्रकार से उनके हाथ में एक हथियार है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वे कुछ समय तक काम नहीं करेंगे तो कम्पनी को भारी हानि होगी और इस हानि से बचने के लिए कम्पनी उनकी मांगों को मानने के लिए विवश होगी। उन्होंने अपने इस अस्त्र का प्रयोग कैसे और कब तथा क्यों किया और अन्ततः हिंसात्मक उपद्रव पर उतारू हुए ये ऐसी बातें हैं जिनपर हम बाद में विचार करेंगे। यह सम्भव है कि कामगारों को, अपने काम के आरम्भ में इन कठिनाइयों का ज्ञान न हो किन्तु कुछ समय बाद उन्हें इन बातों का ज्ञान हो जाता है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उन्होंने हड़ताल लगातार जारी रखी तो न केवल उत्पादन बंद हो जाने के कारण हानि होगी अपितु जमे हुए विस्कोज से मशीनें भी खराब हो जाएंगी। कम्पनी सदैव ऐसी हानि से बचना चाहेगी और यही उपद्रव का मूल कारण है। क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (नेशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल) के प्रतिवेदन के कारण उपद्रव हुआ या श्री मण्डेलिया के वक्तव्य के कारण यह एक विवाद का विषय है और इस प्रश्न पर दोनों पक्षकारों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु इस बारे में दो राय नहीं है कि श्रमिक निर्माण प्रक्रिया की विशिष्ट स्थिति के बारे में जानते थे और वे उसका पूरा लाभ उठाना चाहते थे। कुछ नेताओं ने निःसंकोच श्रमिकों को प्रोत्साहिक किया।

२४. जहां कहीं भी औद्योगिक संस्थाएं हैं वहां संघ (यूनियन) बना लिए गए हैं। बहुधा श्रमिक समस्याओं के बारे में संशोधनों या नई अधिनियमितियों व्दारा कानून बनाया जाता है। श्रमिक उनका पूरा लाभ उठा रहे हैं। यह निःसंदेह अच्छा संकेत है किन्तु दुर्भाग्य से कई मामलों में संघों का निर्माण श्रमिकों के सुधार के लिए नहीं हुआ है बल्कि विशिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ है। नागदा में जो संघ (यूनियन) गठित हुए वे इसके अपवाद नहीं हैं। नागदा के बारे में यदि हम वर्ष १६६० की स्थिति पर बिचार करें, क्योंकि हम इस जांच के प्रयोजन के लिए इससे पहले के वर्षों पर विचार नहीं करना चाहते, तो उस समय नागदा में निम्नलिखित श्रमिक संघ थे:—

(क) ग्रेसिम मजदूर संघ, नागदा (पक्षकार क्र. ६)

(ख) नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा (पक्षकार क्र. ५)

(ग) ग्रेसिम मजदूर यूनियन (पक्षकार क्र. ७)

(घ) ग्रेसिम मिल मजदूर संघ नागदा (पक्षकार क्र. ३) (ग्रेसिम श्रमिक संघ)।

२५· ग्रेसिम मजदूर संघ, नागदा को, जो दिनांक १-२-१९५५ को पंजीयित हुआ था और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो आमतौर पर इंटक कहलाती है, से सम्बध्द किया गया था। तत्कालीन मध्यभारत क्षेत्र में यथानुकूलित बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम के अधीन दिनांक २१-७-१९५८ को ग्रेसिम के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यह दिनांक २३-७-७० तक प्रतिनिधि संघ के रूप में कार्य करता रहा, और उसके बाद उसका नाम प्रतिनिधि संघों की पंजी से निकाल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दिनांक ३०-१०-६० को, बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम निरस्त किये जाने पर मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (अधिनियम क्र· २७) प्रवर्तन में आया। म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० रासायनिक उद्योग पर लागू नहीं होता था और इस कारण ग्रेसिम मजदूर संघ, जो रासायनिक उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ था, प्रतिनिधि संघ नहीं हो सकता था। कतिपय ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि ग्रेसिम मजदूर संघ नागदा १९६० में अधिनियम के लागू न होने के कारण प्रतिनिधि संघ नहीं हो सकता था, किन्तु इसका केवल उस समय लाभ उठाया जब यह बात उसमें हित रखने वाले श्रमिक नेताओं के लिए अनुकूल थी। तर्क यह है कि यदि ऐसी कठिनाई थी तो प्राधिकरण अर्थात् श्रम विभाग की बहुत देर से वर्ष १९७० में नींद खुली और उसने यह कहे जाने का अवसर दिया कि विभाग ऐसे व्यक्तियों की प्रेरणा पर कार्य कर रहा था जो इस ग्रेसिम मजदूर संघ के विरोधी हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कठिनाई, यदि हम इसे कठिनाई कहें, कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम रासायनिक उद्योग पर लागू नहीं होता था वर्ष १९६३ में दूर कर दी गई और इसलिए १९७० में जब मान्यता समाप्त करने का प्रश्न सामने आया तब ग्रेसिम मजदूर संघ की मान्यता इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकी कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम रासायनिक उद्योग पर लागू नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण संघ है नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा। यह दिनांक २-१२-५७ को पंजीयित किया गया था और यह इंटक से संबध्द है। इसकी गतिविधियां भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिड़ला ग्राम नागदा में थी। यह फैक्टरी ग्रेसिम की फैक्टरी से संलग्न है। पंजीयक ने इस संघ को वस्त्र उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगत समय पर दो प्रतिनिधि संघ थे एक वस्त्र उद्योग के लिए और दूसरा रासायनिक उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के लिए नागदा मिल मजदूर संघ प्रतिनिधि संघ था जबकि रासायनिक उद्योग के लिए ग्रेसिम मजदूर संघ प्रतिनिधि संघ था। सन् १९७० में प्रतिनिधि संघ के रूप में ग्रेसिम मजदूर संघ की मान्यता समाप्त कर दी जाने के बाद नागदा मिल मजदूर संघ ग्रेसिम के लिए भी प्रतिनिधि संघ बन गया।

२६· मध्यप्रदेश इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दो गुट हैं। यह गुटबंदी वर्ष १९६६ में उभर कर सामने आई। एक गुट के नेता श्री द्रविड़ थे, जो किसी समय श्रम मंत्री थे और दूसरे गुट के नेता सवश्री हीरालाल शर्मा और वहीद उद्दीन कुरेशी थे। दूसरा गुट आम तौर पर उज्जैन गुट कहलाता है। नागदा में एक श्रम शिविर है। इस शिविर के कारण झगड़ा हुआ और पदाधिकारियों में हाथा-पाई हुई और दोनों गुटों के सदस्यों ने कहा कि श्रम शिविर पर उनका अधिकार है। अन्ततः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ तथा १४६ के अधीन कार्यवाहियों के आधार पर पुलिस ने श्रम शिविर को सीलबन्द कर दिया और वह अब भी

उसके कब्जे में है। मुझे बताया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ के अधीन कार्यवाहियां अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं।

२७. उपद्रव का इतिहास तथा पृष्ठभूमि और प्रभाव यह दर्शाता है कि इंटक के बीच इसी प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिक अपनी मांगों के बारे में एक नहीं हो पाते थे। यदि श्री द्रविड़ के नेतृत्ववाला गुट हड़ताल करता था तो उज्जैन गुट उसमें शामिल नहीं होता था और यदि उज्जैन गुट हड़ताल करता था तो श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाला गुट उसमें शामिल नहीं होता था। वास्तव में कई संघ थे और प्रत्येक अपना रोब जमाना चाहता था। जिस समय यह गड़बड़ी हुई उस समय निम्नलिखित संघ विद्यमान थे:—

(क) इंजीनियरिंग कामगार संघ, नागदा।
(ख) इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस, नागदा।
(ग) भारत कामर्स श्रमिक संघ, नागदा।
(घ) ग्रेसिम इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, नागदा।
(ङ) बिड़लाग्राम श्रमिक सेवा दल, नागदा।
(च) इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, नागदा।

उपर्युक्त छः संघों में से प्रथम दो अर्थात् इंजीनियरिंग कामगार संघ, नागदा तथा इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस, नागदा इंटक से सम्बध्द हैं। क्र. (ग) तथा (घ) वाले संघ भारतीय मजदूर संघ से सम्बध्द हैं जबकि क्र. (च) में उल्लिखित संघ, अर्थात् इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन नागदा, आइटक से सम्बध्द है।

२८. लगभग १९६४ में इन्टक की मध्यप्रदेश शाखा के नेतृत्व के बारे में आन्तरिक विवाद हुए जिसके परिणामस्वरूप इन्टक की अपने सहायक श्रमिक संघों के साथ एकता भंग हुई। सदा की भांति विभिन्न श्रमिक संघ नेतृत्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और इस प्रतिस्पर्धा ने सन् १९६७ में १५ अगस्त को श्रम शिविर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय गम्भीर रूप ग्रहण किया और उनके बीच झगड़े उठ खड़े हुए। दोनों गुटों ने, जिनमें से एक का नेतृत्व मजदूर नेता श्री पद्मसिंह कर रहे थे तथा दूसरे का नेतृत्व एक अन्य मजदूर नेता श्री जगदीश चन्द्र शुक्ला, कर रहे थे। अपराध में फंसाने वाली विभिन्न रिपोर्टें की और उनके विरुध्द मामले भी दर्ज किए गए। दोनों गुटों के व्यक्तियों के विरूध्द कई अपराध दर्ज किए गए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३३२/३५३ के अधीन अपराध दर्ज किए गए थे जिनमें एक अन्तिम रिपोर्ट भेजी गई थी। संघों के पारस्परिक झगड़े श्रम शिविर के भवन पर दावे से संबंधित विवाद में चरम सीमा पर पहुंच गए। संघों के पारस्परिक झगड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इसके फलस्वरूप नागदा में इन्टक कमजोर हो गई। ग्रेसिम मिल मजदूर जनसंघ ने, जो अभी तक अपने पैर नहीं जमा पाया था इस स्थिति से लाभ उठाया और नागदा में अपनी स्थिति प्रबल बनाने का प्रयास किया। ऐसा प्रतीत होता था कि मध्यप्रदेश राज्य की संविद सरकार, जिसका जनसंघ एक घटक सदस्य था, की सहानुभूति नागदा स्थित ग्रेसिम मिल मजदूर जनसंघ की ओर थी। इन्टक गुट का, जो उज्जैन गुट के प्रति निष्ठावान था प्रतिनिधि संघ पर नियंत्रण

था। इन्टक के भीतर के श्री द्रविड़ वाले प्रतिव्दन्दी गुट ने, ग्रेसिम मिल मजदूर जनसंघ और ग्रेसिम मजदूर यूनियन के साथ मिल कर उज्जैन गुट को परास्त करने और उसके प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का प्रयास किया।

२९. प्रबन्धक वर्ग के अनुसार २१-१२-७० की संपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि १८-११-६७ से प्रारम्भ हुई जबकि श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाले इंटक गुट और अन्य संघों ने, जो इन्टक के उज्जैन गुट को हटाने के लिए इस गुट में शामिल हो गए थे, नोटिस दिए बिना और अधिनियम में विहित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना, अचानक हड़ताल की घोषणा कर दी। उन्होंने संयंत्र को विद्युत् पूर्ति बन्द कर दी और तत्पश्चात् तन्तुक (स्टेपल फाइबर) विभाग तथा इंजीनियरिंग विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। कर्मचारियों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया और अधिकारियों का कई घंटों तक घेराव किया गया। यह हड़ताल २९ नवम्बर, १९६७ तक जारी रही। प्रबन्धक वर्ग ने उज्जैन स्थित श्रम न्यायालय में कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दीं। श्रम न्यायालय ने दि॰ २०-११-६७ को एक अन्तरिम आदेश दिया, जिसमें कामगारों को काम पुनः प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया था। किन्तु कामगारों ने श्रम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। श्रम न्यायालय ने दिनांक ७-६-६८ को हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। हड़ताल के बाद दिसम्बर १९६७ में ग्रेसिम मजदूर संघ, नागदा के चुनाव होने थे। इण्टक का द्रविड़ गुट निर्वाचित हुआ और द्रविड़ के गुट के चुने गए पदाधिकारियों के नाम पंजीयक, श्रमिक संघ व्दारा दर्ज कर लिये गये थे। सितम्बर, १९६८ में ग्रेसिम मजदूर संघ नागदा ने जो प्रतिनिधि संघ था, और ग्रेसिम मिल मजदूर जनसंघ तथा ग्रेसिम मजदूर यूनियन ने मिलकर वर्ष १९६७-६८ के लिए बोनस आदि तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रबन्धक वर्ग से एक करार किया। यह करार मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १९६० के अधीन पंजीयक व्दारा पंजीयित किया गया था। इस करार में २० प्रतिशत बोनस भुगतान की व्यवस्था है, जो बोनस भुगतान अधिनियम १९६५ के अधीन निर्धारित अधिकतम है। प्रबन्धकवर्ग इस २० प्रतिशत से ऊपर सद्भावना स्वरूप ११ प्रतिशत अनुकम्पा तथा तदर्थ भुगतान करने के लिए, जो कुल मिलाकर ३१ प्रतिशत होता है, सहमत हो गया। करार में एक स्वतंत्र निकाय अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् व्दारा कार्य के भार का अध्ययन किए जाने के बाद वेतनमानों के पुनरीक्षण की व्यवस्था थी। करार में यह भी व्यवस्था थी कि यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो पक्षकार उसे पारस्परिक चर्चा तथा समझौते व्दारा तय करने का प्रयत्न करेंगे, और ऐसा न होने पर मामला मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। करार में गैस भत्ते, जिसके लिए विवाद हुआ था, के संबंध में कुछ शर्तों की भी व्यवस्था थी। इस करार के अनुसरण में यह विवाद मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता था और इस प्रकार यह एक सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को निर्दिष्ट किया गया था। इसके बावजूद ग्रेसिम मिल मजदूर जनसंघ ने नवम्बर १९६८ में गैस भत्ते के बारे में एक आन्दोलन किया। यह पंजीयित करार का उल्लंघन था। वर्ष १९६९ में औद्योगिक न्यायालय ने, मध्यप्रदेश इन्टक के महामंत्री श्री डी. पी. पाठक को ग्रेसिम मजदूर संघ, नागदा का अध्यक्ष नियुक्त किया। इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस के महामंत्री श्री दामोदर दुबे ने दिनांक २०-१-६९ को लगभग आधे घंटे तक कार्य बन्द रखने में इंजीनियरी

विभाग के कामगारों का नेतृत्व किया। यह हड़ताल भी श्रम न्यायालय, उज्जैन ने दिनांक १६-६-१६७० को अवैध घोषित कर दी। दिनांक १२ अगस्त, १६६६ को जबकि गैस भत्ते का मामला न्यायाधीन था, कताई तथा सहायक विभागों की खाता समितियों में दूसरी हड़ताल हुई। कामगार विभाग में डटे रहे और पूरे समय नारे लगाते रहे। खाता समितियां इण्टक के उज्जैन गुट तथा भारतीय मजदूर संघ में निष्ठा रखने वाले कामगारों तथा आइटक के कुछ सदस्यों व्दारा गठित की गई है। प्रबन्धक वर्ग ने हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए श्रम न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ की और प्रार्थना की कि कामगारों को कार्य पर लौट आने का निर्देश देने वाला एक अन्तरिम आदेश दिया जाय। इस प्रकार का एक आदेश श्रम न्यायालय, उज्जैन ने १४-८-१६६६ को दिया, जिसमें कामगारों को तत्काल काम पर लौट आने का निर्देश दिया गया था। कामगारों ने इस आदेश का भी पालन नहीं किया। श्रम न्यायालय ने दिनांक १६-५-७० को यह हड़ताल भी अवैध घोषित कर दी। हड़ताली कामगार विभागों के भीतर थे और उन्होंने वहां से हटाए जाने का विरोध करने के लिए हिंसा पर उतारू होने की तैयारी कर ली थी। जिला प्राधिकारियों की सहायता से उनको विभाग से चले जाने के लिए मजबूर किया गया। हड़ताल वापस ले लेने के बाद वर्ष १६६८-६६के लिए बोनस आदि के संबंध में तथा अन्य मामलों के लिए प्रबन्धक वर्ग तथा ग्रेसिम मजदूर संध, नागदा के बीच, उसके अध्यक्ष श्री डी. पी. पाठक के जरिए एक समझौता हुआ। इस ग्रेसिम मजदूर संघ का अप्रेल, १६७० में चुनाव होना था। इण्टक के श्री द्रविड़ के अनुयायी पुनः निर्वाचित हुए। इन पदधारियों के नाम पंजीयक व्दारा १५ जुलाई, १६७० को दर्ज किए गए थे। इसी बीच नागदा मिल मजदूर संघ, जो भारत कामर्स तथा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड उपक्रम के लिए प्रतिनिधि संघ है, के निर्वाचन हुए और उज्जैन गुट के हाथ में सत्ता आई।

३०. ग्रेसिम मजदूर संघ १६६७ से द्रविड़ गुट के नियंत्रण में है। उज्जैन गुट इस संघ पर नियंत्रण रखने की स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। नागदा मिल मजदूर संघ ने, जो उज्जैन गुट के नियंत्रण में था, जून १६७० में प्रतिनिधि संघों के पंजीयक को आवेदन किया कि वे ग्रेसिम मजदूर संघ की प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता समाप्त कर दें। पंजीयक ने उसकी मान्यता समाप्त कर दी देखिए उनका आदेश दिनांक २३-७-७०। ग्रेसिम मजदूर संघ ने औद्योगिक न्यायालय मध्यप्रदेश को अपील की और उसने ग्रेसिम मजदूर संघ, नागदा और नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा को इस करार में शामिल होने से रोकने के लिए एक अन्तरिम स्थगन आदेश दिया। यह स्थगन आदेश २१ दिसम्बर १६७० तक लागू रहा। दि. २१-१२-७० की घटना उस समय हुई जब कि इनमें से कोई भी संघ, अर्थात् नागदा मिल मजदूर संघ और ग्रेसिम मिल मजदूर संघ, प्रतिनिधि संघ की हैसियत से प्रबन्धक वर्ग से वार्ता नहीं कर सकता था। इसलिए प्रबन्धक वर्ग ने यह विचार व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १६६० के अधीन म. प्र. के श्रम विभाग को न्याय निर्णयन की कार्यवाहियां प्रारम्भ करने की शक्ति सौंपी गई है और इस अवस्था में उसे समस्या का समाधान करने और स्थिति को सुधारने में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए थी। किन्तु श्रम विभाग ने कुछ नहीं किया।

३१· जिला प्राधिकारियों ने भी कारणों की पृष्ठभूमि कुछ सीमा तक उसी प्रकार बतलाई जैसी कि प्रबन्धक वर्ग ने बतलाई थी। जिला प्राधिकारियों के अनुसार ग्रेसिम मजदूर संघ, प्रतीनिधि संघ था और उस हैसियत में उसने वेतन-मानों आदि के पुनरीक्षण तथा वर्ष १९६७-६८ के लिए प्रबन्धक वर्ग व्दारा दिए जाने वाली लाभांश (बोनस) की मात्रा के लिए प्रबन्धकवर्ग से करार किया था। प्रबन्धक वर्ग व्दारा बताई गई वास्तविक स्थिति यह है कि जिला प्राधिकारी मात्र दर्शक थे किन्तु जिला प्राधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि वे मात्र दर्शक थे। उनके अनुसार अगस्त, १९६९ में जब ग्रेसिम के कताई तथा सहायक विभाग के कामगार हड़ताल पर गए तब सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ७ दिसम्बर, १९६९ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन एक आदेश जारी किया तथा प्रख्यापित किया, जिसके व्दारा बिड़ला ग्राम में जुलूसों, प्रदर्शनों तथा लाऊड स्पीकरों के उपयोग, पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव, आदि पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई। दि. ७-९-६९ से १८-९-६९ तक इस फैक्टरी तथा इसके कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विरुध्द विभिन्न प्रकार के छः मामले दर्ज किए गए। इनमें से कुछ मामलों में खाचरोद के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं तथा कुछ मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन भेजे गये हैं।

३२. इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, पक्षकार क्र. २ के अनुसार लाभांश (बोनस) के प्रकरण को, जिसे कि वे पहले कुछ वर्षों से उठाते रहे थे, उठाया गया तथा श्रमिक हड़ताल पर चले गए और अन्ततः लाभांश (बोनस) का भुगतान लाभांश भुगतान अधिनियम, १९६५ में निर्धारित किए अनुसार २० प्रतिशत से ऊंची दर पर किया गया। पूर्व के आन्दोलन बहुत ही शान्तिपूर्ण थे तथा भारी लाभ को देखते हुए प्रबंधक वर्ग को, अनिच्छापूर्वक २० प्रतिशत से ऊंची दरों पर लाभांश (बोनस) की मांग को स्वीकार करना पड़ा। तथापि प्रबंधक वर्ग सदैव ही लाभांश (बोनस) की इस ऊंची प्रतिशत की मांग से बच निकलना चाहता था। इंजीनियरिंग श्रमिक संघ ने आगे बताया कि दिनांक ६-१२-७० को कलेक्टर उज्जैन के कहने पर उज्जैन में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री बी· के· सेठी ने की। श्रमिक तथा प्रबंधक वर्ग उपस्थित थे तथा उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधियों व्दारा किया गया था। लाभांश (बोनस) की दर के बारे में दोनों पक्षकारों का परस्पर समझौता हो गया। यह ३५ से ४० प्रतिशत के बीच ठहराई गई किन्तु अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रबन्धकवर्ग श्री डी· पी· मन्डेलिया की सहमति चाहता था। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई थी कि अनुमोदन के पश्चात् मिल परिसर में एक सूचना प्रदर्शित की जाएगी, किन्तु इस पक्षकार के अनुसार दि·१२-१२-७० को अकस्मात पहले की समस्त वार्ताओं को नजरअन्दाज करते हुए एक सूचना प्रदर्शित की गई जिसमें ३१ प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई थी। इस पक्षकार के अनुसार सूचना का प्रदर्शन भद्रजनों व्दारा दिए गए वचन का घोर उल्लंघन था और प्रबंधक वर्ग का दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय दर्शाता था। प्रबंधक वर्ग की इस इकतरफा कार्यवाही के अतिरिक्त इस पक्षकार ने बताया कि श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाली इन्टक का प्रतिनिधिक स्वरूप तत्कालीन श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी, जो कि इन्टक के

एक दूसरे गुट के नेता थे, के कहने पर श्रम विभाग व्दारा समाप्त कर दिया गया था। अतः इस पक्षकार का कहना है कि इन दो नेताओं के बीच हुए विवाद के कारण ही २१ दिसम्बर, १९७० को यह घटना हुई। इस पक्षकार के अनुसार श्री द्रविड़ प्रबंधक-वर्ग से मैत्री बनाए रखने के लिए लाभांश का कम प्रतिशत भाग चाहते थे जबकि श्री गंगाराम तिवारी ने लाभांश के लिए आन्दोलन का समर्थन किया। प्रबंधक वर्ग ने इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा और ग्रेसिम के लिए ३१ प्रतिशत लाभांश और इंजीनियरी विभाग के लिए २४ प्रतिशत लाभांश घोषित किया। इस पक्षकार के अनुसार इस घोषणा और श्री मंडेलिया के १८-१२-७० को दिए गए भाषण के कारण ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंजीनियरी विभाग हरिहर को अंतरित कर दिया जाएगा, यह घटना घटी। दि. १२-१२-७० से २१-१२-७० तक ९ दिन की अवधि के दौरान प्रबंधक वर्ग श्रमिक आन्दोलन तथा श्रमिक नेताओं को कुचल देना चाहता था। इस पक्षकार का अभिकथन है कि प्रबंधकवर्ग तथा पुलिस ने आन्दोलन को कुचलने का षड्यंत्र रचा था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश लागू कर दिया गया।

३३. इस मामले में ग्रेसिम श्रमिक संघ पक्षकार क्र. ३ की दलील वही है जो पक्षकार क्र. २ की है।

३४. संघर्ष समिति पक्षकार क्र. ४ ने भी ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए, जिसकी परिणति अन्ततः २१-१२-७० की घटना में हुई, पुलिस, प्रबंधक वर्ग तथा श्रम विभाग को दोषी ठहराया है। इस पक्षकार के अनुसार पुलिस, प्रबंधक वर्ग, श्रम विभाग तथा प्रशासन इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं जिन्होंने नागदा में विद्यमान स्थिति को संभालने के लिए अयोग्य और लापरवाह अधिकारी भेजे थे। उसने यह भी कहा कि स्थिति पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया और उसे बुध्दिमानी पूर्वक सम्हाला नहीं गया। आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रबंधक वर्ग तथा पुलिस ने एक दूसरे का साथ दिया और इसीलिए पुलिस ने अवांछनीय गोली चालन तथा लाठी चार्ज किया। मिल के प्रबंधक वर्ग ने कुछ अवांछनीय लोगों को उपद्रव करने के लिए उकसाया और यह बात पुलिस को मालूम थी।

३५. नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्र. ५ ने कहा है कि घटना की पृष्ठभूमि भारत कामर्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद में हुई सफलता पर आधारित है। वहां के श्रमिक एक लम्बे समय तक हड़ताल पर थे। श्री हीरालाल शर्मा ने प्रबंधक वर्ग के साथ एक समझौता किया। श्री वी. वी. द्रविड़ के नेतृत्व वाले एक गुट ने इस समझौते को रद्द कर दिया। श्री द्रविड़ व्दारा ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वे कामगारों की सहानुभूति प्राप्त करना और उन्हें अपने गुट के प्रति आकर्षित करना चाहते थे। तथापि, अन्त में किन्हीं श्री रामसिंह भाई को पहले हुए समझौते से थोड़ा सा अधिक लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। इस सफलता ने गुटों को आन्दोलन आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। इतिहास बताते हुए पक्षकार क्र. ५ ने आगे बताया कि भारत कामर्स तथा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, नागदा में ७ सितम्बर, १९७० को या उसके आस-पास हड़ताल हुई थी। उस समय चार संघ थे अर्थात् नागदा मिल मजदूर संघ, श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाला ग्रेसिम मजदूर संघ, ग्रेसिम मजदूर यूनियन, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यूनियन थी तथा ग्रेसिम श्रमिक संघ। दिनांक

३१ अगस्त को औद्योगिक न्यायालय व्दारा स्थगन आदेश दिया गया जिसके व्दारा नागदा मिल मजदूर संघ पर यह रोक लगा दी गई थी कि वह कोई नया करार नहीं करेगा। नागदा मिल मजदूर संघ और ग्रेसिम मजदूर संघ के बीच का विवाद औद्योगिक न्यायालय के समक्ष था अतः वे किसी प्रतिनिधि क्षमता में प्रबंधक वर्ग के साथ कोई करार नहीं कर सकते थे। इसलिए कामगारों ने एक मजदूर मोर्चा बनाया जो संघर्ष समिति कहलाती है और इसके सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति थे—

(१) श्री बी॰ के॰ तिवारी
(२) श्री पी. बोरल
(३) श्री राजेन्द्रसिंह बुन्देला
(४) श्री कैलाश कप्तान
(५) श्री शंकरसिंह रघुवंशी

इस पक्षकार क्र. ५ व्दारा यह बताया गया है कि इस अवस्था में ग्रेसिम मिल के प्रबंधक वर्ग ने जनसंघ से वार्ता आरम्भ कर दी। इस समिति ने ग्रेसिम मिल नागदा में कार्यरत सभी संघों को लिखा कि वे मांगे मंजूर कराने संबंधी उसके संघर्ष में सहयोग दें तथा विभिन्न दलों के सदस्य इसमें सम्मिलित हो गए। द्रविड़ गुट से २० व्यक्ति, भारतीय मजदूर संघ से १० व्यक्ति, और आइटक से श्री सी. के. मैनन उसमें सम्मिलित हुए। तीन स्वतंत्र व्यक्ति श्री एस. एल. तिवारी, श्री हादी हुसैन, तथा श्रीमती उषा भाटिया थे। भा॰म॰सं॰ के श्री जितेन्द्र गोथरवाल को इस समिति का संयोजक बनाया गया।

३६. श्री वी॰ वी॰ द्रविड़ ३ नवम्बर, १९७० को श्री पी॰ बोरल से मिले और उनसे कहा कि वे समिति के आन्दोलन को, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, आगे बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नागदा मिल मजदूर संघ के श्रमिकों की किसी भी संभव घुसपैठ को रोका जाना चाहिए। अतः जब प्रबंधक वर्ग ने यह पाया कि यह समिति सबल है तो वह जनसंघ पर कृपादृष्टि करना छोड़कर श्री द्रविड़ के समर्थकों पर कृपादृष्टि करने लगा। श्री जागेराम शर्मा तथा श्री आर॰ सी॰ रघुवंशी के नेतृत्व में एक अन्य संघर्ष समिति बनाई गई। यह दूसरी संघर्ष समिति कहलाती है। यह दूसरी संघर्ष समिति सक्रिय होने लगी और १० नवम्बर, १९७० को दोपहर लगभग ३ बजे ८ कामगारों के एक समूह ने पहली संघर्ष समिति की व्दार पर हुई बड़ी सभा में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। पुलिस निष्क्रिय रही क्योंकि गड़बड़ करने वाले व्यक्ति प्रबंधक वर्ग के कृपा पात्र थे। पहली संघर्ष समिति ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट से मिलने और प्रतिषेधात्मक आदेश के विरूध्द आवाज उठाने की कोशिश की और यह चाहा कि उसके प्रतिव्दंदियों के विरूध्द कार्यवाही की जाय। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट कारण बताने के बजाया क्रोधित हो गए और प्रतिनिधि-मण्डल के लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी। प्रतिनिधि मंडल यह कह कर लौट आया कि वह भोपाल में मंत्रियों से मिलेगा। प्रस्तावित प्रतिनिधि अर्थात् सर्वश्री हनुमान प्रसाद शर्मा, महत्तम दुबे तथा जगदीश शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गए। किन्तु दो व्यक्ति अर्थात् श्री पी. वोरल और श्रीमती ऊषा भाटिया उज्जैन चले गए और वहां वे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से तथा म. प्र. इन्टक के पदाधिकारियों से भी मिले। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

भोपाल में मंत्रियों से भी मिले। मुख्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे प्रबंधक वर्ग तथा कलेक्टर से इस बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यमान परिस्थिति में कौन से कदम उठाए जायं। दि. २०-११-७० को लगभग २००० कामगार उज्जैन आए और एक जुलूस के रूप में कलेक्टर के यहां गए और उनसे मिले। यद्यपि कलेक्टर ने जुलूस में शामिल व्यक्तियों को आश्वासन दिया किन्तु उसे पूरा नहीं किया।

३७. दि. २२-११-७० को श्रम मंत्री उज्जैन आए। श्रमिक उनसे ग्रांड होटल में मिले। उन्हें भी उपयुक्त हल ढूढ़ निकालने का वचन दिया गया। उसी दिन एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें श्री पी. बोरल, श्री जे. सी. शुक्ल, श्री हादी हुसैन, श्री हनुमाम प्रसाद शर्मा, श्री जितेन्द्र गोथरवाल तथा श्रीमती ऊषा भाटिया सम्मिलित थी, पुनः श्रम मंत्री से मिला और इस बात पर जोर दिया कि वे किसी संघ से नहीं बल्कि संघर्ष समिति से समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने श्रम मंत्री को बताया कि श्रमिक संघर्ष समिति के साथ हैं। नागदा मिल मजदूर संघ को न्यायालय के आदेश ब्दारा कोई नया करार करने से रोक दिया गया था। श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी ने संघर्ष समिति को उचित तथा मैत्रीपूर्ण समझौता करने का आश्वासन दिया। सहायक श्रम आयुक्त ने पुनः कोई हल निकालने की कोशिश की, किन्तु प्रबंधक वर्ग ने संघर्ष समिति से समझौता करने की शासन की तत्परता से अवगत होते हुए भी बहुत कड़ा रुख अपनाया और कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। कलेक्टर ने भी प्रथम संघर्ष समिति के नेताओं से बात-चीत की और जब उन्होंने यह कहा कि समझौते के लिए मांगों को कम करना आवश्यक हो सकता है, तो कामगारों ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे किसी भी युक्तियुक्त हल के लिए सहमत हो जाएंगे। अलग-अलग तारीखों को, अर्थात् २५-११-७०, २-१२-७०, ४-१२-७० तथा ६-१२-७० को कई बैठकें हुई। ता. १०-१२-७० को श्री द्रविड़ नागदा आए और एक सभा में उन्होंने कहा कि वे यह देखेंगे कि पहली संघर्ष समिति दो या तीन दिन में क्या करती है और उसके बाद वे स्थिति से निपटेंगे। ता. ११-१२-७० को श्री धारीवाल, श्री मंडेलिया से मुलाकात करके वापस लौटे और रात के १० बजे तक दूसरी संघर्ष समिति, की गुप्त बैठक में शामिल रहे, जिसमें श्री रामचन्द्र रघुवंशी, श्री जी. एन. द्रोणकर और श्री जागे राम भी थे। दूसरे दिन सबेरे, अर्थात् ता. १२-१२-७०, को, श्री एम. एम. कुरेशी और श्री कैलाश कप्तान से बातचीत करने के बाद, श्री धारीवाल ने घोषना की कि वे यह सूचना देना चाहते हैं कि वे कितनी रकम का भुगतान करना चाहते हैं। उन्होंने संघर्ष समिति को मान्यता प्रदान करने या उससे बातचीत करने से इन्कार कर दिया। सूचना लगा दी जाने के बाद, सर्वश्री कैलाश कप्तान, हनुमान प्रसाद शर्मा, पी. बोरल तथा गोथरवाल श्री धारीवाल से मिले। प्रतिनिधियों ने यह बताया कि यह सूचना स्पष्टतः उस समझौते का उल्लंघन है जो श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी के समक्ष किया गया था। सूचना को पढ़कर कामगार चिढ़ गए। श्री बेग, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को कुछ खतरे की आशंका हुई और उन्होंने कारखाने के भीतर सिपाही तैनात करना प्रारंभ कर दिया। कामगार बिजली घर पर जमा हो गए, जहां नेताओं ने उनको संबोधित किया। जब कि यह सब कुछ चल रहा था, श्री बेग पुलिस दल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश कारखाने के परिसर में लागू किया जा रहा हैं। उन्होंने नेताओं से दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकी भी दी। यह बात कामगारों को कतई अच्छी नहीं लगी। शाम को साढ़े सात बजे द्रविड़

गुट के श्री ताराचन्द, श्री एम॰ पोरवाल और श्री नारायण ओल्तीकर कारखाने में घुसे और उन्होंने कामगारों को गालियां दीं, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए और कैंटीन की मेजें और बैंचे फेंक दीं। इस घटना की तुरन्त सूचना दी जाने के बावजूद न तो श्री बेग ने और न ही श्री रावत ने कोई कार्यवाही की। रात को १०॰३० बजे द्रविड़ गुट के कामगारों और प्रबंधक वर्ग के बीच एक समझौता हुआ। दूसरे दिन, अर्थात् ता॰ १३-१२-७० को तड़के ३॰३० बजे पंचानन बोरल, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, श्री महत्तम दुबे और श्री राजेन्द्र बुन्देला गिरफ्तार कर लिए गए। तारीख १७ और १८ दिसम्बर, १९७० को, जबकि हड़ताल चालू थी और कामगार इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कारखाने से कुछ भी न हटाया जाए श्री धारीवाल ने यह जिद्द पकड़ ली कि रेयान की गांठों को भारत कामर्स फैक्टरी में भेज दिया जाए। इससे उत्तेजना फैली और स्थानीय प्रशासन ने उसमें घी डालने का काम किया जब कि दण्ड प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषिध्द सीमा में एक सभा की जाने की घोषणा की गई थी और सभा हुई भी। उसी समय श्री हुकुमचन्द कछवाह, संसद सदस्य तथा श्रीमती उषा भाटिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दल व्दारा आगे यह भी बताया गया कि अपना कोई न कोई आधार बनाने के लिए श्री द्रविड़ प्रबंधक वर्ग से निकट सम्पर्क रख रहे थे और प्रबंधक वर्ग उन्हें सभी सुविधाएं देने का इच्छुक था। इन हालातों और साथ ही श्री मंडेलिया के वक्तव्य के कारण ता॰ २१-१२-७० को वह अप्रिय घटना घटी।

३८॰ ग्रेसिम मजदूर संघ, पक्षकार क्र॰ ६ ने, मुद्दा क्र॰ (क) के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए प्रारंभ में कहां कि बिड़लाओं ने उद्योगपतियों के रूप में विलक्षण प्रगति की है, यद्यपि प्रारंभ में उनके पारिवारिक केन्द्र बिन्दु की आर्थिक स्थिति बहुत मामूली सी ही थी और उन्होंने अपने उपक्रम तथा कार्यकलाप भारत के पूर्वी भाग तक ही सीमित रखे। जैसा कि उनका कहना हैं, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के माध्यम से उन्होंने धन एकत्र किया और अपना कारोबार सम्पूर्ण भारत में फैलाया। वे जन संपर्क तथा प्रशासनिक संगठन पर खुलकर खर्च करते रहे। उन्होंने तकनीकी तथा प्रशासनिक योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन किया और उन्हें उनकी योग्यता से कुछ अधिक वेतन दिये। इस पक्षकार ने आगे यह आरोप लगाया है कि कार्यपालन तथा तकनीकी कर्मचारियों को कुछ अधिक वेतन देकर उन्हें इस बात के लिए फुसलाया गया कि उचित अनुचित का विचार न करते हुए और किन्हीं भी उपायों का सहारा लेकर तथा किसी भी निम्न-स्तर पर उतरकर भी वे बिड़लाओं की नीतियों को कार्यान्वित करें। शासकीय अधिकारियों का वे जो सत्कार करते थे, उसका यह परिणाम हुआ कि अनेक त्रुटियां नजरअन्दाज कर दी जाती थीं। उनके अनुसार, बिड़लाओं में एकाधिकार की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

३९. श्रमिकों के प्रति उनके रवैये के संबंध में, यह बताया गया है कि इस संबंध में उनकी नीति न्यूनतम भुगतान की रही है। वे अपनी सम्पूर्ण भुगतान क्षमता के अनुसार भुगतान कभी नहीं करेंगे। उनके अनुसार श्रमिकों को यदि न्यूनतम वेतन देना संभव न हो, तो उन्हें, इस सीमा से कुछ अधिक अर्थात् औसत दर्जे की मजदूरी दी जा सकती है, किन्तु जीवन निर्वाह मजदूरी कदापि नहीं दी जा सकती। इस पक्षकार के अनुसार, उनकी भी नीति 'फूट डालो और राज्य करो' की है। वे वस्तुतः आवश्यक कामगारों की संख्या में से आधे से कुछ अधिक कामगारों

को ही स्थायी कामगार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। शेष कामगार ''अस्थायी'' ''अनियत ठेके पर'' या 'स्वीकृत' कामगारों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इन कामगारों के नियोजन की कोई सुरक्षा नहीं है। इस प्रकार असुरक्षित श्रमिक यह जानते हैं कि केवल प्रबंधक-वर्ग के प्रिय-पात्र ही पदोन्नत किए जाएंगे भले ही वे वास्तविक पद के हकदार हों या न हों। तत्पश्चात् यह पक्षकार बिड़लाओं पर यह दोष लगाता है कि वे कानून को धोखा देते हैं और इस प्रयोजन के लिये वे शासन की प्रवर्तन-शाखा को फुसलाकर सभी रियायतें और सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। यह पक्षकार बिड़लाओं को संघो में फूट डालने और उनके अधिकारियों को भ्रष्ट करने का भी दोषी ठहराता है। वे संघ के अधिकारियों को भ्रष्ट करने के लिए उनसे कोई काम लिए बिना, पैसा भी देते हैं और इस प्रकार भ्रष्ट तरीकों से संघ के नेताओं व्दारा समझौतों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अतएव, इस पक्षकार के अनुसार, इसकी पृष्ठ भूमि यह है कि श्रमिकों को शीघ्र ही यह पता चल गया कि संबंधित व्यापारिक संस्थाओं के प्रबंधक अर्थात्, श्री जे. सी. धारीवाल और श्री जे. सी. खंडेलवाल क्या कुछ कर रहे थे। बिड़लाओं व्दारा संघों के आंतरिक मामलों में जब-तब हस्तक्षेप किया जाता रहा है। इस पक्षकार ने आगे यह बताया कि भूतकाल में तथा वर्ष १९६६ तक उज्जैन के दोनों ही श्री हीरालाल शर्मा तथा श्री वहीद कुरेशी, या तो ग्रासिम मजदूर संघ (पक्षकार क्र. ६) के या नागदा मिल मजदूर संघ (पक्षकार क्र॰५) के अध्यक्ष पद पर रहे थे। नागदा के श्री परमसिंह यादव, जो कि ग्रासिम के एक कर्मचारी हैं, नागदा में श्री शर्मा और श्री कुरेशी के हितों की रक्षा करते थे। ग्रासिम मजदूर संघ के पदाधिकारी श्री परमसिंह यादव, श्री वहीद कुरेशी तथा श्री हीरालाल शर्मा और उनके सहयोगियों के विरुध्द गंभीर आरोप थे। शिकायत की जांच करने के लिए इन्टक व्दारा एक समिति गठित की गई थी। जांच-पड़तालें की गई और आरोप सही पाए गए।

४०. वर्ष १९६६ के अंत में नए चुनाव कराए गए और जिनके विरुध्द उक्त चुनाव में आरोप लगाए गए थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सका। फरवरी, १९६७ में, जब कि आम चुनाव हुए तब श्री वहीद कुरेशी को सफलता नहीं मिली, यद्यपि उन्हें ग्रासिम और भारत कामर्स इन्डस्ट्रीज का समर्थन प्राप्त था। अगस्त, १९६७, में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कामगार श्रम शिविर के सामने जमा हुए। श्री पदमसिंह यादव झंडा फहराना चाहते थे। इस कारण कुछ गर्मा-गर्मी हुई। श्री यादव ऐसा नहीं कर सके। श्री यादव की सेवाए ग्रासिम व्दारा समाप्त कर दी गई किन्तु बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। जुलाई, १९६७ में, कांग्रेस के स्थान पर संयुक्त विधायक दल की सरकार ने सत्ता प्राप्त की, किन्तु जुलाई, १९६९ में, संयुक्त विधायक दल को सत्ता पुनः कांग्रेस को सौंप देनी पड़ी तथा श्री गंगाराम तिवारी श्रम मंत्री हो गए। इस पक्षकार का आगे यह भी आरोप हैं कि श्री धारीवाल और खंडेलवाल ने जो क्रमशः ग्रासिम तथा भारत कामर्स के प्रबंधक हैं, संघों में फूट डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उन व्यक्तियों तक का समर्थन किया, जो अब पदधारी नहीं रह गए थे। झगडे खडे हुए जो औद्योगिक न्यायालय में ले जाए गए। एक अंतरिम व्यवस्था की गई और श्री डी. बी. पाठक को ग्रासिम मजदूर संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विवाद चलता रहा और अप्रैल, १९७० में नए चुनाव कराए गए। श्री पी. बोरल, श्री उमा शंकर, श्री नानूराम, श्री कैलास चन्द्र शर्मा, श्री शिवनारायण, श्री बाबूलाल, श्री राजेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री आर. सी. लाल, श्री उपाध्याय तथा अन्य व्यक्ति,

जिनमें श्री दामोदर दुबे भी शामिल हैं, जो ग्रासिम मजदूर संघ के सदस्य थे, किन्तु जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, श्री हीरालाल शर्मा, श्री वहीद कुरेशी तथा श्री पदमसिंह यादव से मिल गए। श्री गंगाराम तिवारी उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष चुने गए। श्री शर्मा, श्री वहीद कुरेशी तथा श्री यादव ने, श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी के समर्थन से, अगस्त १९६९ में ग्रासिम के सहायक (आग्जीलरी) तथा कताई विभागों में हड़ताल करा कर, श्रमिकों में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। किन्तु उनकी युक्ति निस्फल सिध्द हुई और ग्रासिम के प्रबन्धक वर्ग ने अन्य विभागों के कामगारों को जबरी छुट्टी दे दी। इसके बावजूद, ग्रासिम के प्रबंधक वर्ग को मासिक मजदूर संघ को मान्यता देनी पड़ी क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि स्वरूप तथा अनुमोदित संघ था। किन्तु अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्री शर्मा, कुरेशी, यादव तथा उनके साथियों ने पंजीयक, श्रमिक संघ को लिखा और ग्रासिम मजदूर संघ की मान्यता वापस ले ली गयी। पंजीयक के अनुसार ग्रासिम एक वस्त्रोद्योग है और नागदा क्षेत्र के वस्त्रोद्योग के लिए नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा प्रतिनिधि संघ है। इस प्रकार, इस पक्षकार के अनुसार, यह विवाद द्रविड़ गुट का समर्थन प्राप्त ग्रासिम मजदूर संघ और श्री गंगाराम तिवारी समर्थित नागदा मिल मजदूर संघ के बीच था। ग्रासिम मजदूर संघ की मान्यता वापस लेना औद्योगिक न्यायालय व्दारा बरकरार रखा गया। अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पक्षकार अंतरसंघीय विरोधों को इस पृष्ठभूमि के लिए दोषी मानता है।

४१. इस पक्षकार के अनुसार इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में वर्ष १९७० में दो महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, अर्थात् वेतन का वर्गीकरण और पिछले वर्ष के लिए लाभांश (बोनस)। इस पक्षकार के अनुसार प्रबंधक वर्ग श्री शर्मा, श्री कुरेशी तथा श्री यादव को महत्व देना तथा अन्य लोगों की उपेक्षा करना चाहता था। उससे भी समस्या हल नहीं हुई। अतएव, ग्रासिम श्रमिक संघ, जो कि एक जनसंघी संघ है, को मिलाकर एक संघर्ष समिति गठित की गई। श्री गंगाराम तिवारी, श्रम मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर श्री हीरालाल शर्मा, श्री वहीद कुरेशी तथा अन्य लोग इस संघर्ष समिति में सम्मिलित हो गए। इस पक्षकार ने संघर्ष समिति का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से शासकीय श्रम अधिकारी, उज्जैन को दोषी ठहराया है। श्री गंगाराम तिवारी ने २१-११-७० को ग्रान्ड होटल उज्जैन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बताया कि इस आन्दोलन पर नियंत्रण पाने का श्रेय संघर्ष समिति के माध्यम से स्वयं उनको तथा उनके दल को है। आगे यह भी कहा गया है कि दण्ड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लागू होने के बावजूद संघर्ष समिति ने सभाएं की तथा जुलूस निकाला। जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि उसने अन्य लोगों को सभाएं करने से रोका। इस पक्षकार के अनुसार ग्रासिम के प्रबंधक वर्ग ने मान्यता प्राप्त संघ के अलावा किसी अन्य श्रमिक संघों से बात-चीत न करने की अपनी नीति जारी रखी। १२-१२-७० को उन्होंने बोनस, तदर्थ तथा अनुकम्पा भत्ता, जो कुल मिलाकर ३१ प्रतिशत होता था, देने की सूचना जारी की। इस समय संघर्ष समिति ने लाभांश (बोनस) की ऊंची मांग सामने रखकर दूसरे संघों से बाजी मार ले जाने की कोशिश की। संघर्ष समिति ने झूठे प्रचार का सहारा ले तथा यह कहकर कि ग्रासिम मजदूर संघ केवल २८ प्रतिशत बोनस की मांग कर रहा है, ग्रासिम मजदूर संघ को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। आगे यह भी बताया है कि यद्यपि मजिस्ट्रेट व्दारा बिड़ला

ग्राम क्षेत्र में दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ लागू कर दी गई थी तथापि पुलिस ने संघर्ष समिति के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, यहां तक कि उसने उसे जुलूस निकालने तथा सभाएं करने की अनुमति भी दे दी। यहां तक, कहा जाता है, कि श्रम विभाग के उत्तरदायी अधिकारी भी संघर्ष समिति का समर्थन कर रहे थे। आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि १२-१२-७० को ३१ प्रतिशत बोनस की घोषणा कर दी गई थी, परन्तु वर्गीकरण के संबंध में मौन साधा गया। वेतन वर्गीकरण का उल्लेख भी न किया जाना संघर्ष समिति की भारी मांगों से मेल नहीं खाता था। अपनी बात रखने के लिए संघर्ष समिति ने हड़ताल का सहारा लिया और कुछ व्यक्ति ग्रासिम के फाइबर डिवीजन में घुस गए और उन्होंने लोगों को हड़ताल के लिए उकसाया। इस पक्षकार का कथन है कि हड़ताल चालू होने के बाद पुलिस ने संघर्ष समिति की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य, श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री महत्तम दुबे, श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री पदमसिंह यादव, श्री वी० के० तिवारी तथा श्री पंचानन गोरल संघर्ष समिति के निर्णयों की घोषणा किया करते थे। ता. १८ दिसम्बर १९७० को आयोजित एक सभा में जोशीले भाषण दिये गये और श्रमिकों को उकसाया गया कि वे उन सभी व्यक्तियों को समाप्त कर दें, जो प्रबंधक वर्ग के समर्थकों के रूप में बदनाम थे, पुलिस यह सब कुछ जानते हुए भी निष्क्रिय रही। शनैः शनैः २१-१२-७० की घड़ी आई और वह घटना घटी जिसकी अब जांच की जा रही है। तथापि; इस पक्षकार का कहना है कि उज्जैन के कलेक्टर के सद्प्रयासों से सभी संघों, प्रबंधक वर्ग तथा संघर्ष समिति के समर्थकों की एक स्थान पर एक बैठक बुलाई जा सकी और उन्हें इस बात के लिये राजी किया जा सका कि वे श्रमिकों से अपील करें कि वे सामान्य स्थिति कायम करें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि मिल फिर से चालू की जा सके। ग्रासिम मजदूर संघ के इस बयान का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने पर यह प्रकट होगा कि विभिन्न श्रमिक नेताओं और विभिन्न संघों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप यह संघर्ष समिति बनी और अंततोगत्वा २१-१२-७० को यह उपद्रव हुआ। उनके बयान से यह भी स्पष्ट है कि प्रबन्धक वर्ग इसके लिए उत्तरदायी था, क्योंकि वह उन व्यक्तियों का समर्थन कर रहा था जिन्होंने अन्ततः यह संघर्ष समिति बनायी और इस प्रकार वह २१-१२-७० को हुए उपद्रव के लिये भी उत्तरदायी था।

४२. ग्रासिम मजदूर संघ नागदा, पक्षकार क्र० ७ ने इसी पृष्ठभूमि का भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। उसके अनुसार ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा के अलावा भी ग्रासिम कामगारों के दो अन्य संघ हैं। ग्रासिम मजदूर संघ इन्टक से सम्बध्द है तथा उसे मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अधीन एक प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है और उसे मिल के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का एकमेव अधिकार है। इस संघ का प्रबंधकवर्ग के साथ हमेशा समझौते का रवैया रहा है, और इसीलिए श्रमिकों की अनेक शिकायतें बिना किसी हल के पड़ी रहीं और यही कारण था कि, १९६७ में विभिन्न संघों के व्यक्तियों को सम्मिलित कर संघर्ष समिति बनायी गयी।

इस संघर्ष समिति ने श्रमिकों को कुछ लाभ दिलाए जिसमें ३१ प्रतिशत का बोनस भी शामिल है। यह बताया गया है कि श्रमिकों के इस श्रमिक संघ को प्रबन्धक वर्ग ने अमान्य कर दिया और श्रमिकों को आतंकित कर उसमें

विघटन पैदा करना चाहता था। सन् १९६९ में मध्यप्रदेश इन्टक का दो गुटों में विभाजन हो गया। इसमें से एक गुट के नेता तत्कालीन श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी तथा दूसरे गुट के नेता मध्यप्रदेश यूनिट के अध्यक्ष श्री द्रविड़ थे। प्रबन्धक वर्ग ने इस विघटन का लाभ उठाया। मिल के कामगारों के वेतन तथा श्रेणियों (ग्रेड्स) को नियंत्रित करने वाला एक पंचवर्षीय करार किया गया था। यह करार नवम्बर, १९६९ में समाप्त होने वाला था। प्रतिनिधि संघ अर्थात् ग्रेसिम मजदूर संघ वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये कोई कार्रवाई नहीं कर सका तब संघ ने १३-८-६९ को नए वेतनमानों के संबंध में अपनी मांगें पेश कीं। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। २५-३-७० को मांग दुहराई गई। न तो प्रबन्धक वर्ग ने और न ही शासन ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की। इसलिये संघ ने आन्दोलन चलाया और सीधी कार्यवाही की तैयारी की। संघों के पारस्परिक तथा भीतरी मतभेदों तथा विवादों का विवरण देने के बाद इस पक्षकार ने कहा कि इन्टक के दो गुटों की प्रतिव्दंदिता और दोनों के ही व्दारा अपने-अपने दलगत स्वार्थों को सिध्द करने के लिए इन्टक के संघ को हथियाने की होड़ ने इस पृष्ठभूमि का निर्माण किया तभी यह घटना घटी। इसके साथ कामगारों की एकता में फूट डालने के उद्देश्य से प्रबन्धक वर्ग व्दारा गैर जिम्मेदार तत्वों के साथ मिलकर लगातार सांठ-गांठ और इस प्रकार उनकी उचित तथा न्याय संगत मांगों के विरोध में पेशबन्दी भी इस घटना में सहायक कारण सिध्द हुई। इस पक्षकार के अनुसार दूसरे कारण तथा पृष्ठभूमि इस प्रकार है—शासन व्दारा इस मामले को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाने के लिए कार्यवाही करने में उदासीनता बरतना तथा गैरजिम्मेदार तत्वों के साथ सांठ-गाठ, समझौते के लिए संघ व्दारा बारबार पहल की जाने के बावजूद श्रम विभाग की बेरुखी, बोनस का एकपक्षीय नोटिस लगाकर प्रबंधकवर्ग व्दारा भड़काने वाली कार्यवाही, श्री मंडेलिया का वक्तव्य तथा अंततः प्रबन्धकवर्ग के श्रमिक विरोधी तौर तरीके और अत्यधिक लाभ होते रहने पर भी कारखाने में असामान्य (नियम विरूध्द) काम-स्थितियां बनी रहना।

४३• पक्षकार क्रमांक ८ तथा ९ अर्थात् श्री बोरल और श्रीमती उषा भाटिया की दलील एक जैसी है। उनके कथनानुसार यह जान लेने पर भी कि वर्गीकरण (ग्रेडेशन) से संबंधित पूर्ववर्ती समझौता १९६९ में समाप्त हो गया और औद्योगिक न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण भी प्रतिनिधि संघ कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रासिम मजदूर संघ के कामगारों व्दारा एक मजदूर मोरचा बनाया गया। एक संघर्ष समिति बनी जिसमें श्री द्रविड़ के गुट वाली इन्टक के ग्रासिम मजदूर संघ के २० कामगार, मा•म•सं• के ९ तथा आइटक का एक और एक निर्दलीय सदस्य शामिल थे। उन्होंने वेतन तथा बोनस के लिए आन्दोलन प्रारंभ किया। आन्दोलन १६ दिन तक चलता रहा और प्रबन्धकवर्ग की नीति में परिवर्तन आया, अर्थात् मा•म•सं• से हटकर ग्रासिम मजदूर संघ के कुछ लोगों पर प्रबंधक वर्ग की अनुकम्पा हो चली। श्री वी• वी• द्रविड़ ने श्री बोरल (पक्षकार क्र• ८) को आन्दोलन में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा उन्होंने आन्दोलन में भाग न लेने के लिए नागदा मिल मजदूर संघ की भर्त्सना की। उस समय तक प्रबंधक-वर्ग ने श्री जगराम शर्मा और श्री रामचन्द्र रघुवंशी को अपनी तरफ मिला लिया और आन्दोलन में तोड़-फोड़ की कार्यवाही आरंभ कर दी। उन्होंने कामगारों के साथ शक्ति परीक्षण करने का निर्णय लिया। श्री द्रविड़ के अनुयायी दो शिविरों में विभाजित हो गए। एक ने संघर्ष समिति का साथ दिया और दूसरा दल प्रबंधक

वर्ग से जा मिला। उनके अनुसार, प्रबंधक वर्ग ने त्रिपक्षीय कामगार विरोधी गठबंधन बनाया जिसके पक्ष निम्नलिखित थे:—(१) प्रबंधक-वर्ग के आदमी (२) ऐसे अधिकारी (जिनकी स्थिति बिड़लाओं से अनुग्रहीत होने के कारण प्रबंधक-वर्ग के कनिष्ठ कर्मचारियों जैसी हो गई थी तथा (३) ग्रासिम मजदूर संघ के ऐसे बेईमान व्यक्ति, जो प्रबंधक-वर्ग के व्यक्तियों से मिल गए थे। श्री रामचन्द्र रघुवंशी और उनके अनुयायी १० नवम्बर, १९७० को फाटक पर होनेवाली एक बड़ी सभा को भंग करना चाहते थे। इस रवैये के बावजूद प्रबंधक वर्ग और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

४४. दिनांक १४-११-७० को, शासकीय श्रम अधिकारी ने कामगार संघर्ष समिति को यह सूचित किया कि श्रमायुक्त प्रबंधक-वर्ग से बात करेंगे। उस समय तक दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन एक आदेश लागू किया जा चुका था। कई सभाएं की गई। दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश भी जारी किए गए थे, किन्तु प्रबंधक-वर्ग और शासन ने समुचित सावधानी नहीं बरती। प्रबंधक-वर्ग समस्याओं के हल को टालता रहा। तारीख ५-१२-७० को, एक त्रिपक्षीय पंचाट पर समझौता हुआ और प्रबंधक-वर्ग ने श्री बी॰के॰ सेठी को अपनी पसंद का व्यक्ति घोषित किया और श्रमिकों को भी अपनी पसंद का व्यक्ति घोषित करना था। इस पक्षकार के अनुसार, जब प्रबंधक वर्ग समस्याओं के हल को टाल रहा था, तब प्रवर्तित संघर्ष समिति लगातार उपद्रव कर रही थी, अधिकारी कामगारों के शांतिपूर्ण आन्दोलन में बाधा पहुंचा रहे थे, और नागदा में पुलिस बल की संख्या बढ़ती जा रही थी।

४५॰ दिनांक १२-१२-७० को श्री धारीवाल ने संघर्ष समिति को मान्य करने से इंकार कर और उन्हें शक्तिप्रदर्शन के लिये चुनौती देकर योजनाबध्द ढंग से भड़काने वाली कार्यवाही आरंभ कर दी। उन्होंने यह घोषणा भी की कि वे ऐसी सूचना जारी करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि वे क्या कुछ देना चाहते हैं। प्रबन्धक वर्ग ने बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में सभी आपसी समझौतों का उल्लंधन करते हुए एक सूचना प्रसारित की। इन दो पक्षकारों ने आगे बताया कि प्रबन्धक वर्ग ने लुगदी की कमी को देखते हुए और उत्पादन बीमे का लाभ उठाने की इच्छा से उन अधिकारियों से मिल-जुल कर, जिन्होंने अनुकम्पा प्राप्त कर प्रबंधक वर्ग के सामने अपने प्राधिकार का समर्पण कर दिया था, यह उपद्रव खड़ा किया। यह देखकर कि किसी भी बात से श्रमिक लोग उत्तेजित नहीं हो रहे थे, श्री डी॰पी॰ मन्डेलिया ने दिनांक २० सितम्बर, १९७० को एक प्रेस वक्तव्य दिया जो अत्यन्त अवांछनीय और भड़काने वाला था और इसमें श्रमिकों को ऐसी कार्यवाहियां करने की धमकी दी गयी थी, जो शासन की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना सम्भव नहीं की जा सकती थीं।

४६. अब हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वास्तव में बिड़ला ग्राम नागदा, जिला उज्जैन में हुए उन उपद्रवों की पृष्ठभूमि, कारण और घटना क्रम क्या था, जिनकी परिणिति २१ दिसम्बर, १९७० की घटना के रूप में हुई। सभी पक्षकारों के कथनों से श्रमिकों के आपसी झगड़ों, संघों के आपसी विवादों और नेतृत्व प्राप्त करने के प्रयास का स्पष्ट चित्र उभर कर सामने आता है। ये सभी विवाद बोनस में वृध्दि और वेतनमानों के पुनरीक्षण के विषय में

थे। जहां तक पृष्ठभूमि का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित है कि इसकी शुरूआत उस समय हुई जब श्रमिकों ने यह महसूस किया कि वे अधिक बोनस और अच्छे वेतन की मांग करेंगे। किसी भी कामगार व्दारा अधिक बोनस या अधिक वेतन की मांग की जाना कोई गलत बात नहीं है। यह मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि उसे जितना मिलता है उससे अधिक की मांग वह करता है। अपनी स्थिति में सुधार करने की मांग करने की प्रवृत्ति मानव में अन्तर्निहित है और इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। वह तरीका भी दोषपूर्ण था, जिससे कि इस आन्दोलन को चलाया गया। संघों की संख्या को देखते हुए, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इतने अधिक संघ न होते तो विवाद खड़ा ही नहीं होता। इन्टक, एक अखिल भारतीय संस्था है और उसके अनुयायी मध्यप्रदेश में भी हैं, किन्तु मध्यप्रदेश में इन्टक के सदस्यों के अपने ही दो वर्ग हैं, जिनमें से एक के नेता श्री वी. वी. द्रविड़ और दूसरे के नेता श्री गंगाराम तिवारी हैं। वे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देख सकते।

४७. संक्षेप में प्रबन्धक वर्ग, अर्थात् पक्षकार क्रमांक १ इन्टक के विभिन्न वर्गों के बीच की प्रतिव्दंदिता को इसके लिए दोष देता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इन्टक के दो वर्गों के नेता क्रमश: श्री वी॰ वी॰ द्रविड़ तथा श्री गंगाराम तिवारी थे। वे न केवल आपस में लड़ते थे बल्कि अन्य संघों को संयुक्त रूप से अपनी मांगे प्रस्तुत करने से रोकते भी थे। उनमें नेतृत्व के प्रश्न पर प्रतिव्दन्दिता थी और उसने १९६७ में श्रम शिविर नागदा में १५ अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय गंभीर रूप धारण कर लिया। दूसरा कारण जो इसके लिये उत्तरदायी है, वह है शासन का बदल जाना अर्थात् कांग्रेस शासन के स्थान पर संविद शासन का आजाना। यह शासन भी बदल गया किन्तु प्रतिव्दंदिता में कोई अन्तर नहीं आया। तारीख २१ दिसम्बर, १९७० की घटना तब घटी, जब कोई भी संघ श्रमिकों के प्रतिनिधि संघ की हैसियत से प्रबन्धक वर्ग से बातचीत न कर सका इसलिये प्रबन्धक वर्ग उचित कार्यवाही न करने के लिये श्रम विभाग को दोषी ठहराता है, क्योंकि प्रबन्धक वर्ग व्दारा मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय की कार्यवाहियां आरम्भ करने के लिये श्रम विभाग को रिपोर्ट दी जा चुकी थी। जिला प्राधिकारियों ने पृष्ठभूमि तथा पूर्वोल्लिखित कारणों से सहमत होते हुए भी प्रबन्धक वर्ग की रिपोर्ट मिल जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने की वही नीति अपनायी जिस पर शासन अमल कर रहा था। श्रम विभाग का कहना था कि चूंकि ऐसा कोई विवाद नहीं था जिसे मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किया जा सके, अत: वे इसे निर्णय के लिए नहीं भेज सके। अन्य पक्षकारों व्दारा पृष्ठभूमि तथा कारणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तर्कों का उल्लेख भी मैं पहले ही कर चुका हूं। तथापि उन पक्षकारों ने लगभग कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। पक्षकार क्रमांक ७ की ओर से केवल श्री कृष्णास्वामी नामक व्यक्ति ही उपस्थित हुए। अत: हमें यह देखना है कि क्या गवाहों व्दारा या दस्तावेजों के माध्यम से पहले प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पृष्ठभूमि सम्बन्धी दलील का समर्थन करता है? जिला प्राधिकारियों की ओर से मुख्य साक्ष्य श्री आर. सी. दुबे, तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त तथा श्री समरसिंह, तत्कालीन कलेक्टर, उज्जैन, श्री पाहूजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उज्जैन तथा श्री बेग, सब-डिवी॰ मजि॰ सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों

का है। प्रबन्धक वर्ग की ओर से हमारे पास श्री जे॰ सी॰ धारीवाल, कारखाना प्रबन्धक, श्री किशोरीलाल, सहायक कारखाना प्रबन्धक तथा कुछ हद तक श्री बलवन्त सिंह, ग्रासिम के सुरक्षा अधिकारी के साक्ष्य हैं। इसलिये हम उनके साक्ष्य पर चर्चा करेंगे।

४८. श्री दुबे (१०-अ॰ ग॰-२) ने बताया कि नागदा के महत्वपूर्ण संघों में से ग्रासिम मजदूर संघ, अर्थात् पक्षकार क्रमांक ६, खाचरौद तहसील के स्थानीय क्षेत्र के लिये २३-७-७० तक रसायन उद्योग का एक मात्र प्रतिनिधि संघ था। जब पंजीयक व्दारा उसकी मान्यता वापिस ले ली गई, तो वह केवल रसायन उद्योग के लिये प्रतिनिधि संघ रह गया। दूसरा प्रतिनिधि संघ था नागदा मिल मजदूर संघ। वह खाचरौद तहसील के वस्त्र उद्योग का प्रतिनिधि संघ था। इसलिये जब ग्रासिम मजदूर संघ की मान्यता २३-७-७० को वापस ले ली गई, तो नागदा मिल मजदूर संघ ही प्रतिनिधि की हैसियत रखने वाला एक मात्र संघ रह गया। किन्तु मान्यता वापस लेने के प्रश्न पर औद्योगिक न्यायालय के समक्ष ग्रासिम मजदूर संघ तथा नागदा मजदूर संघ के बीच मुकदमे बाजी हुई। दोनों संघों को एक निषेधात्मक आदेश दिया गया था कि वे कोई करार न करें। इसका पता हमें श्री जे. सी. धारीवाल (१-अ. ग.-३९) के साक्ष्य से चलता है। मेरी राय में बहुत सीमा तक यही स्थिति दि॰ २१-१२-७० की घटना की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक बनी। प्रबन्धक वर्ग ने न तो किसी भी विशेष संघ का उल्लेख किया और न ही कोई विशेष संघ प्रबन्धक वर्ग के पास यह कहने आया था कि वह बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी विषय को निपटाने की स्थिति में था। वस्तुतः इस स्थिति के कारण अनेक बैठकें की गईं और जिला प्राधिकारियों तथा प्रबन्धक वर्ग, संघों तथा अलग-अलग व्यक्तियों तक को भविष्य में विवादों को टालने के लिये आमंत्रित किया गया।

इस गड़बड़ी का लाभ उठाते हुये सभी संघों ने अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और इसलिये सदस्यों की अपनी ओर मिलाने के अनेक मामले सामने आये और तनाव में और भी वृध्दि हुई। यदि श्रमिकों का कोई संयुक्त मोर्चा बना होता तो वे इन कठिनाइयों से बच सकते थे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। कुछ व्यक्तियों ने स्थिति का लाभ उठाया। मुझे आशंका है कि श्री द्रविड़ तथा श्री गंगाराम तिवारी जैसे नेताओं को श्रमिकों की वास्तविक समस्यायों का पक्ष लेने के बजाय अपने-अपने दल को सुदृढ़ बनाने की अधिक चिन्ता थी। प्रत्येक वर्ग यह दर्शाना चाहता था कि वह सही है और दूसरा वर्ग गलती पर है। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण की समस्या को कभी सर्वोपरि नहीं समझा। इन्टक के विघटन से बहुत से श्रमिकों को दूसरा कोई संघ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। कुछ व्यक्ति यह दर्शाना चाहते थे कि प्रबन्धक वर्ग से कुछ दिलाने में वे ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसलिये खिचड़ी समिति अर्थात् संघर्ष समिति में द्रविड़ गुट के भी कुछ लोग शामिल थे। इसमें भारतीय मजदूर संघ तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य भी शामिल थे। इनमें श्री तिवारी, श्री हादीहुसैन तथा श्रीमती उषा भाटिया जैसे स्वतन्त्र व्यक्ति भी शामिल थे। संघर्ष समिति कोई पंजीयित संघ नहीं था। प्रतिनिधि संघ होने की तो कोई बात ही नहीं थी। छोटे श्रमिक नेताओं ने इसका लाभ उठाया और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने श्रमिकों को गुमराह किया। प्रबन्धक वर्ग विवाद को निपटाने की स्थिति में नहीं था।

४६. कोई भी व्यापारिक संस्था अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है। पूंजीपति दान धर्म करने के लिये कोई धन्धा नहीं चलाते तथा यह बात इस देश में श्रमिक-विधान लागू होने के पहले से ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि पूंजीपति लोग सदैव ही निर्धन तथा अबोध श्रमिकों का शोषण किया करते थे। इस देश के लिये श्रम विधान बहुत पुराना नहीं है और इसलिये अनेक वर्षों तक शोषण किया जाता रहा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही इस दिशा में कुछ किया जा सका और धीरे-धीरे वैधानिक उपाय किये गये। श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये और पूंजीपतियों को किसी आचरण संहिता का पालन करने के लिये बाध्य करने की दृष्टि से अधिनियम, नियम तथा आदेश बनाये गये। इस सब के बावजूद विधान की सीमाओं के अन्दर बचाव के कुछ ऐसे रास्ते और गुंजाइशें रह गयी हैं, जिनका अधिक से अधिक लाभ लोग उठा रहे हैं। श्रमिकों के आन्तरिक विवादों और विशेषकर श्रमिक नेताओं के बीच के विवादों को देखते हुए प्रबन्धक वर्ग या तो इच्छा से या अनिच्छा से मामले को अन्तिम रूप से निपटाने की स्थिति में नहीं था। श्रमिकों की मांगे कभी भी संयुक्त रूप में नहीं की गई थीं। मुझे विश्वास है कि यदि श्रमिकों ने एक गुट होकर अपनी मांगें रखी होतीं तो प्रबन्धक वर्ग के सामने श्रमिकों की मांगे पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तथापि मैं यह नहीं मानता, जैसा कि कुछ पक्षकारों का अभिकथन है कि, प्रबन्धक वर्ग जानबूझकर विघटन पैदा करने के लिये कोई कार्य कर रहा था। संघर्ष समिति से बातचीत करने की प्रबन्धक वर्ग की अनिच्छा की बात आसानी से समझ में आती है, क्योंकि बिना किसी कानूनी पृष्ठभूमि के संघर्ष समिति के पास शक्ति हो सकती थी और वह, जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है, एक बहुत विध्वंसकारी संघ, हो सकता था। यदि प्रबन्धक वर्ग ने संघर्ष समिति से बातचीत की भी होती, तो दूसरे संघ तत्काल प्रबन्धक वर्ग के सिर सवार हो जाते। कलेक्टर, उज्जैन ने और साथ ही श्रम विभाग ने भी बैठकें बुलाकर समझौता कराने के भरसक प्रयत्न किए, किन्तु विशेष रूप से आन्तरिक विवादों के कारण कोई समझौता नहीं हो सका।

हम इसे संघों के बीच की या एक संघ की दूसरे संघ से प्रतिव्दंदिता भी कह सकते हैं। इसलिए प्रबंधक वर्ग भी इस मामले में विवश था। मैं श्रम विभाग को भी दोषी नहीं ठहरा सकता तथा प्रबंधकवर्ग के इस अभिकथन से भी सहमत नहीं हूं कि श्रम विभाग निष्क्रिय था। वस्तुतः बैठकों का सिलसिला तथा श्रम विभाग का मार्गदर्शन यह दर्शाता है कि वह समझौता तथा पंचाट के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था और विवाद को सुलझाने के उसके पास ये दो ही अस्त्र हैं। किन्तु न तो समझौता संभव था और न पंचाट क्योंकि संघ और मजदूर उसके लिए राजी नहीं थे। कुछ पक्षकारों ने पंचाट से सहमत न होने के लिए प्रबंधकवर्ग को दोषी ठहराया है। जिला प्राधिकारियों ने, श्री दुबे के जरिए, जिनका अ. ग. क्र. २ के रूप में परीक्षण किया गया था, कहा कि श्रम आयुक्त ने उनसे कहा था कि उन्होंने किसी उच्च स्तर के व्यक्ति व्दारा पंचाट का प्रस्ताव प्रबन्धकवर्ग के समक्ष रखा था और उन्होंने उनसे यह कहा था कि प्रबन्धकवर्ग इसके लिए तैयार प्रतीत नहीं हुआ। श्री दुबे ने अपने साक्ष्य के पैरा २२ में आगे यह कहा है कि प्रबंधकवर्ग मध्यस्थता के लिए भी तैयार नहीं था। किन्तु दस्तावेज प्रदर्श २-पी ३६ तथा तार प्रदर्श १-पी ४१ और प्रदर्श २-पी ३६० व्दारा श्री दुबे के बयान की पुष्टि नहीं होती तथा वे स्पष्टतः दर्शाते हैं कि प्रबन्धकवर्ग इस सबके लिए अनिच्छुक नहीं था, अतएव इस कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती कि पंचाट तथा समझौते की दिशा में प्रबंधकवर्ग

व्दारा दिखाई गयी अनिच्छा भी इसका एक कारण अथवा इस कांड की पृष्ठभूमि बनी। श्री दुबे (१० अ. ग. २) ने जिला प्राधिकारियों की ओर से कहा है कि उनका कर्तव्य मजदूरों तथा प्रबन्धकवर्ग के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना था। अक्टूबर १९७० में बोनस तथा अन्य मामलों को लेकर ये संबंध सौहाद्रपूर्ण नहीं थे।

प्रबंधक वर्ग ने २१-११-७० को एक तार भेज कर श्रम आयुक्त से मामले को निर्णय के लिए भेजने का अनुरोध किया। श्रम आयुक्त ने इस बात के औचित्य तथा वैधता के सम्बन्ध में इस मामले पर श्री दुबे से चर्चा की और श्री दुबे ने मामले को निर्णय के लिए न भेजने की सलाह दी, क्योंकि २० प्रतिशत से अधिक लाभांश (बोनस) वैध नहीं हो सकता था और न ही दिया जा सकता था। लाभांश (बोनस) अधिनियम में २० प्रतिशत लाभांश अनुमत है। यदि कोई कम्पनी २० प्रतिशत लाभांश देती है और चुप बैठ जाती है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। श्रम विभाग भलीभांति जानता था कि लाभांश की मांग न्यायालय में नहीं ले जायी जा सकती क्योंकि विधि-व्दारा उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा। इस पूरे विवाद में पेंच था तो यही। प्रबंधक वर्ग ने ३१ प्रतिशत बोनस का अर्थात अधिनियम के अधीन विहित बोनस से ११ प्रतिशत अधिक का भुगतान किया था। इस आधिक्य को चाहे हम अनुकम्पा समझें या उसे कोई और संज्ञा दें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि एक बार २० प्रतिशत से अधिक दे दिया गया तो कामगार अपनी मांग बढ़ाते ही जाएंगे। प्रतिबन्ध एक बार हट जाए, तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। इसलिये विभिन्न संघों, श्रमिक दलों तथा समूहों ने अलग-अलग मांगे पेश कीं। दूसरे नये व्यापारिक संस्थानों की तुलना में ग्रासिम के लाभ का प्रतिशत अधिक है और इसलिए वे २० प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान करने की स्थिति में हैं। देने की स्थिति में होना एक बात है और देने के लिये किसी को मजबूर करना दूसरी बात। इस प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं उठा सकता कि यदि कम्पनी २० प्रतिशत से अधिक बोनस देना चाहे तो वह अवैध नहीं होगा, किन्तु यदि श्रमिक २० प्रतिशत से अधिक बोनस चाहें और २० प्रतिशत से अधिक का भुगतान न किए जाने पर हड़ताल का सहारा लें, और अपने किसी भी अन्य हथियार का उपयोग करें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक कानून की सीमाओं के अन्दर काम कर रहे हैं। इसलिए इस पृष्ठभूमि का मूल और २१-१२-७० की घटना का कारण इस प्रकार है। कम्पनी भुगतान करने की क्षमता रखती है, जबकि श्रमिकों को २० प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान करने के लिये प्रबन्धक वर्ग को बाध्य करने का कोई विधि-संगत अधिकार नहीं है। उनके पास एक मात्र शान्तिपूर्ण उपाय रह जाता है, बारम्बार हड़ताल का सहारा लेना। वस्तुतः इस अवधि के दौरान तीन हड़तालें हुईं और श्रम न्यायालय को मामला निर्दिष्ट करने पर वे गैर कानूनी घोषित कर दी गईं।

निष्कर्ष

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थितियां इस पृष्ठभूमि का निर्माण करती है: —

(१) कम्पनी को भारी लाभ होना था।

(२) कम्पनी का अच्छी मजदूरी देना।

(३) कम्पनी व्दारा २० प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान।

(४) कामगारों को कम्पनी की भुगतान क्षमता की जानकारी होना।

(५) श्रमिक जानते थे कि अबाधगति से चल रहे कार्य में कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने से न केवल दैनिक आय की हानि होगी, बल्कि मशीन में विस्कोज जम जाने से उसे क्षति पहुंचेगी और आगे बन्द हो जायेगा।

कारण. —निम्नलिखित हैं:—

(१) विभिन्न प्रकार के श्रमिक संघों का होना जिसमें से प्रत्येक संघ यह दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि उसके अनुयायियों की संख्या अधिक है।

(२) संगत समय पर प्रतिनिधि संघ का अभाव।

(३) उच्च पदधारी व्यक्तियों के बीच नेतृत्व के लिये संघर्ष।

(४) संघर्ष समिति को, जो कि एक खिचड़ी और अपंजीबध्द संस्था थी, अनुचित महत्व दिया जाना।

निस्सन्देह प्रबन्धक वर्ग और श्रमिक किसी समझौते पर पहुंच सकते थे। कम्पनी श्रमिकों को यह समझा सकती थी कि अब आगे और भुगतान नहीं किया जा सकता और श्रमिक भी यह बात समझ लेते कि अन्य नौकरियों में कार्य-स्थितियों को देखते हुए उन्हें अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए उससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए, जो उन्हें प्राप्त हो रहा था, किन्तु ऐसा भी नहीं किया जा सका। एक नेता कह रहा था कि उसे ८० प्रतिशत प्राप्त होगा, दूसरे का कहना था कि उसे अन्य सुख-सुविधाएं प्राप्त होगी और तीसरा-नेता कह रहा था कि कम्पनी ने ३० प्रतिशत या ४० प्रतिशत का भुगतान करने का वादा किया है। यही कारण था कि कोई समझौता नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में उनमें से कुछ व्यक्तियों के बयान पर विचार करते हुए, श्री मंडेलिया का यह कथन सरलता से समझ में आ सकता है। अपने कामगारों से यह कहने का उन्हें पूर्ण अधिकार है कि यदि वे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे तो कम्पनी को मुनाफा नहीं होगा और उन्हें अपने उपक्रम के एक भाग को अधिक अनुकूल स्थान में ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को यह कहने का सदैव अधिकार होता है कि यदि उसे कोई मुनाफा नहीं होगा, तो वह अपने उपक्रम को दूसरी जगह ले जाए। अतएव अन्तिम जिम्मेदारी उन श्रमिक नेताओं की है जो मांगों के विषय में एक मत नहीं थे और अपनी नेतागीरी जमाने के लिए वे ही अनेक संघों के निर्माण तथा श्रमिकों में फूट डालने के लिए उत्तरदायी थे। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि एक ही संघ होता और संयुक्त रूप से मांग की गई होती, तो प्रबंधक वर्ग को अधिनियम में उपबंधित अधिकतम सीमा से अधिक बोनस देने के लिए बाध्य होना पड़ता। यह सत्य है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि कम्पनी २० प्रतिशत से अधिक देने से इंकार करती तो भी हड़ताल वैध नहीं होती किन्तु यदि एकता होती और कम्पनी को अधिक मात्रा में मुनाफा हुआ होता तो कम्पनी अधिक रकम देने के लिए दबाव के सामने झुक जाती। मैंने

इसी प्रकार के अनेक संस्थान देखे हैं और मैं यह महसूस करता हूं कि नागदा स्थित ग्रासिम के कामगारों को, जहां तक उनके पारिश्रमिक तथा सुख सुविधाओं का संबंध है, किसी भी प्रकार की युक्ति युक्त और यहां तक कि नैतिक शिकायत भी नहीं हो सकती। वे किसी भी प्रतिष्ठित या अन्यथा रूप से किए गए समझौते को भंग करने के लिए भी कोई शिकायत नहीं कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि, उस उपद्रव के बाद जो बहुत गंभीर स्वरूप का था वे अपनी गल्ती समझ गए और उसके बाद शीघ्र ही सामान्य स्थिति कायम की जा सकी, यद्यपि बोनस में कोई वृध्दि नहीं हुई।

५०• जहां तक उपद्रव के घटनाक्रम की गति का संबंध है, मैंने पहले ही विस्तार से घटनाओं का तिथि क्रमानुसार उल्लेख किया है, जिससे उपद्रव के घटनाक्रम को ज्ञात करना संभव होगा। इस उपद्रव के मूल में सन् १९६६ में नागदा स्थित इंटक की फूट है, जब कि दो गुटों ने लड़ाई प्रारंभ की जिनमें से एक का नेतृत्व श्री वी• वी• द्रविड़ कर रहे थे तथा दूसरे का नेतृत्व सर्वश्री हीरालाल शर्मा और व्हीदउध्दीन कुरेशी कर रहे थे जो सामान्य रूप से उज्जैन गुट के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात् आगे घटनाक्रम किस प्रकार चला इसका उल्लेख मैंने घटना तिथि क्रम (परिशिष्ट) में किया है जिसे इस अध्याय के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। संक्षेप में, उपद्रव से संबंधित घटनाक्रम के मुद्दे पर मेरे निष्कर्ष ये हैं कि इसने उस समय गंभीर रूप धारण किया जब २४ अक्टूबर, १९७० को संघर्ष समिति बनायी गयी। यह समिति न तो पंजीयित थी और न ही मान्यता प्राप्त थी। इस समिति ने कतिपय मांगों का उल्लेख करते हुए प्रबंधक वर्ग को एक धमकी भरा पत्र भेजा और उपद्रव को तेज कर दिया। प्रबंधक वर्ग आपसी चर्चा व्दारा इस मामले को तय करना चाहता था और संघर्ष समिति की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। यह समझ में नहीं आता कि प्राधिकारियों व्दारा इस संघर्ष समिति का निर्माण कैसे गवारा किया गया क्योंकि हमने देखा है कि अनेक बैठकों में संघर्ष समिति के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि चर्चा या तो पूर्णतः तथा केवल उनसे ही की जाए या फिर कोई समझौता नहीं हो तथापि, उसके बाद हमने देखा कि १३ नवम्बर, १९७० को फाटक पर हुई प्रतिस्पर्धी दलों की सभाओं में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। १५ नवम्बर १९७० को श्री बेग, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को धारा १४४ के अधीन आदेश प्रख्यापित करना पड़ा। यह आदेश उपद्रव की तारीख, अर्थात् २१-१२-७० तक प्रभावी रहा। नागदा मिल मजदूर संघ व्दारा १७-११-७० को दोपहर के १२ बजे कारखाने के भीतर एक सभा आयोजित की गई। १९-११-७० को श्री बी. के. तिवारी, जो ग्रासिम के एक कर्मचारी तथा प्रमुख कार्यकर्ता थे, धारा १४४ तोड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और १६-११-७० को गिरफ्तार किए गए लोग २०-११-७० को बंधपत्रों पर छोड़ दिए गए।

५१. दि. २२-११-७० को संघर्ष समिति व्दारा ग्रासिम के ३०० कामगार श्रम मंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए उज्जैन ले जाए गए क्योंकि वे वहां ठहरे हुए थे। २९-११-७० को सब-डिवी• मजिस्ट्रेट व्दारा प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई, ताकि उन्हें धारा १४४ भंग न करने के लिए समझाया जाए किन्तु यह प्रयत्न निष्फल रहा। १५ दिसम्बर, १९७० को श्री बी •के• तिवारी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसे उन्होंने १२ दिसम्बर, १९७० को तोड़ा जब कि कारखाने का कार्य पूर्णतः बन्द हो गया। १२ दिसम्बर, १९७० को

प्रबंधकवर्ग ने बोनस तथा वेतन मानों के संबंध में एक सूचना लगाई और १४-१२-७० को प्रबंधकवर्ग ने पाया कि काम नहीं हो सकता और तब उन्होंने घोषणा की कि कामगार काम पर न आएं। १६-१२-७० को श्री हुकुमचन्द कछवाहा, संसद्-सदस्य, को संघर्ष समिति के कुछ नेताओं के साथ धारा १४४ तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

५२. दि. १८-१२-७० को श्री मंडेलिया नागदा पहुंचे और १८-१२-७० को ग्रासिम के कार्यकारी प्रबंधक श्री एस. एल. जैन पर हमला किया गया। अन्य अधिकारियों पर हमला करने के भी प्रयत्न किए गए। उसी दिन ५ बजे शाम कामगारों का एक जुलूस निकाला गया। नदी के उस पार सभा करने के बाद जुलूस बिड़लाग्राम आया। २०-१२-७० को संघर्ष समिति के नेता छूटकर नागदा पहुंचे और २१-१२-७० को उपद्रव हुआ। इस उपद्रव के ब्यौरे मैंने इस प्रतिवेदन में अन्यत्र दिए हैं और यहां उनको दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय—पांच

विचारणीय विषय (ख)

"वे व्यक्ति, जो उपद्रवों को भड़काने और उनमें भाग लेने और स्थिति को गुरूतर बनाने के लिए उत्तरदायी थे, जिसने दिनांक २१ दिसम्बर, १६७० की घटनाओं का रूप ग्रहण कर लिया।"

यह ज्ञात नहीं है कि उपद्रवों की किस अवधि के लिए मुझे जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाना है। ऐसे औद्योगिक संस्थान में, जहां इतने अधिक राजनैतिक दल सक्रिय हों, उपद्रव होना एक आम बात है। अतएव, सर्वप्रथम हमें यह पता लगाना है कि उपद्रव से क्या तात्पर्य है—अर्थात् उपद्रव की कालावधि क्या है। इस खण्ड के बाद वाले भाग को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उपद्रवों का अर्थ केवल दि॰ २१-१२-७० की घटना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपद्रव से ताप्तर्य केवल यह नहीं है कि दि॰ २१-१२-७० को क्या हुआ बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि उस तारीख से पूर्व क्या हुआ था। जब एक बार यह तय हो जाता है कि हमें दि. २१-१२-७० से कितने दिन पूर्व की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए तब हम इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगा सकेंगे क्योंकि सम्भव है जो लोग नवम्बर की घटना के लिए जिम्मेदार रहे हों, वे दिसम्बर में उसके लिए जिम्मेदार न हों। यह अच्छा होता कि अवधि का उल्लेख कर दिया जाता। तथापि, इस जांच में विभिन्न पक्षकारों व्दारा दिये गये बयानों के रूख और दि॰ २१-१२-७० को जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए हमें उन उपद्रवों की ओर ध्यान देना होगा जिनकी अन्तिम परिणति दि. २१-१२-७० की घटनाओं के रूप में हुई थी। इसके पूर्व भी उपद्रव हुए ही होंगे और वस्तुत: किसी औद्योगिक संस्थान में श्रमिक उपद्रव कोई नई बात नहीं है। हमें केवल उन्हीं उपद्रवों की ओर ध्यान देना है जिनके कारण अन्ततः दि॰ २१-१२-७० की घटनाएं हुई। अतएव, दि॰ २१-१२-७० की घटनाओं से न केवल उन उपद्रवों का पता लगाने में सहायता मिलेगी, जिनकी परिणति २१-१२-७० की घटनाओं में हुई थी, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी जो उपद्रवों को भड़काने, उनमें भाग लेने और स्थिति को गुरुतर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। अतएव, दि॰ २१-१२-७० की घटना बहुत महत्वपूर्ण है।

घटना

२. दिनांक २१-१२-७० की घटना यह दर्शाती है कि किसी उपद्व की आशंका थी और इसलिए जैसा कि श्री राजाराम रावत (१० अ॰ ग॰ १) पुलिस उप-अधीक्षक की साक्ष्य से हमें पता चलता है, उन्होंने पावर हाउस, गैरेज क्रासिंग, स्टाफ गेट, रेलवे लाइन गेट, कार्बन डाय सल्फाइड संयंत्र के निकट, इन्द्रपुरी गेट तथा अन्य स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया था। प्रातः ७॰१५ बजे वे नियंत्रण कक्ष में गये और उन्हें पता चला कि लगभग ८०-१००

श्रमिक पावर हाउस गेट के पास एकत्र हो गये थे। वे अश्रु गैस दल तथा सब डिवी. मजिस्ट्रेट श्री बेग के साथ वहां गये। जब वे वहां पहुंचे तब वहां उन्होंने श्रीमती उषा भाटिया को देखा। इस जांच में वे पक्षकार क्र. ९ के रूप में उपस्थित हुई हैं तथा उन्होंने अपना बयान भी प्रस्तुत किया है। श्रीमती उषा भाटिया के साथ वहां मांगीलाल शर्मा, श्री बी॰ पटवर्धन, श्री महत्तम दुबे और लगभग ८० श्रमिक थे ये सब लोग पुलिस उप-अधीक्षक तथा सब॰ डिवी॰ मजि॰ की ओर बढ़ रहे थे। सब डिवी॰ मजिस्ट्रेट ने उन्हें बताया कि वहां धारा १४४ लगी हुई है और इसलिए उन्हें इस तरह एकत्र नहीं होना चाहिए। तथापि , श्रमिकों ने सोचा कि प्रतिबंध ५ लोगों के जमाव पर है। अतएव, इन श्रमिकों ने दो-दो और तीन-तीन के दल बना लिए और सोचा कि इस तरह से वे चंगुल में नहीं फसेंगे। वे लोग यह भी चिल्ला रहे थे कि वे कामगारों को काम नहीं करने देंगे और उन्हीं के साथ बैठेंगे। इस विचार से कि उपद्रव हो सकता है, पुलिस उप अधीक्षक ने जमादार से कारखाने का फाटक बन्द कर देने के लिए कहा किन्तु वहां एकत्रित लोग जमादार पर हावी हो गये। अतएव, फाटक बन्द नहीं किया जा सका। सब डिवी॰ मजि॰ भीड़ को बार-बार यह याद दिला रहे थे कि वहा धारा १४४ लगी हुई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि वे तितर बितर नहीं हुए और वापस नहीं लौटे तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। इसी समय मिल से सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। सायरन रुक-रुक कर बज रहा था। इस सायरन को सुनकर श्रमिक बस्ती से अनेक श्रमिक वहां पहुंच गये। वहां उपस्थित लोगों ने पहले ही पथराव प्रारंभ कर दिया था। बड़ी संख्या में श्रमिक भी आ रहे थे और मूर्ति चौराहे के निकट वाले मार्ग से प्रविष्ट हो कर गैरेज चौराहे की ओर बढ़ते जा रहे थे, वे अपने साथ डंडे, तलवारें, लोहे के पाइप, भाले, फरसी तथा अन्य हथियार लिये हुये थे। अतएव सब डिवी. मजि. ने अश्रु गैस के गोले फेंकने के आदेश दिये। गोले उस भीड़ पर फेंके गये जो पावर हाउस गेट की ओर बढ़ी आ रही थी। हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण अश्रु गैस के गोलों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा धुआं दूसरी दिशा में चला गया अतएव, सब डिवी॰ मजि॰ ने लाठी चार्ज के आदेश दिये। भीड़ व्दारा पथराव जारी रहा। मूर्ति चौराहे की ओर से आने वाली भीड़ पर भी अश्रु गैस के गोले फेंके गये किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला। इस समय तक अनेक व्यक्ति पावर हाउस गेट से कारखाने में घुस आने में सफल हो गये थे। पावर हाउस गेट के सामने तैनात पुलिस बल भीड़ पर नियंत्रण पाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने दीवार को तोड़ना आरंभ कर दिया और इस टूटी हुई दीवार से वे लोग भीतर प्रविष्ट हुए। बाद में उग्र भीड़ ने नियंत्रण कक्ष को घेर लिया। अश्रु गैस के गोले फेंकना और लाठी चार्ज भी उपयोगी सिध्द नहीं हुए। पुलिस दल पर पथराव किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप सब डिवी॰ मजि॰ आहत हुए। उन्हें कई चोटें आई, जिनमें से कुछ सिर में भी थी। सिर में चोट लगने से खून बहने लगा तथा उन्हें चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। पुलिस उप-अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को स्थिति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। वे मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल के विश्राम भवन में ठहरे हुए थे, किन्तु वहां का टेलीफोन खराब पड़ा था। पुलिस अधीक्षक प्रातः ८.२० बजे गैरेज चौराहे पर पहुंचे। उस समय तक जो श्रमिक कारखाने में घुस आये थे उन्होंने पुलिस दल पर नट, बोल्ट, एसिड की बोतलें तथा ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अतएव कारखाने के भीतर अश्रु गैस के गोले फेंके गये। इसी बीच श्रमिकों

का एक दल कार्बन डाय सल्फाइड संयंत्र की ओर बढ़ा। अतएव, पुलिस उप-अधीक्षक ने कम्पनी कमान्डर को कुछ बल सहित उन श्रमिकों का पीछा करने का आदेश दिया।

३. इस समय तक बिड़ला अतिथि गृह तथा विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) में आग लगा दी गयी थी और कुछ व्यक्तियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। पुलिस उप-अधीक्षक को इसकी जानकरी थानेदार विजेन्द्र सिंह (१०-अ॰ ग ३२) से प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक श्री पाहूजा (१० अ॰ ग॰ २७) ने पुलिस उप अधीक्षक को बन्दूक धारी दल सहित अपने साथ चलने के आदेश दिये। जब वे लोग अतिथि गृह पहुंचे तो उन्होंने उसे लपटों के बीच पाया पुलिस की एक कार भी जल रही थी। वहां कुछ अन्य निजी कारें भी थीं, जो जल रही थीं। अतएव, पुलिस दल ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि अतिथि गृह के भीतर घुसकर यह पता लगाया कि वहां कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। उसी समय इस अतिथि गृह के बैरे से यह मालूम होने पर कि भीड़ बिड़ला विश्राम गृह की ओर गई है, यह पुलिस दल आग बुझाने की पूरी व्यवस्था कर वहां के लिए रवाना हो गया।

४. जब पुलिस दल विश्राम गृह पहुंचा, वह जल रहा था और लगभग २००-२५० कामगार इमारत को घेरे हुए अश्लील तथा खतरनाक नारे लगा रहे थे। इस समय पुलिस अधीक्षक ने घोषणा की कि उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए अन्यथा बल प्रयोग किया जायेगा। उग्र भीड़ में एक व्यक्ति अपने हाथ में मशाल लेकर आगे-आगे चल रहा था। चूंकि भीड़ मशाल लेकर खौफनाक ढंग से पुलिस दल की ओर दौड़ी आ रही थी, अत: पुलिस अधीक्षक ने गोली चलाने के आदेश दिये तथा कान्स्टेबल, बहादुर सिंह ने गोली चलाई रामधनी नामक व्यक्ति, जो मशाल लेकर भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, आहत हुआ था। इसके बाद भीड़ भाग गई। घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान में ले जाया गया। इसके पश्चात् पुलिस दल बिड़ला हाउस के पिछवाड़े गया क्योंकि सामने का भाग आग की लपटों में था। दो कान्स्टेबलों को यह पता लगाने के लिए ऊपर भेजा गया कि भीतर कोई है तो नहीं। उसी समय श्री मन्डेलिया बाहर आये। चूंकि उन्हें नीचे उतारने का और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें तिरपाल पर जिसे कुछ व्यक्तियों की मदद से तान-कर रखा गया था, कूदने के लिए कहा गया। सुरक्षा अधिकारी श्री बलवन्त सिंह को भी बचा लिया गया था। यह मालूम हुआ था कि श्री पारीख भीतर हैं किन्तु उस समय वे नहीं मिल सके थे। बाद में यह मालूम पड़ा कि वे घायल अवस्था में पहले ही चिकित्सालय जा चुके थे। जब यह दल श्री पारीख के घर की ओर जा रहा था, उन्हें रास्ते में श्री पारीख मिल गये। जब यह दल और आगे गया तो उसे चारो ओर विध्वंस और विनाश का वातावरण दिखायी दिया।

५. अब मैं अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री विजेन्द्र सिंह (१० अ॰ ग॰ ३२) नियंत्रण कक्ष में प्रात: लगभग ६·०० बजे आये। उनके पीछे सब डिवी. मजि. श्री बेग तथा पुलिस उप-अधीक्षक श्री रावत वहां आये। पुलिस की टुकड़ियां दिनांक २१-१२-७० की घटना के पूर्व लगभग पन्द्रह दिन के लिए तैनात की गई थीं। उप-निरीक्षक श्री सक्सेना ने, जो पुलिस टुकड़ी

के साथ वहां थे, सुरक्षा कार्यालय से प्रातः लगभग ७·३० बजे फोन व्दारा सूचित किया गया कि ८० से १०० श्रमिक पावर हाउस गेट पर एकत्र हो गये थे। अतएव, वे पावर हाउस गेट पर आए। पावर हाउस गेट पर जो कुछ हुआ उसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप-अधीक्षक चौराहे पर से उसी समय चले गये थे जब उन्हें यह समाचार मिला कि बिड़ला हाउस और साथ ही अतिथि गृह में आग लगा दी गई है। उन्हें क्षति पहुंचाई गई है तथा वहां तोड़-फोड़ की गई है। इसी बीच सब डिवी. मजि. को भी घायल अवस्था में चिकित्सालय भेज दिया गया था। जाते समय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप-अधीक्षक ने श्री विजेन्द्र सिंह को हिदायत दी कि वे स्थिति पर नजर रखे तथा आवश्यकतानुसार भीड़ पर नियंत्रण रखें। उस समय तक कार्बन डाय सल्फाइड संयंत्र पर हमला कर दिया गया था तथा वहां से धुआं निकलता दिखाई पड़ रहा था। चारों ओर अग्निकांड तथा विनाश के चिन्ह मोजूद थे, जिसमें शाला चौराहे के पास के पेट्रोल पम्प को आग लगा देना भी शामिल था। अनुसंधान संस्थान पर भी हमला हुआ था तथा दरवाजों-खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले गये थे। इसी समय गवाह को कारखाने की दीवार के भीतर से गोली चलाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। गैरेज चौराहे पर तैनात पुलिस दल पर कई गोलियां चलाई गईं। गोलियां पुलिस शिविर के सामने के टेलीफोन तारों को भी लगीं। नटों तथा बोल्टों का फेंका जाना जारी रहा। पुलिस शिविर को चारों ओर से उग्र भीड़ ने घेर रखा था तथा लोग उसे जला देने के लिए चिल्ला रहे थे। असंयत भीड़ कई प्रकार के नारे लगा रही थी। बिजेन्द्र सिंह ने अश्रु गैस के गोले फेंकने के आदेश दिये। उन्होंने दीवार के भीतर मौजूद व्यक्तियों को गोली बारी बन्द करने की चेतावनी दी किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दीवार के भीतर कौन व्यक्ति हैं, जो गोलीबारी के लिए जिम्मेदार थे, यह श्री बिजेन्द्र सिंह देख सकते थे। उनमें से एक तो निश्चित ही सागर मल गुप्ता थे। वे दीवार के पीछे छिपे थे और वहां से पुलिस शिविर पर गोलियां बरसा रहे थे। उग्र भीड़ व्दारा पुलिस दल पर फेंकी जाने वाली अन्य वस्तुओं में नट बोल्ट तथा दूसरी चीजें शामिल थीं। भीड़ ने मिल में से किसी तरह हौज पाइप प्राप्त कर लिया तथा उससे पानी फेंकना शुरु कर दिया। अतएव, श्री विजेन्द्र सिंह ने भीड़ को चेतावनी दी कि वे गोली चलाना तथा पथराव करना बन्द कर दें, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस पर श्री विजेन्द्र सिंह ने गोली चालन दल को बदल दिया तथा सखनलाल को, उनके कथनानुसार, पुलिस की सुरक्षा के लिए पांच राउण्ड गोलियां चलाने के लिए कहा। इस पर सखनलाल ने गोलियां चलाईं। श्री सागरमल गुप्ता घायल हुए तथा नीचे गिर पड़े। इसके बावजूद पावर हाउस गेट, बगीचे तथा शाला से भीड़ पथराव करती रही। दीवार के भीतर से भी गोली बारी जारी थी।

६. उसी समय श्री बिजेन्द्र सिंह को अतिथि गृह के एक नौकर के जरिए यह समाचार मिला कि कर्मचारियों की कालोनी को आग लगा दी गई है तथा वहां लूटपाट मची हुई (चिट प्रदर्श १ पी २११)। चिट में यह जानकारी भी थी कि प्रातः १० बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया था। उन्होंने लाउड स्पीकर से ऐलान किया तथा भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा, किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोलीबारी तथा पथराव बराबर चल रहा था। इसके बाद अश्रु गैस के गोले फेंके गये किन्तु भीड़ पुलिस शिविर की ओर बढ़ती गई। उस भीड़ में लोहे के

पाइप लिये हुए महत्तम दुबे, श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री राजेन्द्र बुन्देला थे। बाद के दो व्यक्तियों के पास बन्दूकें भी थीं। उन्होंने गोलियां चलायीं, परन्तु पुलिसवाले घायल नहीं हुए। श्री बिजेन्द्र सिंह ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें, किन्तु उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। उसके बाद बिजेन्द्र सिंह ने उनसे कहा कि यदि वे गोली चलाना बन्द नहीं करेंगे, तो पुलिस गोली चलाना प्रारम्भ कर देगी। भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। इसलिए रामयण प्रसाद को भीड़ पर पांच राउण्ड गोलियां चलाने को कहा गया। उसने आदेश का पालन किया। उन्होंने एक दूसरे कान्स्टेबल श्री राम को भी पांच राउण्ड गोलियां चलाने के लिए कहा। गोली चलाने से दो या तीन व्यक्ति गिर गए। दंगाइयों द्वारा गोली चलाना जारी रखा गया। जब दो या तीन व्यक्ति गिर गए, तो अन्य व्यक्ति भाग खड़े हुए। उस समय श्री बिजेन्द्र सिंह ने उन व्यक्तियों को उठाने की कोशिश की, जो गोली चलाने के कारण घायल होकर गिर पड़े थे, किन्तु भीड़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। दीवार के भीतर से न केवल गोली चलाना जारी रखा गया, बल्कि भीड़ अनियन्त्रित हो गई। इसलिए, गवाह ने प्रेमचन्द कान्स्टेबल को पांच राउण्ड गोलियां चलाने के लिए कहा। उसने ४१० के पांच राउण्ड चलाए। भीड़ भागने लगी। उस समय राजेन्द्र दुबे अत्यधिक प्रमुख थे, यद्यपि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। श्री बिजेन्द्र सिंह ने बाद में दोहराया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और भीड़ को तितर-बितर हो जाना चाहिए। उस समय यह देखा गया कि श्री राजेन्द्र दुबे एक गोली से घायल हो गए। श्री बिजेन्द्र सिंह ने उप-निरीक्षक पाण्डे से कहा कि सारे बिड़ला ग्राम में कर्फ्यू की घोषणा कर दी जाए। चूंकि बिजेन्द्र सिंह को इस बात की आशंका थी कि मिल के भीतर कुछ लोग होंगे, अतः वे वहां पर्याप्त पुलिस बल के साथ गए। जब वे दीवाल के भीतर कूलिंग टावर की तरफ गए, तो उन्हें लगभग २२ तथा २३ खाली कारतूस पड़े मिले। कुछ भरे कारतूस भी लाल कपड़े में बधे थे। एक-२२ रायफल वहां पड़ी थी। जमीन पर खून के धब्बे थे। वहां की सभी वस्तुएं बिजेन्द्र सिंह द्वारा जप्ती ज्ञाप प्रदर्श १ पी २८९ के अधीन जप्त कर ली गईं। वहां १२ बोर की बन्दूकें भी थी, जिसके आसपास भरे कारतूस पड़े हुए थे। वहां पत्थरों, नटों, बोल्टों, हाथ के मोजों, लोहे की छड़ों तथा पाइपों के ढेर थे। वहां एक सीढ़ी भी थी। उसके बाद श्री सागरमल गुप्ता की लाश नियन्त्रण कक्ष में लायी गई।

७. मैंने घटना का विवरण इसी तरह किया है, जिस तरह कि श्री बिजेन्द्र सिंह तथा श्री रावत ने उसे देखा था और उनपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इन घटनाओं के संबंध में अगला साक्ष्य हमें श्री पाहूजा, पुलिस अधीक्षक के बयान से मिलता है। उनका कथन है कि श्री मन्डेलिया को बचाने तथा पुलिस उप-अधीक्षक को उनकी देखभाल करने तथा उन्हें कालोनी ले जाने की बात कहकर वे दो कांस्टेबल तथा एक रायफल मैन के साथ विद्युत् मण्डल विश्राम गृह गए। यहां यह उल्लेखनीय है कि पाहूजा इस विद्युत् मण्डल विश्राम गृह में ठहरे हुए थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी जीप को जलते देखा तथा विश्राम गृह के खिड़की दरवाजे टूटे हुए मिले, यद्यपि उस समय वहां उन्हें कोई भी बलवाई दिखाई नहीं दिया। पावर हाउस का नियंत्रण कक्ष पास में ही था। उन्होंने उच्च प्राधिकारियों को टेलीफोन करना चाहा। इस पावर हाउस टेलीफोन से उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मन्दसौर को फोन किया और उनके जरिए

स्थिति की जानकारी उप-महानिरीक्षक को दी। इस टेलीफोन से वे कलेक्टर उज्जैन से बात करना चाहते थे, किन्तु कलेक्टर भोपाल में थे और इसलिए श्री मजोत्रा, जो प्रभार में थे, को स्थिति से अवगत कराया गया। उसके बाद पाहूजा कालोनी की स्थिति का पता लगाने के लिए और यदि आवश्यक हुआ तो लोगों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए वहां आए। वहां पहले से ही कर्फ्यू लगा था। जिसकी घोषणा पहले ही कर द गई थी। लगभग संध्या के ४ बजे अतिरिक्त बल के साथ उप महानिरीक्षक नागदा पहुंचे। श्री मजोत्रा, अपर कलेक्टर भी पहुंचे कलेक्टर श्री समर सिंह भी रात में पहुंचे। पूरे दिन टेलीफोन कनेक्शन खराब पड़े रहे।

नुकसान

८. अब हम उन नुकसानों की चर्चा करेंगे, जो उस तारीख को हुए। संपत्ति की हुई हानि का निर्धारण करने के पूर्व, मैं यहां लोगों की मृत्यु तथा व्यक्तियों को पहुंची चोटों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक इंजीनियर श्री ओबेराय की मृत्यु हो गई थी, जिनके सिर पर लोहे के पाइप से प्रहार किया गया था। वह घातक चोट थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का पता लगाऊं, जो इस मौत या हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह सत्र न्यायालय की जांच का विषय है। मैं इसका उल्लेख केवल तथ्य के रूप में कर रहा हूं। दो और मौतें हुई थीं एक श्री राजेन्द्र दुबे की और दूसरी श्री सागर मल गुप्ता की। यहां भी मुझे जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाना नहीं है, मुझे केवल इस बात का पता लगाना है कि क्या पुलिस व्दारा विभिन्न अवसरों पर काम में लाया गया बल उचित था तथा स्थिति पर काबू पाने के लिए सीमा के भीतर था। जहां तक अन्य व्यक्तियों की चोटों का संबंध है, यह अभ्युक्ति भी सच है। चोट संबंधी रिपोर्टें तथा डा॰ सोनार के साक्ष्य (१०-अ॰ ग॰ ३) से हमें घायल व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। चोट संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श १-पी-१११ से लेकर प्रदर्श १-पी-१६१ तक तथा प्रदर्श १-पी-१६७ और प्रदर्श १-पी-१०९ है। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि अधिकांश श्रमिक, जिन्हें चोट लगी थी, पुलिस के पास नहीं गए और इसलिए घायल व्यक्तियों की कुल संख्या उतनी न हो, जितनी कि साक्ष्य से प्रकट होता है, बल्कि उससे कहीं अधिक हो सकती है। छोटी मोटी चोटों का इलाज विभिन्न स्थानों पर करवाया गया और हमें इस पर और अधिक विचार न करते हुए यह मान लेना चाहिए कि बहुत अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। जिन अधिकारियों को चोटें लगीं, वे हैं पुलिस अधीक्षक श्री एस. के. पाहूजा, उप पुलिस अधीक्षक श्री राजाराम रावत, सब डिवी॰ मजिस्ट्रेट श्री बंग और उप निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह। प्रबन्धक वर्ग ने यह दिखाने का भी प्रयास किया है कि प्रबंधक वर्ग के व्यक्तियों को, जैसे श्री मन्डेलिया, श्री पारीख, श्री बलवन्त सिंह, श्री कावल चन्द और श्री करन सिंह को मानसिक आघात पहुंचा। निस्सन्देह बिड़ला ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनाधिक रूप से आघात पहुंचा था।

विनाश

९. अब हम उस विनाश की चर्चा करेंगे, जो उस दिन किया गया। बिड़लाग्राम वस्तुतः विध्वंस, लूट और आगजनी का नगर बनकर रह गया था,

मोनों कि कोई बहुत बड़ा युध्द हुआ हो। अतिथि-गृह पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था और इसी तरह बिड़ला हाउस क्लब भवन, सामुदायिक केन्द्र, प्रशासनिक भवन, इंजीनियरी डिवीजन कार्यालय, शोध भवन, सुरक्षा कार्यालय, शस्त्रागार, पेट्रोल पम्प, प्रधानाचार्य का आवास गृह, और उसी खण्ड में रहने वाले श्री पूरनमल का और श्री धारिवाल के मकान भी नष्ट कर दिए गए थे। मोटर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। एक पुलिस जीप के साथ-साथ अनेक कारों में आग लगा दी गई थी। कुछ बन्दूकें चुरायी गईं, तोड़ी गईं और फेंक दी गईं जिनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। बिड़ला हाउस के बरतन भी ले जाए गए। प्रबन्धक वर्ग ने २० से २५ लाख रू. की संपत्ति के नष्ट होने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान गवाह प्रबन्धक वर्ग के लेखापाल श्री रणछोड़ लाल पोरवाल (१अ ग ४), श्री वी. एन. सिंह (१ अ ग २१) और श्री प्रेमसागर सबलाक (१० अ॰ ग॰ ६) ने लगाया है। समर्थनकारी प्रदर्श हैं प्रदर्श २-पी-६२, प्रदर्श २-पी-६३, प्रदर्श एक पी १८२ से लेकर प्रदर्श १-पी १६०। नुकसान का ठीक ठीक अनुमान हम नहीं लगा सकते और यह इस जांच के प्रयोजन के लिए भी आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि विध्वंस तथा हानि बहुत अधिक हुई थी। प्रबन्धक वर्ग ने हड़ताल के कारण उत्पादन में हुई हानि का भी उल्लेख किया है। प्रबन्धक वर्ग के अनुसार उत्पादन में २०३.५० लाख रू. की हानि हुई और उसके परिणाम स्वरूप शासन को १०१.३० लाख रू. की हानि हुई।

१०. मैंने ऊपर २१-१२-७० को जो कुछ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो क्षति हुई उसका उल्लेख किया हैं। विषय (ख) जिसकी अब मैं चर्चा कर रहा हूं, में मुझे इस बात का पता लगाना है किन-किन व्यक्तियों ने स्थिति को भड़काने, उसमें भाग लेने तथा उसे गुरूतर बनाने का काम किया। भड़काने, भाग लेने तथा गुरूतर बनाने से आशय न केवल २१-१२-७० को व्यक्तियों व्दारा की गई कार्यवाही से है, बल्कि उसके तुरन्त पूर्व की कार्यवाही से भी है। यह बात 'घटनाओं का रूप ग्रहण किया' शब्दों से स्पष्ट हो जाती है। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए जिन्होंने स्थिति को भड़काया, उसमें भाग लिया तथा उसे गुरूतर बनाया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे व्यक्ति, जिन्होंने घटनाओं में वास्तविक रूप से भाग लिया और ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने उपद्रवों को भड़काया या स्थिति को और भी गुरूतर बनाया समान रूप से दोषी हैं। इसलिए इस संबंध में हमें यह देखना होगा कि २१ तारीख के प्रातः कैसे और क्यों लोग इकट्ठा हुए। इसका तात्कालिक कारण क्या था। मैं दूरस्थ कारण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह जांच के विचारणीय विषय (क) की विषयवस्तु है।

पक्षकारों के तर्क (प्रबन्धकवर्ग)

११. उन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने घटनाओं में भाग लिया, उपद्रवों को भड़काया तथा स्थिति को गुरूतर बनाया, सामूहिक रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि भाग लेने में भड़काना तथा स्थिति को गुरूतर बनाना भी आता है। जिस प्रकार भड़काना-पहले की या उसी समय की किया है उसी प्रकार स्थिति को गुरूतर बनाना भी है। अब इस विषय पर विभिन्न पक्षकरों के बयानों पर विचार किया जाए। प्रबन्धकवर्ग अर्थात् पक्षकार क्रमांक १ ने १०७ पैराग्राफों का एक लम्बा-चौड़ा बयान देने के बाद जांच के लिए निर्दिष्ट

प्रत्येक विचाराधीन विषय के संबंध में अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाला है। विषय (ख) के संबंध उन्होंने शीर्ष (निष्कर्ष) के अधीन अपना निष्कर्ष (एक्स) में दिया है। उनका कहना है कि २१ दिसम्बर १९७० की घटनाएं, संघर्ष समिति की जानबूझकर तथा योजनाबध्द रूप से तैयार की गई योजना का परिणाम है। सैकड़ों की गई योजना का परिणाम है। सैकड़ों सशस्त्र कामगारों ने कम्पनी की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया, शस्त्रागार को तोड़ा, बन्दूकें लूटीं और इसी तरह के अन्य कार्य किये। यद्यपि प्रबन्धकवर्ग व्दारा कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दिया गया है, तथापि उन्होंने सारा दोष विभिन्न संघों के सिर मढ़ा है, क्योंकि उनके अनुसार संघों के परस्पर तथा संघ के भीतरी विरोध तथा प्रत्येक समूह के नेताओं का सत्ता के प्रति मोह ही इसका कारण है, फिर चाहे वह पंजीयित संघ हो या अपंजीयित और फिर चाहे उससे श्रमिकों का कल्याण होता हो अथवा नहीं। कुछ हद तक उन्होंने शासकीय श्रम विभाग को भी दोषी ठहराया है, जिसने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला तथा श्रमिकों को इस तरह संगठित होने दिया गया कि वे उपद्रव करें और जिसकी परिणति २१-१२-७० की घटनाओं में हुई। प्रबन्धकवर्ग के अनुसार संघर्ष समिति के नेताओं ने बिड़लाग्राम नगर में अराजकता तथा स्वेच्छाचारिता की स्थिति का निर्माण किया। कार में आने जाने वाले कर्मचारियों को बलपूर्वक वाहन से उतारकर उन्हें पैदल चलवाया जाता था। १८-१२-७० को कार्यकारी प्रबन्धक श्री शैलेन्द्र जैन पर जुरेन्द्र जान व्दारा हमला किया गया। उत्पादन उप अधीक्षक श्री एम. के. माहेश्वरी तथा एक कर्मचारी श्री जी. के. शर्मा पर भी हमला करने का प्रयास किया गया था।

१२. प्रबन्धकवर्ग ने १४-१२-७० की हड़ताल अवैध घोषित करवाने के लिए श्रम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ की थी। प्रबन्धक वर्ग के पक्ष में एक अन्तारिम आदेश दिया गया था। संघर्ष समिति के गिरफ्तार नेता १९-१२-७० को जमानत पर छोड़ दिये गए। वे २०-१२-७० को नागदा पहुंचे और उनके अनुयायियों व्दारा पहले से ही चम्बल नदी के किनारे आयोजित एक सभा में दोपहर १·२० बजे से ४·३० बजे तक उन्होंने भाषण दिया। संघर्ष समिति के नेताओं तथा उनके अनुयायियों ने हिंसा, हमले तथा लूटपाट की एक योजना बनायी थी। जमानत पर रिहा होने के बाद ही नेताओं ने उसका आयोजन किया। २०-१२-७० की सभा में विभिन्न नेताओं ने जो कुछ कहा उससे पता चलता है कि संघर्ष समिति ने गंभीर हिंसा, हमलों, आगजनी, लूटमार तथा सीधी कार्यवाही की निश्चित योजना बना ली थी। २० तारीख की रात को उन्होंने कारखाने तथा कालोनी की बाहरी दीवाल में बड़े बड़े सुराख कर लिए, ताकि वे चारों ओर से उनमें से शीघ्र आ-जा सकें। प्रबन्धकवर्ग के कथनानुसार २१ दिसम्बर १९७० को प्रातः ७.१५ बजे और ७.३० बजे के बीच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन करते हुए पावर हाउस गेट के पास भीड़ जमा होने लगी। इस भीड़ का नेतृत्व संघर्ष समिति के नेता कर रहे थे। इस भीड़ ने क्या किया, इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं।

१३. प्रबन्धकवर्ग के अनुसार संघर्ष समिति के सदस्य ही घटनाओं में भाग ले रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे और स्थिति को गुरूतर करवा रहे थे। श्री बी. के. तिवारी कारखाने के भीतर थे। वे संघर्ष समिति के एक सदस्य भी

थे। उन्होंने रुक-रुक कर सायरन हूटर को बजाना शुरू किया। यह कामगारों को एकत्र हो जाने की एक सूचना थी। दि० १६ दिसम्बर, १९७० को एक पूर्वाभ्यास पहले ही किया जा चुका था जब सायरन की आवाज सुनकर कामगार एकत्र हो गए थे। जैसे ही सायरन बजाया गया भीड़ वहां दौड़कर आ गई। कम्पनी के जन सम्पर्क अधिकारी श्री के० एम० जैन पर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया। आगजनी, लूट-पाट तथा विनाश के अनेक कार्यों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। प्रबन्धकवर्ग ने कतिपय व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट कार्यवाही करते हुए बताया है। प्रबन्धक वर्ग के अनुसार जब इन्जीनियर श्री हरजसपाल ओबेराय, श्री रामअवतार साड़ानी तथा श्री वसन्त कुमार अपने कर्त्तव्य पर थे तब उनपर भीड़ व्दारा हमला किया गया। श्री ओबेराय की मृत्यु हो गई। प्रबन्धक वर्ग का कहना है कि श्री कैलाश कप्तान भीड़ को बिड़ला भवन में ले गए। उनके साथ प्रभूसिंह लोहे की पाइप से श्री राजेन्द्र बुन्देला कटार से, श्री सुन्दरलाल माली चाकू से, श्री रामधारी लोहे की छड़ से, जिसका ऊपरी भाग चिथड़ों से ढ़ंका होने के कारण वह मशाल की तरह दिखायी देता था, ठगाई प्रसाद एक पाइप से, श्री हरबन्स सिंह एक फरसी से तथा श्री जितेन्द्र गोथरवाल एक लोहे की छड़ से लैस थे। श्री कैलाश कप्तान ने श्री बलवन्त सिंह को टोका। उन्होंने भीड़ से कहा कि वह बलवंतसिंह को मार डाले क्योंकि वह एक गद्दार था। श्री कैलाश कप्तान ने श्री रामसिंह जमादार से बंदूक छीन ली। श्री जितेन्द्र गोधरवाल के पास एक पेट्रोल का डिब्बा था और वे परिसर में, पेट्रोल फेंककर आग लगाने के प्रयोजन से इधर-उधर घूम रहे थे। श्री राजेन्द्र बुन्देला श्री राम आसरे नारे लगा रहे थे कि गद्दारों को मार डाला जाएगा। रामधारी नामक व्यक्ति, जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और जो पुलिस पर हमला करने का प्रयास कर रहा था, जख्मी हो गया। इसके बाद बिड़ला अतिथि गृह में दुर्घटना हुई। मैं इसका पुनः वर्णन करना आवश्यक नहीं समझता।

१४. कफ्यूं लगा होने के बावजूद प्रातः १०.३० बजे बलवाई श्री जागेराम तथा श्री गोपी राम, जो इंटक के द्रविड़ गुट से संबंधित थे, के क्वार्टरों पर आये। प्रबन्धकवर्ग के अनुसार संघर्ष समिति उद्योग तथा कम्पनी की सम्पत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने तथा जनजीवन को हानि पहुंचाने के बावजूद भी हिंसा तथ अराजकता पर उतर आई थी। वे लोग हिंसा तथा अराजकता की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। संघर्ष समिति के नेता हिंसा को जारी रखने तथा काम पर न जाने के लिए कामगारों को भड़काने का अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। यहां तक कि चार श्रमिक संघों के कारखाना पुनः चालू करने के लिए सहमत हो जाने पर भी संघर्ष समिति के नेताओं ने कारखाने को पुनः प्रारंभ न करने के संबंध में कामगारों को भड़काने वाले उत्तेजनात्मक भाषण दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबन्धक वर्ग उन समस्त कार्यों के लिए, जिनकी परिणति २१-१२-७० की घटना के रूप में हुई संघर्ष समिति के सदस्यों को ही दोषी ठहराता है।

पक्षकार क्र० २ तथा ३

१५. अब हम दूसरे पक्षकारों के बयानों पर विचार करेंगे। पक्षकार क्र. २ तथा ३ अर्थात् इन्जीनियर श्रमिक संघ तथा ग्रासिम श्रमिक संघ भाग लेने के प्रश्न पर चुप हैं। वस्तुतः इन दोनों पक्षकारों का समान दृष्टिकोण है, इस

मुद्दे पर उनका कहना है कि बोनस के प्रश्न को न सुलझ पाना स्थिति को गुरुतर बनाने का कारण है किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया किन व्यक्तियों ने स्थिति को गुरुतर बनाया। उनका कहना है कि दि॰ ६-१२-७० को कलेक्टर उज्जैन के कहने पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता, श्री बी॰ के॰ सेठी ने की थी। उसमें श्रमिकों तथा प्रबन्धक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। बोनस की दर पर पक्षकार आपस में सहमत हो गए थे। बोनस की यह दर ३५ से ४० प्रतिशत के बीच रखी जानी थी, किन्तु प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधियों को श्री डी. पी. मंडेलिया का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना था और यह निश्चय किया गया कि १२-१२-७० को उनकी बैठक फिर से होगी। किन्तु १२-१२-७० को एक सूचना प्रचारित की गयी कि बोनस का प्रतिशत ३१ प्रतिशत है और इस प्रकार भद्रजनोचित वचनों पर दृढ़ नहीं रहा गया। पक्षकार क्र॰ २ तथा ३ के अनुसार प्रबन्धक वर्ग व्दारा दी गई ३१ प्रतिशत बोनस की सूचना मनमाने ढ़ंग की तथा एकपक्षीय थी। आगे उनका कहना है कि श्रम विभाग ने श्री गंगाराम तिवारी, तत्कालीन श्रम मंत्री तथा श्री द्रविड़ के राजनैतिक विरोधी के कहने पर श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाली इण्टक के प्रतिनिधि स्वरूप रद्द कर दिया था। चूंकि उस समय कोई प्रतिनिधि संघ नहीं था इसलिए स्थिति के गुरुतर बनने का यह भी एक कारण था। तथापि, उन लोगों का यह अभिकथन है कि श्री गंगाराम तिवारी तथा श्री द्रविड़ दोनों ही श्रमिकों को बोनस दिलाने का श्रेय लेना चाहते थे। इन दोनों पक्षकारों का कहना है कि प्रबन्धक वर्ग के कृपा पात्र बने रहने की दृष्टि से श्री द्रविड़ ने बोनस की कम दर का प्रस्ताव किया था किन्तु श्री गंगाराम तिवारी इससे सहमत नहीं थे तथा वे आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहते थे। ऐसी दशा में स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रबन्धकवर्ग ने स्टेपल फाइबर डिविजन के लिए ३१ प्रतिशत तथा इन्जीनियरी डिविजन के लिए २४.५ प्रतिशत बोनस की घोषणा कर दी।

पक्षकार क्र. ४

१६. इसके बाद हम पक्षकार क्र. ४ अर्थात् संघर्ष समिति की चर्चा करेंगे। उपद्रवों में भाग लेने, उकसाने तथा स्थिति को गुरुतर बनाने के प्रश्न पर संघर्ष समिति का कहना है कि दि॰ ६-१२-७० को कलेक्टर, उज्जैन व्दारा आयोजित बैठक में केवल बोनस के मामले पर चर्चा की गई थी तथा इस बात पर सहमति हो गई थी कि कम्पनी ३५ से ४० प्रतिशत तक की दर से बोनस का भुगतान करेगी। किन्तु १२-१२-७० को प्रबन्धक वर्ग इस बात से मुकर गया तथा उसने अचानक एक सूचना प्रसारित की जिसमें यह कहा गया था कि स्टेपल फाइबर डिविजन के कर्मचारियों को केवल ३१ प्रतिशत तथा इन्जीनियरी डिविजन के कर्मचारियों को केवल २१.५ प्रतिशत बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय पक्षकार क्र. ४ की मांग के प्रतिकूल था, जिसकी मांग थी कि कारखाने के सभी कामगारों को एक समान बोनस दिया जाए। यहां वे मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग को दोषी ठहराते हैं। उनके अनुसार, श्रम विभाग ने प्रबन्धकवर्ग को मार्गदर्शन करने तथा सलाह देने की कोशिश नहीं की। वह एक मूकदर्शक बना रहा। इस पक्षकार ने जिला प्राधिकारियों को भी दोषी ठहराया है कि उन्होंने कोई सहानुभूतिपूर्ण रुख नहीं अपनाया तथा दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश प्रख्यापित कर और बाद में कामगारों को गिरफ्तार कर स्थिति को गुरुतर बनाया। जिन कामगारों को गिरफ्तार किया गया था वे संघर्ष समिति के

कार्यकारी निकाय के सदस्य थे। इसका आगे यह भी अभिकथन है कि श्री डी. पी. मन्डेलिया की पत्रकार वार्ता ने, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि वे इन्जीनियरी डिविजन को नागदा से हटाकर हरिहर ले जाएंगे। और यह कि वे कास्टिक सोडा कारखाने को नागदा में नहीं स्थापित करेंगे, आग में घी का कार्य किया। संघर्ष समिति के अनुसार दि. १२-१२-७० से २१-१२-७० की अवधि के दौरान पुलिस व्दारा संघर्ष समिति के सदस्यों तथा अन्य कामगारों को गिरफ्तार करने तथा उनको निरुध्द रखने की घटनाओं का सिलसिला चलता ही रहा। प्रबन्धक वर्ग ने उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग किया था और मांगों को मानने से इन्कार कर दिया था। इस संबंध में यह अभिकथन है कि पुलिस तथा प्रबन्धकवर्ग में सांठगांठ थी। पुलिस ने अदूरदर्शिता से काम लिया, पुलिस प्रबन्धकवर्ग के हाथों में खेल रही थी जिसके कारण स्पष्ट हैं। संघर्ष समिति ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि '२१-१२-७० की घटना जिसमें तीन व्यक्ति मार डाले गए थे तथा बहुत से व्यक्ति घायल हुए थे, की सारी जिम्मेदारी पुलिस, प्रबन्धकवर्ग, श्रम विभाग तथा प्रशासन की है, जिसने नागदा की स्थिति को संभालने के लिए अयोग्य तथा लापरवाह अधिकारियों को नियुक्त किया था। प्रबन्धकवर्ग तथा पुलिस एक दूसरे से मिल गये थे। और उन्होंने अनावश्यक लाठी चार्ज तथा गोली चालन का सहारा लिया। उनका यह भी आरोप है कि प्रबन्धकवर्ग ने, पुलिस की जानकारी में, उपद्रव करने के लिए अवांछनीय तत्वों को भड़काया और इन अवांछनीय तत्वों ने प्रबन्धकवर्ग के कुछ स्वामिभक्त कर्मचारियों की मदद से पावर हाउस गेट के सामने उपद्रव करना शुरू कर दिया और कामगारों को चोटे पहुंचाई। यह जानबूझकर किया गया था ताकि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट को गोली-चालन तथा लाठी चार्ज का सहारा लेने के लिये कुछ बहाने मिल सकें।

पक्षकार क्र. ५

१७. पक्षकार क्र. ५, नागदा मिल मजदूर संघ के अनुसार, प्रबन्धकवर्ग नागदा में नियुक्त अधिकारियों के साथ मिले हुए कामगारों के द्रविड़ गुट के साथ मिलकर गड़बड़ी पैदा कराना चाहता था ताकि वह श्रमिकों की पिटाई कर सके। इस पक्षकार के अनुसार इस प्रकार की दुरभिसंधि का उद्देश्य यह था कि मिल में लुगदी (पल्प) कमी थी तथा ५० प्रतिशत की कटौती की जाने वाली थी। यदि हड़ताल अथवा अन्य गड़बड़ियों के कारण उत्पादन में कमी होती है तो उत्पादन का बीमा प्रभावी होता है। प्रबन्धक वर्ग ने इस प्रकार का निर्णय इसलिए लिया जिससे कि उत्पादन में ५० प्रतिशत की कटौती की क्षतिपूर्ति हो सके। प्रबन्धक वर्ग के पास उनके इशारों पर नाचने वाला कामगारों का एक वर्ग था और वे उनको उत्तेजना फैलाने वाले एजेंट के रूप में काम में ला सकते थे। उनका यह भी कहना है कि श्री चन्दूराम ने बैंक में ५००० रु. जमा किए थे जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रबन्धक वर्ग गड़बड़ी पैदा करने के लिए कामगारों को धन दे रहा था। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है, कि जितनी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है वह सब बीमा की हुई सम्पत्ति थी और बीमा किए हुए आवासीय भवन थे। इस पक्षकार ने ६-१२-७० को श्री बी. के. सेठी के घर हुई बैठक का भी हवाला दिया है किन्तु बाद में श्री धारीलाल ने श्री कुरेशी तथा श्री कैलाश कप्तान को बुलाया तथा बताया कि ६-१२-७० की बैठक के अनुसार बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उत्तेजना तथा भड़काने

के दूसरे कारण यह थे कि जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषिध्द सीमाओं के भीतर सभा की घोषणा करने की तथा सभा करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी तभी श्री हुकुमचन्द्र कछवाह तथा श्रीमती उषा भाटिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस उत्तेजक स्थिति आदि का अन्य कारण श्री मन्डेलिया की पत्रकार वार्ता थी। इस पक्षकार के अनुसार इस घटना के गुरुतर होने का कारण यह भी था कि जब २१-१२-७० को एक ओर से श्री मांगीलाल शर्मा तथा श्रीमती उषा भाटिया (जब वे सायरन के बजने पर गेट पर आ गए थे) तथा दूसरी ओर सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट श्री बेग के बीच कहा सुनी हो गई थी तो श्री बेग क्रोधाभिभूत हो उठे थे और उन्होंने श्री मांगीलाल शर्मा को ठोकर मार दी थी। यहां लाठी चार्ज भी कराया गया था। मांगीलाल शर्मा तथा श्रीमती उषा भाटिया को चोटें आई थीं। संक्षेप में, इस पक्षकार का कहना है कि उत्तेजना की स्थिति प्रबन्धकवर्ग के कुछ कर्मचारियों व्दारा विशेष रूप से श्री वी• वी• द्रविड़ तथा उनके संघ के कार्यकर्ताओं व्दारा, कुछ शासकीय कर्मचारियों व्दारा, जिन्हें नागदा में नियुक्त किया गया था, तथा श्री मन्डेलिया के प्रेस वक्तव्य व्दारा पैदा हुई थी।

(पक्षकार क्र. ६)

१८. पक्षकार क्रमांक ६-ग्रासिम मजदूर संघ का कहना है कि १९७० का वर्ष अनेक समस्याओं के साथ आरम्भ हुआ, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या कामगारों के वेतन-श्रेणीकरण तथा बोनस की थी। इस पक्षकार के अनुसार प्रबंधक वर्ग ने वेतन-श्रेणीकरण संबंधी प्रथम प्रश्न के संबंध में विलम्बकारी और असमझौतावादी रूख अपनाया। प्रबंधकवर्ग ने यह संकेत दिया कि वेतन श्रेणीकरण संबंधी प्रश्न पर, कामगारों की संख्या में कटौती के प्रश्न के साथ विचार किया जाना चाहिए। वोनस संबंधी प्रश्न पर प्रबंधक वर्ग बोनस अधिनियम के उपबंधों के कारण अनिश्चित अवधि तक विलम्ब नहीं कर सका। इस पक्षकार ने आगे यह भी बताया कि हीरालाल शर्मा की अध्यक्षता वाले नागदा मिल मजदूर संघ के साथ किये गये किसी भी समझौते को समस्त कामगारों को समर्थन नहीं मिलेगा। यह भी बताया कि श्री हीरालाल शर्मा, श्री वहीद कुरेशी तथा श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी के कृपापात्र अन्य लोग यह चाहते थे कि केवल उन्हीं लोगों से परामर्श किया जाए। इन व्यक्तियों ने कामगारों पर अपना नेतृत्व लादने की दृष्टि से ग्रासिम श्रमिक संघ जो कि जनसंघ की नीतियों का अनुसरण करने वाला एक संघ है, के साथ एक संघर्ष समिति बनाई। उनका आगे यह भी कहना है कि श्री गंगाराम तिवारी, तत्कालीन श्रम मंत्री ने २१-११-७० को ग्रांड होटल उज्जैन में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में अपने आपको तथा अपने समूह को, संघर्ष समिति के जरिए इस आंदोलन को नियंत्रित करने का श्रेय दिया। शासकीय श्रम अधिकारी, उज्जैन ने संघर्ष समिति का खुले आम समर्थन किया। आगे यह भी बतलाया गया कि जिला प्रशासन ने बिड़लाग्राम, नागदा में दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ लगा दी है। उसने संघर्ष समिति व्दारा उसके उल्लंघन को नजरंदाज किया तथा प्रतिषिध्द क्षेत्र में बैठकें करने तथा प्रदर्शन करने की छूट दी। तथापि, जहां अन्य संघों का संबंध है, यह छूट उन्हें नहीं दी गई। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने संघर्ष समिति के एकपक्षीय प्रदर्शन के मार्ग को प्रशस्त किया। अत: स्थिति बिगड़ गई तथा ग्रासिम १२-१२-७० को बलात हड़ताल के शिकंजे में आ गया। उनका कहना है कि

प्रबन्धकवर्ग की आधिकारिक संघ को छोड़ अन्य श्रमिक संघों से बातचीत न करने की नीति पूर्ववत् बनी रही और परिणामों की चिंता किए बिना उसने स्टेपल फाइबर डिविजन के लिए तदर्थ तथा अनुग्रह भुगतान सहित कुल मिलाकर ३१ प्रतिशत बोनस, संबंधी प्रस्ताव का नोटिस १२-१२-७० को लगा दिया। २१ प्रतिशत बोनस के संबंध में १२-१२-७० के एकपक्षीय नोटिस में वेतन श्रेणीकरण संबंधी कोई घोषण नहीं की गई थी। चूंकि यह संघर्ष समिति व्दारा की गई मांग से कम था, इसलिए उसने हड़ताल का सहारा लिया, और इस संघर्ष समिति के कुछ लोग ग्रासिम में घुस गए और वहां कार्य कर रहे कामगारों को हड़ताल करने के लिए कहा। वहां की बिजली काट दी गई तथा हड़ताल आरंभ हो गई। ग्रासिम मजदूर संघ का यह भी कहना है कि हड़ताल आरम्भ हो जाने के बाद भी पुलिस ने न तो कोई पहल की और न संघर्ष समिति की गतिविधियों को दबाने संबंधी कोई प्रयास ही किए। श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री महत्तम दुबे, श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री पदुमसिंह यादव, श्री बी. के. तिवारी तथा श्री पंचानन बारल संघर्ष समिति के निर्णयों की घोषणा उत्तेजनापूर्ण भाषणों के साथ करते थे। १८ दिसम्बर, १९७० को रेल्वे चम्बल पुल के नीचे एक आम सभा हुई और कामगारों को उकसाया गया कि वे प्रबन्धक वर्ग का समर्थन करने वाले लोगों को खतम कर दें। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। २१ दिसम्बर, १९७० को प्रातःकाल रुक-रुक कर सायरन बजने लगा और उसके तुरन्त बाद गोली चालन तथा आगजनी की घटनाएं हुईं। कारखाने तथा ग्रासिम के प्रबन्धकवर्ग के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्थानों के अतिरिक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यहां भी लूटमार तथा आगजनी शुरु हो गई। उनके अनुसार, उपद्रवकारियों का नेतृत्व श्री प्रावीसिंह, श्री चम्पालाल, श्री भगवान सिंह, श्री जीवनसिंह तथा पदमसिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने ग्रासिम मजदूर संघ के कार्यालय पर हमला किया और उसे आंशिक रूप से जला दिया। जागेराम तथा उसके भाई के आवास गृह में भी आग लगा दी गई। इसी दल के एक व्यक्ति श्री ताराचन्द मौर्य पर भी हमला किया गया और उसके आवासगृह को क्षति पहुंचाई। श्री कृष्णास्वामी तथा श्री वाय. एन. श्रीवास्तव को चोटें आईं और श्री कृष्णास्वामी को आवास गृह को लूट लिया तथा जला दिया। श्री जागेराम तथा श्री ताराचन्द ग्रासिम मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं तथा श्री कृष्णास्वामी उसके अध्यक्ष हैं। इस संघ के अनुसार कलेक्टर उज्जैन के साहसिक प्रयासों के कारण ही सभी संघ, प्रबंधक वर्ग और संघर्ष समिति के समर्थक एक स्थान पर एकत्र हो सके और मजदूरों में पुनः सामान्य स्थिति लाने और मिल को पुनः चालू करने का वातावरण निर्मित करने की अपील जारी करने के लिए सहमत हो सके। इस पक्षकार क्रमांक ६ ने स्पष्ट रूप से यह बतलाया कि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, श्री वहीद कुरेशी, श्री पदमसिंह यादव तथा उनके सहयोगी नागदा में हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों पर श्री गंगाराम तिवारी तत्कालीन श्रम मंत्री, की कृपा थी। उन्हें मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग का भी समर्थन प्राप्त था। इसके साथ ही इस पक्षकार के अनुसार प्रबंधक वर्ग ने अधिकांश कामगारों को विश्वास में लेने और उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया और बोनस के संबंध में एकपक्षीय घोषणा कर दी तथा वेतन श्रेणीकरण के संबंध में कोई घोषणा नहीं की। इस पक्षकार ने श्री पदमसिंह यादव के नाम का उल्लेख किया है जिसने वास्तव में आगजनी लूट-मार तथा मारपीट संबंधी कार्यवाही में भाग लिया है।

के दूसरे कारण यह थे कि जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषिध्द सीमाओं के भीतर सभा की घोषणा करने की तथा सभा करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी तभी श्री हुकुमचन्द्र कछवाह तथा श्रीमती उषा भाटिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस उत्तेजक स्थिति आदि का अन्य कारण श्री मन्डेलिया की पत्रकार वार्ता थी। इस पक्षकार के अनुसार इस घटना के गुरुतर होने का कारण यह भी था कि जब २१-१२-७० को एक ओर से श्री मांगीलाल शर्मा तथा श्रीमती उषा भाटिया (जब वे सायरन के बजने पर गेट पर आ गए थे) तथा दूसरी ओर सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट श्री बेग के बीच कहा सुनी हो गई थी तो श्री बेग क्रोधाभिभूत हो उठे थे और उन्होंने श्री मांगीलाल शर्मा को ठोकर मार दी थी। यहां लाठी चार्ज भी कराया गया था। मांगीलाल शर्मा तथा श्रीमती उषा भाटिया को चोटें आई थीं। संक्षेप में, इस पक्षकार का कहना है कि उत्तेजना की स्थिति प्रबन्धकवर्ग के कुछ कर्मचारियों व्दारा विशेष रूप से श्री वी॰ वी॰ द्रविड़ तथा उनके संघ के कार्यकर्ताओं व्दारा, कुछ शासकीय कर्मचारियों व्दारा, जिन्हें नागदा में नियुक्त किया गया था, तथा श्री मन्डेलिया के प्रेस वक्तव्य व्दारा पैदा हुई थी।

(पक्षकार क्र. ६)

१८. पक्षकार क्रमांक ६-ग्रासिम मजदूर संघ का कहना है कि १९७० का वर्ष अनेक समस्याओं के साथ आरम्भ हुआ, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या कामगारों के वेतन-श्रेणीकरण तथा बोनस की थी। इस पक्षकार के अनुसार प्रबंधक वर्ग ने वेतन-श्रेणीकरण संबंधी प्रथम प्रश्न के संबंध में विलम्बकारी और असमझौतावादी रूख अपनाया। प्रबंधकवर्ग ने यह संकेत दिया कि वेतन श्रेणीकरण संबंधी प्रश्न पर, कामगारों की संख्या में कटौती के प्रश्न के साथ विचार किया जाना चाहिए। बोनस संबंधी प्रश्न पर प्रबंधक वर्ग बोनस अधिनियम के उपबंधों के कारण अनिश्चित अवधि तक विलम्ब नहीं कर सका। इस पक्षकार ने आगे यह भी बताया कि हीरालाल शर्मा की अध्यक्षता वाले नागदा मिल मजदूर संघ के साथ किये गये किसी भी समझौते को समस्त कामगारों को समर्थन नहीं मिलेगा। यह भी बताया कि श्री हीरालाल शर्मा, श्री वहीद कुरेशी तथा श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी के कृपापात्र अन्य लोग यह चाहते थे कि केवल उन्हीं लोगों से परामर्श किया जाए। इन व्यक्तियों ने कामगारों पर अपना नेतृत्व लादने की दृष्टि से ग्रासिम श्रमिक संघ जो कि जनसंघ की नीतियों का अनुसरण करने वाला एक संघ है, के साथ एक संघर्ष समिति बनाई। उनका आगे यह भी कहना है कि श्री गंगाराम तिवारी, तत्कालीन श्रम मंत्री ने २१-११-७० को ग्रांड होटल उज्जैन में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में अपने आपको तथा अपने समूह को, संघर्ष समिति के जरिए इस आंदोलन को नियंत्रित करने का श्रेय दिया। शासकीय श्रम अधिकारी, उज्जैन ने संघर्ष समिति का खुले आम समर्थन किया। आगे यह भी बतलाया गया कि जिला प्रशासन ने बिड़लाग्राम, नागदा में दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ लगा दी है। उसने संघर्ष समिति व्दारा उसके उल्लंघन को नजरंदाज किया तथा प्रतिषिध्द क्षेत्र में बैठकें करने तथा प्रदर्शन करने की छूट दी। तथापि, जहां अन्य संघों का संबंध है, यह छूट उन्हें नहीं दी गई। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने संघर्ष समिति के एकपक्षीय प्रदर्शन के मार्ग को प्रशस्त किया। अतः स्थिति बिगड़ गई तथा ग्रासिम १२-१२-७० को बलात हड़ताल के शिकंजे में आ गया। उनका कहना है कि

प्रबन्धकवर्ग की आधिकारिक संघ को छोड़ अन्य श्रमिक संघों से बातचीत न करने की नीति पूर्ववत् बनी रही और परिणामों की चिंता किए बिना उसने स्टेपल फाइबर डिविजन के लिए तदर्थ तथा अनुग्रह भुगतान सहित कुल मिलाकर ३१ प्रतिशत बोनस, संबंधी प्रस्ताव का नोटिस १२-१२-७० को लगा दिया। २१ प्रतिशत बोनस के संबंध में १२-१२-७० के एकपक्षीय नोटिस में वेतन श्रेणीकरण संबंधी कोई घोषण नहीं की गई थी। चूंकि यह संघर्ष समिति द्वारा की गई मांग से कम था, इसलिए उसने हड़ताल का सहारा लिया, और इस संघर्ष समिति के कुछ लोग ग्रासिम में घुस गए और वहां कार्य कर रहे कामगारों को हड़ताल करने के लिए कहा। वहां की बिजली काट दी गई तथा हड़ताल आरंभ हो गई। ग्रासिम मजदूर संघ का यह भी कहना है कि हड़ताल आरम्भ हो जाने के बाद भी पुलिस ने न तो कोई पहल की और न संघर्ष समिति की गतिविधियों को दबाने संबंधी कोई प्रयास ही किए। श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री महत्तम दुबे, श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री पदमसिंह यादव, श्री बी. के. तिवारी तथा श्री पंचानन बारल संघर्ष समिति के निर्णयों की घोषणा उत्तेजनापूर्ण भाषणों के साथ करते थे। १८ दिसम्बर, १९७० को रेल्वे चम्बल पुल के नीचे एक आम सभा हुई और कामगारों को उकसाया गया कि वे प्रबन्धक वर्ग का समर्थन करने वाले लोगों को खतम कर दें। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। २१ दिसम्बर, १९७० को प्रातःकाल रुक-रुक कर सायरन बजने लगा और उसके तुरन्त बाद गोली चालन तथा आगजनी की घटनाएं हुईं। कारखाने तथा ग्रासिम के प्रबन्धकवर्ग के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्थानों के अतिरिक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यहां भी लूटमार तथा आगजनी शुरू हो गई। उनके अनुसार, उपद्रवकारियों का नेतृत्व श्री प्रावीसिंह, श्री चम्पालाल, श्री भगवान सिंह, श्री जीवनसिंह तथा पदमसिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने ग्रासिम मजदूर संघ के कार्यालय पर हमला किया और उसे आंशिक रूप से जला दिया। जागेराम तथा उसके भाई के आवास गृह में भी आग लगा दी गई। इसी दल के एक व्यक्ति श्री ताराचन्द मौर्य पर भी हमला किया गया और उसके आवासगृह को क्षति पहुंचाई। श्री कृष्णास्वामी तथा श्री वाय. एन. श्रीवास्तव को चोटें आईं और श्री कृष्णास्वामी को आवास गृह को लूट लिया तथा जला दिया। श्री जागेराम तथा श्री ताराचन्द ग्रासिम मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं तथा श्री कृष्णास्वामी उसके अध्यक्ष हैं। इस संघ के अनुसार कलेक्टर उज्जैन के साहसिक प्रयासों के कारण ही सभी संघ, प्रबंधक वर्ग और संघर्ष समिति के समर्थक एक स्थान पर एकत्र हो सके और मजदूरों से पुनः सामान्य स्थिति लाने और मिल को पुनः चालू करने का वातावरण निर्मित करने की अपील जारी करने के लिए सहमत हो सके। इस पक्षकार क्रमांक ६ ने स्पष्ट रूप से यह बतलाया कि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, श्री वहीद कुरेशी, श्री परमसिंह यादव तथा उनके सहयोगी नागदा में हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों पर श्री गंगाराम तिवारी तत्कालीन श्रम मंत्री, की कृपा थी। उन्हें मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग का भी समर्थन प्राप्त था। इसके साथ ही इस पक्षकार के अनुसार प्रबंधक वर्ग ने अधिकांश कामगारों को विश्वास में लेने और उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया और बोनस के संबंध में एकपक्षीय घोषणा कर दी तथा वेतन श्रेणीकरण के संबंध में कोई घोषणा नहीं की। इस पक्षकार ने श्री पदमसिंह यादव के नाम का उल्लेख किया है जिसने वास्तव में आगजनी लूट-मार तथा मारपीट संबंधी कार्यवाही में भाग लिया है।

पक्षकार क्र. ७

१९. अब हम पक्षकार क्र. ७ ग्रासिम मजदूर यूनियन के बयान को लेते हैं। इस पक्षकार के अनुसार संघर्ष समिति के नेताओं ने ही अपना मुहं छुपाने की दृषिट से धरना आरम्भ कर दिया तथा कारखाने में हिंसात्मक घटनाओं को प्रोत्साहन दिया इस पक्षकार के अनुसार, २१-१२-७० की घटना अचानक तथा अनपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए शासन जिम्मेदार था। यूनियन के बार-बार निवेदनों के प्रति श्रम विभाग ने उपेक्षा बरती। उसने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाएं तथा बोनस का एकपक्षीय नोटिस देने संबंधी प्रबंधकवर्ग का उत्तेजनापूर्ण कार्य तथा श्री मंडेलिया का समाचार पत्रों को दिया गया वक्तव्य ही २१-१२-७० की घटना के लिए जिम्मेदार था।

पक्षकार क्र. ८ तथा ९

२०. पक्षकार क्र. ८ तथा ९ श्रीमती भाटिया तथा श्री पंचानन बारल हैं। श्री पंचानन बारल के अनुसार इसमें भाग लेने वाले सभी लोग प्रबंधक वर्ग के व्यक्ति तथा उनके पिठ्ठू थे। २१-१२-७० को प्रबंधक वर्ग ने सायरन बजवाया और अधिकारियों ने आने वाले कामगारों को पीटना शुरू कर दिया। श्री बेग सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने, श्री मांगीलाल शर्मा को एक लात मारी और उन्होंने लाठी चार्ज आरम्भ करवा दिया। श्रीमती उषा भाटिया का कथन है कि प्रबंधक वर्ग लुग्दी की कमी को देख कर तथा उन पदाधिकारियों के साथ मिलकर उत्पादन बीमा से लाभ उठाना चाहता था, जो अपनी आवभगत के फलस्वरूप अपने प्राधिकार, प्रबंधक वर्ग को समर्पित कर चुके थे और श्री द्रविड़ के कुछ अनुयायी, जो प्रबंधक वर्ग की लालच में आ गए थे, इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। १७-१२-७० को प्रबंधक वर्ग ने द्रविड़ गुट की एक संघर्ष समिति का निर्माण किया और लगभग ३ बजे अपरान्ह में १५० व्यक्तियों का जलूस निकाला जो नागदा मंडी, बिड़ला ग्राम में घुस गया। इस जुलूस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के बावजूद नहीं रोका गया। संघर्ष समिति ने भी जुलूस निकालने की व्यवस्था कर ली थी और ३,००० कामगारों का एक जलूस अपरान्ह निकाला गया। इस जुलूस को पुलिस ने रोका। श्रीमती उषा भाटिया संघर्ष समिति के कुछ नेताओं के साथ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, श्री बेग से घटनास्थल पर मिलीं और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उनका कथन है कि द्रविड़ गुट की संघर्ष समिति को जुलूस निकालने तथा सभाएं करने की अनुमति थी, जबकि दूसरी संघर्ष समिति, जिसमें बहुत अधिक कामगार थे, को सभाएं करने से रोका गया। उसने श्री बेग को इस भेदभाव के संबंध में अवगत कराया।

(पक्षकार क्र. १० जिला-प्राधिकारी)

२१. इस प्रश्न के संबंध में जिला प्राधिकारियों पक्षकार क्र. १० का कथन है कि संघर्ष समिति, उसके नेता तथा उसके अनुयायी, उपद्रव भड़काने तथा उसमें भाग लेने तथा स्थिति को गुरूतर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उनका कथन है कि संघर्ष समिति ने विशेषकर ५-१२-७० की कथित सभा के बाद कामगारों के मन में बड़ी-बड़ी आशाएं बंधाई थीं। इस आशा पर प्रबंधक वर्ग के १२-१२-७० के एकपक्षीय निर्णय से तुषारापात हो गया जिसमें ३१ प्रतिशत

बोनस की घोषणा की गई थी। नेतृत्व तथा उनके अनुयायियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस दृष्टि से संघर्ष समिति ने ही आंदोलन को गतिशील बनाए रखा और २१-१२-७० को सामूहिक उल्लंघन का मार्ग अपनाया। उन्होंने शस्त्रागार को तथा गोलाबारूद लूट लिया।

विवेचन

२२. इस प्रकार इस जांच के दौरान भाग लेने वाले विभिन्न पक्षकारों के बयानों से हमें यह प्रतीत होता है कि उनके दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। कुछ लोग इस स्थिति के लिए केवल संघर्ष समिति के नेताओं को ही दोष देते हैं, अन्य लोग प्रबंधक वर्ग, पुलिस तथा उनके पिट्ठुओं को दोष देते हैं, जबकि पक्षकार क्रमांक ४ संघर्ष समिति का कहना है कि २१-१२-७० की घटना प्रबंधकवर्ग व्दारा अवांछित व्यक्तियों तथा गुण्डों को सेवा में रखने के फलस्वरूप हुई थी, जिनका संघर्ष समिति के शांतिपूर्ण आंदोलन में गड़वडी पैदा करने के लिए उपयोग किया गया था। उसका आगे कहना है कि प्रबन्धकवर्ग की पुलिस के साथ मिली-भगत थी और वे ऐसी स्थिति निर्मित करना चाहते थे जिसमें के साथ मिली-भगत थी और वे ऐसी स्थिति निर्मित करना चाहते थे जिसमें वे कामगारों को क्षति पहुंचाकर कामगारों की गतिविधियों को समाप्त करा सकें। प्रबंधक वर्ग तथा जिला प्रशासन को गोली चलाने का बहाना उस समय मिला जब उनके व्दारा किराए पर लिए गए अवांछित तत्वों ने पत्थर फेंकने तथा इमारतों को आग लगाने का दिखावा किया। उनका कहना है कि कामगारों को छुरे के घाव लगे हैं। इससे पता लगता है कि वहां अवांछित तत्व तथा उनके पिट्ठू मौजूद थे। प्रबंधक वर्ग ने इन विषयों पर संघर्ष समिति से चर्चा को टाला और यह भी इस उपद्रव का एक कारण था। संक्षेप में संघर्ष समिति के सुझाव स्वीकार नहीं किए गए और संघर्ष समिति की गतिविधियों को कुचलने की दृष्टि से, यह प्रबंधकवर्ग का दिखावा मात्र था। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति का सही सही मूल्यांकन किए विना प्रबंधकवर्ग के इशारे पर, निर्दयतापूर्वक कार्यवाही की।

२३. मैंने ऊपर इस जांच के संबंध में विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न वक्तव्यों का उल्लेख किया है, जिनमें उनने यह बताया है कि कौन से व्यक्ति इस उपद्रव को भड़काने तथा उसमें भाग लेने के लिए तथा स्थिति को गुरूतर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार कुछ पक्षकारों का, जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, यह मत है कि इस उपद्रव में भाग लेने वाले संघर्ष समिति के सदस्य तथा नेता थे। इसमें प्रबंधकवर्ग तथा जिला प्राधिकारी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य श्रमिक पक्षकार भी इस मत के हैं। वे पक्षकार क्र. ६ तथा ७ हैं, अर्थात् ग्रासिम मजदूर संघ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन। अन्य पक्षकार अर्थात् क्रमांक २, ३, ५, ८, ९ अर्थात् इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, ग्रासिम श्रमिक संघ, नागदा मिल मजदूर संघ तथा व्यक्तियों में श्री पंचानन बारल तथा श्रीमती उषा भाटिया ने प्रबंधक वर्ग तथा पुलिस के पिट्ठुओं को दोषी ठहराया है। अब हमें यह देखना है कि क्या इन पक्षकारों के इन आरोपों की पुष्टि में कोई साक्ष्य है कि प्रबंधकवर्ग, पुलिस तथा उनके पिट्ठू इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। प्रबंधकवर्ग, पुलिस तथा उनके पिट्ठुओं को जिम्मेदार ठहराने वाले न तो इन पक्षकारों व्दारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्षकार क्रमांक

४ अर्थात् संघर्ष समिति व्दारा ही वक्तव्य मात्र देने के अतिरिक्त इन आरोपों को सिध्द करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है इसलिए हमें इस बात का पता लगाना है कि क्या हम उन पक्षकारों व्दारा परीक्षित गवाहों के आधार पर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं जिन्होंने संघर्ष समिति तथा विद्यमान स्थिति को दोषी ठहराया है। इस सुझाव को कि यह प्रबंधकवर्ग की कारस्तानी है तथा उसने ऐसी स्थिति निर्मित की, केवल कल्पना की उड़ान मात्र कहा जा सकता है। संपत्ति तथा व्यक्तियों को पहुंचने वाली हानि और साथ ही छोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों के जीवन के खतरे का न तो अंदाजा लगाया जा सकता है और न कल्पना की जा सकती है। न केवल शस्त्रागार को लूटा गया था अपितु अधिकांश लूटे गए अस्त्र संघर्ष समिति के सदस्यों के पास मिले थे जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने इस स्थिति में सक्रिय भाग लिया था। यह निराधार आरोप लगाने के अलावा कि इसमें भाड़े के टट्टू थे, किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया कि वे लोग कौन थे। किशोरीलाल (१ अ.ग. १८) ने उन व्यक्तियों के नाम बतलाए हैं जिन्होंने इस उपद्रव में वस्तुतः भाग लिया था। इस संबंध में एक सूची दी गई है जो प्रदर्श २-पी २० है। किसी भी व्यक्ति ने इन व्यक्तियों को प्रबंधकवर्ग के भाड़े के टट्टू नहीं बताया है। श्री बेग, श्री बिजेन्द्रसिंह, श्री पाहूजा के भी साक्ष्य हैं जिन्होंने इसमें भाग लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है।

२४· इस शीर्षक के अधीन विनिश्चित किए जाने वाले प्रश्न तीन हैं:—

(१) उपद्रव भड़काने वाले व्यक्ति, (२) भाग लेने वाले व्यक्ति तथा (३) स्थिति को गुरुतर बनाने वाले व्यक्ति। वस्तुतः भाग लेने वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। ये नाम पुलिस अधिकारियों तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट एवं प्रत्यक्ष गवाहों के बयानों से लिए गए हैं। उनके व्दारा दी गई व्यक्तियों की सूची, जो मैं अभी बतलाऊंगा, संघर्ष समिति तथा इसी विचारधारा के अन्य पक्षकारों के विवरण के अनुसार नहीं है, कि वे लोग प्रबंधकवर्ग तथा पुलिस के भाड़े के टट्टू हैं। उन गवाहों से जिन्होंने नामों का उल्लेख किया है, न तो कोई प्रश्न किए गए और न ही ऐसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि वे लोग भाड़े के टट्टू थे। अतः मैं निस्संदेह रूप से यह कह सकता हूं कि ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ये नाम संक्षेप में साक्ष्य सहित नीचे दिए जाते हैं।

भाग लेने वाले व्यक्ति

(१) **श्री जीतेन्द्र गोथरवाल**·—श्री रामसिंह (१ अ· ग· ३), श्री बलवन्त सिंह (१ अ· ग· ८) तथा करणसिंह (१ अ· ग· ६) ने बताया कि वह एक कुप्पी से बिड़ला हाउस पर पेंट्रोल छिड़क रहा था। (१ अ· ग· ६) ने यह भी बताया कि वह ६-११-७० को एक सभा में उपस्थित हुआ और उसने भाषण भी दिया। श्री रामवीरसिंह का (१ अ· ग· १८) का कहना है कि वह ६-११-७० को नागदा में एक सभा में उपस्थित हुआ था और २२-११-७० को उज्जैन में भी। उसके विरुध्द यह साक्ष्य भी दिया गया है कि वह वही व्यक्ति है जो कार्यालय में प्रविष्ट हुआ था और उसने श्री धारीवाल

कारखाना प्रबंधक को घसीटने के लिए कामगारों को उकसाया था। उसके कहने पर श्री कैलाश कप्तान श्री हानुमान प्रसाद तथा अन्य व्यक्ति ७-११-७० को कार्यालय में घुस गए। श्री किशोरीलाल (१ अ. ग. १६) ने भी बतलाया कि उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन कर तारीख १६-१२-७० को एक सभा में भाषण दिया। उसके कहने पर एक बन्दूक जब्त की गई थी जो हमें प्रदर्श १-पी २२७ मालूम होती है। श्री बिजेन्द्रसिंह (१०-अ. ग. ३२) थानेदार ने बतलाया कि उसने जल प्रशीतन यंत्र से पुलिस बल पर एक भरी हुई बन्दूक से गोली, चलाई थी। श्री राजाराम रावत (१०-अ. ग. १) ने इस साक्ष्य का समर्थन किया है।

(२) **श्री महत्तम दुबे**.—उसने तारीख २१-१२-७० को एक भीड़ का नेतृत्व किया और श्री ओबेराय के सिर पर सरिए से प्रहार किया और वह मर गया। श्री सतीश कुमार मीना (१ अ. गवाह ५) ने उसे हथियारों से लैस तथा नारे लगाते हुए बिजली घर के फाटक पर देखा। उसने यह भी बताया कि महत्तम दुबे सुरक्षा कार्यालय में घुसा तथा श्री कुन्दनमल जैन को बाहर घसीटा और उस पर प्रहार किया। श्री कुन्दनमल (१-अ. ग. ७) ने भी यह कहा कि उसने बिजलीघर के फाटक पर जीप को जलाने के लिए लोगों को उत्तेजित किया। श्री बंसीलाल (१-अ. ग. १२) का कथन है कि वह एक भीड़ के साथ श्री गंगाराम तिवारी से उज्जैन में मिला था। पक्षकार क्र. १० की ओर से श्री राजाराम (१०-अ. ग. १) उप पुलिस अधीक्षक, ने कहा है कि वह दि· १२-१२-७० को बिजलीघर फाटक पर देखा गया था।

(३). **श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**.—उसने एक सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व किया तथा रामावतार सोडानी तथा ओबेराय का अनुसरण किया, जैसा कि स्वयं सोडानी (१-अ· ग· १) व्दारा बताया गया है। श्री कुन्दनमल जैन (१-अ· ग· ७) का कहना है कि उसने बिजलीघर के फाटक पर जीप को उलट दिया तथा उसे जला दिया। यही वह व्यक्ति था, जो दि. ११-११-७० को श्री धारीवाल के कार्यालय में घुसा था। उसने नारे लगाए तथा आजाद चौक में एक सभा को सम्बोधित किया।

(४) **श्री कैलाश कप्तान**·—वह दि· २१-१२-७० को एक भीड़ को बिड़ला हाउस की ओर ले गया तथा श्री रामसिंह (१-अ. ग. ३) से बंदूक छीन ली और भीड़ को बलवन्तसिंह की ओर इंगित किया। श्री सतीशकुमार मीना (१-अ. ग. ५) के कथनानुसार उसने दि· २१-१२-७० को बिजलीघर के फाटक पर नारे लगाती हुई एक भीड़ एकत्रित की। वह सुरक्षा कार्यालय में भी घुसा, श्री कुन्दनमल जैन को पीटा और एक बन्दूक छीन ली। श्री करनसिंह (१-अ· ग· ६) के कथनानुसार वह बिड़ला हाउस पर एक भीड़ में हथियारों से लैस तथा लूटते हुआ देखा गया। वह दि· ११-११-७० को श्री धारीवाल के प्रशासनिक कार्यालय में भी घुसा था। श्री कैलाश सिंह (१-अ· ग· ११) ने उसके व्दारा नारे लगाए जाने का उल्लेख किया है। उसने दि· ७-११-७० को श्री किशोरीलाल को भी पकड़ा था। वह दि· २२-११-७० को उज्जैन में एक सभा में उपस्थित हुआ था।

(५) **श्री प्रभुसिंह राठौर**. —वह दि. २१-१२-७० को बिड़ला हाउस पर भीड़ के साथ था तथा उसने श्री रामसिंह (१-अ॰ ग॰ ३) से गोला-बारूद छीनी थी। वह नारे लगाती हुई एक सशस्त्र भीड़ के साथ बिजली घर के फाटक पर तथा सुरक्षा कार्यालय आया जैसा कि श्री रामावतार सोड़ानी (१-अ॰ ग॰ १) ने बताया। श्री सतीश कुमार मीना (१-अ॰ ग॰५) ने भी यह बताया कि वह बिजली घर के फाटक पर आया था तथा उसने "मिल का कब्जा कर दो, स्टाफ के आदमियों को अन्दर मत जाने दो" कहते हुए नारे लगाए। बिजली घर के फाटक के सामने जीप में आग लगा दी गई तथा उसने उसमें भाग लिया, जैसाकि श्री कुन्दनमल (१-अ. ग. ७) व्दारा बताया गया। श्री बिजेन्द्रसिंह थाना अधिकारी के कथनानुसार उसे गैरेज-चौराहे पर पाइप लिए भीड़ में देखा गया। उसने एक १२ बोर बन्दूक के संबंध में भी सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप वह जब्त की गई थी। श्री मलूक सिंह (१-अ॰ ग॰ २४) ने उसके कार्यों तथा बन्दूक बरामद होने का उल्लेख किया है।

(६) **श्री दामोदर दुबे**. —श्री सोडानी (१-अ. ग. १) का कहना है कि उसने दि. २१-१२-७० को एक सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व किया तथा श्री महत्तम दुबे को सरिया से प्रहार करने के लिए उकसाया। वह सशस्त्र था तथा श्री सतीशकुमार मीना (१-अ॰ ग॰ ५) व्दारा स्पष्ट रूप से देखा गया था। वह एक भीड़ के साथ हथियारों से लैस होकर टाइम आफिस तथा श्रम कार्यालय भी गया था। श्री कुन्दनमल जैन (१-अ॰ ग॰ ७) ने उसके कार्यों का उल्लेख किया है।

(७) **श्री राजेन्द्र बुन्देला**. —उसने एक सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व करते हुए ओबेराय का पीछा किया तथा रामावतार सोड़ानी (१-अ॰ ग॰ १) को पीटा, जैसा कि इस गवाह ने अपने साक्ष्य में बताया है। श्री रामसिंह (१-अ॰ ग॰ ३) ने भी भीड़ में उसके उपस्थित होने का उल्लेख किया है। वह बिजली घर के फाटक पर श्री सतीशकुमार (१-अ. ग. ५) व्दारा देखा गया था। वह सशस्त्र अवस्था में सुरक्षा कार्यालय भी गया था। श्री छतरसिंह (१-अ॰ ग॰ ६) ने उसके नाम का उल्लेख किया है। श्री बलवन्त सिंह (१-अ. ग. ८) के अनुसार वह बिड़ला हाउस पर एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए गया था। वह दि॰ २२-११-७० को एक भीड़ में उज्जैन आया। श्री दीघे (१०-अ. ग. २०) के अनुसार उसके व्दारा दी गई सूचना के आधार पर एक १२ बोर रायफल बरामद की गई। श्री बिजेन्द्र सिंह (१०-अ. ग. ३२) का भी कहना है कि उसे एक बन्दूक से लैस जल प्रशीतन संयंत्र पर पुलिस पर गोली चलाते हुए देखा गया।

(८) **श्री राजेन्द्र शर्मा**—श्री सोड़ानी (१-अ॰ ग॰ १) के अनुसार वह दिनांक २१-१२-७० को भीड़ में सशस्त्र था तथा उसने श्री ओबेराय का पीछा किया एवं रामावतार सोडानी को पीटा।

(९) **श्री सुन्दरलाल पाली**—उसे बिड़ला हाउस में एक भीड़ ने श्री रामसिंह (१-अ.ग. ३), श्री बलवन्त सिंह (१-अ.ग. ८) तथा श्री करण सिंह (१-अ.ग॰ ९) व्दारा देखा गया। आरिफ मोहम्मद कुरेशी (१०-अ॰ ग॰ २५) के कथनानुसार उसकी सूचना पर दिनांक २१-१२-७० को एक १२ बोर बन्दूक जब्त की गई थी।

(१०) **श्री ठगई प्रसाद**—दिनांक २१-१२-७० को वह हथियारबन्द होकर बिड़ला हाउस आया। श्री रामसिंह (१-अ॰ग॰३) और श्री बलवन्त सिंह (१-अ॰ ग॰ ८) ने उसे देखा था। श्री सतीश कुमार मीना (१-अ॰ ग॰ ५) ने भी उसे पावर हाउस गेट पर हथियार बन्द देखा था। इस गवाह ने यह भी बताया कि यह सुरक्षा कार्यालय में घुसा तथा उसने कुन्दनमल को पीटा। उसके साक्ष्य की श्री कुन्दनमल जैन (१-अ॰ ग॰ ७) ने पुष्टि की है। उसके व्दारा दी गई जानकारी के आधार पर बंदूक बरामद की गई है, जो प्रदर्श १-पी॰२३६ के अनुसार है और यह बन्दूक श्री मलूक सिंह (१०-अ.ग. २४) के बयान के अनुसार २४-१-७१ को जब्त की गई थी।

(११) **श्री बल्लीप्रसाद**—इसे २१-१२-७० को पावर हाउस गेट पर नारे लगाती हुई हथियार बन्द भीड़ में श्री सतीश कुमार मीना (१-अ॰ ग॰ ५) व्दारा देखा गया, उसे रामसिंह (१-अ॰ग॰३) तथा श्री करण सिंह (१-अ॰ग॰ ६) व्दारा भी बिड़ला हाउस में हथियार बन्द भीड़ में भी देखा गया।

(१२) **श्री भगवान सिंह**—उसे श्री रामसिंह (१-अ॰ ग॰ ३) व्दारा हथियार बन्द होकर बिड़ला हाउस की ओर आते हुए देखा गया।

(१३) **श्री रामधारी**—श्री करणसिंह (१-अ॰ ग॰ ६) व्दारा बताये अनुसार इसे २१-१२-७० को हथियार बन्द भीड़ में बिड़ला हाउस में देखा गया। श्री देवी सिंह (१०-अ.ग. १८) व्दारा बताये अनुसार श्री जागेराम तथा श्री गोपीराम का घर लूटने के संबंध में उस पर मुकदमा चलाया गया है। वह भयप्रद मुद्रा में मशाल लेकर बिड़ला हाउस की ओर बढ़ा। श्री पाहूजा (१०-अ.ग. २७) व्दारा बताये अनुसार बिड़ला हाउस पर पुलिस व्दारा किये गये गोली चालन में वह जख्मी हुआ।

(१४) **श्री रामअवध**—वह २१-१२-७० को बिड़ला हाउस की एक भीड़ में था और उसने एक साइकिल लूटी। उसकी सूचना के आधार पर वह जब्त की गई (प्रदर्श-१पी. २७३ तथा प्रदर्श-१ पी. २७४)।

(१५) **श्री समरोज खां**—उसे करणसिंह (१-अ॰ ग॰ ६) व्दारा बिड़ला हाउस में हथियार बन्द भीड़ में देखा गया। उसके अनुरोध पर जब्ती ज्ञाप प्रदर्श १-पी॰ २७१ के अनुसार बी॰ एच॰ (बिड़ला हाउस दर्शाने वाले) शब्द खुदे हुए स्टील का बर्तन भी जब्त किया गया।

(१६) **श्री दयाल सिंह**—उसे करणसिंह (१-अ॰ ग॰ ६) व्दारा २१-१२-७० को हथियार बन्द भीड़ के साथ बिड़ला हाउस पर देखा गया।

(१७) **श्री हरबंस सिंह**—श्री सतीश मीना (१-अ॰ ग॰ ५) ने उसे नारे लगाते हुए हथियार बन्द भीड़ के साथ पावर हाउस पर देखा। उसने यह भी कहा कि वह उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने बन्दूकें लूटीं। श्री बलवंत सिंह (१-अ.ग. ८) और श्री कुंदनसिंह (१-अ.ग. ६) ने भी उसे बिड़ला हाउस में हथियार बन्द भीड़ में देखा था।

(१८) **श्री केशरीसिंह**—श्री सतीश मीना (१-अ॰ ग॰ ५) ने उसे नारे लगाती हुई हथियार बन्द भीड़ के साथ पावर हाउस गेट पर देखा था। उसे २१-१२-७० को शस्त्रागार का ताला तोड़ते हुए भी देखा गया। श्री किशोरीलाल (१-अ.ग. १६) का कथन है कि इसने १७-११-७० को नागदा स्थित कारखाने के अन्दर एक सभा को संबोधित किया था।

(१६) **श्रीमती ऊषा भाटिया**—वह उन कार्यवाहियों की एक पक्षकार हैं और उन्होंने अपना प्रविवरण प्रस्तुत किया है, से नारे लगाते हुए श्री सतीश मीना व्दारा २१-१२-७० को पावर हाउस गेट पर देखा गया। श्री रामवीर सिंह (१-अ॰ ग॰ १८) के अनुसार वह उज्जैन में २२-११-७० की सभा में भी उपस्थित थीं। उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था।

(२०) **श्री मांगीलाल शर्मा**—श्री कैलाश सिंह (१-अ॰ ग॰ ११) ने ११-११-७० को उसे प्रशासनिक कार्यालय में घुसते हुए देखा था। उसने ६-११-७० को एक सभा को सम्बोधित किया था। श्री रामवीर सिंह (१-अ.ग. १८) ने इसकी पुष्टि की है। श्री किशोरीलाल (१-अ.ग. १६) के अनुसार यह भी उन व्यक्तियों में था, जिन्होंने प्रशासनिक कार्यालय के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया था, जहां दिनांक ११-११-७० को श्री धारीवाल, फेक्ट्री मैनेजर के कार्यरत होने की आशा थी। श्री सतीश कुमार मीना (१-अ॰ग॰ ५) के अनुसार उसे नारे लगाती हुई हथियार बन्द भीड़ के साथ पावर हाउस गेट पर भी देखा गया था।

(२१) **श्री प्रभुसिंह शेखावत**—श्री कुन्दनमल जैन (१-अ॰ ग॰ ७) ने उसे सुरक्षा कार्यालय में घुसते हुये देखा था।

(२२) **श्री पंचानन बारल**—यह पक्षकार क्र॰ ८ के रूप में इस आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा अपना बयान प्रस्तुत किया है। श्री रणवीरसिंह (१-अ॰ ग॰ १८) के अनुसार वह २२-११-७० को उज्जैन की सभा में उपस्थित था। उसे १२-१२-७० को पावर हाउस के कामगारों को उस समय, संकेत देते हुये भी देखा गया जबकि पावर हाउस का काम बन्द हो गया था। श्री विजेन्द्र सिंह (१०-अ.ग. ३२) ने उसके कार्यों के बारे में बताया है।

(२३) **श्री व्ही टी पटवर्धन**—कुन्दनमल (१-अ॰ ग॰ ७) ने २१-१२-७० को उसे सुरक्षा कार्यालय में घुसते हुए देखा था।

(२४) **श्री के व्ही मुले**—श्री किशोरीलाल (१-अ॰ ग॰ १६) ने उसे प्रशासनिक कार्यालय में घुसते हुए देखा था। उसे श्री कुन्दनमल (१-अ.ग. ७) व्दारा हथियार बन्द भीड़ के साथ पावर हाउस गेट पर भी देखा गया।

(२५) **श्री प्रताप शिवाजी)२६(श्री आर सी लाल**—श्री कुन्दनमल जैन (१-अ.ग. ७) के अनुसार उन्हें भीड़ के साथ सुरक्षा कार्यालय में घुसते हुए देखा गया।

(२७) **श्री सागरमल गुप्ता**—इस मामले में दुर्भाग्य ने उसे फंसा दिया। श्री बिजेन्द्र सिंह (१०-अ.ग. ३२) के अनुसार उसने जल प्रशीतन संयंत्र से पुलिस दल पर गोली चलाई। वह सुरक्षा कार्यालय में घुसा और कुन्दनमल (१-अ.ग. ७) को पीटा। कुन्दनमल ने उसे शस्त्रागार का ताला तोड़ते हुए तथा बन्दूक लूटते हुए भी देखा।

(२८) **श्री राजेन्द्र दुबे**—श्री कुन्दनमल जैन (१-अ॰ ग॰ ७) ने उसे शस्त्रागार का ताला तोड़ते हुए, जीप उलटाते तथा उसमें आग लगाते हुए देखा था।

(२९) **श्री गणेश दुबे**—श्री कुन्दनमल (१-अ॰ ग॰ ७) के अनुसार वह भीड़ के साथ सुरक्षा कार्यालय में घुसते हुए देखा गया। श्री रामवीर सिंह (१-अ.ग. १८) ने बताया कि वह २२-११-७० को उज्जैन की सभा में भी उपस्थित था।

(३०) **श्री बी के तिवारी**—श्री सतीश मीना (१-अ॰ ग॰ ५) के अनुसार उसने २१-१२-७० को सायरन बजाया। श्री रामवीर सिंह (१-अ॰ ग॰ १८) ने बताया कि वह २२-११-७० को उज्जैन की सभा में भी उपस्थित था। वह ५-१२-७० को भूख हड़ताल पर भी बैठा था। उसे १९-११-७० को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के उल्लंघन स्वरूप गिरफ्तार किया गया था। उसकी भूख हड़ताल पावर हाउस गेट पर ५-१२-७० से १२-१२-७० तक चलती रही। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री बेग (१०-अ.ग. १४) तथा श्री राजाराम (१०-अ.ग. १) ने इस आचरण की पुष्टि की है।

(३१) **श्री हादी हुसैन**—वह २२-११-७० को उज्जैन की सभा में उपस्थित था और १७-११-७० को उसने नागदा में कारखाने के अन्दर एक सभा को सम्बोधित भी किया था जैसा कि श्री किशोरीलाल (१-अ.ग १९) ने बताया है।

(३२) **श्री सोहनलाल, (३३) श्री शिवधानी तथा (३४) श्री भेरू**—श्री कुन्दन-मल (१-अ॰ ग॰ ७) के अनुसार ये लोग सशस्त्र भीड़ के साथ सुरक्षा कार्यालय में घुस गए थे।

(३५) **श्री रामआश्रय**—श्री बलवंत सिंह (१-अ॰ ग॰ ८) तथा श्री करणसिंह (१-अ.ग. ९) के अनुसार जब वह बिड़ला हाउस सशस्त्र भीड़ के साथ गया था तो उसे गोली लगी थी।

(३६) **श्री बैजनाथ, (३७) श्री नानूराम, (३८) श्री रामकुमार, (३९) श्री अहमद (४०) श्री गोवर्धन तथा (४१) श्री बाली**—ललित पाण्डे (१-अ॰ ग॰ १०) के अनुसार ये लोग १२-१२-७० को स्पेंटल फाइबर डिविजन में जबरदस्ती घुस गए थे। श्री बैजनाथ के खिलाफ श्री रामबीर सिंह (१-अ.ग. ८) की भी गवाह है कि वह २२-११-७० को उज्जैन की सभा में उपस्थित था।

(४२) **श्री अयोध्या प्रसाद.**—श्री अब्दे अली (१-अ. ग. १७) के अनुसार जो कि ग्रासिम का अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी था, श्री अयोध्या प्रसाद ने

उसे उस समय पकड़ लिया था जबकि भीड़ उसके निवास स्थान की ओर नारे लगाते हुए आई थी तथा सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी।

(४३) **श्री जुम्मन खां,** (४४) **श्री सरबन चन्द,** (४५) **श्री हीरालाल खेतन**.—श्री रामवीर सिंह (१-अ. ग. १८) ने इन व्यक्तियों को २२-११-७० को उज्जैन की सभा में उपस्थित होते देखा था।

(४६) **श्री सुरेन्द्र जैन**·—उसने श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (१-अ· ग· २९) स्टेपल फायबर डिविजन के एक्जेक्यूटिव मैनेजर को १८-१२-७० को पीटा था।

(४७) **हुकुम चन्द कछवा,** (४८) **श्री कोमलसिंह परिहार,** (४९) **श्री लालूराम नाई,** (५०) **श्री एम. एन. कुरैशी,** (५१) **श्री अनिल कुमार गुप्ता,** (५२) **श्री चन्द्रभान गुप्ता,** (५३) **श्री आर. सी. शर्मा,** (५४) **श्री महेश कुमार,** (५५) **श्री छोटालाल तथा** (५६) **श्री चम्पालाल**·—श्री राजाराम रावत (१०-अ· ग· १) का साक्ष्य यह है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किए गए थे। ऐसा समझा जाता है कि अभियोजन श्री जागेराम तथा श्री गोपीराम के घरों को लूटने के अपराध के संबंध में था। हमें संगत साक्ष्य श्री देवीसिंह (१०- अ. ग. १८) से मिलता है।

२५· मैंने ऊपर उन व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जिन्होंने उपद्रव में भाग लिया था तथा प्रत्येक के विरुध्द साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण दिया है, ऐसे कतिपय व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ केवल यह साक्ष्य उपलब्ध है कि वे सभाओं में उपस्थित थे। केवल इसी से यह प्रतीत नहीं होता कि उपद्रव में किसी प्रकार से भाग लिया गया था। किन्तु उससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग वे व्यक्ति थे जिन्होंने बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण की मांग के लिए आन्दोलन में भाग लिया था। उपर्युक्त अल्प साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो केवल सभाओं में भाग लेने तथा, मांगें प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि खुल्लम-खुल्ला कुछ ऐसे कार्य तथा गतिविधियां की हैं, जिनका उद्देश्य स्थिति को बिगाड़ना था और अंततः जिसके परिणामस्वरूप २१-१२-१९७० की दुर्घटना हो गई।

भड़काना

२६·—अन्य दो प्रश्न उन व्यक्तियों से संबंधित है, जिन्होंने आंदोलन को भड़काया तथा गुरुतर बनाया। जहां तक आन्दोलन को भड़काने का संबंध है अधिकांश व्यक्तियों ने (श्री बृजेन्द्रसिंह १-अ· ग· ३२ का साक्ष्य देखिए) भड़काने की कार्यवाही स्थल पर ही की। किन्तु भड़काने संबंधी कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। भड़काने का कार्य कामगारों को अधिक बोनस की मांग करने, अधिक वेतन श्रेणियों की मांग करने और फिर कामगारों को हड़ताल करने के लिए उकसा कर किया जा सकता है। यह सब २१ तारीख के पूर्व हो गया। वास्तव में, जिन व्यक्तियों को १-अ· ग· ३२ श्री बिजेन्द्र सिंह व्दारा स्थल विशेष पर भड़काने वाले व्यक्तियों के रूप में बताया गया है। वे सभाओं में भाषण दिया करते थे और कामगारों को यह कहते थे कि पूर्व के वर्षों में उन्हें बोनस मिला था और उन्हें यह देखना चाहिए कि चालू वर्ष में भी उन्हें उसी प्रकार

बोनस मिलता है। ये तथाकथित नेतागण कामगारों को यह भी कह रहे थे कि अन्य यूनियनें प्रबंधक वर्ग की पिछलग्गू हैं। इसलिये श्रीमती उषा भाटिया, श्री हनुमान प्रसाद, श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री राजेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री बी॰ के॰ तिवारी, श्री कैलाश कप्तान तथा श्री पी॰ बारल को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व में भड़काने का कार्य किया था।

स्थिति को गुरुतर बनाना

२७॰ स्थिति को गुरुतर बनाने के संबंध में यह कहा गया कि प्रबंधकों ने स्टेपल फाइबर डिविजन के कर्मचारियों को ३१ प्रतिशत और इंजीनियरिंग डिविजन के कर्मचारियों को २४.५ प्रतिशत बोनस देने में भेदभाव किया। यह कहा गया कि यह विभेद उचित नहीं था और इसीलिये अशान्ति फैली। निसंदेह एक ही नियोजन के अधीन कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए तो अशान्ति फैलने की सम्भावना रहती है। किन्तु यदि हम दोनों अनुभागों के गठन की ओर ध्यान दें तो यह विभेद न्यायोचित लगता है। लाभांश अधिनियम (बोनस एक्ट) की धारा ३, जो निम्नानुसार है, का अवलोकन किया जावे: —

> ''जहां किसी स्थापना में विभिन्न विभाग या उपक्रम या शाखायें हों, चाहे वे उसी स्थान या विभिन्न स्थानों में स्थित हों, वहां सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखायें इस अधिनियम के अधीन बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिये उसी स्थापना के अंग माने जायेंगे:
>
> किन्तु जहां किसी लेखांकन वर्ष के लिए ऐसे किसी विभाग या उपक्रम या शाखा के सम्बन्ध में कोई पृथक तुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखा तैयार किया गया हो और रखा गया हो, वहां ऐसा विभाग या उपक्रम या शाखा उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन बोनस की संगणना के लिए पृथक स्थापना मानी जायेगी, किन्तु उस स्थिति को छोड़ जब कि ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा को वह लेखांकन वर्ष प्रारम्भ होने के, तत्काल पूर्व बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थापना के भाग के रूप में माना जाता हो।''

यदि हम सावधानीपूर्वक इस धारा का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यदि किसी स्थापना में विभिन्न विभाग, उपक्रम या शाखायें हों और केवल एक तुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखा तैयार किया जाता हो तो बोनस की संगणना सभी को उसी स्थापना के भाग मान कर की जाएगी। यदि किसी मामले में किसी स्थापना में विभिन्न विभाग उपक्रम या शाखायें हों तो उस स्थिति में प्रत्येक उपक्रम, विभाग या शाखा, को बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए पृथक स्थापना के रूप में माना जायेगा, जबकि संबंधित लेखांकन वर्ष के लिए पृथक तुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखा तैयार किया गया हो। इन दोनों अनुभागों अर्थात् इंजीनियरिंग डिविजन तथा स्टेपल फाइबर डिविजन के अलग-अलग तुलन-पत्र

तथा लाभ-हानि लेखे हैं। केवल इतना ही नहीं वरन ये दोनों विभाग कारखाना अधिनियम के अधीन पृथक रूप से पंजीयित हैं। इसलिये, विभिन्न स्थापनाओं के लिए लाभ तथा हानि भी अलग-अलग होगी तथा बोनस मंजूर करते समय एक विभाग के कर्मचारी उस समय निश्चित रूप से आक्रोश व्यक्त करेंगे जबकि उन्हें अपने विभाग के लाभ तथा हानि लेखा के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता किन्तु दूसरी स्थापना के बराबर भुगतान किया जाता है, भले ही वहां कम लाभ हुआ हो। अतएव कामगारों को संतुष्ट करने के बजाय यह उपद्रव का एक अन्य कारण बन जाएगा। वस्तुतः यह माना हुआ तथ्य है कि इंजीनियरिंग डिविजन ने अधिक लाभ अर्जित नहीं किया। इसलिये, इंजीनियरिंग डिविजन के कर्मचारी स्टेपल फाइबर डिविजन के कर्मचारियों के बराबर बोनस पाने का दावा बिलकुल नहीं कर सकते थे। तथापि, यह एक दूसरा प्रश्न होता यदि स्टेपल फाइबर डिविजन अधिक बोनस की मांग करता क्योंकि इंजीनियरिंग डिविजन, जिसने अधिक लाभ अर्जित नहीं किया था, बोनस के रूप में २४.५ प्रतिशत प्राप्त कर रहा था। किन्तु किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। स्टेपल फाइबर डिविजन ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। इस तथ्य का कोई आधार नहीं है और यह मात्र अंदेशा है। आयोजित अनेक सभाओं में इस विषय पर कोई चर्चा तक नहीं की गई।

नोटिस तथा बैठकें

२८. अब हम ३१ प्रतिशत बोनस देने सम्बन्धी ता. १२-१२-७० के अभिकथित एकपक्षीय नोटिस देने के प्रश्न पर विचार करेंगे। इस प्रश्न के संबंध में यह आरोप है कि ३५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत बोनस देने का 'शिष्ट समझौता' हुआ था जिसे प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने तारीख ६-१२-७० को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया था। इस संबंध में श्री दुबे (१-अ. ग. २), उप श्रमायुक्त के साक्ष्य का अवलोकन किया जा सकता है। हमें उनके साक्ष्य से यह पता चलता है कि नवम्बर १९७० से प्रारंभ हुई विभिन्न बैठकों में क्या हुआ। श्री दुबे के अनुसार १४-११-७० को कामगारों तथा प्रबंधकों की एक संयुक्त बैठक हुई थी। नागदा मिल मजदूर संघ को छोड़ बैठक में सभी संघों के प्रतिनिधि थे। ग्रासिम मजदूर संघ के श्री द्रोणकर भी उपस्थित थे। तीनों संघों ने तीन विभिन्न मात्राओं में बोनस की मांग की। ग्रासिम मजदूर यूनियन ने मजदूरी के ८५ प्रतिशत बोनस की मांग की, ग्रासिम मजदूर संघ ने लाभ के ५० प्रतिशत बोनस की मांग की ग्रासिम संघर्ष समिति (पक्षकार क्र. ४) की ओर से ग्रासिम श्रमिक संघ ने ४५ प्रतिशत बोनस की मांग की। उस बैठक में वेतन श्रेणियों के पुनरीक्षण के विषय में भी चर्चा हुई। प्रबंधक वर्ग मांगों का आधार जानना चाहता था। प्रबंधक-वर्ग राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सिफारिशों के आधार पर वेतन श्रेणियों का पुनरीक्षण चाहता था। ग्रासिम संघर्ष समिति की ओर से चर्चा करते हुए हनुमान प्रसाद ने, हालांकि वह ग्रासिम श्रमिक संघ का सदस्य था, ने कहा कि केवल ग्रासिम संघर्ष समिति से ही चर्चा होनी चाहिये थी। केवल इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि यदि चर्चाएं ग्रासिम मजदूर संघ, पक्षकार क्र. ६ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन, पक्षकार क्र. ७ के साथ की गई, तो वह चर्चा में भाग नहीं लेगा। इसलिए वहां कुछ नहीं हुआ। अतएव, बैठक स्थगित हो गई। बैठक

१७-११-७० के लिए स्थगित कर दी गई। विभिन्न संघों की ओर से निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे—चन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सचिव, ग्रासिम मजदूर यूनियन, उक्त यूनियन के अध्यक्ष कृष्णास्वामी, तथा सचिव महेन्द्र कुमार भटनागर, श्री जी॰ एन॰ द्रोणकर, अध्यक्ष, ग्रासिम मजदूर संघ, श्री रामबदन पाण्डे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, श्री कैलाश रघुवंशी, ग्रासिम मजदूर संघ तथा श्री कन्हैयादास, ग्रासिम मजदूर संघ। श्री किशनलाल ने इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व किया। प्रबंधक वर्ग की ओर से निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे—श्री जे॰ सी॰ धारीवाल तथा श्री किशोरीलाल। वहां बोनस तथा वेतन श्रेणियों के पुनरीक्षण के विषय में भी चर्चायें हुईं। प्रबंधक वर्ग वह आधार जानना चाहता था, जिस पर बढ़े हुये बोनस तथा वेतन-श्रेणियों के पुनरीक्षण की मांग की गई थी। वे चाहते थे कि वेतन श्रेणियों का पुनरीक्षण राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के आधार पर किया जाना चाहिये। उस बैठक में भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद २०-११-७० को श्री दुबे पुनः आये तथा कलेक्टर, उज्जैन द्वारा नागदा के सभी श्रमिक संघों तथा नागदा के प्रबंधकों की बैठक बुलायी गई। संघर्ष समिति अपनी इस मांग पर डटी रही कि वह अन्य संघों की उपस्थिति में अपनी मांगों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेगी। इसलिए, कलेक्टर ने श्री दुबे की उपस्थिति में कतिपय संघों से अलग-अलग चर्चायें की। कलेक्टर ने प्रबंधक वर्ग से भी चर्चा की और यह विनिश्चय किया गया कि प्रबंधक वर्ग के कार्यकारी व्यक्ति संघों से विचार-विमर्श कर समझौता-वार्ता करें।

२९. अगली बैठक ३०-११-७० को उज्जैन के सरकिट हाउस में हुई। वहां निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे—मेसर्स पूरनमलका, उपाध्यक्ष, ग्रासिम, श्री जे. सी. धारीवाल, कारखाना प्रबंधक; श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, ग्रासिम श्रमिक संघ, श्री कैलाश शर्मा, ग्रासिम मजदूर संघ, श्री मोहनलाल शर्मा, नागदा मिल मजदूर संघ, श्री पंचानन बारल, संघर्ष समिति। वहां नागदा के अन्य कामगार अर्थात् श्री मांगीलाल शर्मा, श्री हादी हुसैन तथा श्री भाईशंकर भी उपस्थित थे। तथापि, उस बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। उस बैठक में २-११-७० को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा २-१२-७० की उस बैठक में श्री धारीवाल उपस्थित थे। श्री मजोत्रा, अपर कलेक्टर ने कलेक्टर का प्रतिनिधित्व किया। प्रबंधक-वर्ग का प्रतिनिधित्व श्री धारीवाल, श्री एस. एल. जैन तथा श्री पूरनमलका द्वारा किया गया। कामगारों की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में श्री हनुमान प्रसाद, श्री कैलाश प्रसाद तथा श्री जितेन्द्र गोथरवाल उपस्थित थे। उक्त बैठक में प्रबंधक-वर्ग ने वेतन श्रेणियों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखा किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में वृध्दि न होने के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। प्रबंधक वर्ग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रतिवेदन का यह अर्थ निकाला कि वे कामगारों की संख्या कम कर सकते हैं। प्रबंधक-वर्ग का यह निर्वचन श्रमिकों द्वारा प्रस्ताव के आधारों को अस्वीकृत करने का एक कारण था। हालांकि बैठक दिन भर चली किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका।

३०. दूसरे दिन ३-१२-७० को नागदा में दूसरी बैठक हुई। उसमें श्री पूरनमलका, उपाध्यक्ष, श्री जे. सी. धारीवाल तथा श्री शैलेन्द्र जैन उपस्थित

थे। कामगारों की ओर से श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, श्री हनुमान प्रसाद तथा श्री जितेन्द्र गोथरवाल उपस्थित थे। कोई समझौता नहीं हुआ तथा बैठक इन्दौर में ५-१२-७० तक के लिये स्थगित कर दी गई। तथापि, इन्दौर में कोई बैठक नहीं हुई यद्यपि, बैठक उज्जैन में रखने का सुझाव भी दिया गया। इसलिये श्री दुबे उज्जैन आये तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि बैठक श्री जी॰ के॰ सेठी के निवास स्थान पर आयोजित की गई थी। श्री दुबे को बताया गया कि उस बैठक में कुछ नहीं हुआ। आगे उन्हें बताया गया कि श्री धारीवाल इस मामले में आगामी हिदायतें प्राप्त करने के लिये श्री मन्डेलिया से मिलने कलकत्ता जायेंगे। १२ तारीख को श्री दुबे ने फोन पर श्री धारीवाल से चर्चा की। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि प्रबंधक-वर्ग पहले ही बोनस की मात्रा तथा वेतन श्रेणियों के विषय में नोटिस लगा चुका है तथा यह प्रबंधक-वर्ग द्वारा एकपक्षीय रूप से किया गया था। इस प्रकार श्री दुबे के साक्ष्य से यह ज्ञात नहीं होता है कि ६ तारीख को कोई समझौता या शिष्ट समझौता हुआ था। कलेक्टर श्री समरसिंह ने बताया कि २१ नवम्बर ७० तथा १२ दिसम्बर १९७० के बीच कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं किन्तु उन्होंने और ब्यौरा नहीं दिया और न ही उनसे इस विषय में पूछा गया। हमें बोनस के भुगतान तथा बैठकों के सम्बन्ध में श्री धारीवाल तथा श्री किशोरीलाल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। श्री जे. सी. धारीवाल ने बताया कि २६ अक्टूबर, १९७० को प्रबंधक-वर्ग ने सभी पंजीयित श्रमिक संघों को बोनस तथा वेतनमान के प्रश्न पर मिल बैठकर चर्चा करने के लिये बुलाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा नोटिस ९-११-१९७० को लगाया गया। ११-११-१९७० को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ग्रासिम मजदूर संघ, ग्रासिम श्रमिक संघ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन ने भाग लिया। इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रतिनिधित्व इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस, इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा इंजीनियरिंग वर्क्स यूनियन द्वारा किया गया। इंजीनियरिंग कामगार संघ इसमें शामिल नहीं हुआ। चूंकि उस बैठक में कोई हल नहीं निकाला इसलिये अगली बैठक १५ नवम्बर को आयोजित की गई। उस बैठक में श्री धारीवाल उपस्थित नहीं थे। अगली बैठक ४ दिसम्बर १९७० को हुई जिसमें वह उपस्थित हुये। उस बैठक में प्रबंधक-वर्ग ने ग्रासिम श्रमिक संघ तथा नागदा मिल मजदूर संघ से कहा कि उन्हें दोनों मुद्दो को मध्यस्थता के लिये भेज देना चाहिये। प्रबंधक-वर्ग ने श्री वी. के. सेठी के नाम का सुझाव दिया। कामगारों ने किसी के नाम का सुझाव नहीं दिया, किन्तु यह कहा कि वे ऐसा उज्जैन में करेंगे। उज्जैन में श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, नागदा मिल मजदूर संघ ने प्रबंधक-वर्ग को सूचित किया कि वह कामगारों की ओर से मध्यस्थ होंगे। ६ दिसम्बर, १९७० को प्रबंधक-वर्ग विचारणीय मुद्दे मध्यस्थ को प्रस्तुत करना चाहता था। कामगारों ने कोई मुद्दे प्रस्तुत नहीं किए किन्तु आगे चर्चाएं प्रारम्भ की। वहां किसी प्रकार की बैठक भी नहीं हुई और न "भद्रजनोचित समझौते" का कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। इसी बीच, श्री धारीवाल मन्डेलिया से मामले पर चर्चा करने के लिये चले गये तथा उन्होंने १० दिसम्बर, १९७० को उनसे इस मामले पर चर्चा की। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि संघर्ष समिति कामगारों में भ्रम उत्पन्न कर रही थी तथा वह ३० दिसम्बर, १९७० को लगाए गए नोटिस का गलत अर्थ समझा रही थी। संघर्ष समिति यह कह रही थी कि उस नोटिस के अनुसार प्रबंधक-वर्ग केवल २० प्रतिशत का भुगतान करेगा तथा अनुग्रह राशि के रूप में कुछ भी भुगतान करने को तैयार नहीं है।

संघर्ष समिति यह भी कह रही थी कि प्रबंधक-वर्ग बोनस के रूप में ३५ प्रतिशत भुगतान करने को तैयार है किन्तु समिति इसे स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। इसलिये श्री धारीवाल ने १२ दिसम्बर को कुछ कामगारों को बुलाया और कहा कि कुछ भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है तथा कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उपलब्ध कामगारों की एक बैठक आयोजित की गई जो लगभग ९ से १०-३० पूर्वान्ह में हुई तथा इसके तुरन्त बाद प्रबंधक-वर्ग ने निर्णयों के विषय में नोटिस लगा दिया। नोटिस प्रदर्श १-पी· ४९ तथा १-पी· ५० है। इस प्रकार श्री धारीवाल के साक्ष्य से भी हमें यह पता नहीं चलता कि ३५ प्रतिशत से ४५ प्रतिशत बोनस का भुगतान करने के लिये कोई "भद्रजनोचित वचन" दिया गया था।

३१· इस संबंध में प्रबंधक-वर्ग ने केवल २० प्रतिशत तक बोनस मंजूर करने के संबंध में ३० नवम्बर, १९७० को एक नोटिस लगाया था। किन्तु उक्त नोटिस में यह व्यवस्था की गई कि तदर्थ भुगतान तथा अनुग्रह राशि का भुगतान पर वार्ता की जायेगी। मैं इसका उल्लेख इसीलिये कर रहा हूं कि यह नोटिस भी अशान्ति का एक कारण बताया गया है। बोनस भुगतान अधिनियम की धारा १९ के अधीन नियोजक को बोनस का वितरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर कर देना चाहिए। यह अवधि ३० नवम्बर १९७० को समाप्त होनी थी। अतः ८ महिने के भीतर बोनस न देने संबंधी अवैधानिक कार्य को टालने की दृष्टि से प्रबंधक-वर्ग ने दिए जा सकने वाले अधिकतम बोनस की घोषणा कर दी, जो कि २० प्रतिशत है, जिसमें अनुग्रह राशि तथा तदर्थ भुगतानों की गुंजाइश रखी थी। मेरे मतानुसार तारीख १२-१२-१९७० का नोटिस गड़बडी का कारण नहीं हो सकता। उस भ्रम को दूर करने की दृष्टि से जो कामगारों के मन में उत्पन्न किया जा रहा था, प्रबंधक-वर्ग अपनी स्थिति स्पष्ट करने और यह कहने के लिए कि वह कितनी रकम का भुगतान करेगा, बाध्य था, उन्होंने नोटिस में पूरा इतिवृत्त दिया है। उन्होंने यह बतलाया है कि उन्होंने बोनस की गणना कैसी की है। यह बताने का न तो कोई प्रमाण है कि तारीख १२-१२-१९७० के नोटिस द्वारा प्रबंधक-वर्ग अपनी बात से मुकर गया है या उसने 'भद्रजनोचित वचन' भंग किया है। यह स्पष्ट है कि विभिन्न यूनियनों में झगड़ा था। सभी यूनियनें अपनी मांगों के संबंध में एकमत नहीं थीं। कुछ यूनियनें दूसरी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए न तो कोई समझौता हो सका और न हुआ। किसी ने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि प्रबंधक-वर्ग की ओर से किसी ने यह आश्वासन दिया कि बोनस का भुगतान ३५ से ४० प्रतिशत तक किया जाएगा। अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि "भद्रजनोचित वचन" दिया गया या 'भद्रजनोचित समझौता' हुआ था। अतः १२-१२-१९७० का नोटिस, चाहे उसे एकपक्षीय निर्णय कहा जाये या अन्य कोई नाम दिया जाये, ऐसी दस्तावेज नहीं हो सकती जिससे आन्दोलन भड़क उठे या आन्दोलन गुरुतर हो जाये।

श्री मण्डेलिया का प्रेस वक्तव्य

३२· दूसरा प्रश्न श्री मण्डेलिया के वक्तव्य के संबंध में है। प्रारम्भ में ही इस प्रश्न के संबंध में यह भ्रम है कि श्री मण्डेलिया ने पत्रकार-वार्ता कब की

थे। कामगारों की ओर से श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, श्री हनुमान प्रसाद तथा श्री जितेन्द्र गोथरवाल उपस्थित थे। कोई समझौता नहीं हुआ तथा बैठक इन्दौर में ५-१२-७० तक के लिये स्थगित कर दी गई। तथापि, इन्दौर में कोई बैठक नहीं हुई यद्यपि, बैठक उज्जैन में रखने का सुझाव भी दिया गया। इसलिये श्री दुबे उज्जैन आये तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि बैठक श्री जी॰ के॰ सेठी के निवास स्थान पर आयोजित की गई थी। श्री दुबे को बताया गया कि उस बैठक में कुछ नहीं हुआ। आगे उन्हें बताया गया कि श्री धारीवाल इस मामले में आगामी हिदायतें प्राप्त करने के लिये श्री मन्डेलिया से मिलने कलकत्ता जायेंगे। १२ तारीख को श्री दुबे ने फोन पर श्री धारीवाल से चर्चा की। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि प्रबंधक-वर्ग पहले ही बोनस की मात्रा तथा वेतन श्रेणियों के विषय में नोटिस लगा चुका है तथा यह प्रबंधक-वर्ग द्वारा एकपक्षीय रूप से किया गया था। इस प्रकार श्री दुबे के साक्ष्य से यह ज्ञात नहीं होता है कि ६ तारीख को कोई समझौता या शिष्ट समझौता हुआ था। कलेक्टर श्री समरसिंह ने बताया कि २१ नवम्बर ७० तथा १२ दिसम्बर १९७० के बीच कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं किन्तु उन्होंने और ब्यौरा नहीं दिया और न ही उनसे इस विषय में पूछा गया। हमें बोनस के भुगतान तथा बैठकों के सम्बन्ध में श्री धारीवाल तथा श्री किशोरीलाल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। श्री जे. सी. धारीवाल ने बताया कि २६ अक्टूबर, १९७० को प्रबंधक-वर्ग ने सभी पंजीयित श्रमिक संघों को बोनस तथा वेतनमान के प्रश्न पर मिल बैठकर चर्चा करने के लिये बुलाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा नोटिस ९-११-१९७० को लगाया गया। ११-११-१९७० को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ग्रासिम मजदूर संघ, ग्रासिम श्रमिक संघ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन ने भाग लिया। इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रतिनिधित्व इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस, इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा इंजीनियरिंग वर्क्स यूनियन द्वारा किया गया। इंजीनियरिंग कामगार संघ इसमें शामिल नहीं हुआ। चूंकि उस बैठक में कोई हल नहीं निकाला इसलिये अगली बैठक १५ नवम्बर को आयोजित की गई। उस बैठक में श्री धारीवाल उपस्थित नहीं थे। अगली बैठक ४ दिसम्बर १९७० को हुई जिसमें वह उपस्थित हुये। उस बैठक में प्रबंधक-वर्ग ने ग्रासिम श्रमिक संघ तथा नागदा मिल मजदूर संघ से कहा कि उन्हें दोनों मुद्दो को मध्यस्थता के लिये भेज देना चाहिये। प्रबंधक-वर्ग ने श्री वी. के. सेठी के नाम का सुझाव दिया। कामगारों ने किसी के नाम का सुझाव नहीं दिया, किन्तु यह कहा कि वे ऐसा उज्जैन में करेंगे। उज्जैन में श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, नागदा मिल मजदूर संघ ने प्रबंधक-वर्ग को सूचित किया कि वह कामगारों की ओर से मध्यस्थ होंगे। ६ दिसम्बर, १९७० को प्रबंधक-वर्ग विचारणीय मुद्दे मध्यस्थ को प्रस्तुत करना चाहता था। कामगारों ने कोई मुद्दे प्रस्तुत नहीं किए किन्तु आगे चर्चाएं प्रारम्भ की। वहां किसी प्रकार की बैठक भी नहीं हुई और न ''भद्रजनोचित समझौते'' का कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। इसी बीच, श्री धारीवाल मन्डेलिया से मामले पर चर्चा करने के लिये चले गये तथा उन्होंने १० दिसम्बर, १९७० को उनसे इस मामले पर चर्चा की। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि संघर्ष समिति कामगारों में भ्रम उत्पन्न कर रही थी तथा वह ३० दिसम्बर, १९७० को लगाए गए नोटिस का गलत अर्थ समझा रही थी। संघर्ष समिति यह कह रही थी कि उस नोटिस के अनुसार प्रबंधक-वर्ग केवल २० प्रतिशत का भुगतान करेगा तथा अनुग्रह राशि के रूप में कुछ भी भुगतान करने को तैयार नहीं है।

संघर्ष समिति यह भी कह रही थी कि प्रबंधक-वर्ग बोनस के रूप में ३५ प्रतिशत भुगतान करने को तैयार है किन्तु समिति इसे स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। इसलिये श्री धारीवाल ने १२ दिसम्बर को कुछ कामगारों को बुलाया और कहा कि कुछ भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है तथा कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उपलब्ध कामगारों की एक बैठक आयोजित की गई जो लगभग ६ से १०-३० पूर्वान्ह में हुई तथा इसके तुरन्त बाद प्रबंधक-वर्ग ने निर्णयों के विषय में नोटिस लगा दिया। नोटिस प्रदर्श १-पी॰ ४६ तथा १-पी॰ ५० है। इस प्रकार श्री धारीवाल के साक्ष्य से भी हमें यह पता नहीं चलता कि ३५ प्रतिशत से ४५ प्रतिशत बोनस का भुगतान करने के लिये कोई "भद्रजनोचित वचन" दिया गया था।

३१॰ इस संबंध में प्रबंधक-वर्ग ने केवल २० प्रतिशत तक बोनस मंजूर करने के संबंध में ३० नवम्बर, १६७० को एक नोटिस लगाया था। किन्तु उक्त नोटिस में यह व्यवस्था की गई कि तदर्थ भुगतान तथा अनुग्रह राशि का भुगतान पर वार्ता की जायेगी। मैं इसका उल्लेख इसीलिये कर रहा हूं कि यह नोटिस भी अशान्ति का एक कारण बताया गया है। बोनस भुगतान अधिनियम की धारा १६ के अधीन नियोजक को बोनस का वितरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर कर देना चाहिए। यह अवधि ३० नवम्बर १६७० को समाप्त होनी थी। अतः ८ महिने के भीतर बोनस न देने संबंधी अवैधानिक कार्य को टालने की दृष्टि से प्रबंधक-वर्ग ने दिए जा सकने वाले अधिकतम बोनस की घोषणा कर दी, जो कि २० प्रतिशत है, जिसमें अनुग्रह राशि तथा तदर्थ भुगतानों की गुंजाइश रखी थी। मेरे मतानुसार तारीख १२-१२-१६७० का नोटिस गड़बड़ी का कारण नहीं हो सकता। उस भ्रम को दूर करने की दृष्टि से जो कामगारों के मन में उत्पन्न किया जा रहा था, प्रबंधक-वर्ग अपनी स्थिति स्पष्ट करने और यह कहने के लिए कि वह कितनी रकम का भुगतान करेगा, बाध्य था, उन्होंने नोटिस में पूरा इतिवृत्त दिया है। उन्होंने यह बतलाया है कि उन्होंने बोनस की गणना कैसी की है। यह बताने का न तो कोई प्रमाण है कि तारीख १२-१२-१६७० के नोटिस द्वारा प्रबंधक-वर्ग अपनी बात से मुकर गया है या उसने 'भद्रजनोचित वचन' भंग किया है। यह स्पष्ट है कि विभिन्न यूनियनों में झगड़ा था। सभी यूनियनें अपनी मांगों के संबंध में एकमत नहीं थीं। कुछ यूनियनें दूसरी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए न तो कोई समझौता हो सका और न हुआ। किसी ने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि प्रबंधक-वर्ग की ओर से किसी ने यह आश्वासन दिया कि बोनस का भुगतान ३५ से ४० प्रतिशत तक किया जाएगा। अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि "भद्रजनोचित वचन" दिया गया या 'भद्रजनोचित समझौता' हुआ था। अतः १२-१२-१६७० का नोटिस, चाहे उसे एकपक्षीय निर्णय कहा जाये या अन्य कोई नाम दिया जाये, ऐसी दस्तावेज नहीं हो सकती जिससे आन्दोलन भड़क उठे या आन्दोलन गुरुतर हो जाये।

श्री मण्डेलिया का प्रेस वक्तव्य

३२॰ दूसरा प्रश्न श्री मण्डेलिया के वक्तव्य के संबंध में है। प्रारम्भ में ही इस प्रश्न के संबंध में यह भ्रम है कि श्री मण्डेलिया ने पत्रकार-वार्ता कब की

थी। एक गुट का कहना है कि पत्रकार-वार्ता १८ तारीख को हुई थी जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह १६ तारीख को हुई थी। इंजीनियरिंग श्रमिक संघ ग्रेसिम श्रमिक संघ, संघर्ष समिति, नागदा मिल मजदूर संघ ने बताया कि पत्रकार-वार्ता १८ तारीख को हुई थी जबकि ग्रेसिम मजदूर यूनियन (पक्षकार क्र. ७), श्री पंचानन बारल (पक्षकार क्र. ८) और श्रीमती उषा भाटिया (पक्षकार क्र. ६) और साथ ही जिला प्राधिकारियों (पक्षकार क्र. १०) का कहना है कि पत्रकार वार्ता २० तारीख को हुई थी। मेरी राय में तारीख कौन सी थी यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी हो वार्ता २१-१२-१६७० की घटना के पहले हुई थी। प्रश्न यह है कि यह वक्तव्य स्थिति को भड़काने और गुरुतर बनाने के लिए कहां तक जिम्मेदार माना जा सकता है।

३३. पक्षकार क्र. २ के अनुसार श्री मण्डेलिया ने यह घोषणा की थी कि वे फैक्टरी का इंजीनियरी विभाग, हरिहर ले जा रहे हैं और उनकी इस घोषणा ने आग में घी का काम किया। ग्रेसिम श्रमिक संघ (पक्षकार क्र. ३) का भी यही कथन है। संघर्ष समिति (पक्षकार क्र. ४) ने बताया है कि श्री मण्डेलिया ने दिनांक १८-१२-१६७० को पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह कहा कि वे इंजीनियरी विभाग को नागदा से हरिहर स्थानान्तरित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कास्टिक सोडा फैक्टरी नागदा में स्थापित नहीं की जाएगी। यह घोषणा अत्यन्त उत्तेजक थी। नागदा मिल मजदूर संघ (पक्षकार क्र. ५) ने बताया कि पत्रकार-वार्ता में श्री मण्डेलिया ने यह कहा था कि वे इंजीनियरी विभाग हरिहर स्थानान्तरित कर देंगे और कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित ही नहीं किया जाएगा। मिल मजदूर संघ के अनुसार यह वक्तव्य दूरदर्शिता पूर्ण नहीं था। यद्यपि यह समाचार-पत्रों में दिनांक २१-१२-१६७० को प्रकाशित हुआ तथापि कामगारों को यह बात १६ तारीख की शाम को ही ज्ञात हो गई थी। पक्षकार क्र. ५ के अनुसार यह अयुक्तियुक्त वक्तव्य था और स्थिति, जो पहले ही विस्फोटक थी, और बदतर हो गई। ग्रेसिम मजदूर संघ, पक्षकार क्र. ६ ने श्री मण्डेलिया के इस कथन का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि ग्रेसिम मजदूर यूनियन (पक्षकार क्र. ७) का कहना है कि श्री मण्डेलिया ने अपने प्रेस वक्तव्य में घोषणा की थी कि प्रबंधक वर्ग इंजीनियरी विभाग बन्द कर देगा और यह कि कास्टिक सोडा संयंत्र नागदा में स्थापित नहीं किया जाएगा बल्कि कहीं और स्थापित किया जाएगा। उनके अनुसार इस घोषणा ने आग में घी का काम किया और कामगारों को क्रुध्द कर दिया। इस पक्षकार ने आगे यह भी कहा कि यह दुर्भावपूर्ण कार्य था और यह प्रबंधक-वर्ग का दुर्भावपूर्ण अभिप्राय दर्शाता है। इस यूनियन के अनुसार स्वयं प्रबंधक वर्ग ने कामगारों को हिंसा पर उतारू होने के लिए उकसाया जिससे कि वैध और शांतिपूर्ण आन्दोलन को कुचला जा सके।

३४. श्री पंचानन बारल तथा श्रीमती उषा भाटिया का कहना है कि श्री मण्डेलिया का यह वक्तव्य अत्यन्त अदूरदर्शी तथा उत्तेजक था। उन्होंने यह संकेत भी किया कि इस वक्तव्य के पीछे शासन का हाथ था। जिला प्रशासन इस बात से सहमत नहीं है कि श्री मण्डेलिया का यह वक्तव्य स्थिति को गुरुतर बनाने या उसे भड़काने का कारण हो सकता है। जैसी कि आशा थी प्रबंधक वर्ग (पक्षकार क्र. १) ने इस बात से इनकार किया कि श्री मण्डेलिया के वक्तव्य का

दिनांक २१-१२-१९७० की घटनाओं से कोई संबंध है। प्रबंधक वर्ग के अनुसार पत्रकार-वार्ता का आयोजन कामगारों के साथ पुनः एकता स्थापित करने की दृष्टि से और पैदा हुए भ्रमों के उपयुक्त और उचित समाधान के लिए प्रबंधक-वर्ग द्वारा उठाये गए कदमों की लोगों को जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। प्रबन्धक वर्ग ने इस बात से इनकार किया कि श्री मंडेलिया ने यह कहा था कि कास्टिक सोडा फैक्टरी स्थापित नहीं की जाएगी या कि इंजीनियरी विभाग के हरिहर स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है किन्तु प्रश्नोत्तर के दौरान पत्रकारों से ऐसा कहा गया था। इस संबंध में हम स्वयं श्री मंडेलिया के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहेंगे। श्री मंडेलिया (१-अ.ग. ३७) के अनुसार प्रबन्धक वर्ग ने १९ तारीख को, प्रबन्धक वर्ग के विचारों को स्पष्ट करने और गलतफहमियों को, यदि कोई हों, दूर करने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। पत्रकारों को प्रबंधक वर्ग द्वारा बोनस के बारे में और मजदूरी के पुनरीक्षण के संबंध में लिए गए निर्णय के कारणों को स्पष्ट किया गया था। श्री मंडेलिया का कहना है कि उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रबंधक वर्ग का प्रस्ताव क्यों और किस सीमा तक उदार है। उनके इस वक्तव्य के बाद पत्रकारों ने उनसे मध्यप्रदेश के उस क्षेत्र में सामान्य औद्योगीकरण किए जाने के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेने चाहे। पत्रकारों ने उनसे यह पूछा कि क्या उनका मध्यप्रदेश में कोई नया उद्योग स्थापित करने का विचार है। उन्होंने कहा कि वे सदैव नए उद्योग आरंभ करने के लिये तैयार हैं किन्तु उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने के लिए शासन से निवेदन किया जाना चाहिए। श्री मंडेलिया का कहना है कि उन्होंने पत्रकारों से यह कहा कि श्रमिकों की प्रवृत्ति संबंधी प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि १९५४ के नागदा में उद्योग स्थापित होने के समय से १४ वर्षों तक एक भी कार्य दिवस की हानि नहीं हुई किन्तु पिछले ३ या ४ वर्षों से गड़बड़ी और श्रमिक अशान्ति है तथा श्रमिकों की प्रवृत्ति भी एक विचारणीय विषय होना चाहिए। श्री मंडेलिया से जब सीधे यह प्रश्न पूछा गया कि, क्या उन्होंने ऐसी धमकी दी थी कि वे इंजीनियरी विभाग का एक भाग नागदा से स्थानान्तरित कर रहे हैं तो उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी थी। उन्होंने उनसे यह कहा था कि जहां तक तन्तुक (स्टेपल फाइबर) उद्योग का संबंध है उसका नागदा में आगे कोई और अधिक विस्तार नहीं हो सकेगा क्योंकि कच्चा माल केरल से मंगवाना पड़ता है। उन्हें इंजीनियरी विभाग के विस्तार की भी कोई संभावना नहीं दिखती क्योंकि इंजीनियरी विभाग में निर्मित मशीनरी मैसूर राज्य में स्थित हरिहर में भेजी जाती है और इसीलिए मितव्ययिता की दृष्टि से उद्योगों का विकास केवल ऐसे स्थानों पर हो सकता है जहां मशीनरी की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि चूंकि नागदा में श्रमिक हड़ताल चल रही है अतः हरिहर के समीप मशीनरी का निर्माण करना अधिक सुविधाजनक होगा जिससे कि हरिहर फैक्टरी की प्रगति पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। इंजीनियरी विभाग के एक भाग को स्थानान्तरित करने संबंधी प्रश्न उनके बयान में नहीं उठा था। पत्रकार-वार्ता समाप्त होने के बाद उद्योगों संबंधी मितव्ययिता के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने उनमे वैसा कहा था। श्री मंडेलिया ने आगे कहा कि घटना के बाद वे कुछ दिनों तक नागदा में थे। वे शासन के समस्त अधिकारियों से मिले, जिनमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। उनमें से किसी ने भी उन्हें यह नहीं कहा कि उनके वक्तव्य का २१-१२-७० की घटना से कोई संबंध है।

३५· इस मुद्दे पर श्री मानसिंह राही, मुख्य संपादक, ब्रिगेडियर (हिन्दी समाचार पत्र) का साक्ष्य है। वे 'अवन्तिका' के सम्पादक थे, जिसमें दिनांक २१-१२-७० को श्री मंडेलिया का वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। वे पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे और उन्होंने कुछ बातें नोट की थी। श्री मंडेलिया का वक्तव्य प्रश्नोत्तर रूप में था। 'अवन्तिका' में निम्नलिखित शीर्षक के नीचे यह समाचार छपा था: —

ग्रेसिम में उत्पन्न स्थिति की जिम्मेदारी इंटक के

दोनों गुटों पर: शासन का रूख निराशाजनक

नागदा २० दिसम्बर। सन् १९५४ से ग्रेसिम उद्योग की स्थापना नागदा में हुई किन्तु सन् १९६७ तक यहां कोई औद्योगिक अशान्ति की स्थिति नहीं बनी लेकिन जबसे इंटक के द्रविड़ व तिवारी गुट के बीच संघर्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ी है बार-बार औद्योगिक क्षेत्र को अशान्ति का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग में व्याप्त समस्याओं के समाधानकारक हल के लिये यह जरूरी है कि किसी भी उद्योग में एक सुदृढ़ मजदूर संगठन हो। ग्रेसिम के वर्तमान संकट का यही मुख्य कारण है, ये वे शब्द हैं जो बिड़ला उद्योग के मुख्य स्तंभ एवं प्रसिध्द उद्योगपति श्री दुर्गा प्रसाद मंडेलिया ने यहां चम्बल तट पर स्थित बिड़ला आतिथ्य गृह में आयोजित एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

श्री मंडेलिया ने कहा कि मजदूरों के प्रति हमारा सदैव ही स्नेह एवं उदारतापूर्ण दृष्टिकोण रहा है। बोनस के संबंध में २० प्रतिशत का नियम है जबकि सन् १९६८ में २१ प्रतिशत, ६९ में ३१ प्रतिशत और वर्तमान वर्ष में ३१ प्रतिशत बोनस स्वेच्छा से देने की घोषणा की गई है। जबकि मुनाफे में सतत् कमी हो रही है। स्टेपल फायबर के भाव बढ़े हैं। मजदूरी भी बढ़ी है।

श्रम संगठनों की प्रतिस्पर्धा· —आपने कहा कि यहां चार मजदूर संगठन हैं किन्तु कोई भी एक साथ बैठ कर बात करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि स्वेच्छा से बोनस की घोषणा करनी पड़ी। आपने कहा कि इससे पूर्व हम मामला पंच को सौंपने को तैयार थे। किन्तु श्रम संगठनों की प्रतिस्पर्धा यहां तक बढ़ी कि श्रेय अर्जित करने के लिये ४५ प्रतिशत तक की मांग की जा रही है। यह उचित नहीं है। अब हमने यह नया सूचना पत्र जारी किया है कि कारखाना चालू होने के बाद एक सप्ताह बाद हम बोनस वितरित कर देंगे। हमने बोनस के प्रश्न पर अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है। बोनस के प्रश्न पर अब कोई नये सिरे से चर्चा नहीं होगी। किन्तु पे ग्रेडेशन के प्रश्न पर हम आज भी सभी यूनियनों से, यदि वे चर्चा करना चाहें, बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

शासन की उदासीनता· —श्री मंडेलिया ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बिना किसी सूचना के मिल बन्द कर दिया गया। तोड़-फोड़ हुई मिल को क्षति पहुंची किन्तु राज्य का श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री, जिनका खुद का भी एक श्रम संगठन है, इस प्रश्न पर बिल्कुल मौन हैं। आपने व्यक्त किया कि केरल में व अन्य राज्यों में श्रम विवाद तत्परता से निपटाये जाते है। जब केरल में

नम्बूद्रीपाद मुख्य मंत्री थे तब विवाद उत्पन्न होने के साथ खुद श्रम मंत्री वहां पहुंच कर विवाद को निपटाते थे किन्तु यहां शासन के श्रम मंत्रालय का रूख असहयोगात्मक ही बना हुआ है।

श्री तिवारी के कथन का उत्तर·—श्री मंडेलिया ने श्रम मंत्री श्री तिवारी के इस कथन का तीव्र प्रतिवाद किया कि मैनेजमेन्ट ही मजदूर संगठनों को लड़वाता है। आपने पूछा कि क्या श्री तिवारी व द्रविड़ के बीच भी झगड़ा हमने पैदा किया? वे अपनी बला हमारे सर पर क्यों मढ़ते हैं?

हड़ताल से भारी नुकसान·—श्री मंडेलिया ने कहा कि वर्तमान हड़ताल के कारण प्रतिदिन १५० टन फायबर याने एक हजार रूई की गाठें इस प्रकार ७५ लाख रुपये प्रतिदिन उत्पादन का नुकसान हो रहा है। जिसमें मजदूरों की मजदूरी का नुकसान साढ़े छः लाख रुपये रोज है। इसी तारतम्य में शासन के रेव्हेन्यू का भी लाखों का नुकसान हो रहा है। वर्तमान रूई के संकट के दौरान यह गंभीर राष्ट्रीय क्षति है। इससे छोटे-छोटे कई उद्योग प्रभावित होंगे।

मुख्य मंत्रीजी हस्तक्षेप करें·—श्री मंडेलिया ने कहा कि मैं राज्य के मुख्य मंत्री श्यामाचरण शुक्ल से भी मिलूंगा और कहूंगा कि वे अविलम्ब हस्तक्षेप करके इस विवाद को निपटाएं आपने संघर्ष समिति से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से इन्कार किया किन्तु कहा कि सभी श्रम संगठन, यदि वार्ता करें, तो वे या मिल के प्रबंधक सदैव तत्पर रहेंगे।

औद्योगिक विकास अवरुध्द·—आपने शासन की वर्तमान नीति से निराशा प्रगट की एवं कहा कि प्रदेश में इसी कारण कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हो पाता। आपने कहा हमने केन्द्र से इजाजत मांगी है और यदि अनुमति मिल गई तो इंजीनियरिंग विभाग को वे हरिहर (मैसूर) में शिफ्ट करने का विचार रखते है। आपने आशा प्रकट की कि मजदूर काम पर लौट आयेंगे एवं अपनी मांगें वैधानिक ढ़ंग से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वर्तमान मिल बन्दी की स्थिति में भी १२ दिन तो मिल को चालू करने में ही लग जायेंगे। आपने नये उद्योग की स्थापना से स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि मोनोपाली कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब यह संभव नहीं है। श्री मंडेलिया यहां बहुत व्यस्त रहे। आपने कारखाने में धूम कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया।

श्री मंडेलिया के वक्तव्य का प्रभाव

३६· श्री मंडेलिया ने जो कुछ कहा उसे हम सत्य मानें या न मानें, अर्थात् यह कि उन्होंने इंजीनियरी विभाग को हरिहर ले जाने के बारे में कहा था और कास्टिक सोड़ा फैक्टरी नागदा में स्थापित न करने के बारे में विचार व्यक्त किया था तथापि यह स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि कोई उद्योगपति यह समझता है कि श्रमिकों के गलत सलाह पर चलने या कच्चा माल या मशीनरी मिलने में कठिनाई होने के कारण उद्योग नहीं पनपेगा तो उद्योगपति को यह कहने का अधिकार है कि वह उद्योग को वहां से हटा

कर अन्य स्थान पर ले जाएगा। यदि हम यह भी मान लें कि उन्होंने कामगारों से यह कहा था कि वे इंजीनियरी विभाग को हरिहर स्थानान्तरित कर देंगे और कास्टिक सोड़ा फैक्टरी चालू नहीं करेंगे तो भी हम यह नहीं कह सकते कि इससे स्थिति गुरुतर हो गई। निश्चित रूप से वे कामगारों को यह बताना चाहते थे कि यदि वे गड़बड़ करते रहेंगे और अशान्ति फैलाएंगे तो वे फैक्टरी को अन्यत्र स्थानांतरित कर देंगे। यदि इससे कामगार या श्रमिक उत्तेजित हो गए तो श्रमिक इसके लिए उत्तरदायी हैं। यदि कामगारों ने उद्योग को पनपने नहीं दिया तो उद्योगपति को यह कहने का अधिकार था कि यदि वे उद्योग को पनपने देना नहीं चाहते तो वे इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देंगे। यदि उसमें कोई उत्तेजना है तो यह उत्तेजना उनकी अपनी खोज है। यह आधार कि श्री मंडेलिया के वक्तव्य से स्थिति बिगड़ गई एक बाद का विचार है और इस तथ्य के बावजूद कि घटना और उसके कारणों के बारे में समाचार-पत्रों में कई खबरें छपी हैं किन्तु इनमें श्री मंडेलिया को ऐसा दोष लगाने की कोई बात नहीं छपी और उस समय किसी ने भी यह महसूस नहीं किया कि श्री मंडेलिया के वक्तव्य का इससे कुछ संबंध था। श्री समरसिंह, कलेक्टर, उज्जैन तथा श्री पाहूजा, पुलिस अधीक्षक का भी परीक्षण किया गया। ये सबसे अच्छी तरह यह बतला सकते थे कि क्या श्री मंडेलिया के वक्तव्य से स्थिति बिगड़ी। श्रम विभाग के व्यक्तियों का भी परीक्षण किया गया। इस आशय का कोई साक्ष्य भी नहीं है। जिन पक्षकारों ने यह कहा है कि मंडेलिया के वक्तव्य से स्थिति बिगड़ी थी उन्होंने भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि कामगार यह अनुभव करते थे कि वे इस वक्तव्य से उत्तेजित हुए थे तो वे गवाही के लिए आ सकते थे और शपथपूर्वक वैसा कह सकते थे। इस प्रकार के विवादास्पद तथा मनोवैज्ञानिक निश्चयात्मक कथन में ऐसा कुछ कह देना पर्याप्त नहीं होता। किसी विशेष कथन के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है यह उसी व्यक्ति व्दारा बतलाया जाना चाहिए और उसके सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई भी यह कहने के लिए सामने नहीं आया कि इसके लिए श्री मंडेलिया जिम्मेदार थे। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्रमिक वर्ग से केवल एक व्यक्ति, जिसने इस प्रेस सम्मेलन के बारे में बतलाया है। वह है श्री कृष्णस्वामी (७-अ॰ ग॰ १) उन्होंने बताया है कि उन्होंने रेडियों पर सुना था कि २० नवम्बर, १९७० को श्री मंडेलिया का पत्रकार सम्मेलन था और यह कि कामगार इस पत्रकार सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य से असन्तुष्ट थे। मात्र असन्तोष होना कोई खास बात नहीं होती किन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता है कि कामगार उससे उत्तेजित हुए थे। श्री कृष्णस्वामी, १९६० से ग्रेसिम मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। किसी भी अन्य संघ ने यह कहने के लिए कि वे इस वक्तव्य से उत्तेजित हुए थे कोई भी प्रतिनिधि या कोई सदस्य नहीं भेजा। श्री कृष्णस्वामी ने केवल यह कहा है कि कामगार असन्तुष्ट थे। इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि यह एक उत्तेजित करने वाला वक्तव्य था।

३७॰ अतएव, इस तर्क, कि श्री मंडेलिया के वक्तव्य से श्रमिक उत्तेजित हुए थे या कामगार और अधिक भड़क गये थे या उत्तेजित हो गए थे, के समर्थन में किसी साक्ष्य के अभाव में मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री मंडेलिया को कई औद्योगिक उपक्रमों को सलाह देनी होती है और सलाह के दौरान वे यह तो कह ही सकते हैं कि यदि कोई फैक्टरी चलाने में या किसी उपक्रम

की प्रगति में कोई कठिनाई होती है तो उन्हें उचित कदम उठाने होंगे। यदि श्रमिक सहयोग नहीं करते हैं और गड़बड़ी पैदा करते हैं तो उपक्रम का प्रमुख होने के नाते उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वे उपक्रम को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर देंगे। अतः मैं उस वक्तव्य पर दोष नहीं मढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने पत्रकारों के समक्ष दिया था। यद्यपि यह भी विवादास्पद है कि उन्होंने यह बात प्रारम्भ में कही या पत्रकारों व्दारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर में वैसा कहा था अथवा यह नागदा या किसी अन्य स्थान पर फैक्टरी स्थापित करने के लिए एक प्रकार का सामान्य विचार था।

३८. **निष्कर्ष.**—मैंने उन व्यक्तियों का, जो उपद्रवों को भड़काने तथा उनमें भाग लेने के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से प्रत्येक के संबंध में साक्ष्य का सारांश देते हुए, ब्यौरेवार वर्णन किया है। यह विचारणीय विषय अर्थात् (ख), विचारणीय विषय (क) से कुछ अतिच्छादित हो गया है। उपद्रव की पृष्ठभूमि, कारणों तथा घटना-क्रम में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो उन उपद्रवों को जिनके कारण २१ दिसम्बर, १९७० की घटनाएं हुई, भड़काने तथा उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी हैं। विचारणीय विषय (क) में मैंने उपद्रवों का आधार दर्शाने का प्रयत्न किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति को गुरुतर बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने की जो अपेक्षा मुझ से की गई है उसके संदर्भ में नजर दो बातों पर थी, एक तो श्री मंडेलिया का वक्तव्य तथा दूसरे श्री धारीवाल जिन्होंने दि. १२-१२-७० को पिछले सभी समझौतों की उपेक्षा करते हुए बोनस का प्रतिशत ३१ प्रतिशत घोषित करने की सूचना (प्रदर्श-१पी ४९) लगाई थी। श्री मंडेलिया के वक्तव्य के संबंध में मैंने पहले ही यह कहा है कि उनके वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कामगार भड़क सकते थे या स्थिति गुरुतर हो सकती थी। उनका वक्तव्य मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अनुसार, सामान्य प्रकार का था। जब पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो उत्तर में उन्हें उद्यम के किसी भाग को ऐसे स्थान में, जहां कोई गड़बड़ी न हो, स्थानान्तरित करने की संभावना व्यक्त करनी पड़ी। यदि कोई कारोबारी उद्यम, हड़तालों या श्रमिकों अथवा उनके नेताओं के शरारतपूर्ण कार्यों के कारण चलाया नहीं जा सकता हो तो उस व्यक्ति को, जो संस्था के प्रमुख पद पर हो, यह विचार व्यक्त करने का अधिकार है कि यदि हानि या कठिनाइयां हुई तो वे उसे स्थानान्तरित कर देंगे। यदि यह भड़काना है तो यह श्रमिकों की स्वयं की मनमानी है। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि उनके वक्तव्य के कारण उत्तेजना फैली या स्थिति गुरुतर हुई, तो समाचार-पत्रों में तथा अन्यत्र भी कुछ होहल्ला हुआ होता। श्री मंडेलिया के वक्तव्य पर बहुत बाद में जाकर ही इस प्रकाश में विचार किया जा सका।

३९. जहां तक श्री धारीवाल व्दारा ३१ प्रतिशत बोनस की घोषणा की दि. १२-१२-७० को एकपक्षीय सूचना लगाई जाने का सम्बन्ध है, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह घोषणा किसी करार या वचन के खिलाफ थी। इसके पहले मैं वे कारण बतला चुका हूं कि श्रमिक संयुक्त मांग करने के लिए एक क्यों नहीं हो सके थे। इंजीनियरिंग श्रमिक संघ (पक्षकार क्र. २) के इस अभिकथन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि बोनस की दर पक्षकारों के पारस्परिक करार

व्दारा ३५ तथा ४० प्रतिशत के बीच तय की गई थी, जो केवल श्री मंडेलिया के अन्तिम अनुमोदन के अध्यधीन दी जानी थी।

४०. एक अन्य तर्क जिस पर कुछ पक्षकारों ने जोर देना चाहा वह यह है कि श्री द्रविड़ के नेतृत्व वाली इन्टक का प्रतिनिधिक स्वरूप तत्कालीन श्रम मंत्री श्री गंगाराम तिवारी के आग्रह पर श्रम विभाग ने रद्द कर दिया था। इस मुद्दे पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। श्री द्रविड़ गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उन्होंने कोई कथन प्रस्तुत किया है किन्तु इन्टक संघ व्दारा कथन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि श्री द्रविड़, जो कि उसके नेता थे, कथनों के बारे में जानते थे। किसी भी व्यक्ति ने श्री द्रविड़ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया। एक प्रसिध्द श्रमिक नेता होने के नाते वे जांच के बारे में जानते थे, वे कथनों के बारे में जानते थे किन्तु उन्होंने इस आयोग के समक्ष उपस्थित होने की परवाह नहीं की। इसी प्रकार श्री गंगाराम तिवारी ने, जो उस समय श्रम मंत्री थे और जिनके विरुध्द बयान देने वाले पक्षकारों ने अनेक आरोप लगाए थे, समन किए जाने पर भी आने से इंकार कर दिया। जिस पक्षकार ने उन्हें समन किया था उसने उनकी उपस्थिति के लिए आग्रह नहीं किया। अत: यह स्पष्ट है कि वे पक्षकारों व्दारा बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को चुनौती नहीं देना चाहते थे। मैंने इस जांच में पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने में यथासंभव अधिक से अधिक ढील देने का प्रयत्न किया है। दस पक्षकारों ने कथन प्रस्तुत किए हैं किन्तु जब उनके व्दारा किए गए कथनों को सिध्द करने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की परवाह नहीं की।

४१. विचारणीय विषय (क) तथा (ख) के संबंध में मैंने जो चर्चा की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति की पृष्ठभूमि में ये बातें थीं अर्थात् एक जुट होने में समझौता न करने की श्रमिकों की प्रवृत्ति, तथा पक्षकारों के साथ, जिनमें से किसी का भी कोई प्रतिनिधित्व स्वरूप नहीं था, प्रबंधक वर्ग व्दारा कोई समझौता न किया जा सकने की कठिनाई बोनस के प्रश्न पर कानूनी स्थिति तथा लाभांश अधिनियम (बोनस एक्ट) के अधीन अनुमत अधिकतम राशि से अधिक बोनस पाने का श्रमिकों का आग्रह। जो व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी थे उनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है और मैं उसे दोहराना आवश्यक नहीं समझता।

४२. मैं यह बात दुहराना आवश्यक नहीं समझता कि कुछ पक्षकारों ने समस्या के प्रति अभिकथित उपेक्षापूर्ण रवैये के लिए शासन, जिला प्राधिकारियों, और प्रशासन को दोषी ठहराया है। यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। यद्यपि प्रबंधक वर्ग ने भी कड़ी कार्यवाही न करने के लिए अथवा मामला निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायालय को न भेजने के लिए श्रम विभाग को दोषी ठहराया है तथापि मैं नहीं समझता कि शासन की ओर से कोई उपेक्षा बरती गई थी। इस विषय पर मैंने अन्तिम विचारणीय विषय सम्बन्धी अपने उत्तर में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अधिकतम बोनस की घोषणा हो जाने के बाद, शासन को, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना था कि वह अधिक बोनस देने के लिए प्रबन्धकवर्ग और श्रमिकों का समझौता करा दें। सहायक श्रम आयुक्त तथा कलेक्टर ने बैठकें आयोजित करके तथा समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करके अनेक बार यह प्रयास किया था।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि संघों के पारस्परिक तथा भीतरी झगड़ों के कारण कोई संयुक्त मांग नहीं की गई थी। यहां तक कि इण्टक में भी दो से अधिक गुट थे। मुझे शंका है कि यदि श्री गंगाराम तिवारी और श्री द्रविड़ ने समझौता कर भी लिया होता, तो कोई अन्य संघ या दल ऐसा हो सकता था जो इससे सहमत न होता। इन दलों में जनसंघ, तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी थी और कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति थे जो लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे।

४३. भारत के राष्ट्रपति ने बंगलौर में १६ जून, १६७२ को दिए अपने भाषण में ''एक उद्योग में एक संघ'' के नारे पर जोर देने का प्रयास किया है। इस देश में समस्याओं का यह सर्वोत्तम समाधान है। अतएव एक विधान बनाया जाना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था हो कि एक उद्योग में एक से अधिक संघ नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के अनुसार एक ही स्थापना में संघों की बहुलता के कारणसंघों में पारस्परिक प्रतिव्दनिदता उत्पन्न होती है जो अन्ततः आन्दोलन की जड़ काट देती है। यह सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर कर देती है और कामगारों की, उनके वैध अधिकार प्राप्त करने में प्रभावशीलता कम कर देती है। भारत के राष्ट्रपति ने वह तरीका भी बताया है जिससे ''एक उद्योग में एक संघ'' का आदर्श स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुसार एक उद्योग में एक संघ का अत्यावश्यक आदर्श स्थापित करने के लिए शासन को, मुख्य श्रम आयुक्त को केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों में विभिन्न संघों की वास्तविक सदस्यता की सावधानीपूर्वक सूक्ष्म जांच करने के लिए प्राधिकृत करना पडेगा (परिशिष्ट क) में मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति का वक्तव्य उद्घृत किया है, जैसा कि वह समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस' नई दिल्ली, दिनांक १६-६-७२ में प्रकाशित हुआ है।

४४. निरीक्षण के समय मेरे व्दारा संग्रहीत सामग्री के आधार पर मेरा भी यह विचार है कि ''एक उद्योग में एक संघ'' ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। सेन्च्युरी रेयांन, कल्याण में केवल एक संघ है जो सेन्च्युरी वर्कर्स यूनियन कहलाता है और यह इण्टक से सम्बध्द है। इस उपक्रम में पिछले १० या १२ वर्षों से कोई श्रमिक अशान्ति या हड़ताल नहीं हुई है। औद्योगिक विवादों का निपटारा सदैव न्यायालय से बाहर होता रहा है। कोई मामला भी अधिकारिक तौर पर श्रम विभाग के पास नहीं भेजा गया है। वहां दिया गया बोनस भी ग्रासिम में दिए जा रहे बोनस से अधिक नहीं था। श्रीराम रेयांन कोटा में भी केवल एक ही संघ है जो श्रीराम रेयांन कर्मचारी यूनियन कहलाता है। यह किसी भी राजनैतिक दल से सम्बध्द नहीं है। श्रीराम रेयांन में इसके प्रारम्भ से ही कोई श्रमिक अशान्ति नहीं हुई है। राष्ट्रीय रेयांन निगम मोहने-कल्याण में निस्संदेह दो संघ हैं, जिनमें से एक को मान्यता प्राप्त हैं किन्तु इसमें भी कोई श्रमिक अशान्ति नहीं हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या का सर्वोत्तम समाधान यह है कि 'एक उद्योग में एक ही संघ' होना चाहिए।

अध्याय—छह

विचारणीय विषय (ग)

"क्या पुलिस व्दारा विभिन्न अवसरों पर उपयोग में लाया गया बल उचित और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सीमा के भीतर था।"

इस विचारणीय प्रश्न का उत्तर देते समय हमें उन विभिन्न अवसरों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। इस संबंध में प्रत्येक पक्ष व्दारा अपनाई गई दलीलों को भी ध्यान में रखना होगा।

२. मुख्य रूप से जिला प्रशासन ही विचारणीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं। तीन जीवन समाप्त हुए, मूल्यवान संपत्ति नष्ट की गई और अनेक लोग आहत हुए, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आईं। अतएव, यह जानने के लिए, कि विभिन्न अवसरों पर पुलिस व्दारा किया गया बल प्रयोग उचित था या नहीं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित सीमाओं के भीतर था या नहीं, जो कुछ धटित हुआ उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आन्दोलन हुए, और अक्टूबर, १९७० के अंतिम सप्ताह में संघर्ष समिति के गठन के बाद से विशेष रूप से हुए। आन्दोलन १ नवम्बर १९७० से प्रारंभ किया गया था। इस स्थिति को देखते हुए, १५ नवम्बर ७० को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश लागू किया गया। जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। निश्चय ही लगभग प्रतिदिन उक्त आदेश का उल्लंधन किया जाता रहा किन्तु पुलिस ने ता॰ २१-१२-७० के पूर्व कोई बल प्रयोग नहीं किया। सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां की गईं थीं किन्तु उनमें भी कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। श्री विजेन्द्र सिंह (१०-अ॰ग॰ ३२) के साक्ष्य में यह भी है कि १२-१२-७० से आन्दोलन ने कुछ गंभीर रूप धारण कर लिया था। उस दिन शाम को लगभग ५॰३० वजे कामगारों ने हड़ताल शुरू की। ता॰ १२-१२-७० को दोपहर लगभग ३ बजे श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री पंचानन बराल, श्री गेन्दालाल और श्री धावरचन्द्र अपराध करने के इरादे से स्टेपल फाइबर डिविजन के कामगारों के आने-जाने के व्दार से कारखाने में अनधिकृत रूप से जबरन घुस गए। उस समय पारी दोपहर में ३ बजे बदलती थी, और उस समय उनके साथ जो अन्य व्यक्ति आ मिले उनके नाम श्री हनुमान प्रसाद, श्री महन्त दुबे, श्री रमजान, श्री प्रयागीलाल श्री राजेन्द्र गर्ग, श्री नानकराम और श्री भंवर सिंह थे। वे कारखाने में बिजली (पावर हाउस) के निकट के चौराहे पर गए और उन्होंने सबेरे की पारी से निबट कर जाने वाले कामगारों को घर नहीं जाने दिया। उन्होंने नारे लगाने शुरू किए और बाद में लगभग २५० कामगारों को लेकर जुलूस निकाला।

३. कारखाने का चक्कर लगाने के बाद कामगारों की भीड़ शोर मचाने लगी और प्रत्येक को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने लगी कि वह प्रबंधकों से अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्हें किसी न किसी प्रकार जबरन आतंकित करें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोथरवाल शाम को लगभग ५ बजे कामगारों को बिजलीघर के निकट के चौराहे पर ले गए। उन्होंने सामान्य पारी (जनरल शिफ्ट) के कामगारों को घर जाने से रोका। इसी समय, श्री हादी हुसैन, गणेश दुबे, श्री धवरचन्द, श्री गेंदालाल और श्री अर्जुन के नेतृत्व में इंजीनियरिंग डिविजन के लगभग २०० कामगार रेलवे गेट पर तैनात जमादार को धक्का देकर और चारदीवारी को लांधकर स्टेपल फाइबर डिविजन में जबरन घुस गए। श्री रामकुमार सिंह, श्री नानूराम, श्री बैजनाथ, श्री अहमद खान और श्री गोवर्धन के नेतृत्व में स्थापना (एस्टाब्लिशमेण्ट) के लगभग ३५ कामगार भी वहां आ गए। उन्होंने कर्तव्यस्थ सुरक्षा कर्मचारियों को धकेल दिया और स्टेपल फाइबर डिविजन में घुस गए। बाद पंचानन बराल ने कोई इशारा किया जिसके परिणामस्वरूप, विजली का कनेक्शन काट दिया गया। समूचे कारखाने में अंधकार हो गया। इसके बाद असंयत भीड़ के साथ नेता लोग विभिन्न विभागों में घुसे और उन्होंने कार्य करने के इच्छुक कामगारों को विभागों से खींच कर बाहर निकाला। जिन कामगारों ने भीड़ को समझदारी से काम लेने की सलाह दी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुरुषोत्तम मालपानी के सिर में चोट आई। असंयत भीड़ ने चालू पारी के लोगों को मशीने बंद कर देने को कहा। टेलीफोन एकस्चेंज से संबंध काट दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई। श्री हनुमान प्रसाद श्री जितेन्द्र गोथरवाल, श्री महन्तम दुबे, श्री मांगीलाल शर्मा, श्री राजेन्द्र बुन्देला, श्री धावरचन्द्र और नानकराम तथा अन्य नेताओं के मार्गदर्शन में असंयत भीड़ ने प्रोसेस इंजीनियरों तथा केमिस्टों को विभागों से बाहर आने पर मजबूर किया और उन्हें यह धमकी दी यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पडेगे। नेताओं के कहने पर सारी भीड़ हलवाई की दूकान पर गई। जमादार हनुमान सिंह को, जो निकट ही कर्तव्य पर था, धमकी दी गई कि उसे जान से मार डाला जाएगा। इसके बाद भीड़ हलवाई की दूकान पर गई और उसे लूटा। शाम को लगभग ४·४५ बजे जब सहायक कारखाना प्रबंधक श्री किशोरीलाल पावर हाउस गेट के सूचना फलक पर सूचना लगाने के लिए गए तब श्री नौबत सिंह के साथ उनका घेराव कर लिया गया। उन्हें मुख्य रक्षक के कमरे में ४५ मिनट तक परिरूध्द रखा गया। उन्होंने समय कार्यालय (टाइम आफिस) के दरवाजों, खिड़कियों के कुछ कांच तोड़ डाले और मृत्यु का भय दिखाते हुए सहायक प्रबंधक को उनके उपस्थिति पत्रक देने के लिए वाध्य किया।

४. हड़तालियों ने कैन्टीन की खाद्य सामग्री खा ली या उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला जिससे लगभग ६००० रु० की हानि हुई। उन्होंने तिजोरी तोड़ डाली और उसे लूट लिया। इस अवसर पर निश्चय ही कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। इस घटना की सूचना घटना होने के बहुत बाद पुलिस स्टेशन पर पहुंची। घटना ता० १२-१२-७० को हुई और अभिलेख में हमें दो रिपोर्टें मिलती हैं जिनमें से एक १३-१२-७० की और दूसरी १५-१२-७० की है। संभवतः बर्तन तोड़ने सामग्री और धन लूटने के संबंध में पुलिस को जानकारी इसके बाद में मिली। उन व्यक्तियों के विरुध्द कुछ अपराध दर्ज किए गए, जिनके नामों का उल्लेख सहायक कारखाना प्रबंधक और श्री नौबतसिंह की रिपोर्ट में आया है। अतएव, जहां तक इस अवसर का संबंध है, बल प्रयोग के औचित्य का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वास्तव में बल प्रयोग २१-१२-७० को ही किया गया और यदि मैं कहूं

कि यद्यपि इस विचारणीय विषय में अवसरों शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि उसका संबंध केवल २१-१२-७० के विभिन्न अवसरों से ही है तो भी यह कोई गलत बात नहीं होगी।

जिला प्राधिकारियों का पक्ष

५· अतएव, अब मैं इस विचारणीय विषय के संबंध में प्रस्तुत दलीलों को जानने का प्रयास करूंगा। जिला प्राधिकारियों ने स्वीकार किया है कि तीन प्रकार का बल प्रयोग किया गया था (१) अश्रु गैस का प्रयोग, (२) लाठी चार्ज और (३) गोली चालन। जिला प्राधिकारियों ने कहा है कि अश्रु गैस दल ने सब डि· वी· मजिस्ट्रेट श्री ए· एस· बेग (१०-अ. ग. १४) के आदेशों पर सर्व प्रथम पावर हाउस गेट पर अश्रु गैस के गोले फेंके। उन्होंने यह भी कहा कि कामगार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन करके इक्ठ्ठे हुए थे। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि जमाव विधिविरुध्द है और उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए। उन्होंने तितर-बितर होने के स्थान पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अतएव सब-डिवी· मजिस्ट्रेट ने बलवाइयों को तितर-बितर होने के लिए लाउडस्पीकर पर पुनः चेतावनी देने के बाद अश्रु गैस दल को अश्रु गैस के गोले फेंकने का आदेश दिया। अश्रु गैस के गोले गैरेज चौराहे पर भी फेंके गए। बलवाई वहां भी नारे लगा रहे थे ''बेग को मारो; पुलिस से निपट लो; स्टाफ को मिलने पर मारो''। सब-डिवी· मजिस्ट्रेट ने बलवाइयों को चेतावनी दी किन्तु वे वहां से हटे नहीं। प्रतिकूल हवा के कारण दोनों ही स्थानों पर अश्रुगैस के गोलों का वांछित प्रभाव नहीं हुआ। जिला प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि ता· २१-१२-७० को पुलिस ने दो अवसरों पर लाठी चार्ज किया, एक बार पावर हाउस गेट पर और दूसरी बार गैरेज चौराहे पर। पावर हाउस गेट पर जमाव विधिविरुध्द था और चेतावनी के बावजूद जब जमाव के लोग अडे रहे और वहां से नहीं हटे तथा अश्रु गैस के गोले फेंकना बेकार रहा तब लाठी चार्ज का आदेश दिया गया। गैरेज चौराहे पर वैसी परिस्थितियों में ·पुलिस गवाह १४ श्री बेग, सब डिवी· मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया.

६· जिला प्राधिकारी यह भी स्वीकार करते हैं कि पुलिस को दो अवसरों पर गोली चलानी पड़ी, एक बार पुलिस अधीक्षक श्री पाहूजा (१० अ·ग·२७) के आदेशों पर बिड़ला हाउस में और दूसरी बार थानेदार बिजेन्द्र सिंह (१० अ· ग· ३२) के आदेशों पर गैरेज चौराहे पर। जिला प्राधिकारियों का कहना है कि पहली बार पुलिस व्दारा श्री पाहूजा के आदेशों पर गोली चलानी पड़ी। क्योंकि जब पुलिस बल बिड़ला हाउस पहुंचा तब यह देखा गया कि इमारत जल रही थी और बलवाई लाठियों लोहे के पाइप, जलती मशालें और पत्थर लिए आसपास घूम रहे थे। वे नारे लगा रहे थे कि उन्होंने प्रबंधक अधिकारियों को जिंदा जला दिया है और वे पुलिस अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इन परिस्थितियों में श्री पाहूजा ने कान्स्टेबल बहादुरसिंह को बलवाइयों पर गोली चलाने का आदेश दिया। श्री पाहूजा के शब्दों में, —

> ''मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि अतिथिगृह तथा बिड़ला हाउस में आग लग गई है और कुछ व्यक्ति उनके भीतर फंस गए हैं। वे

बाहर आ नहीं पा रहे हैं। बलवाई उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अतएव, मैंने पुलिस उप-अधीक्षक और तीन राइफलधारियों को अपने साथ लिया। थानेदार बिजेन्द्रसिंह को गैरेज चौराहे पर नजर रखने के लिए वहां छोड़कर मैं अतिथि गृह की ओर आया हमने देखा कि अतिथि गृह जल रहा था। किन्तु वहां कोई बलवाई उपस्थित नहीं था। अतिथि गृह में रखी गई गाड़ियां या तो तोड़ दी गई थीं या उनमें आग लगा दी गई थी। हमने यह पता लगाने के लिए अतिथिगृह की तुरन्त तलाशी ली कि वहां कोई व्यक्ति छिपा तो नहीं है। चूंकि हमने वहां किसी भी व्यक्ति को फंसा हुआ नहीं पाया, अतः हमने कुछ पुलिस बल को वहां छोड़ दिया और बिड़ला हाउस की ओर पैदल ही चल दिए। हमें जहां कहीं से रास्ता मिला, वहीं से होकर बिड़ला हाउस पहुंचे। हमने बिड़ला हाउस को भी जलता पाया। हमने बिड़ला हाउस के आसपास लगभग १००-१५० बलवाइयों को भी जलती मशालें, लाठियां, पाइप और सरिए लिए हुए घूमते देखा। हमने बलवाइयों से ६०-७० फुट की दूरी से उन्हें तितर-वितर हो जाने की चेतावनी दी। उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उनमें से अनेक बलवाई चिल्लाने लगे कि हमने मालिक को जला दिया है और हम पुलिस को भी जला देंगे। उनमें से एक बलवाई मशाल लेकर एक जत्थे के साथ हमारी ओर बढ़ा जिनके पास पाइप, लोहे की छड़ें और पत्थर थे। नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति के हाथ में मशाल थी। उसने कहा अभी पुलिसवाले को देख लेते हैं। वे क्रोध से पागल हो कर हमारी ओर बढ़ रहे थे। हम उन्हें आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रहे थे किन्तु वे उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तब मैंने अपने साथ के लोगों अर्थात पुलिस दल की सुरक्षा तथा इमारत में फंसे हुए अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपने दाहिने ओर खड़े कान्स्टेबल बहादुर सिंह से नेता पर गोली चलाने को कहा। उसने दो बार गोली चलाई। हमने एक व्यक्ति को गिरते हुए देखा। गिरने वाले व्यक्ति के हाथ में एक मशाल थी। इस गोली चालन तथा नेता के धराशायी हो जाने के कारण बलवाई तितर-वितर होकर वापस भागने लगे। पुलिस अधीक्षक व्दारा इस संबंध में दिए गए विवरण की सत्यता को किसी ने चुनौती नहीं दी कि वहां क्या घटित हुआ और किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई।''

७. दूसरे अवसर पर श्री बिजेन्द्र सिंह (१० अ॰ग॰ ३२), थानेदार के आदेश पर गोली चलाई गई थी। उन्हीं के शब्दों में:—

''भीड़ ने भी मिल के भीतर से एक हौज पाइप के जरिए पानी फेंकना शुरू कर दिया था। आसपास की इन परिस्थितियों तथा

> भीड़ की गतिविधियों को देखकर मुझे यह आशंका होने लगी कि वे शिविर को जला डालेंगे और पुलिस अधिकारियों को मार डालेंगे। शिविर के ठीक पीछे स्थित पुलिस बल भी चिल्ला रहा था कि भीड़ उन पर हमला कर रही है। अतएव मैंने उन्हें पुनः चेतावनी दी और आदेश दिया कि उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए, आग लगाना तथा पत्थर फेंकना बन्द कर देना चाहिए, अन्यथा पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी। किन्तु भीड़ में वही आवेश बना रहा। मेरी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अतएव, मैंने गोली चालन दल को सतर्क रहने को कहा। अपने व्यक्तियों की सुरक्षा तथा अपनी सुरक्षा के लिए मैंने कांस्टेबल सरवन लाल को पांच राउन्ड गोली चलाने का आदेश दिया। उसने बिजली घर (पावर हाउस) सड़क की ओर भीड़ पर गोली चलाई। श्री सागरमल गुप्ता, जो बिजली घर सड़क के ठीक बगल की दीवाल के पीछे से गोली चला रहे थे, सरवन लाल की गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। सरवन लाल ने गैरेज के पास से गोली चलाई। इसके बावजूद भीड़ ने बिजली घर सड़क, बाग तथा स्कूल की ओर से पुलिस के शिविर की तरफ पत्थर, नट तथा बोल्ट फेंकना चालू रखा। दीवाल के पीछे से गोली भी चलाई जाती रही।''

इस गवाह के बयान को भी किसी ने चुनौती नहीं दी।

८. इस संबंध में प्रबंधकों ने जिला प्राधिकारियों व्दारा दी गई दलीलों से पूरी तरह सहमति व्यक्त की है। प्रबंधकों के अनुसार पुलिस दल को उस समय गोली चलानी पड़ी, जब बलवाइयों की भीड़ को तितर-बितर करने के उनके सभी प्रयास विफल सिध्द हुए। उसका यह भी कहना है कि गोली अंतिम उपाय के रूप में उस समय चलानी पड़ी जब उच्छृंखल, हिंसक तथा विधिविरुध्द जमाव से आसन्न खतरा प्रबल हो उठा। जीवन तथा सम्पत्ति को बचाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था क्योंकि उपद्रवी भी सतर्क थे। हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर प्रहार किए और उनके वाहनों में आग लगा दी। यहां तक कि उनमें से कुछ ने तो बंदूकों का भी उपयोग किया, जो उन्होंने शस्त्रागार से लूटी थीं। प्रबंधकों के अनुसार पुलिस का गोली चलाना पूर्णतः उचित था क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि भीड़ हिंसा का सहारा लेकर विधि का उल्लंघन करने पर तुल गई है और यहां तक कि कर्फ्यू लागू करने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

९. अब मैं इस विचारणीय प्रश्न पर अन्य पक्षों व्दारा दी गई दलीलों का उल्लेख करूंगा।

पक्षकार क्र. २ तथा ३ की दलील

१०. इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, पक्षकार क्र. २ तथा ग्रासिम श्रमिक संघ, पक्षकार क्र. ३ ने एक ही प्रकार की दलील दी है। इन पक्षकारों के

अनुसार पुलिस ने सब डिविजन मजिस्ट्रेट खाचरोद की उपस्थिति में एक श्रमिक नेता मांगीलाल शर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया। यह भी आरोप लगाया गया कि यह उस समय हुआ जब श्री मांगीलाल दो कामगारों के साथ पुलिस तथा प्रबंधक के पास स्थिति को न बिगड़ने देने का निवेदन करने के लिए गए हुए थे। किन्तु पुलिस ने अचानक कामगारों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और मिथ्या और निरर्थक बात प्रचारित की कि श्रमिकों के हाथ में लाठियां तथा फरसे थे तथा वे पुलिस पर हमला करना चाहते थे। उनके अनुसार पुलिस तथा प्रबंधकों के पिठ्ठुओं व्दारा श्रमिकों पर किये गये हमले से ही इस झगडे की शुरूआत हुई। अतएव, आगे की घटनाएं पुलिस तथा प्रबंधकों व्दारा अचानक भड़काए जाने के परिणामस्वरूप घटित हुई। उनका यह भी कहना है कि गोली चालन के लिए पुलिस उत्तरदायी है, जो अनौचित्यपूर्ण तथा अनपेक्षित था।

११· बयान देने और अपनी दलीलें पेश करने के अतिरिक्त ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह सिध्द होता हो कि मांगीलाल शर्मा को उस समय मारा गया, जब वह पुलिस तथा प्रबंधकों से स्थिति न बिगड़ने देने का अनुरोध कर रहा था। चोटों को देखते हुए यह संदेह नहीं किया जा सकता कि बल प्रयोग किया गया था। किन्तु वे केवल यह आरोप लगाकर कि यह अनुचित था कोई बात भी सिध्द नहीं करते। अतएव, उनकी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।

पक्षकार क्र· ४ की दलील

१२· संघर्ष समिति, पक्षकार क्र· ४ ने बताया कि पुलिस ने श्री मांगीलाल शर्मा को पावर हाउस गेट के पास पीटा, जो कि एक प्रतिष्ठित श्रमिक नेता थे। पास ही की सड़क पर शान्तिपूर्वक घूम रहे श्रमिकों ने सुबह ०७·३० बजे इस घटना को देखा। कुछ श्रमिक घायल हुए। उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया किन्तु पुलिस ने एक भी अपराध दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर इस पक्षकार ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने हमलावरों को संरक्षण प्रदान किया। अपने इस आरोप की पुष्टि में कि पिस्तौल का प्रयोग किया गया था, उनका कहना है कि कामगारों को गोलियों की चोटें लगी हैं। उनका यह भी आरोप है कि आग्नेयास्त्रों से यह चोटें प्रबंधक-वर्ग के कुछ उच्च पदाधिकारियों व्दारा पहुंचाई गई थी। आगे उनका यह अभिकथन है कि पुलिस ने उन व्यक्तियों के विरूध्द कोई अपराध दर्ज नहीं किए, जिन्होंने पिस्तौल का प्रयोग किया था।

१३· संघर्ष समिति व्दारा इस संबंध में रंचमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उसने प्रबंधक-वर्ग में से उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख तक नहीं किया, जिन्होंने पिस्तौल का प्रयोग किया था। उन्होंने उन व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख नहीं किया, जो आग्नेयास्त्र से घायल हो गए थे। अतएव, इस मत को स्वीकार करना संभव नहीं है।

पक्षकार क्र· ५ की दलील

१४· नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्र· ५ का कहना सिर्फ इतना ही है कि विभिन्न अवसरों पर प्रयोग किया गया बल न्यायोचित नहीं था और

उचित अनुचित की सभी सीमाओं को तोड़कर बल प्रयोग किया गया था। इस पक्षकार का यह भी कहना है कि एक ओर श्री मांगीलाल शर्मा तथा श्रीमती उषा भाटिया और दूसरी ओर श्री बेग, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के बीच कुछ बहस हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री बेग अपना आपा खो बैठे और उन्होंने श्री मांगीलाल को लात मार दी तथा लाठी चार्ज शुरू कर दिया। श्री मांगीलाल तथा श्रीमती उषा भाटिया घायल हुए। भीड़ ने भी कुछ पत्थर फेंके, जिससे श्री बेग को चोट पहुंची, जो चिकित्सालय चले गए और उस दिन वहां से नहीं लौटे। आगे उनका यह भी कहना है कि श्रमिकों का एक दल व्दार से यह देखने के लिए भीतर घुसा कि वाटर टावर के पास क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच दीवाल तथा पुलिस लाईन थी। पुलिस ने तथा प्रबंधक-वर्ग से संबंधित लोगों ने अचानक गोली चलाई, जिससे अनेक कामगार हताहत हुए। उनका यह भी कहना है कि कामगारों पर हमला करने लिए पुलिस की बन्दूकों तथा कारखाने के शस्त्रागार की बन्दूकों का प्रयोग किया गया।

१५· इस पक्षकार ने भी इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि गोली चालन उचित नहीं था। यहां तक कि इस पक्षकार के आरोपों की पुष्टि के लिए, श्री मांगीलाल शर्मा या श्रीमती उषा भाटिया भी गवाही देने आए हैं। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि श्रीमती उषा भाटिया एवं श्री पंचानन दराल जो पक्षकार क्र· ८ और ९ के रूप में उपस्थित हुए हैं ने भी अपने लिखित कथनों में ऐसे ही आरोप लगाए हैं. . किन्तु इनमें से कोई भी किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए मेरे समक्ष शपथपूर्वक मौखिक बयान देने के लिए सामने नहीं आया।

पक्षकार क्र· ६ की दलील

१६· तथापि पक्षकार क्र· ६ ग्रासिम मजदूर संघ का कहना है कि ग्रासिम मजदूर संघ को यह विदित नहीं है कि २१-१२-१९७० को कारखाने के व्दार पर गोली चलाना किस प्रकार या किसने प्रारंभ किया किन्तु पुलिस ने कर्फ्यू की घोषणा प्रातः ९·३० बजे की और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। तारीख २१-१२-१९७० के उपद्रवों को शान्त करने के लिए अंधाधुंध गोली चालन के अतिरिक्त अपनाए गए अन्य उपाय उचित थे।

१७· मैं नहीं जानता कि अंधाधुंध गोली चालन का अर्थ क्या है। जब कोई बलवा होता है और भीड़ श्रृंखल तथा असंभव हो जाती है तब इस अर्थ में सदेव ही इस प्रकार अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जाता। एक बार यह स्वीकार कर लिए जाने पर कि उपद्रवों को शान्त करने के लिए पुलिस व्दारा अपनाया गया तरीका आवश्यक था, वहां उपस्थित कुछ व्यक्तियों को लगी चोटों के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पक्षकार क्र· ७ की दलील

१८· पक्षकार क्र· ७, ग्रासिम मजदूर यूनियन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना किसी औचित्य के और कोई सूचना या चेतावनी दिए बिना या

बिना किसी विधि सम्मत कारण के व्दार के बाहर या व्दार के निकट खड़े या व्दार में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले या व्दार की ओर जानेवाली सड़क पर खडे, कामगारों पर आक्रमण किया। यह बयान अपने आप में ही परस्पर विरोधी है। यदि वे व्दार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस के लिए कार्यवाही करने का कोई औचित्य क्यों नहीं था। आगे यह कहा गया कि कर्फ्यू तीन दिनों तक लगा रहा। कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने निर्दोष कामगारों को पीटकर और आतंकित कर तहलका मचा दिया। कामगारों को उनके मकानों से खींच कर बाहर निकाला गया और उन्हें पीटा गया। दूसरी ओर, समिति के समर्थक खुले आम आगजनी करने लगे और संघ नेताओं तथा समर्थकों को पीटने और उन पर आक्रमण करने लगे। पुलिस ने इन उपद्रवकारियों के विरुध्द कोई भी कार्यवाही नहीं की।

१९. यह स्पष्ट है कि पक्षकार क्र. ७ के संघर्ष समिति के विरुध्द कुछ आरोप हैं, किन्तु इसके साथ ही वह पुलिस पर लोगों को मकान से खींचकर बाहर निकालने का आरोप लगा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जो यह कहे कि उसे पुलिस व्दारा अनावश्यक रूप से खींचकर बाहर निकाला गया था, या उस पर आक्रमण किया गया था या उसे पीटा गया था। अतएव, यह आरोप भी उतना ही अस्पष्ट है।

२०. अतएव, हम उपर्युक्त ब्यानों और चर्चाओं से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुलिस व्दारा जो कदम उठाए गए, उनका उठाया जाना औचित्य-पूर्ण था। शासन अर्थात् जिला प्राधिकारी और साथ ही प्रबंधक दोनों ही इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। उन्होंने वे परिस्थितियां दर्शाते हुए साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है जिनमें बल प्रयोग किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री पाहुजा, उप पुलिस अधीक्षक श्री राजाराम रावत, और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट श्री बेग इन सभी ने आगे आ कर यह कहा है कि की गई कार्यवाही उचित थी। इसी प्रकार प्रबंधकों के गवाहों ने भी यही कहा है। जिन पक्षकारों ने अन्यता बात कही है, उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। उनका आरोप था कि ज्यादतियां की गई थीं और उनका कोई औचित्य नहीं था।

२१. अतः इस विचारणीय विषय पर मेरे विचार में पुलिस व्दारा की गई कार्यवाही उचित थी। पुलिस ने उसी समय गोली चलाई, जब उसके अन्य शस्त्र विफल हो गए। शस्त्रों से मेरा तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश देना, अश्रु गैस के गोले छोड़ना तथा लाठी चार्ज करना है।

२२. मध्यप्रदेश पुलिस विनियम की धारा ४३९ से ४४४ में विधि विरुध्द जमावों तथा बलवों के मामले में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। संगत विनियमों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:—

"४३९. **विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर करना**:—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२७ तथा १२८ के अधीन किसी थाने का प्रभारी अधिकारी किसी विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर होने का आदेश दे सकेगा, और यदि ऐसा जमाव

तितर-बितर न हो या ऐसा आचरण करें, जिससे तितर-बितर न होने का दृढ़ निश्चय व्यक्त होता हो, तो वह ऐसे जमाव को बल प्रयोग व्दारा तितर-बितर कर सकेगा। पद में थानेदार से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उक्त संहिता की धारा ५५१ के अधीन इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२७ तथा १२८ व्दारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सद्भावना के साथ कार्य करनेवाले सभी पुलिस अधिकारियों को उक्त संहिता की धारा १३२ व्दारा दाण्डिक परिणामों से सुरक्षा प्रदान की गई है।

४४०. **बल का प्रयोग और उसकी मात्रा**: —उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी को किसी विधि विरुध्द जमाव से निपटते समय विवेकाधिकार का प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी दो मामले बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, और किसी विशिष्ट मामले में कौन से कदम उचित होंगे, इसका निर्णय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथापि, निम्नलिखित सिध्दांतों का पालन किया जाना चाहिए: —

(एक) जब बल का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो जाय तो न्यूनतम बल, जो किसी विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर करने के लिए आवश्यक हो, प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

(दो) विधि विरुध्द जमाव व्दारा तितर-बितर होने की साधारण प्रवृत्ति दिखाते ही बल प्रयोग बन्द कर दिया जाना चाहिए।

४४१. **किसी विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर करना**: —जब कोई विधि विरुध्द जमाव एकत्र हो गया हो या उसके एकत्र होने की संभावना हो, तब किसी संभावित बलवे से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी: —

उतना पुलिस बल जिसे पर्याप्त समझा जाए या जो उपलब्ध हो, घटना स्थल की ओर अग्रसर होगा। उनमें से कुछ अपने डंडों (तेटन) के अलावा बेतों या लाठियों से भी सज्जित होंगे। कुछ सशस्त्र पुलिस भी तैयार रहेगी। प्रथमोपचार उपकरणों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और यदि संभव हो, तो एक चिकित्सा अधिकारी पुलिस बल के साथ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। पुलिस बल की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए कि विधि विरुध्द जमाव से उसके रवैये के अनुसार निबटा जा सके। उन्हें इस प्रकार पंक्तिबध्द खड़ा किया जाएगा, कि वे

आवश्यक स्थान घेर सकें और उन्हें अपने हथियारों का मुक्त रूप से प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो। पर्याप्त अंतर्विस्तार देने के लिए मूल्यांकन अधिक से अधिक पंक्तियां बनाई जाएंगी। यदि जमाव तितर-बितर होने से इन्कार कर दे तो पहले उसे बेतों से सज्जित जवानों व्दारा तितर-बितर करने का प्रयास किया जाएगा और लाठीधारी पुलिस से अविलम्ब कार्यवाही कराई जाएगी। लाठी (संगीन की तरह उपयोग करते हुए) भोंकना लाठी से प्रहार करने की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि इससे बलवाइयों को कष्ट तो उतना ही होता है, परन्तु उन्हें घातक चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है, जो कि अपने आप में एक अवांछनीय बात है और जिसके भय से पुलिस वाले लाठियों का उपयोग स्वाभाविकतया आधे मन से ही करते हैं। भीड़ को जितना ही निकट होकर उसे धकेला जाता है उतनी ही उसमें शामिल लोगों व्दारा लाठियों या पत्थरों का उपयोग कर प्रतिकार करने की संभावना कम होती है। खुली जगहों से भीड़ के लोगों को पास लाने के लिए बगली प्रहार कभी-कभी लाभप्रद होता है।

४४२. **गोली चालन व्दारा तितर-बितर करना**:—यदि बलवाइयो को केन तथा लाठियों के प्रयोग से तितर-बितर करना संभव न पाया जाए, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र पुलिस का उपयोग किया जाएगा। सशस्त्र दल के प्रत्येक व्यक्ति को २० राउण्ड गोलियों वाली बन्दूक दी जाएगी। स्थल पर ही तुरन्त कारतूसों की आरक्षित पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब सशस्त्र पुलिस का उपयोग किया जाए, तब उसके साथ एक जिला मजिस्ट्रेट या उसके व्दारा विशेष रूप से नियुक्त मजिस्ट्रेट होना चाहिए।

(क) वस्तुतः गोली चलाये जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट संगीनधारी दस्ते के साथ भीड़ के पास इतनी दूरी तक जाएगा कि उसकी आवाज भीड़ तक पहुंच सके और वह भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश देगा, यदि आदेश की अवज्ञा की जाती है, तो मजिस्ट्रेट जमाव या असंयत भीड़ को स्पष्ट चेतावनी देगा कि गोली चलानी पडेगी और वह प्रभावी होगी। इस पर भी यदि भीड़ तितर-बितर होने से इन्कार करे, तो मजिस्ट्रेट मुख्य पुलिस दल के पास वापस चला जाएगा।

(ख) **मजिस्ट्रेट का कर्तव्य**.—गोली चलाने का आदेश देने का दायित्व उपस्थित मजिस्ट्रेट का होगा और उस समय तक गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि असंयत भीड़ व्दारा कोई हिंसक कार्य नहीं किया जाए।

(ग) गोली चालन उसी क्षण बन्द कर देना चाहिए, जिस क्षण उसकी आवश्यकता न रहे। असंयत भीड़ से पीछे हटने या तितर-बितर होने का जरा-सा संकेत मिलते ही मजिस्ट्रेट प्रभारी पुलिस अधिकारी को गोली चालन बन्द करने का निदेश देगा।

टिप्पणी-एक·—यदि किसी अपरिहार्य कारणवश से मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो, तो मजिस्ट्रेट के कर्तव्य उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी में न्यागत होंगे।

टिप्पणी-दो·—मजिस्ट्रेट के असंयत भीड़ को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ने के पूर्व संपूर्ण दल को आदेश दिया जाएगा कि वे अपनी-अपनी बन्दूकें भर लें और उन्हें सुरक्षित रखें।

४४३·—**पुलिस अधिकारी के कर्तव्य**:—पुलिस दल के प्रभारी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व नीचे दिए गए हैं:—

(क) **मोर्चा लगाना**:—कमान रखनेवाला पुलिस अधिकारी मोर्चा लगाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाएगी कि सशस्त्र बल को विशाल और खतरनाक असंयत भीड़ के इतने अधिक निकट नहीं लाया जाए कि संख्या में अधिक होने के कारण भीड़ उस पर हावी हो जाए या विवश होकर भारी संख्या के लोगों को हताहत करने की जोखिम पैदा हो जाए। गोली चालन तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट व्दारा आदेश नहीं दिया जाता और वह इतनी दूरी से किया जाएगा कि आकस्मिक धावा बोलने की संभावना न रह जाए और गोली चालन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। यदि कमान रखनेवाले अधिकारी के विचार में उसके बल पर आकस्मिक रूप से धावा बोले जाने की संभावना हो, तो बन्दूकों में संगीने लगाई जाएगी। यदि लोगों को विभिन्न दिशाओं में तैनात करना हो तो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में इतनी पर्याप्त दूरी रखते हुए तैनात किया जाना चाहिए कि कमान का कि अधिकारी गोली चालन पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी पंक्तियों के बीच आ जा सके।

(ख) **गोली चालन पर नियंत्रण**·—गोली चालन पर नियंत्रण रखने के प्रयोजन से पुलिस बल को १० से अनधिक व्यक्तियों, के दलों में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक दल एक उत्तरदायी अधिकारी के अधीन होगा। गोली चालन का वास्तविक आदेश कमान रखनेवाले अधिकारी व्दारा दिया जाएगा। गोली विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट दलों

व्दारा चलाई जाएगी। जब तक नितान्त आवश्यक न हो, गोली चालन प्रारंभ नहीं किया जाएगा किन्तु यदि किया जाता है, तो प्रभावी होना चाहिए। यथासंभव गोली नेताओं या जमाव के अधिक हिंसक सदस्यों या भागों पर चलाई जाएगी और इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि असंयत भीड़ से अलग खड़े दर्शक या अन्य व्यक्ति घायल न हों। असंयत भीड़ के वापस लौटने या तितर-बितर होने का संकेत मिलते ही कमान रखनेवाला अधिकारी मजिस्ट्रेट से, यदि उपस्थित हो, परामर्श कर गोली चालन बन्द करने का आदेश देगा।

(ग) खाली कारतूसों का प्रयोग पूरी तरह निषिध्द है। असंयत भीड़ के ऊपर से गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप असंयत भीड़ के पीछे खड़े निर्दोष लोग ही घायल होते हैं और ऐसा कभी भी नहीं किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: —मजिस्ट्रेट पुलिस के मोर्चे में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही गोली चालन पर नियंत्रण के संबंध में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विवेक को प्रभावित करेगा।

४४४. **बलवे की समाप्ति पर कार्यवाही**·—किसी विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर कर दिए जाने पर पुलिस व्दारा प्रथमोपचार किया जाना चाहिए और हताहतों को चिकित्सालय ले जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। मुख्यालय में कुछ मरहम पट्टी और स्ट्रेचर रखे जाने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भेजा जा सके। यदि किसी विधि विरुध्द जमाव पर गोली चलाई जाएं, तो मजिस्ट्रेट, यदि कोई उपस्थित हो, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे, जिसमें वे परिस्थितियां, जिनके कारण गोली चालन आवश्यक हो गया था, चलाए गए राउण्डों की संख्या, मृत तथा घायल व्यक्तियों की संख्या और अन्य संगत तथ्यों का ब्यौरेवार उल्लेख किया जाएगा। इस प्रतिवेदन की एक प्रति पुलिस अधिकारी व्दारा पुलिस उप महानिरीक्षक के जरिए महानिरीक्षक को और मजिस्ट्रेट व्दारा जिला मजिस्ट्रेट और आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

२३. यदि हम उपर्युक्त विनियमों का विश्लेषण करें, तो उससे यह स्पष्ट होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२७ और १२८ के अधीन पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी किसी भी विधि विरुध्द जमाव को तितर-बितर होने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा जमाव तितर-बितर नहीं होता या इस ढ़ंग से आचरण करता है कि उससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय प्रकट होता हो, तो वह ऐसे जमाव को बलपूर्वक तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकेगा. यहां पुलिस अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने वाले समस्त तत्व मौजूद हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत पारित आदेश के उल्लंघन के कारण

वह जमाव विधिविरुध्द था। उसे तितर-बितर होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने न केवल तितर-बितर होने से इन्कार किया, बल्कि पथराव भी किया और उन्होंने आगे भी आदेश का उल्लंघन करने का रवैया दिखाया। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने तत्काल लाठी चार्ज प्रारंभ कर दिया हो। अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। दुर्भाग्यवश उनका वांछित प्रभाव नहीं हुआ। इतना ही नहीं, लाठी चार्ज भी प्रभावशाली सिध्द नहीं हुआ। इस का पता हमें सभी गवाहों के साक्ष्य से लगता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री बेग का १०-अ॰ ग॰ १४ के रूप में परीक्षण किया गया। बिजलीघर के निकट लोगों के एकत्रित होने की सूचना प्राप्त होने पर वे वहां आये थे और उन्होंने श्रमिकों को यह चेतावनी दी थी कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनका आगे यह कहना है कि भीड़ ने तितर-बितर होने के स्थान पर पथराव करना शुरू कर दिया। उसी समय रुक रुक कर सायरन बजाया जा रहा था। श्री बेग व्दारा लाउड स्पीकर पर बार-बार चेतावनी दी गई किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस स्थिति में अश्रुगेस के गोले छोड़े गए। इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतएव, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। किन्तु वहां की भीड़ पर लाठी चार्ज करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। भीड़ के पास हथियार थे। वे पुलिस पर पथराव कर रहे थे और स्वयं बेग को भी चोट आई। उन्होंने थानेदार श्री बिजेन्द्रसिंह को आवश्यक होने पर बल प्रयोग करने को निर्देश देते हुए चिकित्सालय, की ओर प्रस्थान किया। श्री राजाराम रावत (१० अ०ग०१), जो पुलिस उप अधीक्षक थे, श्री बेग के साक्ष्य का पूरा-पूरा समर्थन करते हैं, उनका आगे कहना है कि पूर्वोल्लिखित परिस्थितियों में श्री बेग के चिकित्सालय चले जाने के बाद, अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गोली चालन से बचा नहीं जा सकता था। यह आरोप लगानेवाले पक्षकारों की ओर से, कि पुलिस व्दारा किया गया गोली चालन अनोचित्यपूर्ण था, न केवल कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया और न श्री पाहूजा, श्री बेग, श्री बिजेन्द्र सिंह और अन्य लोगों के बयान को चुनौती देते हुए उनका जरा सा भी प्रति परीक्षण किया गया। जिला प्राधिकारियों ने कांस्टेबल श्री बहादुर सिंह (१० अ॰ ग॰ ५) का परीक्षण किया, जिसने वास्तव में बिड़ला हाउस में गोली चलाई थी और ऐसा करना सही था भी। उसने यह भी कहा कि उसके व्दारा चलाई गई गोली श्री रामधारी को लगी, जो बलवाइयों का नेतृत्व कर रहा था। श्री एस॰एन॰ सक्सेना (१० अ॰ग॰ १७), श्री रामधारी (१० अ॰ग॰ ८) श्री राजाराम (१० अ॰ग॰ २१), श्री पेपसिंह (१० अ॰ग॰ ११) श्री रामचरन (१० अ॰ग॰ २२) और श्री मोहम्मद (१० अ॰ग॰ २३) जैसे अन्य गवाहों का परीक्षण किया गया है। इन समस्त गवाहों के साक्ष्य से प्रकट होता है कि वहां विधिविरुध्द जमाव था और उनका गोली चलाना उचित था। उनका यह भी कहना है कि असंयत भीड़ विभिन्न हथियारों से लैस थी, वह हिंसा पर उतारू थी और वह चेतावनी दिए जाने के बावजूद तितर-बितर नहीं हुई।

२४॰ पावर हाउस गेट की घटना के गवाह श्री बेग, (१० अ॰ग॰ १४) श्री पाहूजा, श्री राजाराम रावत और ऊपर उल्लिखित कांस्टेबल भी हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं।

२५॰ गैरेज चौराहे की घटना के जहां गोली चालन करना पड़ा था, गवाह श्री बिजेन्द्रसिंह (१० अ॰ग॰ ३२), श्री प्रेमचन्द कांस्टेबल (१० अ॰ग॰ ७), श्री

सन्तकुमार पाण्डे (१० अ॰ग॰ ३०) सहायक उप निरीक्षक और श्री श्रीराम (१० अ॰ग॰ ३१) थे। उन्होंने कहा है कि अनेक व्यक्ति हथियारों से लैस होकर एकत्र हुए थे, उनमें से कुछ के पास आग्नेयास्त्र भी थे और उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाना प्रारंभ किया था और इसलिए जब भीड़ को तितर-वितर करना संभव नहीं रहा तब ही पुलिस ने गोली चलाई।

२६॰ बिड़ला हाउस में गोली चलाए जाने से सम्बंधी साक्ष्य श्री राजाराम रावत (१० अ॰ग॰ १), श्री बहादूर सिंह (१० अ॰ग॰ ५) और श्री पाहूजा (१० अ॰ग॰ २७) की है। प्रबंधकों की ओर से हमें श्री बलवंत सिंह (१ अ॰ग॰ ८), श्री करन सिंह (१० अ॰ग॰ ६), श्री रामसिंह (१० अ॰ग॰ ३) और अन्त में श्री मंडेलिया (१ अ॰ग॰ ३८) का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष

२७॰ अतएव हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि गोली चालन औचित्यपूर्ण था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत पारित आदेश के बावजूद बलवाई एकत्र हुए थे। वे तितर-बितर नहीं हुए और पथराव करते रहे। शास्त्रागार को लूटने के बाद भी बलवाइयों ने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरु किया। अत: पुलिस दल को आत्मरक्षा करनी पड़ी। बिड़ला हाउस का गोली चालन भी पूरी तरह आवश्यक था। लोगों को बिड़ला हाउस में निरुध्द करने के बाद उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वे पुलिस दल का खात्मा कर देंगे और वे क्रोध से पागल हो कर, जिसका वर्णन श्री पाहूजा ने किया है, पुलिस दल की ओर बढ़े। अत: नेता पर गोली चलाई गई और उसके आहत होते ही भीड़ अपने हथियारों सहित तितर-वितर हो गई। इस परिणाम से ही यह प्रकट होता है कि गोली चालन औचित्यपूर्ण था।

अध्याय—सात

विचारणीय विषय क्र० (घ)

क्या पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति व्दारा भी गोली चलाई गई थी और क्या ऐसा करना उचित था?

इस विषय पर हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि वे कौन से व्यक्ति थे, जिन्होंने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। अतः इस संबंध में पक्षकारों के विभिन्न बयान बहुत अधिक संगत हैं। प्रबंधक वर्ग अर्थात् पक्षकार क्र० १ ने यह स्वीकार किया है कि ग्रेसिम के सुरक्षा अधिकारी श्री बलवन्त सिंह (१ अ० ग० ८) व्दारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था। पक्षकार क्र० २ इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा पक्षकार क्र० ३ ग्रेसिम श्रमिक संघ ने भी जिन्होंने एक जैसा बयान प्रस्तुत किए थे, किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है वे इतना ही कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हैं कि प्रबंधकवर्ग के प्रतिनिधियों तथा पिछलग्गुओं ने पिस्तौल तथा रायफलों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि निर्दोष कामगारों को छुरे भोंके गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें पीटा गया और प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधियों और प्रबंधक वर्ग के पिछलग्गुओं व्दारा कामगारों पर रायफल तथा पिस्तौल से गोलियां चलाई गई, किन्तु पुलिस आज तक इस विषय पर चुप है और इन कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुध्द न कोई जांच की गई है और न उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। इन दो पक्षकारों ने किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख तक नहीं किया है। उन्होंने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख नहीं किया, जिनमें गोलियां चलाई गई उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधि कौन हैं या पिछलग्गू कौन हैं। अतः मैं यह नहीं मानता कि इन पक्षकारों ने इस विचारणीय विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहा है। उन्होंने अपने आरोपों की पुष्टि में कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है।

२० पक्षकार क्र० ४ संघर्ष समिति, ने भी इसी प्रकार का अस्पष्ट बयान दिया है। इस पक्षकार का सिर्फ यही कहना है कि दो स्थानों पर किए गए गोली चालन में, कामगारों को राईफलों तथा पिस्तौल दोनों की गोलियों से चोट लगी थी। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि यह सिध्द होता है कि प्रबंधक वर्ग के कुछ उच्च प्राधिकारियों ने, जो अपने पास पिस्तौल रखे हुए थे, कामगारों पर गोली चलाने के लिए पिस्तौल का प्रयोग किया। यदि वे कुछ उच्च प्राधिकारी शब्दों का प्रयोग कर सकते है, तो उन्हें यह उल्लेख भी करना चाहिए कि वे उच्च प्राधिकारी कौन थे। यदी वे उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते जिन्होंने गोलियां चलाई थीं, तो हम कह सकते कि गोली चालन औचित्यपूर्ण था अथवा नहीं।

३० पक्षकार क्र० ५ नागदा मिल मजदूर संघ का कहना है कि जब कामगारों के एक दल ने व्दार से प्रवेश किया, और यह देखने के लिए आए कि वाटर

टावर, दीवार तथा पुलिस लाईन के पास क्या हो रहा है, तब अचानक पुलिस ने गोली चलाना आरंभ कर दिया और प्रबंधक वर्ग के लोग कामगारों को गोली मारने लगे। तथा उन्होंने अनेक व्यक्तियों को घायल कर दिया। कामगारों पर यह अन्यायपूर्ण तथा अनावश्यक हमला करने के लिए पुलिस की बंदूकों और कारखाने के शस्त्रागार की बंदूकों का प्रयोग किया गया। किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना कि प्रबंधक वर्ग के लोगों ने श्रमिकों को गोली मारी, एक ऐसा बयान है जो पूरी तरह अस्पष्ट है और इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि गोली चालन औचित्यपूर्ण था या नहीं।

४. पक्षकार क्र. ६ ग्रेसिम मजदूर संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है कि पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने गोली चलाई। अतः उनके अनुसार औचित्य या अनौचित्य का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

५. पक्षकार क्र. ७ ग्रासिम मजदूर यूनियन, तथा पंचानन बराल और उषा भाटिया ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति व्दारा गोली चलाई गई।

६. जिला प्राधिकारियों ने यह कह कर प्रबंधकवर्ग के बयान की पुष्टि की है कि प्रबंधक वर्ग की ओर से श्री बलवंत सिंह व्दारा गोली चलाई गई थी और उनके अनुसार श्री बलवंत सिंह ने व्यक्ति तथा सम्पत्ति की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए और स्वयं तथा बिड़ला हाउस में रहने वालों की रक्षा करने के लिए ही गोली चलाई थी। जिला प्राधिकारियों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बलवाइयों ने चहारदीवारी के पीछे से गोली चलाई थी।

७. अतः हमें श्री बलवंत सिंह तथा बलवाइयों व्दारा किए गए गोली चालन का विश्लेषण करना है। श्री बलवंत सिंह के संबंध में हमने यह पाया है कि प्रबंधक वर्ग ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री बलवंत सिंह ने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए गोली चलाई थी। जिला प्राधिकारियों का भी यही मत है। श्री बलवंत सिंह स्वयं गवाही देने आए थे। उन्होंने बताया था कि किन परिस्थितियों में उन्हें गोली चलानी पड़ी थी। उनका पक्षकार क्र. १ के गवाह क्र. ८ के रूप में परीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया है कि २१-१२-७० को वह वर्दी में एक रिवाल्वर तथा आवश्यक कारतूसों के साथ बिड़ला हाउस में थे। यह उनका नित्य का क्रम था। श्री पारीख काली एम्बेसेडर कार में बिड़ला हाउस आए। वे श्री मण्डेलिया से मिलने आए थे जो ऊपर की मंजिल में ठहरे हुए थे। उन्हें प्रातः लगभग ८.३० बजे श्री मुकुन्द सिंह से आगजनी और लूट पाट में विश्राम गृह के विध्वंस की सूचना मिली थी। इस पर श्री बलवंत सिंह, श्री मण्डेलिया के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने श्री मुकुन्दसिंह से भी कहा कि वे बन्दूक और गोलियां श्री रामसिंह जमादार को सौंप दे और तत्काल भाग कर जाए तथा बिड़ला हाउस का मुख्य व्दार बन्द कर दें। श्री बलवंत ने श्री रामसिंह से सतर्क रहने को कहा। श्री मुकुन्द सिंह के व्दार तक पहुंचने के पूर्व ही लगभग २०० से २५० कामगारों की भीड़ लाठियां, लोहे की छड़ें, पाइप, भाले और पत्थर जैसे हथियार लेकर अहाते में घुस आई। वह यह कहकर चिल्ला रही थी कि 'निकलो मण्डेलिया बाहर अब भागकर कहां जायेगा'। भीड़ ये नारे लगाते

हुए और हथियारों से लैस होकर बिड़ला हाउस की ओर बढ़ी सब से आगे श्री कैलाश कप्तान थे और उन के पीछे राजेन्द्र बुन्देला, श्री जितेन्द्र गोथरवाल श्री सुन्दरलाल माली, श्री ठगई प्रसाद, श्री हरवंस सिंह और श्री रामधारी थे। वे दूसरे नारे भी लगा रहे थे। बाद में श्री बलवंतसिंह ने देखा कि भीड़ ने श्री रामसिंह जमादार को घेर लिया है और उससे वह बन्दूक छीन ली, जो वह पकडे हुए था। बन्दूक श्री कैलाश कप्तान ने छीनी थी। भीड़ फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के शीशे और अन्य सामान नष्ट करने लगी। तब बलवंत सिंह सीढ़ी पर चढ़ गये। उस समय तक भीड़ ने सभी कमरों में कनस्तरों से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। बलबन्त सिंह ने भीड़ से कहा कि वह ऊपर न आए, किन्तु उन्होंने हम पर कोई ध्यान नही किया। अतएव उसने अपने रिवाल्वर से गोली चलाई। गोली हवा में चलाई गई थी और उससे किसी को चोट नहीं लगी। इसके विपरीत, भीड़ ने उन पर लोहे की छडें फेंकी। उसने सर्वश्री मण्डेलिया और पारीख को सतर्क किया कि वे छिप जाए क्योंकि भीड़ प्रत्येक पर हमला करने को उतारु थी। जब भीड़ ऊपर गई और उनकी ओर बढ़ी तो उन्होंने दूसरी बार गोली चलाई। उनकी गोली श्री रामाश्रय को लगी। इससे भी भीड़ नहीं रुकी।

८. तब तक श्री मण्डेलिया ने और श्री पारीख और श्री करणसिंह ने भी अपने आप को एक कमरे में छिपा लिया था। श्री बलवन्त सिंह भी अपने आप को भीड़ से बचाने के लिए कमरे की ओर जाना चाहते थे। वे कमरे में पहुंच भी गए थे किन्तु तभी उन्होंने विनाश, आगजनी और लूटमार की आवाजें सुनी। जिस कमरे में वे परिरुध्द थे, वह धीरे-धीरे धुएं से भर गया। वे सुरक्षा के लिए स्नानागार में गये। कुछ समय बाद जब यह सुनकर कि पुलिस आ गई है वह साहसकर के बाहर निकल आये और उन्हें बचा लिया गया। इस संबंध में श्री बलवन्त सिंह का प्रति परीक्षण नहीं किया गया है। यदि हम उनका बयान पुलिस अधीक्षक श्री पाहूजा और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री बेग के बयानों के साथ पढ़ते हैं, तो इस बात में किंचित भी सन्देह नहीं रह जाता कि श्री बलवन्त सिंह का गोली चलाना औचित्य-पूर्ण था। श्री बलवन्त सिंह ने यह भी कहा कि बिड़ला हाउस में श्री रामाश्रय क्रोध से पागल हो कर उनकी ओर बढ़ा और उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस कथन की पुष्टि में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदर्श १-पी १०६ में गोली की चोट ऊपर से नीचे की ओर दिखाई गई है। श्री बलवंत सिंह ने भी घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्रदर्श १-पी २९६ है। बिड़ला हाउस में बलवाइयों व्दारा सर्वश्री पारीख, पट्टाभिराम, करणसिंह, प्रभुसिंह चालक, मुकुन्द सिंह जमादार और कंचा वेटर और श्री कवर चन्द्र की पिटाई की गई। उनके चिकित्सा.प्रमाण पत्र क्रमश: प्रदर्श १-पी १११, १-पी ११६ से १-पी १२१ हैं। बिड़ला हाउस में न केवल बलवाइयों का रवैया खतरनाक था, अपितु गैरेज चौराहे पर पहले भी जो कुछ हुआ उससे भी श्री बलवन्त सिंह की कार्यवाही का औचित्य सिध्द होता है। बलवाइयों की ऐसी विध्वंसक गतिविधियों के पश्चात् श्री बलवन्त सिंह को इस बात की आशंका होना उचित ही था कि वे उसे बिना चोट पहुंचाए नहीं छोडेंगे वे बिड़ला हाउस में रहने वाले लोगों पर हमला, बल्कि प्राणघातक हमला किए बिना नहीं रहेंगे और न ही वे संपत्ति नष्ट करना बन्द करेंगे। मैं पूर्ववर्ती अध्यायों में इस का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि गैरेज चौराहे पर और पावर हाउस गेट पर क्या हुआ और उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अतएव, श्री बलवन्त सिंह की कार्यवाही पूर्णत: उचित थी।

६· श्रमिकों की ओर से किसी भी पक्षकार ने यह स्वीकार नहीं किया है कि बलवाइयों ने गोली चलाई थी किन्तु प्रबंधकों और साथ ही जिला प्राधिकारियों ने आगे आकर कहा है कि उनके द्वारा गोली चलाई गई थी। बलवाइयों ने शस्त्रागार तोड़ा, बन्दूकें लूटीं और इन हथियारों से गोलियां चलाना शुरु कर दिया। इस संबंध में श्री बिजेन्द्र सिंह (१०-अ· ग· ३२) ने ऐसे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है, जिन्होंने गोली चलाना शुरु किया था। उन्होंने कहा है कि दीवाल के पीछे से भी गोली चलाई गई थी। उन्होंने भीड़ को चेतावनी दी कि उन्हें पुलिस शिविर की ओर नहीं जाना चाहिए ओर गोली चलाना तथा पत्थर फेंकना तत्काल बन्द कर देना चाहिए। किन्तु दीवाल के पीछे से गोली चलाई जाती रही। भीड़ ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। उस समय वे चहार दीवारी के भीतर के कुछ लोगों के चेहरे देख सके थे। उन्होंने सागरमल गुप्ता को दीवाल के पीछे छिपकर और उस पर अपनी कोहनी टिका कर गोली चलाते हुए निश्चित रूप से देखा था। गोलियों का निशाना पुलिस शिविर था। दीवाल के पीछे से नट और बोल्ट फेंके जा रहे थे। उनका कहना है कि आसपास की परिस्थितियों से और भीड़ की हरकतों से उन्हें आशंका हुई कि वे शिविर को जला देंगे और पुलिस अधिकारियों को मार डालेंगे। शिविर के पीछे जो पुलिस के लोग थे, वे भी चिल्ला रहे थे कि भीड़ उन पर हमला कर रही है। अतएव, उन्होंने अपनी चेतावनी दोहरायी और आदेश दिया कि भीड़ को तितर-बितर हो जाना चाहिए और उन्हें गोली चलाना और पत्थर फेंकना बन्द कर देना चाहिए, अन्यथा पुलिस को गोली चलानी पडेगी। किन्तु भीड़ वही रवैया अपनाए रही। उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उन्होंने गोली चालन दल को सावधान किया। उन्होंने आगे कहा कि अपने लोगों की रक्षा और पुलिस की सुरक्षा के लिए मैंने कान्स्टेबल सरवन लाल को पांच राउण्ड गोलियां चलाने का आदेश दिया। उसने बिजलीघर सड़क की ओर भीड़ पर गोली चलाई। श्री सागरमल गुप्ता को जो बिजलीघर के निकट से दीवाल के पीछे से गोली चला रहा था, गोली से चोट लगी और वह गिर पड़ा। इस गवाह ने श्री जितेन्द्र गोथरवाल और राजेन्द्र बुन्देला के नामों का भी उल्लेख किया है, जो बुन्दूकें लेकर चल रहे थे उन्होंने भी पुलिस शिविर की ओर गोली चलाई। चेतावनी दी जाने के बावजूद उन्होंने गोली चलाना बन्द नहीं किया। चेतावनियों के बावजूद भीड़ भी तितर-बितर नहीं हुई। वे पथराव करते रहे पुलिस दल को चोट लगी। अतएव, श्री बिजेन्द्र सिंह ने कान्स्टेबल रामायण प्रसाद को भीड़ पर पांच राउण्ड गोलियां चलाने का आदेश दिया। उन्होंने एक अन्य कान्स्टेबल श्रीराम को भी पांच राउण्ड गोलियां चलाने का आदेश दिया। कान्स्टेबलों द्वारा चलाई गई गोलियों से उसने २ या ३ व्यक्तियों को गिरते हुए देखा। बलवाइयों द्वारा भीतर से गोली चलाना और खतरनाक वस्तुएं फेंकना जारी रहा। इस पर भी भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका और उन्होंने एक अन्य कान्स्टेबल प्रेमचन्द्र को पांच राउण्ड गोलियां चलाने का आदेश दिया इस गवाह ने कहा है कि भीड़ में श्री राजेन्द्र दुबे उपस्थित थे, जिन पर पुलिस ने गोली चलाई। वह गोली की चोट से मर गये। श्री रामायण प्रसाद सिंह (१०-अ· ग· ३०) की साक्ष्य से पता चलता है कि भीड़ कारखाने (मिल) के भीतर से गोली चला रही थी। वे लोग गैरेज भवन पर गोली चला रहे थे। श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा उन से ऐसा न करने के लिए कहा जाने के बावजूद गोलियां चलती रही। श्रीराम (१०-अ· ग·३१) ने भी इस साक्ष्य की पुष्टि की है कि कारखाने के भीतर एकत्र भीड़ ने गोलियां चलाई थीं।

१०· यह साक्ष्य दिया गया है कि बलवाइयों व्दारा शस्त्रागार को लूटा गया था और बन्दूकें ली गई थीं। शस्त्रागार से लूटी गई बन्दूकें अन्ततः बलवाइयों और विशेषतः संघर्ष समिति के सदस्यों के कहने पर बरामद की गई। श्री पदमसिंह व्दारा जानकारी दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भलूकसिंह (१०-अ· ग· २४) ने बन्दूक बरामद की। उक्त बन्दूक प्रबन्धकों की थी। इसी प्रकार २४-१-७१ को श्री ठगई ने जानकारी दी जो प्रदर्श १-पी· २३५ है और प्रबंधकों की क्र· ८०८६७ की बन्दूक बरामद की गई। अन्य बन्दूकें भी बरामद की गई। श्री बी· पी· दिघे (१०-अ· ग· २०) को श्री राजेन्द्र बुन्देला से जानकारी मिली, जिसके अनुसार प्रबन्धकों की एक बन्दूक बरामद की गई। श्री जितेन्द्र गोथरवाल ने भी २०-१-७१ को जानकारी दी जो प्रदर्श १-पी· २२७ है जिसके अनुसार प्रबन्धकों की एक बन्दूक बरामद की गई। उसी प्रकार श्री बिजेन्द्र सिंह ने उसी स्थान से जहां बलवाई इकट्ठे हुए थे, अर्थात् दीवाल के पीछे से २२ खाली कारतूस प्राप्त किए। इस संबंध में जब्ती ज्ञाप प्रदर्श १-पी २८६ है। शस्त्रागार से बन्दूकें लूटने के संबंध में हमारे पास श्री रामसिंह (१०-अ· ग· ३) और श्री ए· राम कुरेशी (१०--अ· ग. २५) का साक्ष्य है। वास्तव में संघर्ष समिति के सदस्यों के कहने पर बरामद की गई। सभी बन्दूकें प्रबन्धकों की थीं और वे वही बन्दूकें थीं, जिनका प्रयोग भीड़ व्दारा किया गया था।

निष्कर्ष

११· अतएव, इस विचारणीय विषय के संबंध में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री बलवन्त सिंह ने गोली चलाई थी और उसका ऐसा करना उचित था। उसका और साथ ही प्रबन्ध से संबंधित अन्य व्यक्तियों का जीवन खतरे में था। सम्पत्ति नष्ट की गई थी और भीड़ और भी विध्वंस कर रही थी। जहां तक आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों का संबंध है, हमें श्री सागरमल गुप्ता, जिनकी अन्ततः मृत्यु हुई, श्री राजेन्द्र बुन्देला और श्री गोथरवाल के नाम विदित हैं। उन्होंने ग्रारिम का शस्त्रागार लूटा था और गोली चलानी शुरु की थी। चेतावनी दी जाने के बावजूद तितर बितर नहीं हुए। उन्होंने न केवल स्वयं गोली चलाई, अपितु अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वे आगजनी और लूट जैसे अपराध करें। अतएव, उनके गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं था.

अध्याय—आठ

विचारणीय विषय (ङ)

''कथिक उपद्रवों को रोकने और उनसे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन व्दारा किए गए उपाय पर्याप्त थे या नहीं''।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। यदि उचित समय पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो इसका उत्तरदायित्व सदैव प्राधिकारियों पर होगा। यदि प्रशासन स्थिति पर ध्यान नही देता और समय पर उचित कदम नहीं उठाए जाते तो प्रशासन को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतएव, स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और प्रत्येक अवसर पर क्या-क्या कदम उठाए गए थे यह जानना आवश्यक है। कभी-कभी यह देखा गया है कि स्थिति को गलत तरीके से संभालने के कारण ऐसा उपद्रव हो जाता है। अतः हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि स्थिति क्या थी।

२· इस संबंध में हमें यह पता लगाना है कि (१) स्थानीय प्रशासन व्दारा क्या उपाय किए गए थे; (२) क्या ये उपाय पर्याप्त थे; (३) उपद्रवों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए थे; (४) उपद्रवों से निपटने के लिए कौन से उपाय किए गए थे।

३· अतएव, निस्संदेह इस विचारणीय विषय के दो स्थूल भाग हैं। उपद्रवों को रोकने के लिए उन परिस्थितियों का पता लगाना जो कि दि· २१-१२-७० को हुए वास्तवित उपद्रव के पहले, विद्यमान थीं। और दूसरी बात यह पता लगाना कि २१ दिसम्बर, १९७० को हुए उपद्रव से निपटने के लिए प्राधिकारियों ने क्या किया. मैं इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद अन्त में ऊपर उल्लिखित प्रत्येक विषय के संबंध में अपना निष्कर्ष बतलाऊंगा।

४· पक्षकार क्र· १ अर्थात् प्रबन्धक वर्ग तथा पक्षकार क्र· १० अर्थात् प्रशासन को छोड़ जिन अन्य पक्षकारों ने बयान दिए हैं वे प्रशासन के अधिक हक में नहीं हैं यद्यपि अन्ततः इन समस्त पक्षकारों व्दारा इन विषयों पर व्यावहारिक रूप से न, तो कोई साक्ष्य दिया गया और न ही उन का प्रतिपरीक्षण किया गया। इंजीनियरिंग श्रमिक संघ नागदा, पक्षकार क्र· २ ने यह आश्चर्यजनक बयान दिया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक दिनांक २१-१२-७० के पहले विशेष प्रयोजन से नागदा में पूरे समय उपस्थित थे। जिसके कारण यह अवांछनीय घटना हुई। कामगारों के नेताओं को दि· २१-१२-७० के पहले बिना पर्याप्त कारण के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ और १०७ के अधीन दो बार गिरफ्तार किया गया था। जिला कलेक्टर को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खाचरोद और साथ ही पुलिस उप अधीक्षक, की अवांछित और अनावश्यक तथा उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों की पूर्ण जानकारी थी। किन्तु उन्होंने स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और स्थिति को और बिगड़ने दिया।

५· इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वे प्रशासन को न केवल घोर निष्क्रियता के लिए ही दोषी ठहराते हैं अपितु वास्तव में स्थिति को इस प्रकार की बनाने के लिए भी दोषी ठहराते हैं, जिसकी परिणति २१ दिसम्बर, १९७० के भयानक उपद्रव में हुई।

६· ग्रासिम श्रमिक संघ नागदा पक्षकार क्र· ३ ने वही अभिकथित किया है जो पक्षकार क्र· २ ने कहा था पक्षकार क्र· ४, अर्थात् ग्रासिम संघर्ष समिति का कहना है कि पुलिस, प्रबन्धक वर्ग, श्रम विभाग तथा प्रशासन, जिसने नागदा में विद्यमान स्थिति को सम्हालने के लिए अयोग्य तथा लापरवाह अधिकारियों को भेजा था, इसके लिए जिम्मेदार हैं। वस्तुतः उसके कथनानुसार, इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना और समझदारी से कार्यवाही करना आवश्यक था और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि आन्दोलन को कुचलने के लिए पुलिस तथा प्रबन्धक वर्ग दोनों मिल गये और इस प्रयोजन के लिए पुलिस व्दारा अवांछनीय रूप से गोली चलाई गई और लाठी चार्ज किया गया। मिल के प्रबन्धक वर्ग ने पुलिस की जानकारी में कतिपय अवांछनीय तत्वों को उपद्रव करने के लिए प्रेरित किया. ऐसे व्यक्तियों ने प्रबन्धक वर्ग के कुछ वफादार कर्मचारियों की सहायता ली और पावर हाउस गेट के सामने उपद्रव करना आरम्भ किया जिससे श्रमिकों को चोटें लगीं। तत्पश्चात् उसने आश्चर्यजनक तरीके से यह भी कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि पुलिस और मजिस्ट्रेट को गोली चालन और लाठी चार्ज करने के लिए कोई कारण मिल जाए। पुलिस व्दारा किया गया गोली चालन अनुचित था। पुलिस व्दारा शान्त कामगारों पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया गया। पुलिस तथा प्रबन्धकवर्ग के उकसाने पर कार्य करने वाले अवांछित तत्वो ने लाठियों और चाकुओं का उपयोग किया किन्तु इन उपद्रवकारियों को पुलिस व्दारा कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पक्षकार ने श्रम विभाग को भी, कामगारों और प्रबन्धक वर्ग के बीच समझौते के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की पहल न करने का दोषी ठहराया है। यह स्पष्ट है कि यह पक्षकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्राधिकारियों को दोषी ठहराता है। उसका यह भी अभिकथन है कि प्रबन्धक वर्ग और पुलिस ने षड्यंत्र करके एक ऐसी स्थिति पैदा की जिससे उपद्रव हुए और कामगारों को चोटें लगीं। उसने यह भी कहा है कि सम्बंधित अधिकारी अयोग्य और लापरवाह थे।

पक्षकार क्र· ५

७· पक्षकार क्र· ५ अर्थात् नागदा मिल मजदूर संघ ने यह अभिकथित किया है कि पुलिस ने ज्यादती की थी। इस पक्षकार ने प्रशासन व्दारा किए गए उपायों की पर्याप्तता के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया।

पक्षकार क्र· ६

८· तथापि, पक्षकार क्र· ६, ग्रासिम मजदूर संघ ने यह अभिकथित किया कि जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लगाई गई धारा १४४ के आदेश के उल्लंघन के प्रति उपेक्षा बरती। किन्तु यह उपेक्षा कैसे, किसके साथ

और किस तरीके से की गई इसका कोई उल्लेख नहीं हैं। तथापि, इसने यह भी बताया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश के उल्लंघन के प्रति उपेक्षा बरतने के अलावा किए गए उपाय अपर्याप्त नहीं थे।

पक्षकार क्र॰ ७

६॰ पक्षकार क्र॰ ७ ग्रासिम मजदूर यूनियन ने किए गए उपायों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के संबंध में कुछ नहीं कहा यद्यपि उसने यह कहा है कि भोले-भाले कामगारों पर पुलिस व्दारा की गई अनुचित कार्यवाही और अत्याचार और शरारती तत्वों को संरक्षण तथा गुण्डों के आक्रमण से कामगारों का संरक्षण न करना दि॰ २१-१२-७० को हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उनका इस तर्क से यह प्रतीत होता है कि न केवल कोई उपाय ही किए गए थे बल्कि पुलिस व्दारा की गई कार्यवाही उपद्रव का कारण थी।

पक्षकार क्र॰ ८ और ६

१०॰ पक्षकार क्र॰ ८ और पक्षकार क्र॰ ६ क्रमशः श्री पंचानन बारल और श्रीमती उषा भाटिया हैं। उन्होंने उपद्रवों को रोकने या उससे निपटने के लिए पुलिस या जिला प्रशासन व्दारा किए गए उपायों के बारे में कुछ नहीं कहा। उनका रवैया लगभग वही है जो पक्षकार क्र॰ ७ का है।

११॰ कामगारों की ओर से विभिन्न पक्षकारों व्दारा प्रकट किए गए इन विचारों के विपरीत हमारे समक्ष प्रबंधक-वर्ग और जिला प्रशासन व्दारा प्रस्तुत किए गए कथन हैं। प्रबन्धक वर्ग ने जिला प्रशासन को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूरी तरह निर्दोष नहीं माना है और उनका कहना है कि श्रम विधान के अधीन सांविधिक प्राधिकारियों ने तत्परतापूर्वक और पर्याप्त रूप से वास्तविक स्थिति को समझते हुए कार्य नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण स्थिति तेजी से बिगड़ती गई।

१२॰ जिला प्रशासन ने, जैसा कि सरलता से समझा जा सकता है, यह बताया कि स्थानीय प्रशासन व्दारा इन उपद्रवों को रोकने के लिए और उससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे। यदि स्थानीय प्रशासन से तात्पर्य केवल पुलिस तथा मजिस्ट्रेट वर्ग से है तो निश्चय ही प्रबन्धक वर्ग व्दारा किए कथन के अनुसार उनपर कोई दोषरोपण नहीं हुआ है। किन्तु यदि उसमें श्रम विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबन्धक वर्ग, जिला प्राधिकारियों को निर्दोष नहीं मानता है।

१३॰ विभिन्न पक्षकारों व्दारा अपनाये गए रुख पर विचार करने के बाद अब हमें, इस अध्याय के प्रारंभ में मेरे व्दारा उल्लिखित बातों का पता लगाने के लिए इस संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से और साथ ही प्रबन्धक वर्ग की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। प्रशासन व्दारा किए गए उपाय पर्याप्त थे या नहीं इस बारे में अन्य पक्षकारों की ओर से, कोई मौखिक समय नहीं दिया गया है। श्री कृष्णास्वामी ने जो पक्षकार [illegible]

कुछ नहीं कहा है जैसा कि स्वयं पक्षकार क्र· ७ के कथन में, इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि किए गए उपाय पर्याप्त थे या नहीं थे। अतएव, हमें प्रशासन और प्रबन्धक वर्ग की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर रहना होगा। इस संबंध में पहले गवाह श्री राजाराम रावत, पुलिस उप अधीक्षक है। वे एक प्रमुख गवाह है जिन्होंने १६ नवम्बर, १९७० से आगे की स्थिति और २१ दिसम्बर, १९७० को हुए उपद्रव तक समय-समय पर उठाए गए कदमों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि वे यह सुनकर नागदा पहुंचे थे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश लागू किया गया है। यह बात १६ नवम्बर, १९७० की है। उनके वहां पहुंचने के पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन आठ गिरफ्तारियां हुई थीं। उन्होंने एहतियाती उपाय के रूप में अश्रु गैस एक्वेड और अतिरिक्त बल की मांग की थी। दि· १७-१२-७० को उन्होंने नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) स्थापित किया जिसमें एक उप निरीक्षक दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल थे, जिन्हें निरन्तर वहां उपस्थित रहना था। नियंत्रण कक्ष के पास एक पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस पुलिस बल में लगभग १५० व्यक्ति थे, जिनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षक थे, जिनके पास लाठियां थीं। तथापि इनके पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं थे। बिड़लाग्राम में पूरे औद्योगिक क्षेत्र में और साथ ही मण्डी क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लागू की गई थी। इस कारण सभाएं चम्बल नदी के पास आयोजित की गई। दि· १९ नवम्बर, १९७० को श्री बी· के· तिवारी को, जो मिल का कर्मचारी और प्रमुख कार्यकर्ता है, धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् श्री रावत नागदा से वापस चले गए और मिल में हड़ताल की खबर सुनकर १३ दिसम्बर १९७० को पुनः नागदा आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कामगार मिल के भीतर थे किन्तु वे कोई काम नहीं कर रहे थे। पारी पूरी हो जाने पर एक पारी के कामगारों के स्थान पर दूसरी पारी के कामगार काम पर आ जाते थे। पारी आने पर प्रत्येक पारी के कामगारों द्वारा यही नीति अपनाई जा रही थी। दि· १४-१२-७० को श्री रावत ने नागदा के थानेदार के जरिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया। दि· १४-१२-७० को प्रातः प्रबन्धक वर्ग की ओर से एक सूचना लगाई गई कि चूंकि कोई काम नहीं हो रहा है अतः कोई भी कामगार अन्दर न जाए और जो अन्दर आ चुके हैं वे बाहर चले जाएं। इस सूचना की घोषणा मिल क्षेत्र में लाउडस्पीकर से भी की गई थी। उन्होंने मिल क्षेत्र में बिजली घर के द्वार के बाहर लगभग ७००-८०० कामगारों की भीड़ देखी। वे दो और तीन के समूहों में सम्भवतः इस गलत विचार से बैठे थे कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश से बच जाएंगे। उसी समय उन कामगारों ने, जो कि अन्दर थे, बाहर आने से इन्कार कर दिया। श्री बेग, सब डिवी· मजिस्ट्रेट उस समय उनके साथ थे। उन्होंने भी कामगारों को समझाया कि वे इस ढ़ंग से न बैठें। इस पर कामगार वहां से चले गए किन्तु जो अन्दर थे वे बाहर नहीं निकले। दोपहर में जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक नागदा आए। वे प्रबन्धक वर्ग तथा कामगारों के नेताओं से भी मिले। प्रबन्धक वर्ग ने जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक से भी निवेदन किया कि वे अन्दर के कामगारों से कहें कि वे वह स्थान खाली करें। उन्होंने नेताओं को बुलाया और उनके साथ बातचीत की। बातचीत १० या ११ बजे रात्रि तक चलती रही। नेताओं से बातचीत शाम को प्रारम्भ हुई थी। वह सफल नहीं हुई और श्रमिकों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया।

१४· दिनांक १५-१२-७० को एक श्रमिक नेता श्री सुरेशचन्द्र शर्मा दोपहर लगभग २ बजे नागदा आए। उन्होंने भी कामगारों से बाहर निकलने के लिए निवेदन किया किन्तु उन्होंने इनकार कर दिया। श्रमिक नेताओं से बात-चीत करने के बाद १५ तारीख को वे कामगार प्रबन्धक वर्ग को अपना प्रभार सौंप कर फैक्टरी से चले गए। दिनांक १६-१२-७० को कुछ श्रमिक नेता बिजली घर के व्दार के सामने इकट्ठे हुए। इसका पता चलने पर श्री रावत पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री बेग सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रबंधक वर्ग पर्यवेक्षी कर्मचारियों से काम करवा रहा था जो उस सिध्दान्त के विपरीत था जिस पर हड़ताल प्रारम्भ की गई थी। चूंकि प्रबंधक वर्ग ने बताया था कि कोई कार्य नहीं हो रहा है इसलिए कुछ कामगारों ने सुझाव दिया कि श्री बेग और श्री रावत को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दो या तीन व्यक्तियों को भीतर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रबंधक वर्ग इस पर सहमत हो गया और दो-तीन वयक्तियों का अन्दर जाने तथा अपना समाधान करने की अनुमति दे दी। पता लगाने के बाद वे लौट आए और श्रमिकों को बताया कि कोई कार्य नहीं हो रहा है और खबर गलत थी।

१५· दिनांक १६-१२-७० को सायंकाल सूचना मिली कि बिड़ला बाजार में सभा होगी। श्री रावत तथा श्री बेग पर्याप्त पुलिस बल के साथ वहां गए। सभा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करके की गई थी। वहां पर्याप्त पुलिस बल ले जाया गया था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि श्री हुकुमचन्द कछवाह, संसद सदस्य भीड़ को सम्बोधित कर रहे थे। श्री जितेन्द्र गोथरवाल सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। मंच पर श्रीमती उषा भाटिया, श्री कोमल सिंह परिहार, श्री बी·के· तिवारी बैठे हुए थे। जब वे वहां पहुंचे उस समय श्री हुकुमचन्द कछवाह का भाषण समाप्त ही हुआ था और श्री जितेन्द्र गोथरवाल भाषण दे रहे थे इसलिए श्री रावत तथा श्री बेग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करने के लिए १२ व्यक्तियों को गिरफतार किया जिनमें श्री हुकुमचन्द कछवाह, श्रीमती ऊषा भाटिया, श्री बी· के· तिवारी शामिल थे। यह गिरफतारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन की गई थी। श्री हुकुमचन्द कछवाह उज्जैन से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे जनसंघ के टिकट पर आए थे। दिनांक १७ तथा १८ दिसम्बर को श्री राजाराम किसी अन्य काम से नागदा से बाहर गए थे। उस समय तक जिन व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन गिरफ्तार किया गया था उन्हें मजिस्ट्रेट व्दारा जमानत पर छोड़ दिया गया था। ये व्यक्ति २०-१२-७० को नागदा लौट आए। पुलिस अधीक्षक भी सायंकाल ४ बजे वहां पहुंचे। श्री रावत ने आगे कहा है कि उन्हें श्री मंडेलिया व्दारा अपने पत्रकार सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य के परिणामस्वरूप गड़बड़ी होने की आशंका थी।

१६· दूसरे दिन अर्थात् वास्तविक घटना के दिन सबेरे ६ बजे, उन्होंने पावर हाउस गेट, गैरेज क्रासिंग, रेलवे लाइन गेट तथा सी·एस· २ संयंत्र पर और इन्द्रपुरी के पास तथा अन्य स्थानों पर, जहां आवश्यक समझा गया, एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया था। सबेरे ७·१५ बजे

उन्होंने उन चौकियों का निरीक्षण प्रारम्भ किया और नियंत्रण कक्ष पहुंचे। नियंत्रण कक्ष पर श्री राजाराम रावत को, जबकि वे सामान्य गश्त पर थे, पता चला कि लगभग ८० या १०० कामगार पावर हाउस गेट पर एकत्र हो गए हैं। वे श्री बेग के साथ अश्रु गैस स्क्वाड लेकर वहां गए। श्रीमती उषा भाटिया, श्री महत्तम दूबे, श्री मांगीलाल शर्मा, श्री बी॰ पटवर्धन लगभग ८० कामगारों के साथ उनके पास पहुंचे। श्री बेग ने उनसे कहा कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें इतनी संख्या में नहीं आना चाहिए। इस पर श्रमिक बिखर गए और दो तथा तीन के समूहों में बैठ गए। वे नारे लगाने लगे कि ''हम कर्मचारियों को काम नहीं करने देंगे''। इसलिए श्री राजाराम ने जमादार को फैक्टरी का व्दार बन्द करने का आदेश दिया। एकत्र हुए व्यक्ति उस पर हावी हो गए। ये सभी व्यक्ति उसकी ओर दौड़े उसे व्दार बन्द नहीं करने दिया। श्री बेग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ संबंधी घोषणा को दोहराया और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करना जारी रखेंगे तो बल प्रयोग किया जायगा। उसी समय सायरन सुनाई दिया। सायरन की आवाज मिल से आ रही थी। सायरन रूक रूक कर बज रहा था। इसी समय व्दार पर खड़े कामगार पुलिस बल पर पत्थर फेंकने लगे। पत्थर तथा ईंटों के टुकड़े उसी स्थान पर उपलब्ध थे। श्रमिक बस्ती से भारी संख्या में श्रमिक आते गए और उनकी संख्या बढ़ती गइ। मूर्ति चौराहा से भी बहुत से श्रमिक आ रहे थे और गैरेज क्रासिगं की ओर भाग रहे थे। उनके पास लाठियां, तलवारें, लोहे के पाइप, भाले, फर्सियां तथा ऐसी अन्य चीजें थीं। श्रमिकों व्दारा पत्थर फेंके गए। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया। अश्रुगैस के गोले उस भीड़ पर छोड़े गए जो पावर हाउस गेट की ओर आ रही थी। चूंकि हवा अनुकूल नहीं थी इसलिए गोलों से निकलने वली अश्रु गैस दूसरी ओर चली गई और प्रभावकारी नहीं रही। जब श्रमिकों ने और पत्थर फेंके तब सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। भीड़ की ओर से पत्थर फेंके जा रहे थे और उसी समय लाठी चार्ज हो रहा था। इस लिए श्री राजाराम और श्री बेग ने मौके का स्थान संभाला जिससे कि वे नियंत्रण कक्ष से और अधिक बल प्राप्त कर सकें। मूर्ति क्रासिंग की ओर से जो भीड़ आ रही थी उस पर भी अश्रु गैस छोड़ी गई क्योंकि उनके पास हथियार थे जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

१७॰ इसी बीच पावर हाउस गेट से कई व्यक्ति फैक्टरी के अन्दर आ गए। इस समय वे गैरेज क्रासिंग पर थे। पुलिस बल, जो कि पावर हाउस गेट सामने था, भीड़ पर नियंत्रण न रख सका जो कि भारी संख्या में मिल के आहाते में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि नियंत्रण कक्ष के पास की दीवार टूट गयी थी और भीड़ टूटी हुई दीवार से प्रवेश कर रही थी। भीड़ ने नियंत्रण कक्ष और गैरेज क्रासिंग को तीन ओर से अर्थात् पावर हाउस गेट की ओर से, मूर्ति क्रासिंग और टूटी हुई दीवाल की ओर से घेर लिया। उस समय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के आदेश से अश्रु गैस के गोले छोडे गए। लाठी चार्ज भी हुआ। पुलिस दल पर पत्थर फेंके जा रहे थे। पत्थरों से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सिर में चोट लगी। श्री राजाराम रावत को भी दाई टांग पर दो, पीठ पर एक और दाहिने हाथ पर चोटें आईं। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सिर की चोट से खून बहने लगा और उन्हें चिकित्सालय भेजा गया। चिकित्सालय जाते समय

श्री बेग से निवेदन किया गया कि वे पुलिस अधिक्षक को स्थिति के बारे सूचित करें। उस समय पुलिस अधीक्षक चम्बल विश्राम गृह में ठहरे हुए थे। पुलिस अधीक्षक सबेरे ८·३० बजे गैरेज क्रासिंग पर पहुंचे। कुछ श्रमिक, जो पहले ही मिल के भीतर घुस गए थे, पुलिस दल पर नट-बोल्ट, एसिड की बोतलें तथा ईंटों के टुकड़े फेंकने लगे। इसलिए पुलिस ने फैक्टरी के अन्दर अश्रु गैस के गोले छोड़े। इस अश्रु गैस के गोलों से ईंटों के टुकडे फेंके जाने पर असर पड़ा। उन्होंने अन्य दिशाओं से आने वाली भीड़ को पीछे ढकेलने का भी प्रयाग किया। इसी बीच उन्होंने देखा कि मिल के व्दार से कुछ श्रमिक बाहर आ रहे हैं और सी· एस· २ संयंत्र की ओर भाग रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक कम्पनी कमांडेंट को कुछ बल सहित उनका पीछा करने का आदेश दिया। सबेरे लगभग ९ बजे थानेदार श्री विजेन्द्रसिंह ने उन्हें सूचना दी कि बिड़ला अतिथि गृह तथा विश्राम गृह में आग लगी हुई है और कुछ व्यक्ति भीतर हैं। वे उन्हें बाहर आने से रोक रहे थे। उनका जीवन खतरे में था। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक ने श्री राजाराम को आदेश दिया कि वे बंदूक धारी दल और लाठी धारी दल के साथ उनके साथ चलें। इस दल में १५ लाठी धारी और तीन बंदूक धारी कांस्टेबल थे। उन्हें पुलिस के ट्रक में बिड़ला गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस भेजा गया। श्री राजाराम और पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ गए। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा गेस्ट हाउस जल रहा था। पुलिस की डाज कार में भी आग लगी हुई थी। उन्होंने यह भी देखा कि अन्य निजी गाड़ियां भी जला दी गई हैं और खराब कर दी गई है। अतएव, वे यह पता लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति भीतर तो नहीं है तत्काल भीतर घुसे। उस समय गेस्ट हाउस के बैरा ने उन्हें बताया कि भीड़ अभी-अभी यहां से हट गई हैं और बिड़ला रेस्ट हाउस की ओर गई है। एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबलों को आग बुझाने के लिए वहां छोड़कर वे तत्काल बिड़ला रेस्ट हाउस की ओर तेजी से गए। दूर से उन्होंने देखा कि पूरे भवन में आग लगी हुई है और एक ओर एक कार जल रही हैं। लगभग २०० से २५० कामगार इमारत को घेरे हुए हैं जिनके हाथों में मशालें लोहे की छड़ें और पाइप हैं। वे नारे भी लगा रहे हैं। उस समय पुलिस अधीक्षक ने घोषणा की कि वे तितर-बितर हो जाएं अन्यथा बल प्रायोग किया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। इस पर भीड़ ''पुलिस वालों को मार डालो'' का नारा लगाती हुई पुलिस की ओर लपकी। उन्होंने पत्थर फेंकना भी आरंभ कर दिया। एक व्यक्ति हाथ में मशाल लेकर भीड़ के आगे चल रहा था। यह स्पष्ट दिख रहा था कि भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसलिए पुलिस अधीक्षक ने गोली चलाने का आदेश दिया। श्री बहादुर सिंह कांस्टेबल अ·ग· ५ ने दो बार गोली चलाई। पहली गोली रामधनी को लगी, जो मशाल लिए हुए था। दूसरी गोली किसी को नहीं लगी। इस पर भीड़ भाग खड़ी हुई। गोली से घायल व्यक्ति को निकट के एक पेड़ के नीचे ले जाया गया और उसे कांस्टेबलों व्दारा अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद वे पीछे से बिड़ला हाउस में घुसे क्योंकि सामने की ओर भीड़ थी, जो नारे लगा रही थी। पीछे पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक और श्री राजाराम ने चिल्लाकर कहा कि ''यदि कोई व्यक्ति भीतर हो तो वह बाहर आ जाए''। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सहायक फैक्टरी मेनेजर श्री कौशिक के साथ दो कांस्टेबलों को ऊपर भेजा गया। इन लोगों ने रोशनदानों के कांच तोड़ डाले ताकि धुआं बाहर निकल जाए। इसी समय श्री मंडेलिया चिल्लाए कि वे बाहर आ रहे हैं और किसी तरह वे बालकनी तक आए। उनके कपड़े धुएं और राख से भरे हुए थे

और वे कांप रहे थे। नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था। उनसे नीचे कूद जाने के लिए कहा गया। कांस्टेबलों ने तत्काल तिरपाल फैला दिया। वे उस पर कूदे और जब वे नीचे आए तो उन्होंने बताया कि एक सुरक्षा अधिकारी और श्री पारिख भी वहां हैं। कांस्टेबल, जो पहले ही ऊपर पहुंच गए थे, उस ओर गए। उन्होंने धुआं बाहर निकालने के लिए रोशनदानों के कांच तोड़ डाले। मिल के सुरक्षा अधिकारी श्री बलवंत सिंह बाहर आए। वे दीवार के सहारे नीचे उतरे। इसके बाद उन्होंने श्री पारेख को ढूंढ़ा किन्तु वे नहीं मिले। इस समय उन्हें यह खबर मिली कि उपद्रवकारी मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल के चम्बल रेस्ट हाउस पहुंच गए हैं और पुलिस की जीप को आग लगा दी गई है। तब पुलिस अधीक्षक अन्य कांस्टेबलो के साथ चम्बल रेस्ट हाउस की ओर रवाना हुए। उस समय तक श्री पारिख का पता नहीं चला था। श्री बलवंत सिंह से उन्हें ढूंढ़ने के लिए कहा गया। उन्होंने होज पाइप से आग बुझाने का प्रयत्न किया। जब श्री राजाराम रावत, श्री मंडेलिया के साथ श्री पारिख के घर की ओर जा रहे थे तब उन्हें श्री पारिख मिले जो अस्पताल से अपनी चोटों पर पट्टियां बंधवाकर आ रहे थे। उसी समय उन्होंने हवाई अड्डे पर किसी हवाई जहाज के आने की आवाज सुनी। इस डर से कि कुछ गड़बड़ी होगी उन्होंने श्री उजागर सिंह, कम्पनी कमांन्डेंट को सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए भेजा। जब वे आफिसर क्लब के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कांच टूटे पड़े हैं और क्षति पहुंचाई गई है। उस समय तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। किन्तु उस समय बलवाई आफिसर्स कालोनी और गोल बाजार मे पहुंच गए थे। अतएव, वे ७ या ८ कांस्टेबलों के साथ आफिसर कालोनी पहुंचे। उन्हें कुछ कांस्टेबलों को भी इस कारण वहां छोड़ दिया ताकि परिवार के भयभीत सदस्यों का डर दूर हो जाए। जब वे आफिसर्स कालोनी पहुंचे तब तक बलवाई पर्याप्त क्षति पहुंचाकर वहां से जा चुके थे।

१८. इस प्रकार, श्री राजाराम रावत (१० अ.ग.१), जो तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, उज्जैन थे, के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त कदम उठाए गए थे। उन्होंने दिनांक १६-११-७० से कार्यवाही करना आरंभ किया था और उन्होंने घटित हुई घटनाओं और समय-समय पर उठाए गए कदमों का ऊपर तारीखवार ब्यौरा दिया है। उन्होंने गिरफ्तारियां की ओर अन्य पूर्वोपाय किए जैसे नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना और जब कभी द.प्र.स. की धारा १४४ के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन हुआ तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना आदि। इस गवाह का, ग्रासिम मजदूर यूनियन अर्थात् पक्षकार क्र. ७ की ओर से श्री होमी दाजी व्दारा विस्तृत प्रति परीक्षण किया गया था। क्योंकि पक्षकार क्र. ७ ने स्थानीय प्रशासन व्दारा किए गए उपायों की अपर्याप्तता के संबंध में बहुत गम्भीर आरोप लगाया था। इस पक्षकार ने न केवल किए गए उपायों की अपर्याप्तता की निन्दा की बल्कि यह भी अभिकथित किया कि भोले-भाले कामगारों के विरूध्द पुलिस व्दारा अनुचित कार्यवाही तथा अत्याचार किये गये हैं और शरारती लोगों को संरक्षण दिया गया है जबकि गुण्डों व्दारा किए गए हमले के शिकार व्यक्तियों को संरक्षण नहीं दिया गया। इस पक्षकार ने यह भी दोषारोपण किया कि शासन तथा जिला प्राधिकारियों का रूख पक्षपात पूर्ण था। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही एकमात्र ऐसा गवाह था जिसका पक्षकार क्र. ७ की ओर से प्रति परीक्षण किया गया था किन्तु मुझे

ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई आरोप, जिसका बयान में उल्लेख था, स्थापित किया जा सकता है। जब हम इस संबंध में अन्य गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करेंगे तब भी हम इसी प्रकार किसी निर्णय पर पहुंचेगे। वस्तुत: प्रति परीक्षण में ऐसे किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है जो इस गवाह श्री राजाराम या मजिस्ट्रेट व्दारा २१-१२-१९७० को या इसके पहले न उठाया गया हो। इस गवाह का पक्षकार क्र॰ ५ की ओर से श्री महेन्द्र भटनागर व्दारा भी प्रति परीक्षण किया गया था। प्रति-परीक्षण में किसी बात से ऐसा प्रकट नहीं होता कि इस गवाह का रवैया लापरवाही बरतना या क्रूरतापूर्ण कार्यवाही करना था। पक्षकार क्र॰ ५ का अभिकथन यह है कि पुलिस अधिकारियों ने ज्यादती की। कार्यवाही की पर्याप्तता या अपर्याप्ता संबंधी प्रश्न पर साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद विचार किया जाएगा। साक्ष्य अभिलिखित कर लिया गया है और बयान में आगे ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि उक्त स्थिति को रोकने या उससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। उसका, अन्य पक्षकारों अर्थात् इंजीनियरी श्रमिक संध, पक्षकार क्र॰ २ के श्री सुरेश शर्मा, ग्रासिम संघर्ष समिति की ओर से श्री एम॰ जी॰ जोशी, ग्रेसिम मजदूर संघ और इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस की ओर से श्री पी॰ जी॰ शास्त्री व्दारा तथा तत्पश्चात् प्रबंधक वर्ग व्दारा प्रति-परीक्षण किया गया। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि किए गए उपाय अपर्याप्त थे। इन पक्षकारों का प्रति परीक्षण इस विचारणीय विषय अर्थात् उपाय पर्याप्त थे या नहीं, के अलावा अन्य प्रश्नों से संबंधित था।

१९॰ श्री राजाराम रावत (१० अ॰ग॰१) जो पुलिस उप अधीक्षक थे, ने यह साक्ष्य दिया है कि किस प्रकार कदम उठाए गए। इसका समर्थन श्री बेग, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने भी किया जिनका पक्षकार क्र॰ १ जिला प्राधिकारियों की ओर से गवाह क्र॰ १४ के रूप में परीक्षण किया गया है। वे दिनांक १५-७-१९६९ से ३१-८-१९७१ तक खाचरौद तहसील के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट थे। इससे यह प्रतीत होता है कि नागदा में जो कुछ हुआ और जिसने २१-१२-१९७० के उपद्रव का रूप ले लिया, उनके सेवाकाल में हुआ था। उन्होंने १६ नवम्बर, १९७० को नागदा के नगरपालिका क्षेत्र में द॰प्र॰स॰ की धारा १४४ के अधीन आदेश प्रख्यापित किया था। आदेश प्रदर्श १-पी १९८ है। इसकी अवधि २२ नवम्बर तक थी किन्तु चूंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था अत: उसे प्रदर्श १-पी॰ १९८ में दी गई अवधि तक जारी रखा गया। चूंकि इस का भी कोई अच्छा प्रभाव न हुआ इस कारण इसे आगे ७-१२-१९७० तक और धीरे-धीरे दोपहर २१-१२-१९७० तक अर्थात् उपद्रव की तारीख तक बढ़ा दिया गया। इस आदेश की अवधि पुन: १५ जनवरी, १९७१ तक बढ़ा दी गई। श्री बेग ने २१ दिसम्बर, १९७० को पूर्वाह्न १० बजे से कर्फ्यू आदेश भी लागू कर दिया। मूलत: यह २४ घंटों के लिए लगाया गया था और केवल बिड़ला ग्राम तक सिमित था किन्तु बाद में इसकी अवधि और क्षेत्रफल दोनों में वृध्दि कर दी गई। श्री बेग ने आगे यह भी कहा कि एक ओर कामगारों और दूसरी ओर प्रबंधक वर्ग के बीच बोनस के लिए विवाद था और इससे स्थिति जटिल और तनावपूर्ण हो गई। उनके कथनानुसार कामगारों के दो गुट बन जाने से स्थिति और गुरूतर हो गई। जिनमें से एक का नेतृत्व ग्रासिम संघर्ष समिति व्दारा किया गया और दूसरे का द्रविड़ गुट वाले इंटक के पदधारियों और आईटक के पदधारियों व्दारा किया गया था, दूसरा गुट है ग्रासिम संघर्ष समिति,

जिसमे ग्रासिम संघर्ष समिति तथा इण्टक के द्रविड़ गुट के असन्तुष्ट सदस्य शामिलहैं। इस गुट को श्री गंगाराम तिवारी का समर्थन प्राप्त है। ये दोनों गुट प्रति दिन व्दार सभाएं आयोजित करते थे और इन सभाओं में आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते थे।

२०· श्री बेग ने देखा कि स्थिति तनावपूर्ण है और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय भवन के पास एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना आवश्यक है और इसलिए इसकी स्थापना की गई। मौके के स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां भी तैनात की गई। यह व्यवस्था २१-१२-७० तक बनी रही। आगे उठाए गए कदमों के बारे में श्री बेग ने कहा कि उन्होंने विभिन्न गुटों, को समझाया कि वे संघर्ष टालने की दृष्टि से अपनी व्दार सभाओं के समय नियत कर ले। द्रविड़ गुट तथा आइटक गुट, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मिलकर एक गुट हो गये थे, इस सुझाव से सहमत हो गए किन्तु संघर्ष समिति वाला गुट सहमत नहीं हुआ। श्री बेग ने आगे कहा कि दिनांक १३-११-७० को शान्ति बनाए रखने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रतिव्दन्दी गुट साथ ही साथ व्दार पर एक दूसरे के निकट ही सभाएं कर रहे थे। संघर्ष समिति ने १४ तारीख की शाम को एक जुलूस निकाला था। जुलूस कर्मचारी बस्ती की ओर गया। उसने विभिन्न अधिकारियों के घरों के सामने नारे लगाए। दिनांक १५ नवम्बर को भी इसी प्रकार की स्थिति थी और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन सभी परिस्थितियों के कारण श्री बेग को यह विश्वास हो गया कि स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और इसलिए उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश प्रख्यापित किया। पुलिस ने १६ नवम्बर, १९७० को दोनों गुटों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया। संघर्ष समिति के तीन व्यक्तियों तथा अन्य गुट के पांच व्यक्तियों को आरोप पत्र दिए गए। तथापि इन गिरफ्तार व्यक्तियों को २० नवम्बर को वैयक्तिक बंधपत्रों पर छोड़ दिया गया। २१-१२-७० को कलेक्टर तथा सहायक श्रम आयुक्त श्री दुबे नागदा में उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न गुटों की एक बैठक बुलाई और बैठक हुई। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश के कारण इन दो गुटों ने चम्बल नदी के दूसरी ओर सभाएं की तथापि नगरपालिका क्षेत्र में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले गए। दिनांक २४-११-७० को प्रदर्शनकारियों ने फैक्टरी के भीतर प्रथमोपचार कक्ष के सामने नारे लगाए। नारे बोनस की मांग के समर्थन में थे। वे २५-११-७० को भी नारे लगा रहे थे। फैक्टरी के अहाते में एक कैन्टीन है। कैन्टीन से भी आवाजें आ रही थीं। श्री बेग ने आदेश का उल्लंघन न करने के लिए समझाने हेतु २९ नवम्बर, १९७० को प्रत्येक गुट के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। १३-१२-७० को दोपहर करीब ३ बजे कामगार अपनी सबेरे की पारी समाप्त करने के बाद फैक्टरी के अन्दर शेड में इकट्ठे हुए। उस समय तक दूसरी पारी के कामगार भी आ गए थे। कामगारों ने बिजली घर में अपना काम बन्द कर दिया जिसके परिणामस्वरूप न केवल बिजली बन्द हो गई अपितु १२ तारीख को लगभग ५·२० बजे जल पूर्ति भी बन्द हो गई। चूंकि बिजली घर बन्द था इसलिए संपूर्ण फैक्टरी बिलकुल बन्द हो गई। श्री बी·के· तिवारी, जो संघर्ष समिति के सदस्य थे, बिजली घर के सामने ५-१२-७० से १२-१२-७० तक भूख-हड़ताल

पर बैठे थे। बिजली बन्द होने के कारण जैसे ही फैक्टरी बन्द हुई उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया।

२१. इस गवाह के आगे के बयान से श्री राजाराम रावत के कथन की ही पुष्टि होती है। वह श्री राजाराम व्दारा दिए गए बयान का पूर्णतः समर्थन करता है। १४ दिसम्बर १९७० को, प्रबंधक वर्ग ने यह घोषणा की, कि कामगार करखाने में न जाएं। उन कामगारों ने काम नहीं किया, जो कारखाने के भीतर रह गए थे। उन्होंने प्रबंधक वर्ग के आदेश का भी पालन नहीं किया। अतएव, प्रबंधक वर्ग ने निर्णयों की सूचना कामगारों को देने के लिए लाउड-स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त की। १४ दिसम्बर १९७० को ही कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक नागदा आ गए थे और उन्होंने कारखाने में कामगारों से यह अनुरोध किया था कि वे कारखाने से हट जाएं। किन्तु उन्होंने उस तारीख को इस आज्ञा का पालन नहीं किया और वे १५ दिसम्बर, १९७० तक कारखाने के भीतर ही रहे तथा जिला प्राधिकारियों व्दारा समझाए बुझाए जाने पर वे रात को लगभग ११ बजे बाहर निकले। कारखाना-परिसर के भीतर सल्फ्यूरिक एसिड के बड़े बड़े पीपे और बडी मात्रा में क्लोरीनगैस के सिलिंडर रखे हुए थे जो अति ज्वलनशील थी। तारीख १८-१२-७० को शाम के लगभग ५ बजे श्री बेग को यह सूचित किया गया कि ऐसे कामगारों का एक जुलूस आ रहा है जो नदी के दूसरे किनारे पर अपनी सभा करने के बाद बिड़ला ग्राम आए थे। अतएव, वे पुलिस दल के साथ वहां गए और उन्होंने कामगारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश १४४ के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तितर-वितर हो जाना चाहिए। वे तितर-वितर हो गए। १९ तारीख को श्री मंडेलिया ने समाचारपत्रों में एक वक्तव्य दिया और समाचार-पत्रों में उस वक्तव्य के प्रकाशित हो जाने के बाद कुछ उत्तेजना फैली। तारीख २०-१२-७० को शाम लगभग ५ बजे पुलिस अधीक्षक नागदा आए और म॰ प्र॰ विद्युत मण्डल के विश्राम गृह में ठहरे। तारीख २१-१२-७० को प्रातः लगभग ७.३० बजे वे श्री रावत के साथ नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रुम) गए थे। यह सूचना मिलते ही कि श्रमिक बिजली घर के व्दार पर इकट्ठे हो गए हैं, श्री रावत और श्री बिजेन्द्र सिंह, थानेदार के साथ श्री बेग वहां गए। वहां श्री बेग ने उन्हें चेतावनी दी कि वे दण्ड- प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए। जब श्री बेग ने इस प्रकार कहा, तब कामगार पीछे हट गए किन्तु वे दो-दो और तीन-तीन व्यक्तियों की टोली बनाकर ठहर गए क्योंकि उनका विचार था कि यदि वे दो-दो और तीन-तीन के गुट में बैठेंगे तो इससे आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। उस समय रुक-रुक कर सायरन बज रहा था और कालेनी से निकलकर लोगों की एक बड़ी भीड़ पावर हाउस गेट के सामने जमा हो गई। इस भीड़ में लोगों के हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ें, पाइप आदि थे। श्री बेग ने उन्हें लाउड-स्पीकर से यह सूचित किया कि यदि वे तितर-बितर नहीं होते, तो बल प्रयोग किया जायगा। अश्रु गैस का एक गोला फेंका गया किन्तु भीड़ तितर-बितर नहीं हुई क्योंकि उल्टी हवा के कारण उसका असर नहीं हुआ। तब श्री बेग ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। उस समय तक १,००० से १,५०० तक श्रमिक और आ गए थे। वे पुलिस दल को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरीके से पुलिस के कई व्यक्ति पीछे हटा भी दिए गए। श्री बेग और श्री रावत एक जीप में थे। तब श्री

बेग ने पाया कि श्रमिक स्टाफ गेट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और नारे लगाते जा रहे थे कि स्टाफ जहां मिले वहां मारों। बेग को मारों। अतएव, यह पुलिस दल गैरेज चौराहे पर पहुंच गया। वहां पहले से ही पुलिस की कुछ टुकड़ियां तैनात थीं। उस समय भीड़ तीन तरफ से आ रही थी एक पावर हाउस गेट से, दूसरी स्कूल की सड़क से और तीसरी बाग की तरफ से वे सभी पाइपों, लोहे की छड़ों, नटों और बोल्टों से लैस थे। वे उन्हें मुक्त रूप से फेंक रहे थे। श्री बेग को किसी कड़ी और तोथरी वस्तु से चोट लगी। उनकी अंगुलियों पर चोटें आईं और उनके शरीर के लगभग सभी अंगों पर पत्थरों की चोटें लगी। चूंकि चोटें बहुत लगी थीं; इसलिये श्री बेग को चिकित्सालय जाने की सलाह दी गई, किन्तु रास्ते में श्री रावत ने उनसे कहा कि वे स्थिति के बारे में पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दें।

२२• श्री बेग वहां से विद्युत मण्डल, विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) गए, और वहां से उन्होंने श्री पाहूजा, पुलिस अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराया। फिर वे चिकित्सालय गए। डाक्टर सोनार ने उनका उपचार किया। चिकित्सालय जाते समय उन्होंने एक भीड़ को आते हुए और बिड़ला हाउस की तरफ जाते हुए देखा। वे सामान्य नारे लगा रहे थे। श्री बेग उस समूह का सामना करने से डर रहे थे क्योंकि उनके साथ केवल एक कांस्टेबल था। इसलिए वे अतिथि-गृह के कमरा क्र• ६ में गए। उन्होंने पाया कि वहां का टेलीफोन खराब था। अतएव वे नियंत्रण-कक्ष (कंट्रोल रूम) से संपर्क नहीं साध पाये। उस समय तक भीड़ अतिथि-गृह (गेस्ट हाउस) में घुस आई थी। इसलिए वे कमरा क्र• ६ में छुप गए। इस कमरे से वे खिड़कियों के कांच, कुर्सियों तथा फर्नीचर को तोड़ने फोड़ने की आवाजे सुन सकते थे। चूंकि श्री बेग ने यह सोचा कि भीड़ अन्य संपत्ति को नष्ट करेगी और दूसरे भवनों में भी आग लगा सकती है, इसलिए उन्होंने कर्फ्यू आर्डर प्रख्यापित करने के लिये एक चिट लिखकर एक व्यक्ति व्दारा भेज दी। जब वे कमरा क्र• ६ से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि सभी वस्तुएं, तहस-नहस की जा चुकी थी। उन्होंने कालोनी के कुछ सदस्यों को पानी डाल कर आग बुझाने की कोशिश करते हुए भी देखा। तत्पश्चात् श्री बेग पैदल चलकर गैरेज चौराहे तक आए। उन्होंने सल्फर स्टाक को भी जलते हुए पाया। वे जहां-जहां गए, उन्हें तोड़-फोड़ की वारदातें दिखाई दी। श्री मलोत्रा, अपर कलेक्टर प्रभारी अधिकारी थे, क्योंकि कलेक्टर श्री समर सिंह बाहर गए हुए थे। इस गवाह से सिवाय प्रबंधक वर्ग के किसी ने जिरह नही की। तथापि, वह जिरह कोई अर्थ नहीं रखती क्योंकि प्रबंधक वर्ग ने, अपनाए गए उपायों के संबंध में श्रम विभाग के कुछ अधिकारियों को छोड़, प्रशासन के अन्य किसी भी अधिकारी के विरूध्द कोई आरोप नहीं लगाया है।

२३• इन दो अधिकारियों, अर्थात्, श्री रावत और श्री बेग के बयानों से हमें यह पता चलता है कि समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:—

(१) दंड प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का प्रख्यापन;

(२) दो गुटों से विभिन्न समय पर बैठक करने के लिए अनुरोध करना;

(३) स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मजिस्ट्रेट व्दारा प्रमुख श्रमिकों की एक बैठक बुलायी जाना;

(४) स्थिति विषम हो जाने पर एक नियंत्रण-कक्ष (कंट्रोल रूम) की स्थापना;

(५) पुलिस की टुकड़ियां तैनात करना;

(६) कामगारों को इस आशय की चेतावनी देना कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन कर रहे थे और उनसे तितर-बितर होने के लिए कहना;

(७) अश्रु गैस के गोले फेंकना लाठी चार्ज करना; तथा

(८) अंततः गोली चालन जिसके बाद ही आन्दोलन बन्द हो गया।

२४. इस संबंध में दूसरे गवाह श्री विजेन्द्र सिंह हैं जो उस समय नागदा मे थानेदार थे पक्षकार क्रमांक १० जिला प्राधिकारियों के गवाह क्रमांक ३२ के रूप में उनका परीक्षण किया गया। वे दिसम्बर १९६९ से नागदा के थानेदार थे। उन्होंने नियंत्रण कक्ष तथा पुलिस दस्तों की स्थापना के संबंध में सर्वश्री राजाराम रावत तथा श्री बेग के बयानों का समर्थन किया है। उन्होंने इस मत की भी पुष्टि की है कि स्थिति को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक था। श्री सक्सेना, पुलिस उप निरीक्षक ने, जिनका कर्तव्य पुलिस दल के साथ रहना था, ७·३० बजे सुबह श्री बिजेन्द्र सिंह को सूचित किया कि पावर हाउस गेट के पास लगभग ८० से लेकर १०० कामगार जमा हो गये थे। उन्होंने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट श्री बेग तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री रावत को तत्काल इसकी सूचना दी। वे पावर हाउस आए। जब वे वहां पहुंचे तो सब·डि·म· ने भीड़ को दण्ड प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन जारी किये गये आदेश के उल्लंघन के बारे में समझाया। तत्पश्चात् इन गवाह ने श्री राजाराम तथा श्री बेग के कथन का समर्थन किया है। श्री बेग घायल हो गए थे तथा श्री विजेन्द्र सिंह को यह निदेश देकर गैरेज चौराहा छोड़कर चले गए थे कि भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये यथावश्यक बल का प्रयोग किया जाए। पुलिस अधीक्षक, लगभग ८·३० बजे गैरेज चौराहे पर आये। उस समय तक भीड़ सभी ओर से आ चुकी थी। भीड़ ने दीवार को पांच जगहों से तोड़ा और पुलिस शिविर को घेर लिया। वे पुलिस दल पर पत्थर फेंकने लगे। उनके पास छोटी-छोटी मशालें भी थीं। भीड़ ने पुलिस दल पर जलते हुए अंगार भी फेंके। दीवाल के किनारे कोयला इक्ट्ठा कर लिया गया था और उसमें आग लगा दी गई थी। मिल की दीवार के भीतर स्थित कूलिंग टावर से लगातार नट, बोल्ट पत्थर, तथा तेजाब की बोतलें फेंकी जा रही थीं। इसलिये पुलिस अधीक्षक ने बिजलीघर (पावर हाउस) वाली सड़क और साथ ही स्कूल की तरफ की सड़क की ओर अश्रु गैस गोले फेंकने का आदेश दिया। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिये लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। स्कूल की तरफ की सड़क की भीड़ और साथ ही बिजली घर (पावर हाउस) वाली सड़क की भीड़ पीछे हट गई। तथापि पत्थर फेंकना जारी रहा जो भीड़ मिल में घुस गई थी, वह बाहर आ गई और उसके ठीक सामने स्थित प्रशासनिक खण्ड की ओर बढ़ी। प्रशासनिक खण्ड के सामने एक कार खड़ी थी। भीड़ के लोगों ने कार को तोड़ दिया। फिर भीड़ प्रशासनिक खण्ड में घुसी। इन्जीनियरिंग डिविजन कार्यालय, को भी, जो कि प्रशासनिक खण्ड में स्थित था, क्षति पहुंचाई गई। लोगों ने शीशे, दरवाजे और

अन्य सामान तोड़ा। शोध-संस्थान को तहस-नहस कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यालय को तोड़ा गया और प्रबन्धक के बैठने के स्थान के पीछे का दरवाजा भी तोड़ दिया गया। तब लाठी चार्ज किया गया इसलिये भीड़ मिल के अहाते में घुस गई। अतिथिगृह तथा बिड़ला हाउस में लूटपाट तथा आगजनी का समाचार सुनकर पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह को यह अनुदेश देकर वहां से चले गए कि स्थिति पर काबू पाने के लिये यथावश्यक बल प्रयोग किया जाए। उस समय तक उन्होंने गन्धक के ढेर से धुंआ निकलते देखा। शोध संस्थान के शीशों को भी तोड़ा गया। उन्होंने अन्दर से बन्दूक चलने की आवाज भी सुनी। गोलियां मिल के अहाते के अंदर से चल रहीं थीं। गोलियां पुलिस शिविर के सामने के गैरेज की दीवारों से टकरा रही थीं। अहाते की दीवार के भीतर से और साथ ही पावर हाउस वाली सड़क तथा स्कूल की तरफ की सड़क और बाग से पत्थरों, नटों और बोल्टों की बौछार जारी थी। उस समय सायरन बजा। इस पर सभी ओर से भीड़ ने पुलिस शिविर को घेर लिया और पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। वे चिल्ला रहे थे कि उन्हें पुलिस शिविर की ओर बढ़कर पुलिस के लोगों को जला देना चाहिए। वे चिल्ला रहे थे कि पुलिस वाले-मिल वालों के नौकर हैं और श्रमिकों के दुश्मन हैं। इसलिये श्री बिजेन्द्र सिंह ने अश्रु गैस के गोले छोड़ने का आदेश दिया। दो गोले फेंके गये, किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर बिजेन्द्र सिंह ने भीड़ को चेतावनी दी कि वे पुलिस शिविर की ओर न बढ़ें और गोली चलाना तथा पत्थर फेंकना बिल्कुल बन्द कर दें। दीवार के भीतर से गोलियां चलती ही रहीं। भीड़ के लोगों ने उनके आदेशों को नहीं माना। उन्होंने देखा कि सागर मल गुप्ता नामक एक व्यक्ति गोली चला रहा था। भीड़ के लोगों ने मिल के अन्दर से एक होज़ पाइप के जरिये पानी फेंकना भी शुरु कर दिया। इन परिस्थितियों में श्री विजेन्द्रसिंह का कहना है कि उन्हें यह आशंका हुई, जो युक्तियुक्त ही थी, कि भीड़ के लोग शिविर को जला देंगे और पुलिस अधिकारियों को मार डालेंगे। शिविर के ठीक पीछे पुलिस बल के जो लोग थे, वे भी चिल्ला रहे थे कि भीड़ उन पर हमला कर रही है। इसलिये श्री बिजेन्द्र सिंह ने अपनी चेतावनी पुनः दुहराई और आदेश दिया कि लोग तितर-बितर हो जांय और गोली चलाना और पत्थर फेंकना बन्द कर दें। भीड़ ने अपना काम जारी रखा। जब उनकी चेतावनी का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने गोली चालन दल को सावधान किया। अपनी स्वयं की और पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये उन्होंने श्री सरबन लाल को पांच राउण्ड चलाने का आदेश दिया। उन्होंने पांच राउण्ड चलाये। दीवार के भीतर से गोली चलाने वाले श्री सागर मल गुप्ता चोट खाकर गिर पडे।

२५. उस समय अतिथि गृह का एक नौकर एक पर्ची लेकर आया जिसमें यह दर्शाया गया था कि बिड़ला ग्राम में दस बजे सुबह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस पर बिजेन्द्र सिंह ने भीड़ के लोगों से कहा कि तितर-बितर हो जाये, किन्तु इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे विभिन्न दिशाओं से निम्न कार्यवाहियां करते रहे। दीवार के भीतर से गोली-चालन भी होता रहा। उसके बाद उसने पावर हाउस सड़क की तरफ आठ अश्रु गैस के गोले फेंके, किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ और भीड़ पत्थर, लोहे की छडें और पाइप लिए हुए आगे बढ़ी। तब श्री बिजेन्द्र सिंह ने उनसे तितर-बितर हो जाने के लिए कहा, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे भीतर से गोली चलाते रहे। उसके पश्चात् बिजेन्द्र सिंह ने भीड़ से कहा कि यदि उन्होंने गोली चलाना

बन्द नहीं किया, तो पुलिस भी अपने बचाव में तथा आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए गोली चलाना शुरु कर देगी। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वे पथराव करते रहे और इससे पुलिस दल घायल हुआ। इसलिए श्री बिजेन्द्रसिंह ने रामायण प्रसादसिंह कान्स्टेबल को आदेश दिया कि वह भीड़ पर पांच राउण्ड गोली चलाए। उसने आदेश का पालन किया। उन्होंने उसी तरह श्रीराम कान्स्टेबल को आदेश दिया। गोली चालन के परिणाम स्वरूप दो या तीन व्यक्ति नीचे गिर गए। उसके बाद भी बलवाइयों व्दारा भीतर और बाहर से गोली चलाना जारी रखा गया, यद्यपि उनमें से कुछ भाग खडे हुए। श्री बिजेन्द्र सिंह ने अन्य कान्स्टेबलों की सहायता से लाशों को उठाने की कोशिश की, किन्तु वे ऐसा न कर सके, क्योंकि भीड़ जो पीछे जा रही थी, वापस लौट आई थी। उसने पुलिस को लाशों की ओर बढ़ने से रोका। बलवाई गोली चलाते रहे। उसके बाद श्री बिजेन्द्रसिंह ने एक अन्य कान्स्टेबल प्रेमचन्द्र को पांच राउण्ड गोली चलाने के लिए कहा। उसने गोली चलायी। प्रेमचन्द्र व्दारा पांच राउण्ड गोली चलाने के बाद भीड़ भागने लगी। श्री राजेन्द्र दुबे भीड़ में थे। जब बलवाइयों को बताया गया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, तब वे भाग खड़े हुए।

२६. उसके बाद श्री बिजेन्द्र सिंह ने पुलिस उप-निरीक्षक श्री पाण्डे से संपूर्ण बिरलाग्राम में कर्फ्यू की घोषणा कर देने के लिए कहा। उसके बाद श्री बिजेन्द्रसिंह मिल के अहाते में उन व्यक्तियों की खोज में गए, जो वहां हों। उन्होंने कूलिंग टावर के पास दीवार और टावर के बीच कुछ खाली कारतूसें देखीं। वहां कुछ भरी हुई कारतूसें भी थीं। उन्होंने वहां २२ रायफल पायी। वहां जमीन पर खून के धब्बे भी थे। प्रदर्श १-पी २८९ के अनुसार उन्होंने जप्तियां की। कुछ ऐसी वस्तुएं भी पायी गई, जिनसे आग्नेयास्त्रों के उपयोग का प्रमाण मिलता था। एक ठेले पर कुछ पत्थरों, कुछ बोल्टों तथा नटों के ढेर थे। उन्होंने लोहे की छडों तथा पाइपों के साथ कुछ हाथ के दस्ताने भी देखे। वहां एक सीढ़ी भी थी। श्री बिजेन्द्र सिंह ने द. प्र. सं. की धारा १४४ के उल्लंघन के ११ मामले पेश किए थे। उन्होंने द. प्र. सं. की धारा १४४ के अधीन १६-११-७० से १६-१२-७० तक २४ व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया था। सभी गिरफ्तार व्यक्ति श्रमिक-समूह के थे। सब डिवी. मजि. खाचरोद के समक्ष आठ चालान पेश किये गए। हुकुमचंद कछवाह नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। द. प्र. सं. की धारा १०७ तथा ११७ के अधीन सब डिवी. मजि. के समक्ष एक चालान भी पेश किया गया था। श्री बिजेन्द्रसिंह ने यह भी कहा है कि विवाद बोनस तथा वेतन-श्रेणीकरण को लेकर हुआ था। सभी श्रमिक एक मजदूर मोर्चा बनाना चाहते थे। चूंकि सभी संघ सहमत नहीं हुए, इसीलिए संघर्ष समिति बनायी गई। संघर्ष समिति के आयोजक श्री जितेन्द्र गोथरवाल थे। अन्य सक्रिय सदस्य थे। श्री हनुमान प्रसाद, श्री मांगीलाल शर्मा, श्री विनायक पटवर्धन, श्री पंचानन बराल, श्री राजेन्द्रसिंह बुन्देला, श्री महत्तम दुबे, श्री बी. के. तिवारी और श्री कैलाश कप्तान। इस संघर्ष समिति के अलावा एक अन्य दल भी था। ये दोनों दल सभाएं करते थे और आपस में गाली-गलौच करते थे। चूंकि वहां पुलिस बल हमेशा रखा जाता था, इसलिए एक दूसरे के विरुध्द चीखते-चिल्लाते रहने पर भी कोई अवांछनीय घटना घटित नहीं हुई। उन्होंने सब डिवी. मजि. को रिपोर्ट की, जिसके आधार पर द. प्र. सं. की धारा १४४ लागू कर दी गई थी।

२७· श्री बिजेन्द्रसिंह ने आगे यह बताया कि दि· १२-१२-७० को प्रबन्धकवर्ग ने बोनस के संबंध में सूचना दी थी। उस दिन लगभग ५·२० बजे कामगारों ने हड़ताल प्रारम्भ कर दी। लगता है कि शिकायत यह थी कि जब बातचीत चल रही थी, सूचना नहीं दी जानी चाहिए थी तथा एकतरफा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। मुझे यहां इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहिए कि सूचना टांगने से पुलिस का कोई सरोकार नहीं था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूचना का तात्कालिक प्रभाव, सही या गलत ढंग से हड़ताल होना था। इस सूचना के कुछ दिन बाद श्री मण्डेलिया ने एक पत्रकार सम्मेलन किया। श्री बिजेन्द्रसिंह ने कहा कि दि· १२-१२-७० से १८-१२-७० तक की अवधि के दौरान विभिन्न कामगारों के विरुध्द उस अवधि में उनके व्दारा किए गए विभिन्न अपराध दर्ज किए गए थे। अपराध में बलवा तथा लूटमार शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि श्रमिकों के दोनों दलों में परस्पर झगडे हुए थे, किन्तु वे अपराध संज्ञेय नहीं थे। तथापि, संज्ञेय अपराधों के संबंध में कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार हमें श्री बिजेन्द्रसिंह के साक्ष्य से पता चलता है कि अपराधों के पंजीयन तथा चालानों के प्रस्तुतीकरण के अलावा पैरा २३ में दिए गए राजाराम रावत तथा श्री बेग के बयान में पूर्ण साम्य है।

२८· इस विचारणीय विषय पर श्री पाहूजा के साक्ष्य और श्री राजाराम रावत, श्री ए· एस· बेग, सब डिवी· मजि. और श्री विजेन्द्रसिंह के साक्ष्य में भी साम्य है। उन्होंने, पुलिस व्दारा उठाए गए सभी कदमों तथा कार्यवाहियों के संबंध में, जिसमें गोलीचालन भी शामिल है, इन गवाहों के बयानों की पुष्टि की है। वस्तुतः उनके साक्ष्य में हम यह पाते हैं कि उन्होंने गोली चलाने का आदेश उस समय दिया था, जिस समय रामाश्रय नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में मशालों को लिए हुए तथा खतरनाक नारे लगाती हुइ भीड़ पुलिस दल की ओर आ रही थी। उनके साक्ष्य से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जब भीड़ का नेता, जो मशाल लेकर चल रहा था, नीचे गिर पड़ा, तब भीड़ तितर-बितर हो गई। वह वस्तुतः दंगे की समाप्ति थी। पुलिस अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की थी, के साक्ष्य के अतिरिक्त हमारे पास कलेक्टर श्री समरसिंह तथा सहायक श्रम आयुक्त श्री दुबे के भी साक्ष्य हैं। उन कांस्टेबलों की जांच की गई है, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन किया था तथा गोली चलाई थी। वे रामायण प्रतापसिंह (१०-अ· ग· ३०) तथा श्रीराम (१०-अ· ग· ३१) थे।

२९· हमने यह देखा है कि पुलिस अधिकारियों ने क्या कदम उठाए तथा कार्यवाही की। हमने स्थिति के संबंध में उनके व्दारा दिया गया विवरण भी देखा है। अब हम यह देखें कि जिला प्रमुख अर्थात् कलेक्टर ने स्थिति का कैसा मूल्यांकन किया तथा उन्होंने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए. श्री समरसिंह का १०-अ·ग·२९ के रूप में परीक्षण किया गया। उनके अनुसार उन्हें बहुत पहले अर्थात् दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० से ही श्रमिक-स्थिति की पूरी जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने श्री बेग, सब डिवी· मजि· खाचरोद को इस क्षेत्र की विधि एवं व्यवस्था का प्रभारी बना दिया था। उनमें विशेष रूप से नागदा में रहने तथा विधि एवं व्यवस्था की सामयिक स्थिति से उन्हें अवगत

करने के लिए कहा गया था। श्री समरसिंह श्रमिकों तथा प्रबन्धक वर्ग के बीच के विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयाग करते रहे थे। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने बैठकें भी अयोजित की थीं। पहली बैठक २१ नवम्बर, १९७० को आयोजित की गई थी, जिसमें सहायक श्रम-आयुक्त श्री आर॰ सी॰ दुबे उपस्थित थे। दूसरी बैठक ३०-११-७० को उज्जैन में हुई थी, जिसमें प्रबन्धक वर्ग, प्रमुख कार्यकर्ता तथा संघर्ष समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। इन दोनों बैठकों में श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे तथा टिप्पणी (नोट) ले रहे थे। दि॰ १४-१२-७० को श्री समर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के साथ नागदा का दौरा किया था। जबकि उन्हें यह सूचना मिली कि उस दिन श्रमिकों ने कारखाने में घुसने के बावजूद हड़ताल कर दी थी। श्री समर सिंह तथा पुलिस अधीक्षक ने कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रबन्धकवर्ग के कार्यालय में तथा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विश्राम भवन में बुलाया था, ताकि वे उनके समक्ष स्थिति को स्पष्ट कर सकें तथा उस मामले को सुलझा सकें। उनके बुलावे पर जो व्यक्ति वहां आए उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे अन्य श्रमिकों को मिल से बाहर आने के लिए राजी करेंगे, किन्तु उन्होंने यह शर्त रखी कि प्रबन्धकवर्ग कुछ समय तक विस्कोज को बहाएगा नहीं। प्रबन्धकवर्ग ने यह आश्वासन दिया, किन्तु कामगारों की ओर से शर्त को पूरा नहीं किया गया अर्थात् जो श्रमिक मिल के अन्दर थे, वे अन्दर ही बने रहे और बार-बार आग्रह किए जाने पर भी वे १५ दिसम्बर, १९७० की रात तक भी बाहर नहीं आए. तथापि, श्री समरसिंह ने एक दिन पहले ही नागदा छोड़ दिया। जहां तक ३० नवम्बर, १९७० की बैठक का संबंध है, वहां तक श्री समर सिंह का कहना है कि यह तय किया गया था कि दो व्यक्ति प्रबन्धकवर्ग की ओर से तथा दो व्यक्ति कामगारों की ओर से आमने सामने बैठकर समस्याओं पर चर्चा करेंगे और वहां पर कुछ तटस्थ व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे, इसलिए यह निश्चय किया गया था कि सहायक आयुक्त श्री आर॰ सी॰ दुबे वहां उपस्थित रहेंगे तथा श्री समर सिंह भी अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। नागदा में दि॰ २ तथा ३ दिसम्बर, १९७० को बैठकें हुई। अपर कलेक्टर श्री मजोत्रा को कलेक्टर श्री समर सिंह की ओर से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था।

३०॰ ऊपर बताए अनुसार समस्त प्रबंध करने के बाद श्री समर सिंह १९ दिसम्बर, १९७० को शासकीय कार्य से भोपाल चले गये। वे वहां २१ तारीख तक रहे और अपरान्ह् १॰३० बजे उन्हें नागदा में उपद्रव की सूचना मिली। यह सूचना उन्हें सचिवालय में किसी पुलिस अधिकारी व्दारा दी गई थी। उन्होंने तुरन्त भोपाल से प्रस्थान कर दिया। रास्ते में, उज्जैन में, उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट उज्जैन से तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्रसिंह से सारी जानकारी प्राप्त की। उज्जैन में उन्होंने यह भी देखा कि वहां भी गड़बड़ी को फैलने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जब वे नागदा पहुंचे, तो सर्वप्रथम उन्होंने यह पता लगाया कि बलवे में घायल व्यक्तियों की देखभाल तथा उपयुक्त उपचार किया जा रहा है या नहीं। उज्जैन में उन्हें यह भी सूचना प्राप्त हुई कि नागदा में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा वहां की विधि एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति नियंत्रण में है. उन्हें यह भी बताया गया कि नागदा के लिए अतिरिक्त बल भी भेजा जा चुका है। तब रात्रि के ८ बजे होंगे, जब वे नागदा पहुंचे और उन्होंने देखा कि पूरे बिड़लाग्राम तथा नागदा मंडी में पुलिस की तथा गश्त की उचित व्यवस्था की गई है।

३१· कलेक्टर श्री समरसिंह के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने प्रबन्धवर्ग तथा श्रमिकों में समझौता कराने का प्रयास किया था। उन्होंने बैठकें भी आयोजित की थीं। प्रति-परीक्षण में श्री समरसिंह ने हमें बताया था कि प्रबन्धकवर्ग उन्हें श्रमिक स्थिति के संबंध में पत्र लिखा करता था और वे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर श्री बेग से संपर्क स्थापित करने का निदेश दे देते थे। आयोग व्दारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कामगारों को उपद्रव करने के लिए भड़काया था। संघर्ष समिति का गठन अक्टूबर, १९७० में कभी किया गया था। श्री समरसिंह ने बताया कि यद्यपि वे यह जानते थे कि संघर्ष समिति प्रबन्धकवर्ग व्दारा उठाए गए कदम से संतुष्ट नहीं थी, तथापि उन्हें इसके संकेत नहीं मिले थे कि इस तरह का कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसके बाद भी श्री समरसिंह ने देखा था कि किसी भी स्थिति के नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल था।

३२· इस प्रकार विधि तथा व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी बयानों तथा जिला प्राधिकारियों व्दारा समय-समय पर किए गए उपायों को देखते हुए मैं यह नहीं समझता कि प्राधिकारियों को दोष दिया जाए। मैं अब सहायक श्रम आयुक्त श्री दुबे के साक्ष्य पर विचार करना चाहूंगा कि श्रम विभाग व्दारा क्या कार्यवाही की गयी, क्योंकि कार्यवाही के संबंध में श्रमिक दलों के अलावा प्रबन्धकवर्ग का भी यह अभिकथन था कि श्रम विधान के अधीन सांविधिक प्राधिकारियों ने शीघ्र तथा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण पूरी स्थिति शीघ्रता से बिगड़ती चली गई। इसलिए मुझे इसकी जांच करना है कि सांविधिक प्राधिकारियों ने श्रम विधान के अधीन अपना कार्य उचित रूप से किया था अथवा नहीं। मुख्य अभिकथन यह प्रतीत होता है कि उन्होंने विवाद औद्योगिक न्यायालय को निर्दिष्ट नहीं किया।

३३· श्री दुबे का परीक्षण किया गया है। वे सहायक श्रम आयुक्त थे। जहां तक श्रम विभाग के अधिकारियों का प्रश्न है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वे ऐसे अधिकारी थे, जो सभी श्रमिक दलों तथा प्रबन्धकवर्ग के श्रमिक बखेड़ों को निबटाया करते थे। वे उस समय सहायक श्रम आयुक्त थे और नागदा उनके क्षेत्राधिकार में आता था। उन्होंने हमें बताया कि सन् १९७० में लगभग १० पंजीयित श्रमिक संघ थे। उनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण संघ थे:—

(१) ग्रासिम मजदूर संघ, पक्षकार क्रमांक ६,

(२) ग्रासिम मजदूर यूनियन, पक्षकार क्रमांक ७,

(३) ग्रासिम श्रमिक संघ, पक्षकार क्रमांक ३, और

(४) नागदा मिल मजदूर संघ, पक्षकार क्रमांक ५·

इनमें से ग्रासिम मजदूर संघ अर्थात् पक्षकार क्रमांक ६ ही ऐसा संघ था, जो खाचरोद तहसील के कुल क्षेत्र के लिए २३-७-७० तक का रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधि संघ था। यह संघ म· प्र· में यथा प्रयुक्त बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम के अधिन मान्य था, क्योंकि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध

अधिनियम प्रवृत्त नहीं था। यह अधिनियम दिसम्बर, १९६० में प्रवृत्त हुआ था। तथापि, इस ग्रासिम मजदूर संघ को दी गई मान्यता पंजीयक व्दारा २३-७-७० को वापिस ले ली गई। उस समय एक अन्य प्रतिनिधि संघ था, जो नागदा मिल मजदूर संघ कहलाता था। यह वस्त्र उद्योग का प्रतिनिधि संघ था। अतः २३-७-७० को ग्रासिम मजदूर संघ को अमान्य कर देने के बाद नागदा मिल मजदूर संघ ही वस्त्र उद्योग का एकमात्र मान्यता-प्राप्त संघ रह गया। ग्रासिम मजदूर संघ पक्षकार क्रमांक ६ को इस कारण अमान्य कर दिया गया था कि वह रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधि संघ था। किन्तु उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार ग्वालियर रेयान को रासायनिक उद्योग नहीं माना गया था और इस लिए वह प्रतिनिधि संघ नहीं रह गया था। ग्रासिम मजदूर संघ को अमान्य कर दिए जाने के प्रश्न पर उक्त संघ ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष एक अपील की थी, किन्तु वह खारिज कर दी गई थी।

३४. विधि के अधीन उपबंधित बोनस की अधिकतम राशि वार्षिक मजदूरी का २० प्रतिशत है। वर्ष १९६९-७० के बोनस के भुगतान के संबंध में विवाद था। बोनस ३० नवम्बर तक दिया जाना था और विवाद अक्टूबर के अन्तिम दिनों में कभी उठा था। इसलिए, श्री दुबे १४ नवम्बर, १९७० को नागदा आये। इसका पता चलने पर कि कोई झगड़ा चल रहा था, श्री दुबे ने प्रबन्धकवर्ग से लिखकर उन उपायों की जानकारी मांगी थी, जो उन्होंने इस संबंध में किए थे। झगड़ा स्टेपल फायबर डिविजन तथा इंजीनियरी डिविजन दोनों में बोनस की मात्रा तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में भी था। १४-११-७० को नागदा पहुंचने पर उन्होंने प्रबन्धकवर्ग तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन, ग्रासिम मजदूर संघ तथा नागदा मिल मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से भेंट की. वे प्रबन्धकवर्ग से भी मिले, जिसका प्रतिनिधित्व कारखाना प्रबन्धक श्री धारीवाल तथा सहायक प्रबंधक श्री किशोरीलाल ने किया था। इसके बाद उन लोगों की एक संयुक्त बैठक हुई। नागदा मिल मजदूर संघ को छोड़कर सभी संघों ने इस बैठक में अपना प्रतिनिधित्व किया था। उपर्युक्त तीन संघों ने तीन विभिन्न तरीकों से बोनस की मांग की थी। ग्रासिम मजदूर संघ, पक्षकार क्र॰ ७ ने मजदूरी के ८५ प्रतिशत बोनस की मांग की। ग्रासिम मजदूर संघ ने लाभ के ५० प्रतिशत की मांग की तथा ग्रासिम श्रमिक संघ, पक्षकार क्र॰ ३ ने अपनी कोई विशिष्ट मांग प्रस्तुत नहीं की, किन्तु ग्रासिम संघर्ष समिति पक्षकार क्र॰ ४ की ओर से ४५ प्रतिशत की मांग थी। उस बैठक में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों का पुनरीक्षण करने पर चर्चा की गई, किन्तु उस बैठक में इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सका। इस बैठक में श्री हनुमान प्रसाद, जो कि ग्रासिम श्रमिक संघ के थे और ग्रासिम संघर्ष समिति की ओर से बात करना चाहते थे, ने कहा कि ग्रासिम श्रमिक संघ ही एक ऐसा संघ है, जिसे इन मामलों में बातचीत करनी चाहिये। श्री हनुमान प्रसाद यह चाहते थे कि यदि ग्रासिम मजदूर संघ पक्षकार क्र॰ ६ तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन, पक्षकार क्र॰ ७ के साथ बातचीत की जाती है तो वे इसमें असहयोग करेंगे। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ग्रासिम संघर्ष समिति कोई पंजीयित संघ नहीं है। मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि ग्रासिम संघर्ष समिति का गठन विभिन्न संघों के कतिपय सदस्यों व्दारा किया गया था। इन संघों को इस संबंध में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था.

३५· चूंकि उक्त बैठक असफल रही, इसलिए अगली बैठक दि· १७-११-७० को नागदा में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न संघ उपस्थित थे। श्री चन्द्रकुमार श्रीवास्तव, सचिव ग्रासिम मजदूर यूनियन पक्षकार क्र· ७, श्री कृष्णास्वामी तथा श्री महेन्द्रकुमार भटनागर ने उक्त यूनियन का प्रतिनिधित्व किया; श्री द्रोणकर, ग्रासिम मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामबदन पांडेय, इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, श्री कैलाश रघुवंशी तथा श्री कन्हैयादास ग्रासिम मजदूर संघ की ओर से इस बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में एक श्री किशनलाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने इन्जीनियरिंग मजदूर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। प्रबन्धकवर्ग की ओर से प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक अर्थात् सर्व श्री धारीवाल तथा किशोरी लाल उपस्थित थे। बैठक में बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रबन्धकवर्ग इस बात पर जोर दे रहा था कि चर्चा राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक संघ इस बात से सहमत नहीं हुआ। संघर्ष समिति ने इसमें भाग नहीं लिया। उनकी अनुपस्थिति का कारण यह था कि संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसलिए वे प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। संघर्ष समिति के जो सदस्य आये वे भी अन्य संघों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए।

३६· अगली बैठक २०-११-७० को आयोजित की गई, जिसे कलेक्टर ने बुलाया था। उन्होंने इस बैठक में नागदा के सभी श्रमिक संघों तथा प्रबन्धकवर्ग को बुलाया था। संघर्ष समिति अपनी इस बात को बार-बार दोहराती रही कि वह अन्य दलों की उपस्थिति में अपनी मांगों के संबंध में चर्चा नहीं करेगी। वह इस बात पर जोर देती रही कि बातचीत केवल उसी से की जाए। इसलिए कलेक्टर ने सभी संघों से अलग-अलग और प्रबन्धकवर्ग से भी बातचीत की। इस बैठक में कुछ भी नहीं हुआ। इस कारण ३०-११-७० को उज्जैन के सरकिट हाउस में पुनः एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री पूरनमलका, प्रबन्धकवर्ग के उपाध्यक्ष, श्री धारीवाल, कारखाना प्रबन्धक, ग्रासिम श्रमिक संघ की ओर से श्री हनुमान प्रसाद, ग्रासिम मजदूर संघ की ओर से श्री कैलाश शर्मा, नागदा मिल मजदूर संघ की ओर से श्री मोहनलाल शर्मा तथा संघर्ष समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री पंचानन बराल उपस्थित थे। बैठक में कुछ अन्य कार्यकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। श्री दुबे का कहना है कि वे भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में चर्चा उन्हीं मुद्दों पर की गई, किन्तु इस बैठक में कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका, किन्तु यह निर्णय ले लिया गया था कि २-१२-७० को नागदा में एक और बैठक होगी, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे। २-१२-७० को होनेवाली इस बैठक में कामगारों की ओर से २ प्रतिनिधि, प्रबन्धक वर्ग की ओर से २ प्रतिनिधि तथा सभी कामगारों की ओर से २ प्रतिनिधि उपस्थित रहने चाहिए। इस बैठक में स्थानीय प्रशासन का एक अधिकारी भी उपस्थित रहेगा. दिनांक २-१२-७० को बैठक हुई। इस बैठक में भी यद्यपि बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण पर चर्चा की गई, किन्तु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रबन्धकवर्ग की ओर से भी वेतनमानों के पुनरीक्षण का एक प्रस्ताव आया, किन्तु इस पर समझौता नहीं हो सका, क्योंकि प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रारंभिक अवस्था में किसी वृध्दि की व्यवस्था नहीं थी।

वेतन वृध्दि की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं थी। आगे प्रबन्धकवर्ग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन·पी·सी·) के प्रतिवेदन की व्याख्या कर यह अर्थ निकाला कि वे कामगारों की संख्या कम कर सकते थे। अतएव, उसी दिन अनेक प्रयास किये जाने के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका।

३७· दिनांक ३-१२-७० को नागदा में एक और बैठक हुई थी। उसमें प्रबंधकवर्ग की ओर से श्री पूरनमलका-उपाध्यक्ष, श्री जे· सी· धारीवाल, कारखाना प्रबंधक तथा शैलेन्द्र जैन, कामगारों की ओर से भी कैलाश चन्द्र शर्मा, श्री हनुमान प्रसाद तथा श्री जितेन्द्र गोथरवाल आदि व्यक्ति उपस्थित थे। बैठक मे कोई समझौता नहीं हो सका था, और इसलिए दिनांक ५-१२-७० को इन्दौर में दूसरी बैठक रखने का निश्चय किया गया था। किन्तु प्रबंधकवर्ग के इस सुझाव पर कि वे विनोद मिल्स, उज्जैन के संचालक श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी की सेवाएं प्राप्त करना चाहते थे, इन्दौर में बैठक नहीं हो सकी थी। श्री दुबे उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, किन्तु उन्हें मालूम हुआ था कि श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी के निवास स्थल पर कोई बैठक हुई थी और श्री धारीवाल ने उन्हें सूचित किया था कि वे उनसे बाद में ग्रैंड होटल में मिलेंगे। अतः रात के लगभग ९ बजे सर्वश्री धारीवाल, पूरनमलका तथा श्री कुरेशी उनसे ग्रैंड होटल में आकर मिले और उन्हें सूचित किया कि कामगारों की मांगें बहुत ऊंची होने के कारण कोई समझौता नहीं हो सका था। उन्होंने यह भी बताया कि श्री धारीवाल इस विषय पर श्री मंडेलिया से चर्चा करने तथा और आगे अनुदेश प्राप्त करने के लिए कालिकट जाने वाले थे वे १० दिसम्बर तक लौट आयेंगे तथा नई वार्ता प्रारंभ कर देंगे, जो १२ दिसम्बर तक पूरी हो जायेगी। वापस लौटने पर श्री धारीवाल ने दिनांक १२ को बोनस की मात्रा और वेतन श्रेणीकरण (ग्रेडेशन) के संबंध में एक सूचना लगवा दी।

३८· श्री दुबे का आगे कहना है कि चूंकि प्रबंधकवर्ग, जो बोनस देने का इच्छुक था, वह २० प्रतिशत अर्थात् विधि के अधीन निर्धारित अधिकतम मात्रा से अधिक था, अतः श्रम विभाग औद्योगिक न्यायालय को कोई मामला निर्दिष्ट नहीं कर सका था। वेतन श्रेणीकरण के सम्बन्ध में श्री दुबे का कहना है कि प्रबंधकवर्ग तथा कामगारों के बीच पहले से ही एक करार विद्यमान है और इसीलिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। श्री दुबे को दिनांक १२ से २१ दिसम्बर १९७० की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि उस अवधि में वे न तो उज्जैन में थे और न ही नागदा में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां तक श्रम विभाग के अधिकारियों का संबंध है, उन्होंने वे सभी उपाय किये थे जो किये जा सकते थे। वे औद्योगिक न्यायालय को मामला निर्दिष्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें निर्दिष्ट करने योग्य कोई बात थी ही नहीं। प्रबंधकवर्ग वार्ताओं तथा समझौतों के व्दारा अधिक बोनस का भुगतान कर सकता था, किन्तु श्रम विभाग ऐसे भुगतान के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रबंधकवर्ग ने पहले ही विधि के अधीन निर्धारित बोनस की अधिकतम मात्रा से भी अधिक बोनस देने का वचन दे दिया था। प्रबंधकवर्ग व्दारा अधिक बोनस देने हेतु सहमत हो जाने के बाद विभाग की जिम्मेदारी केवल इतनी ही रह जाती थी कि वह कार्य को किसी प्रकार अस्त-व्यस्त होने से रोके तथा वह इस कार्य को केवल मध्यस्थता तथा समझौते व्दारा भी कर

सकता था। श्री दुबे तथा कलेक्टर दोनों ने ही दलों को समझौते के लिए एक मंच पर ला खड़ा किया था। वे घोड़े को पानी के पास तो ले आए, किन्तु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सके और वस्तुतः उन्हें ऐसा करने की कोई शक्ति ही नहीं थी। ऊपर दर्शाये अनुसार अनेक बैठकें आयोजित की गईं। केवल एक ही बात है, जिसका निर्णय किया जाना है। मेरा विचार है मैंने विषय क्र॰ (क) के संबंध में विचार करते समय इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की है। इसे दोहराना अनुचित नहीं होगा। प्रबंधकवर्ग ने दिनांक १२-१२-७० को एक सूचना लगवाई। यह सूचना निःसन्देह श्रम विभाग या श्रमिकों से परामर्श किये बिना ही लगाई गयी थी। किन्तु इस सूचना से श्री केवल स्टेपल फाइबर डिवीजन के लिए ३१ प्रतिशत बोनस तथा इंजीनियरी डिवीजन के लिए २४·५ प्रतिशत बोनस दिये जाने को छोड़ और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। इसका उल्लेख सूचना में निम्नानुसार है: —

> "जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि वेतनमान के रिवीजन के मसले को भी मेनेजमेन्ट जल्दी से जल्दी सलटाना चाहता रहा है एवं है। इस संबंध में मेनेजमेन्ट ने इससे बहुत पूर्व प्रतिनिधि यूनियन एवं लेबर डिपार्टमेन्ट को इसे सलटाने के लिए पत्र लिखे हैं एवं सलटाने की पूर्ण तत्परता लिखता रहा है। किन्तु इसके बावजूद भी अनावश्यक शिथिलता के कारण एवं गत कुछ माह से प्रतिनिधि यूनियन के क्रियाशील न होने के कारण तथा अन्य रजिस्टर्ड यूनियन्स के एकमत होकर चर्चा न करने के कारण इस मसले को सलटाने में भी मेनेजमेन्ट के सभी प्रयास विफल रहे हैं।
>
> मेनेजमेन्ट इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस मसले को पूर्व में सम्पन्न हुए समझौते को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी निपटाने की तत्परता आज भी है। तथा सभी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स के सहयोग की आशा की जाती है।"

३९· श्रम विभाग के विरुध्द एक अन्य आरोप यह है कि उसे मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा ५१ के अधीन विवाद औद्योगिक न्यायालय को निर्दिष्ट करना था। निस्सन्देह श्रम विभाग ने ऐसा नहीं किया, किन्तु केवल मामला निर्दिष्ट करने मात्र से कठिनाई हल होने वाली नहीं थी। पिछले इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि श्रम विभाग व्दारा ये रिपोर्ट निर्दिष्ट की जाती, तो भी इस से बचा नहीं जा सकता था। सन् १९६७ के बाद की गई सभी हड़तालों को प्रबंधकवर्ग ने अवैध घोषित करवा दिया था। उसके बाद भी उसी तर्क पर कामगार हड़ताल पर चले गए। 'मानक स्थायी आदेश' प्रबंधकवर्ग को प्राधिकृत करते थे कि वे उन श्रमिकों के विरुध्द, जो अवैध हड़ताल पर गए थे, अनुशासनिक कार्यवाही करें। प्रबंधकवर्ग व्दारा ऐसा न करने के कारण कामगारों को अवैध हड़ताल करने का साहस हुआ। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ओर तो श्रम विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, जो क्योंकि कार्यवाही करने की कोई सार्थकता नहीं थी और दूसरी ओर प्रबंधकवर्ग अनुशासनिक कार्यवाही नहीं कर सका, क्योंकि उसे डर था कि इससे श्रमिकों

का आन्दोलन तथा निश्चय दृढ़ हो जाएगा। इसलिए यद्यपि जो कुछ हुआ तथा जो कुछ उन्होंने नहीं किया, उसके लिए प्रबंधकवर्ग और श्रम विभाग दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि जो कुछ किया जा सकता था, वह नहीं किया गया, क्योंकि उसका परिणाम वही होना था। कोई औद्योगिक न्यायालय किसी हड़ताल को अवैध घोषित कर सकता है, किन्तु वास्तविक शक्ति तो कामगारों के हाथों में ही होती है। यदि सभी कामगार प्रबंधकवर्ग की शर्तों से सहमत नहीं होते, या हड़ताल करते हैं, तो न्यायालय की घोषणा पर्याप्त नहीं होती, फिर वह कितने भी जोरदार शब्दों में क्यों न की गई हो। श्रम विभाग तथा प्रबंधकवर्ग दोनों ने इस विषय पर विचार किया था, यद्यपि अब वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इसलिए अब बीती बातों के लिए या तो श्रम विभाग या प्रबंधकवर्ग को दोष देना बेकार है। संपूर्ण दोष श्रमिकों की कभी तृप्त न होने वाली मांग का है, जो व्यक्तिगत नेताओं व्दारा श्रमिकों को दिए गए प्रलोभनों के कारण पैदा हुई थी। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इसमें प्रबंधकवर्ग की निःसन्देह कमजोरी थी, जो वह लाभांश अधिनियम (बोनस एक्ट) के अधीन अनुगत अधिकतम बोनस से अधिक बोनस दे रहा था। निःसंदेह यह उन्होंने कामगारों को शांत करने के लिए किया था। यदि ऐसे विभिन्न श्रमिक नेता न होते, जो श्रमिकों को विभिन्न दिशाओं की ओर खींच रहे थे, तो प्रबन्धकवर्ग का यह रुख निश्चित रूप से प्रभावशाली होता। इसलिए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, जिसके कारण प्रबन्धकवर्ग निष्क्रियता के लिए श्रम विभाग को दोषी ठहरा सकता हो।

४०. इस विचारणीय विषय पर अर्थात् विषय क्रमांक (ङ) पर मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैः—

(१) पुलिस, जिला प्राधिकारी तथा श्रम विभाग व्दारा उपाय किए गए थे।

(२) पुलिस ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की थी, पुलिस टुकड़ियां तैनात की थीं, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा १४४ के अधीन आदेश प्रख्यापित किया था, श्रमिकों के हिंसक तत्वों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां की थीं और न्यायालय के समक्ष मामले प्रस्तुत किए थे। वस्तुतः पुलिस व्दारा वे सभी उपाय किए गए, जिन्हें अधिनियम के अधीन वह विधितः कर सकती थी।

(३) उपद्रव के दिन भी पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी और ऐसा उन्होंने विधि व्दारा अनुमत तरीकों से किया था अर्थात् दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा १४४ के अधीन आदेश के कारण भीड़ को तितर-बितर हो जाने की घोषणा की और जब वे लोग तितर-बितर नहीं हुए तब अश्रु गैस के गोले छोड़े और जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो लाठी चार्ज कराया गया और इसके बाद भी जब भीड़ तितर-बितर होते नहीं दिखी, तब गोली चलाई गई थी।

आयोग व्दारा पूछे जाने पर उसके सामने पुलिस अधीक्षक श्री पाहूजा व्दारा इस संबंध में दिए गए बयान पर ध्यान दिया जाए। उनके अनुसार गोली चालन से बचा नहीं जा सकता था, क्योंकि श्रमिक हिंसा पर उतारु थे और जीवन तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। वे चिल्ला रहे थे कि वे पुलिस को मार डालेंगे और उन्होंने 'मालिक' को पहले ही जला डाला था। श्री पाहूजा ने इसका भी उल्लेख किया कि दंगे के परिणामों को देखते हुए उनका यह विश्वास हो गया था कि बलवाइयों का इरादा यह सब कुछ करने का है, जो वे कह रहे हैं। कामगार घातक हथियारों से लैस थे। उन्होंने शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया था। गोली चलाये बिना स्थिति पर काबू पाना संभव नहीं था। पुलिस थाने पर सामान्य रूप से उपलब्ध सशस्त्र गार्ड के अलावा नियंत्रण कक्ष में आठ सशस्त्र व्यक्ति मौजूद थे। श्री पाहूजा ने यह भी कहा कि स्थिति, व्यक्तियों की संख्या, उनकी आतंककारी प्रवृत्ति, उनके पास के हथियारों तथा उनके व्दारा किए गए विध्वंस को देखते हुए उन्होंने बिड़ला हाउस में गोली चलवाई थी। उनका विश्वास था कि लाठी चार्ज का कोई असर नहीं होगा। श्री पाहूजा एक उच्च अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। उनके अनुसार यह प्रथम अवसर था, जबकि उन्हें गोली चालन का सहारा लेना पड़ा था। यद्यपि इसके पूर्व वे कई स्थितियों का सामना कर चुके थे। यह एक ही अवसर था, जब कि उन्होंने सोचा कि यदि गोली-चालन का सहारा नहीं लिया जाता तो स्थिति का मुकाबला करना कठिन हो जायेगा। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि स्थिति से निपटने के लिए अपनाए गए उपाय पर्याप्त थे।

४१· जहां तक दूसरे पक्ष अर्थात् श्रम विभाग व्दारा किये गये उपायों का संबंध है, मेरा भी यह मत है कि श्रम विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले को औद्योगिक न्यायालय को निर्दिष्ट करना बेकार था, क्योंकि प्रबन्धक वर्ग पहले ही ता· ३०-११-७० की सूचना व्दारा लाभांश अधिनियम (बोनस एक्ट) के अधीन देय अधिकतम बोनस देने की घोषणा कर चुका था तथा इसके पहले भी १६-११-७० को २६·७ प्रतिशत बोनस देने की घोषणा कर चुका था। कामगार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे तथा वे ४५ प्रतिशत की मांग कर रहे थे। औद्योगिक न्यायालय लाभांश भुगतान अधिनियम (पेमेण्ट आफ बोनस एक्ट) के अधीन निर्धारित अधिकतम बोनस से अधिक नहीं दिला सकता था। (आल इण्डिया रिपोर्टर, १९६९, उच्चतम न्यायालय, ५३०)। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि श्रम विभाग भी यह सोच रहा होगा कि प्रबंधकवर्ग भी किसी प्रकार का समझौता कर लेगा जैसा कि पिछले समय प्रबंधकवर्ग ने कम लाभ के प्रतिशत के बावजूद अधिकतम बोनस दिया था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रतिवेदन पर कुछ बहस हुई थी। श्रम विभाग का प्रबन्धकवर्ग पर यह आरोप है कि उसने श्रमिकों के पास इस प्रतिवेदन की प्रतियां नहीं भेजी, जबकि प्रबन्धकवर्ग का कहना है कि उन्होंने श्रमिकों के पास इस प्रतिवेदन का सारांश भेज दिया था, किन्तु वह पूरा प्रतिवेदन नहीं भेज सकता था क्योंकि उन्हें इस प्रतिवेदन की केवल एक प्रति प्राप्त हुई थी। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतिवेदन भारी भरकम है। इस संबंध में भी मैं इन दो में से किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकता। प्रबन्धकवर्ग पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सिफारिशों का पालन नहीं किया। यदि ऐसा कोई आरोप होता तो प्रतिवेदन को दबा लेना कोई महत्व रखता। इसके साथ ही श्रम विभाग यह प्रयास कर रहा था कि प्रबंधकवर्ग तथा श्रमिकों के बीच चल

रहा मामला समाप्त हो जाए। श्रमिकों ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रतिवेदन में ऐसी कोई बात थी, जिससे उनकी स्थिति अधिक अच्छी बन सकती थी। इसलिए यह प्रतीत होता है कि रा॰उ॰ परिषद् के प्रतिवेदन का भेजा जाना या न भेजा जाना महत्वपूर्ण नहीं था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रा॰ उ॰ परिषद् ने प्रतिवेदन में श्रमिकों की संख्या में कमी की जाने की सिफारिश की गई थी, किन्तु प्रबन्धकवर्ग ने उस मुद्दे पर कोई जोर नहीं दिया था तथा किसी भी श्रमिक ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए रा॰उ॰ परिषद् के प्रतिवेदन को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना कोई महत्व नहीं रखता। इस विचारणीय विषय में मेरा सरोकार इस बात से है कि स्थानीय प्रशासन व्दारा अपनाये गये उपाय पर्याप्त थे या नहीं तथा मैं यह नहीं समझता कि स्थानीय प्रशासन-पुलिस अथवा श्रम विभाग या जिला प्राधिकारियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उपद्रवों को नियंत्रित करने के लिए अथवा उनसे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय अपनाने के कर्तव्य में वे असफल रहे।

परीशिष्ट (अ)

जांच-आयोग

नागदा (१९७१) जांच आयोग-२२-३-१९७१ के घटना स्थल के निरीक्षण पर टिप्पणी·

२२-३-१९७१ को काउन्सेल तथा पक्षकार बी· सी· आई·, वि'ाम ग्रह (रेस्ट हाउस) में एकत्र हुए। लगभग ९·३० बजे घटना स्थल का निरीक्षण प्रारंभ हुआ। मैंने अनेक स्थलों का निरीक्षण किया जिनके संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी नीचे दी जा रही है:—

(एक) पावर हाउस गेट

पहले मैं पावर हाउस गेट पर गया। प्रवेश व्दार के बाहर दांयी ओर एक पेड़ है। पेड़ के नीचे मैंने उसकी बगल में एक उलटी हुई जीप, कुछ साइकिलें, दो टेबिल पंखे, एक सूचना-फलक पड़ा देखा। केवल उन भागों को छोड़, जो इस्पात के बने थे, और इस्पात सामान्यतः जलता नहीं है, सब वस्तुएं पूरी तरह जली हुई थीं। एक जली हुई घूमने वाली कुर्सी भी पड़ी पाई गई। जली हुई जीप के ऊपर की पेड़ की कुछ पत्तियां तथा डालें भी जल गई थीं।

प्रवेश व्दार पर एक कमरा है, जिसमें खिड़कियों में काच लगे हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे पाये गये। खिड़कियों में लगी जालियां भी टूटी तथा क्षतिग्रस्त पाई गई। कुछ स्थानों में शीशे तथा तार थे ही नहीं। कमरे के भीतर एक पूरी तरह टूटा हुआ टेलीफोन पड़ा था। भीतरी भाग में जलने के कुछ निशान भी पाए गए। खिड़की की चौखट टूटी हुई थी।

शस्त्रागार·—इसमें लूट पाट की गयी थी। कमरे में बन्दूकें रखने के लिए बनाई गई अलमारी तोड़ दी गई थी। अलमारी में एक ओर लगाया जानेवाला ताला नदारद था। दूसरी ओर लगाया जानेवाला ताला ठीक हालत में था। कुछ कारतूस भी पाए गए। कांच के टूटे टुकड़े पड़े पाए गए थे। अलमारी के ऊपर कुछ टूटे हुए फोटो भी पाए गए। इस कमरे में भी आग के निशान पाए गए। बगल की दीवार के रोशनदानों की तार की जाली टूटी हुई थी। कुछ लाठियां तथा लकड़ी की एक अलमारी वहां रखी पाई गई। ऐसा दिखाई दिया कि वे कुछ समय पहले ही वहां रखी गई थीं। वहां कुछ कपड़ों के गट्ठर भी पड़े पाये गये, जिन पर जलने के निशान थे।

सुरक्षा कार्यालय के बाहर तीन टूटी तथा जली हुई कुर्सियां पायी गई थीं।

समय कार्यालय (टाइम आफिस)·—यहां फर्श पर जलने के दो या तीन निशानों को छोड़ कोई निशान नहीं पाए गए।

मुझे बिजली घर के अन्दर भी ले जाया गया तथा खतरे का भोंपू (सायरन) दिखाया गया। वहां कोई विशेष बात नहीं थी।

(दो) गैरेज चौराहा

एक स्थान पर चार मार्ग मिलते हैं। यह स्थान गैरेज चौराहा कहलाता है। क्योंकि इसके पूर्व की तरफ एक गैरेज है। पश्चिम की तरफ की सड़क पावर हाउस गेट की ओर जाती है, उत्तर की तरफ की सड़क उज्जैन सड़क है तथा दक्षिण की ओर की सड़क पर ग्रासिम मिल की प्रयोग शाला तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थित है।

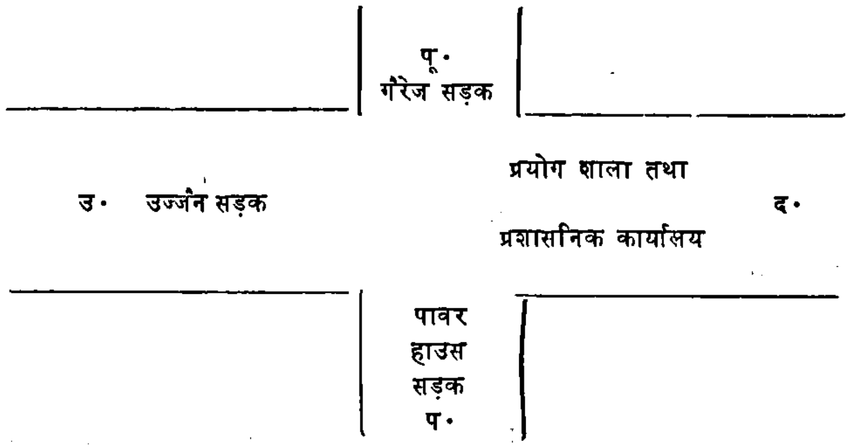

गैरेज की खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए। पूर्व की तरफ की अहाते की दीवार कई जगह टूटी पाई गई—मैंने उनमें से चार को देखा (मुझे बताया गया कि ग्राम दुर्गापुर इस दीवार से कुछ दूरी पर स्थित है)।

(तीन) जल परिष्करण संयंत्र तथा कूलिंग टावर

मैंने कूलिंग टावर के पास की दीवार देखी जिस पर कांटेदार तार लगे हुए थे। यह कुछ ऊंची जमीन पर है। इस ओर से दीवार पर चढ़ कर आसानी से गैरेज चौराहे पर पहुंचा जा सकता है।

मैंने पुराना पोखर तथा गंधकाम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) की टंकी देखी।

(चार) स्टाफ गेट के पास प्राथमिक उपचार केन्द्र

खिड़कियों के दो शीशे तथा दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ पाया गया।

(पांच) प्रशासनिक भवन

नीचे की मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए थे। पहली मंजिल की खिड़कियों के भी कुछ शीशे टूटे पाए गए। पहली मंजिल की कुछ खिड़कियां पूरी तरह टूटी हुई थीं।

परीशिष्ट (अ)

जांच-आयोग

नागदा (१९७१) जांच आयोग-२२-३-१९७१ के घटना स्थल के निरीक्षण पर टिप्पणी·

२२-३-१९७१ को काउन्सेल तथा पक्षकार बी· सी· आई·, वि'ाम ग्रह (रेस्ट हाउस) में एकत्र हुए। लगभग ९·३० बजे घटना स्थल का निरीक्षण प्रारंभ हुआ। मैंने अनेक स्थलों का निरीक्षण किया जिनके संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी नीचे दी जा रही है:—

(एक) पावर हाउस गेट

पहले मैं पावर हाउस गेट पर गया। प्रवेश व्दार के बाहर दांयी ओर एक पेड़ है। पेड़ के नीचे मैंने उसकी बगल में एक उलटी हुई जीप, कुछ साइकिलें, दो टेबिल पंखे, एक सूचना-फलक पड़ा देखा। केवल उन भागों को छोड़, जो इस्पात के बने थे, और इस्पात सामान्यतः जलता नहीं है, सब वस्तुएं पूरी तरह जली हुई थीं। एक जली हुई घूमने वाली कुर्सी भी पड़ी पाई गई। जली हुई जीप के ऊपर की पेड़ की कुछ पत्तियां तथा डालें भी जल गई थीं।

प्रवेश व्दार पर एक कमरा है, जिसमें खिड़कियों में काच लगे हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे पाये गये। खिड़कियों में लगी जालियां भी टूटी तथा क्षतिग्रस्त पाई गई। कुछ स्थानों में शीशे तथा तार थे ही नहीं। कमरे के भीतर एक पूरी तरह टूटा हुआ टेलीफोन पड़ा था। भीतरी भाग में जलने के कुछ निशान भी पाए गए। खिड़की की चौखट टूटी हुई थी।

शस्त्रागार·—इसमें लूट पाट की गयी थी। कमरे में बन्दूकें रखने के लिए बनाई गई अलमारी तोड़ दी गई थी। अलमारी में एक ओर लगाया जानेवाला ताला नदारद था। दूसरी ओर लगाया जानेवाला ताला ठीक हालत में था। कुछ कारतूस भी पाए गए। कांच के टूटे टुकड़े पड़े पाए गए थे। अलमारी के ऊपर कुछ टूटे हुए फोटो भी पाए गए। इस कमरे में भी आग के निशान पाए गए। बगल की दीवार के रोशनदानों की तार की जाली टूटी हुई थी। कुछ लाठियां तथा लकड़ी की एक अलमारी वहां रखी पाई गई। ऐसा दिखाई दिया कि वे कुछ समय पहले ही वहां रखी गई थीं। वहां कुछ कपड़ों के गट्ठर भी पड़े पाये गये, जिन पर जलने के निशान थे।

सुरक्षा कार्यालय के बाहर तीन टूटी तथा जली हुई कुर्सियां पायी गई थीं।

समय कार्यालय (टाइम आफिस)·—यहां फर्श पर जलने के दो या तीन निशानों को छोड़ कोई निशान नहीं पाए गए।

मुझे बिजली घर के अन्दर भी ले जाया गया तथा खतरे का भोंपू (सायरन) दिखाया गया। वहां कोई विशेष बात नहीं थी।

(दो) गैरेज चौराहा

एक स्थान पर चार मार्ग मिलते हैं। यह स्थान गैरेज चौराहा कहलाता है। क्योंकि इसके पूर्व की तरफ एक गैरेज है। पश्चिम की तरफ की सड़क पावर हाउस गेट की ओर जाती है, उत्तर की तरफ की सड़क उज्जैन सड़क है तथा दक्षिण की ओर की सड़क पर ग्रासिम मिल की प्रयोग शाला तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थित है।

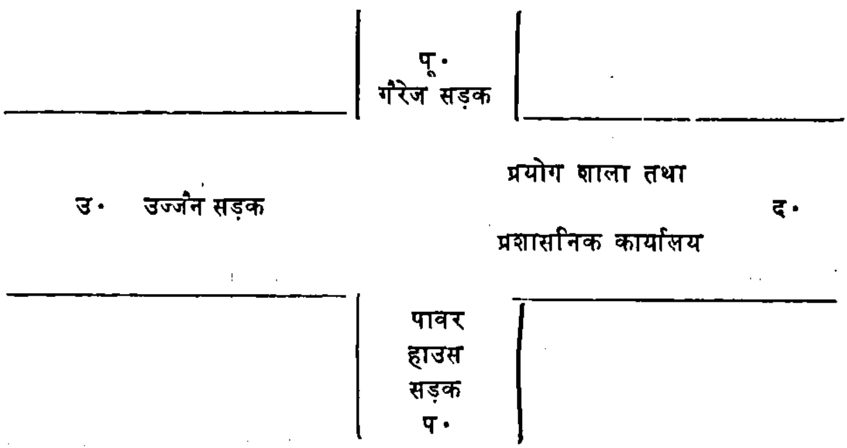

गैरेज की खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए। पूर्व की तरफ की अहाते की दीवार कई जगह टूटी पाई गई—मैंने उनमें से चार को देखा (मुझे बताया गया कि ग्राम दुर्गापुर इस दीवार से कुछ दूरी पर स्थित है)।

(तीन) जल परिष्करण संयंत्र तथा कूलिंग टावर

मैंने कूलिंग टावर के पास की दीवार देखी जिस पर कांटेदार तार लगे हुए थे। यह कुछ ऊंची जमीन पर है। इस ओर से दीवार पर चढ़ कर आसानी से गैरेज चौराहे पर पहुंचा जा सकता है।

मैंने पुराना पोखर तथा गंधकाम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) की टंकी देखी।

(चार) स्टाफ गेट के पास प्राथमिक उपचार केन्द्र

खिड़कियों के दो शीशे तथा दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ पाया गया।

(पांच) प्रशासनिक भवन

नीचे की मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए थे। पहली मंजिल की खिड़कियों के भी कुछ शीशे टूटे पाए गए। पहली मंजिल की कुछ खिड़कियां पूरी तरह टूटी हुई थीं।

(छह) अनुसंधान प्रयोगशाला

प्रवेश व्दार के शीशे बगल से टूटे पाए गए थे।

(सात) इंजीनियरी डिवीजन

प्रवेश व्दारा में लगे शीशे टूटे पाए गए। 'इंजीनियरी डिवीजन' लिखा शीशा टूटा हुआ पाया गया। शीशे दोनों तरफ टूटे हुए पाए गए थे।

मुझे गंधक का ढ़ेर भी दिखाया गया ताकि मैं इसकी भौगोलिक स्थिति जान सकूं।

(आठ) मशीन क्रमांक ७ तथा ८ का व्दार

प्रवेश व्दार पर के कमरे की खिड़कियों तथा दरवाजे के शीशे पूरी तरह टूटे पाए गए। दरवाजे या खिड़की पर एक भी शीशा साबुत नहीं बचा था। फर्श पर कुछ कोयले के टुकड़े पड़े पाए गए थे।

स्थिति की दृष्टि से मध्यप्रदेश वि·मं· विश्राम गृह भी देखा गया।

(नौ) ग्रासिम अतिथि गृह (गेस्ट हाउस)

पहली मंजिल—प्रवेश व्दार टूटा हुआ और जला हुआ है। दरवाजा और खिड़कियां टूटे हुए और जले हुए पाये गये। बैठक (Sitting Hall) के चार सीलिंग फैन मुड़े हुए और जले हुए पाये गये। ट्यूब लाइट के तोड़े जाने और जलने के निशान भी बने हुए थे। फर्नीचर के टूटे और पूरी तरह जले हुए टुकड़े कमरे में छितरे पड़े पाये गये। कुशनदार कुर्सियां भी टूटी और जली हुई पाई गईं।

भोजन कक्ष—चार दीवारों को छोड़कर सभी वस्तुएं जली पाई गईं। दीवारें कालिख से काली पड़ गई थीं। एक वाश बेसिन पूर्णतः जल गया था। प्याले, तश्तरियां आदि टूटे और छितरे पड़े पाये गये। जले हुए दरवाजे (लकड़ी के) भी पडे हुए थे। शहतीरों पर का प्लास्टर झड़ गया था। दीवारों पर का डिस्टेंपर झुलसा पाया गया।

कार्यालय—खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। एक गोदरेज अलमारी टूटी हुई पाई गई। बेन्च पर एक दीवार घड़ी पड़ी हुई थी। पहली मन्जिल की ओर जाने वाले जीने पर की खिड़की के शीशे टूटे पाये गये। बरामदे की दीवारों पर आग के काले निशान पाये गये।

(दस) बिड़ला हाउस

इस भवन के बाजू में नम्बर एम·पी·ओ· ८०६ की एक जली हुई एम्बेसडर कार पाई गई। कार का केवल ढ़ांचा पड़ा हुआ था। तथापि कार के अगले दो टायर नष्ट होने से बच गये थे।

चारों ओर विनाश के चिन्ह मौजूद थे। प्रवेश व्दार के शीशे पूरी तरह तोड़ दिए गए थे। सामने का दरवाजा भी पूरी तरह जला हुआ पाया गया। दीवालों को छोड़ कुछ नहीं बचा। प्रवेश कक्ष के बगल का एक कमरा भी पूरी तरह से जला पाया गया। वातानुकूल तन्त्र (एयर कंडिशनिंग सिस्टम्स) भी पूर्णरूपेण जले हुए पाये गये। इस कमरे के स्नानागार में एक स्वच्छ तौलिया पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आग के समय वह वहां नहीं था। स्नानागार में लगा आइना साबुत हालत में पाया गया, किन्तु उस पर कालिख जम गयी थी। फर्श पर पर्दे के जले हुए कुछ छल्ले पड़े हुए थे। खिड़कियों के शीशे सब टूटे थे। बैठक का पूरा फर्नीचर जल गया था। फर्श पर सोफे के स्प्रिंग पड़े हुए पाए गए। फर्श पर कुर्सियों की लोहे की छड़े पड़ी हुई थी। फर्श पर पूर्णतः नष्ट एक पैडस्टल पंखा पड़ा हुआ पाया गया। फर्श पर दरी के जले हुए टुकड़े भी पाये गये।

सचिव का कक्ष—इस कक्ष में सभी वस्तुएं जली पाई गई। खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे।

अतिथि कक्ष क्र० १—यह कमरा टूटा और जला हुआ पाया गया। खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। स्नानगृह का दरवाजा भी टूटा हुआ था।

रसोई घर—एक बरसेन चूल्हा फर्श पर टूटा पड़ा था। एक कुकिंग रेन्ज भी क्षतिग्रस्त पाया गया।

सिनेमा प्रोजेक्टर का कुछ भाग और चित्रों के स्पूल फर्श पर पूर्णतः जले हुए पाए गए।

इस भवन की पहली मंजिल के बगल वाले कमरे में एक मोटर बोट का इन्जन पड़ा पाया गया। इस कमरे और इससे लगे हुए दूसरे कमरे में भी तोड़-फोड़ के चिन्ह मौजूद थे।

पहली मंजिल पर जाने वाला जीना और दरी अच्छी हालत में थी, किन्तु ऊपर की ओर की (लकड़ी की रेलिंग) टूटी पायी गई।

ऊपरी ड्राइंग रूम—एक खिड़की जली पाई गई। फर्श पर चारों ओर शीशे के टुकड़े छितरे पाये गये। फर्नीचर, एक सर्विस ट्राली, एक पेडेस्टल पंखा तथा अन्य वस्तुएं जली हुई और फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। छत पर कालिख जमी हुई थी।

पैन्ट्री—फर्श पर चारों ओर क्राकरी के टूकड़े बिखरे पड़े थे। आग से क्षतिग्रस्त एक टेलीफोन पाया गया। एक जी०ई०सी० रेफ्रीजेटर भी क्षतिग्रस्त पाया गया।

अतिथि कक्ष क्र० १ (ऊपरी मंजिल)—वातानुकूलन तन्त्र, फर्नीचर तथा पैनल पूरी तरह जल गए थे। लोहे की फिटिंग मुड़ी और जली हुई पाई गई। स्नानागार भी पूरी तरह जल गया था।

अतिथि कक्ष क्र॰ २ (ऊपरी मंजिल)—खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए। इस कमरे का फर्नीचर अधिक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इस कमरे से लगा स्नानागार भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था।

कमरा क्र॰ १ (ऊपरी मंजिल) (जो मंडेलिया का कमरा कहलाता था):—इसमें दो कमरे एक से एक जुडे हैं। प्रवेश व्दार तोड़ कर खोला गया था। शयन कक्ष और स्नानागार टूटे हुए नहीं थे, तथापि खिड़कियों के शीशे टूटे पाये गये। शयन कक्ष के अन्दर अन्य वस्तुएं ठीक पाई गई सिवाय टेबल लैम्प के जो मुड़ा हुआ था। शयन कक्ष के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के निशान पाए गए। इस दरवाजे में लगाया जाने वाला ताला जमीन में पड़ा पाया गया।

ग्रासिम क्लब की ओर जाने वाली सड़क की कुछ उद्यान बत्तियां (गार्डन लाइट्स) क्षतिग्रस्त पाई गई।

(ग्यारह) ग्रासिम क्लब

प्रवेश व्दार का शीशा पूर्णतः टूटा हुआ था। दरवाजे पर एक भी टुकड़ा शेष नहीं की। दीवार पर लगा एक टेलीफोन, एक दीवार घड़ी और एक टूटा टेबल टेनिस टेबल स्टेज हाल में के एक कोने में क्षतिग्रस्त पड़े पाये गये।

बिलियर्ड कक्ष—एक पेडेस्टेल फैन मुड़ा हुआ पाया गया। बिलियर्ड टेबल पर एक या दो खरोंचे पाई गईं।

(बारह) प्रधानाचार्य का बंगला

इस दो मंजिली इमारत में चार क्वार्टर है। वह भाग, जिसका प्रधानाचार्य के कब्जे में होना बताया जाता है, पूर्णतः जला हुआ पाया गया। दरवाजे, खिड़कियां तथा अन्य सभी चीजें पूरी तरह टूटी फूटी तथा जली पाई गईं।

श्री बोस्टन व्दारा अधिवासित भाग—रहायशी कमरे का फर्नीचर पूरी तरह जला हुआ पाया गया। शीशे टूटे हुए पाए गए। रसोईघर तथा स्नानागार के फर्श पर कांच के टुकड़े पडे पाए गए। जलने के भी निशान थे। सभी जगह कालिख जमने के निशान पाए गये।

ऊपरी मंजिल की खिड़कियों के शीशे भी टूटे पाए गए थे।

(तेरह) पैट्रोल पम्प

मकान पूर्णतः जला हुआ तथा क्षतिग्रस्त पाया गया। फर्श पर कांच के टुकड़े पड़े पाए गए। कुछ जली हुई धातु की चादरें, जो संभवतः पैट्रोल भरने के उपकरण की थी भवन की बगल में रखी पाई गई।

मैंने पैट्रोल पम्प के पास की हवाई पट्टी भी देखी।

शाम को लगभग ४ ३० बजे मैंने श्रमिक बस्ती में निम्नलिखित स्थल देखे :—

(चौदह) आवास गृह क्र० १७० 'ए' ब्लाक जो जंगीराम का आवास-गृह बताया गया।

सामने के कमरे में जलने के कुछ निशान पाए गए। सामने के दरवाजे के कुछ लकड़ी के पटिये नए लगाए हुए पाए गए।

(पन्द्रह) आवास गृह क्र० ६९ 'ए' ब्लाक जो गोपीराम का आवास-गृह बताया गया।

सामने के कमरे की दीवार पर जलने के काले निशाने बने हुए थे।

(सोलह) आवास गृह क्र १४ 'ए' ब्लाक जो ताराचन्द मौर्य का आवास-गृह बताया गया

सामने के कमरे की दीवार पर कपड़े टांगने की खूंटी कुछ जली हुई पाई गई। दीवार का कुछ हिस्सा भी आग लग जाने के कारण काला पाया गया।

(सत्रह) आवास गृह क्र० १५ 'बी' ब्लाक कृष्णास्वामी का आवास-गृह बताया गया

फिलहाल इस आवास गृह में आग के कोई निशान नहीं पाए गए।

मैंने सेन्ट्रलकोर्ट के सामने वर्क्स केंटीन भी देखी। मैं हलवाई की दूकान पर भी गया था।

जांच आयोग०

परीशिष्ट (आ)

मानीय न्यायाधीश महोदय एस॰ बी॰ सेन के समक्ष

नागदा जांच आयोग

इंदौर

आयोग व्दारा उज्जैन में २२-५-१९७१ को जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर
माननीय महोदय,

२२ मई, १७९१ को दी गई प्रश्नावली का कम्पनी व्दारा दिया गया विनम्र उत्तर निम्नानुसार है:—

(१) ग्रासिम कम्पनी लिमिटेड के संचालकगण कौन हैं?

दी ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यूफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जो सम्वत् १९६३ के ग्वालियर कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगमित है, (कम्पनी अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों व्दारा शासित) जिसका पंजीयित कार्यालय बिड़लाग्राम, नागदा, म॰ प्र॰ में है।

संचालकगण कम्पनी अधिनियम, १९५६ के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर नियुक्त किए जाते हैं। कम्पनी के वर्तमान संचालकगण, जो कि कम्पनी के हिस्साधारियों व्दारा उनकी साधारण सभाओं में नियुक्त किए गए हैं, निम्नलिखित हैं:—

(१) श्री जी॰ डी॰ बिड़ला
(२) श्री के॰ एम॰ डी॰ ठाकरसी,
(३) श्री श्रेयान्स प्रसाद जैन
(४) श्री एल॰ एन॰ बिड़ला
(५) श्री के॰ जी॰ माहेश्वरी
(६) श्री सूरजमल मोहता
(७) श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी
(८) श्री राजाराम मुछाल।

२॰ नागदा में प्रबंध के प्रभारी व्यक्ति कौन कौन हैं?

श्री आई॰ एच॰ पारेख तथा श्री बी॰ एन॰ पूरणमलका कम्पनी के क्रमशः अध्यक्ष तथा सचिव हैं। निम्नलिखित कार्यकारी प्राधिकारी, बिड़लाग्राम,

नागदा में स्थित कम्पनी के स्टेपल फाइबर डिविजन तथा इंजीनियरिंग डिविजन के प्रशासन सम्बन्धी कार्य को देखते हैं: —

श्री आर॰ पी॰ श्रीवास्तव	स्टेपल फायवर डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा के अधिष्ठाता (आकूपायर)
श्री के॰ के॰ पाटणी-	इंजीनियरिंग डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा के अधिष्ठाता (आकूपायर)
श्री जे॰ सी॰ धारीवाल	स्टेपल फाइबर डिविजन तथा इंजीनियरिंग डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा के कारखाना प्रबंधक।
श्री एस॰ के॰ जैन	स्टेपल फाइबर डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा के कार्यकारी प्रबन्धक।
श्री पी॰ ए॰ फड़के	इंजीनियरिंग डिविजन बिड़लाग्राम, नागदा के मुख्य अधिकारी।

४॰ क्या यह ग्रासिम कम्पनी लिमिटेड इसी प्रकार का अथवा भिन्न प्रकार का कोई अन्य कारबार चलाती है?

कम्पनी व्दारा चलाए जाने वाले कारबार: —

अ—**इसी प्रकार के**

(१) स्टेपल फाइबर डिविजन, बिड़लाग्राम, नागदा
(२) स्टेपल फाइबर यूनिट, बिड़लाकूटम कोजीकोड, केरल।

आ—**भिन्न प्रकार के**

(१) इंजीनियरिंग डिविजन, बिड़लाग्राम, नागदा॰
(२) केमिकल डिविजन, बिड़लाग्राम, नागदा (निर्माणाधीन)
(३) विविंग डिविजन, बिड़लानगर, ग्वालियर, म॰ प्र॰
(४) पल्प एंड प्लान्टेशन डिविजन, बिड़लाकूटम, कोजीकोड, केरल
(५) हरिहर पोलीफाइबर्स, हरिहर, मैसूर (निर्माणाधीन)
(६) टेक्सटाइल डिविजन, भिवानी, हरयाणा॰

बिड़लाग्राम (म॰ प्र॰) तथा बिड़लाकूटम (केरल) स्थित स्टेपल फाइबर यूनिट्स विस्कोज स्टेपल फाइबर तैयार करते हैं।

६॰ ग्रासिम में सुरक्षा की व्यवस्था?

ग्रासिम में सुरक्षा विभाग, वाच एंड वार्ड विभाग के नाम से जाना जाता है। उसका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिये जमादार होते हैं।

अ· स्टेपल फाइबर डिविजन तथा इंजीनियरिंग डिविजन में सुरक्षा व्यवस्था—

(एक) वे गेट, जिन पर जमादार पारी अथवा पारियों में तैनात किए जाते हैं:—

मुख्य गेट

दक्षिणी गेट

पावर हाउस गेट

मशीन क्रमांक ७ तथा ८

सी· एस· २ रेल्वे गेट

सी· एस· २ मुख्य गेट

इन्जीनियरिंग डिविजन

(दो) वे गेट, जहां पर जमादार आवश्यकतानुसार तैनात किए जाते हैं:—

रेल्वे गेट पुराना

रेल्वे गेट नया

चूरीगेट

(तीन) जमादार सी· एस· २ विभाग, मालगोदाम और कारखाने के अन्दर साइडिंग तथा प्रयोगशाला में तैनात किए जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों में।

आ· कारखाना परिसर के बाहर कालोनी तथा अन्य स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था—

कम्पनी व्दारा नियोजित २६ जमादार कारखाना परिसर के बाहर कालोनी में तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों में तैनात किए जाते हैं। जमादारों की नियुक्ति करते समय मिलिट्री तथा पुलिस के सेवानिवृत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। सामान्यतः जमादारों को केन तथा लाठियां दी जाती हैं। कुछ जमादारों को आवश्यकतानुसार रायफलें भी दी जाती है।

बन्दूकों तथा गोलाबारुद को सुरक्षित रखने के लिए कम्पनी का एक शस्त्रागार हैं।

इनमें अधिकांश जमादार विभिन्न यूनियनों के सदस्य हैं। वे समस्त श्रमिक कानून, जो कामगारों पर लागू होते हैं इन जमादारों पर भी लागू होते हैं।

प्रश्न क्रमांक ३ तथा ५

कम्पनी प्रश्न क्रमांक ३ तथा ५ के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय का निवेदन करती है। विशेषतः प्रश्न क्रमांक ५ के उत्तर के लिए अनेक ब्योरों की आवश्यकता है, जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाने हैं। कृपया कम से कम एक माह का समय और दें।

प्रस्तुतकर्ता—
दी ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यूफेक्चरिंग (वीविंग)
क॰ लिमिटेड, बिड़लाग्राम, नागदा

उज्जैन
ता॰ २७ मई, १६७१॰

हस्ता॰
(जे॰ सी॰ धारीवाल)
कारखाना प्रबन्धक
(फैक्ट्री मैनेजर)

माननीय न्यायाधीश महोदय एस· बी· सेन· के समक्ष नागदा जांच आयोग

इन्दौर

माननीय महोदय,

२७ मई, १९७१ को प्रश्नावली के लिए प्रस्तुत उत्तरों के सिलसिले में प्रबन्धकवर्ग निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत करता है:—

१· नीचे 'अं' पर दर्शाया गया कारबार ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड के बिड़लाग्राम, नागदा स्थित स्टेपल फायबर डिविजन के ही समान है। शेष कारबार विस्कोज रेयन धागे (यार्न) तैयार करते हैं किन्तु वे स्टेपल फायबर तैयार नहीं करते। उत्पाद धागे के रूप में होता है, जो "कन्टीन्यूअस फिलामेंट" कहलाता है।

(क) केशोराम रेयन, फैक्ट्री: पो·आ· नया सराय जिला हुगली (प·बंगाल) तार का पता:—विस्कोरेयन त्रिवेणी।

(ख) सेन्चूरी रेयन, फैक्ट्री: मुरबाड़ रोड, कल्याण (महाराष्ट्र) प्रमुख कार्यालय : इन्डस्ट्री हाउस, १५९ चर्चगेट रिक्लेमेशन बम्बई-१·

(ग) दी नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड, फैक्ट्री: मोहोन, कल्याण (महाराष्ट्र)। कार्यालय : एवर्ट हाउस, ब्रूस स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई-१ बी· आर·

(घ) श्रीराम रेयन्स, कोटा (राजस्थान)·

(ङ) दी ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड स्टेपल फायबर डिविजन मयूर, जिला: कोजीकोड, केरल·

२· प्रबंधकवर्ग यह निवेदन करता है कि उसने देश के विभिन्न भागों से जानकारी मंगाई है, किन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। हम उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वह उपलब्ध हो जाएगी हम प्रस्तुत कर देंगे।

प्रस्तुतकर्ता—

हस्ता·

प्रबन्धकवर्ग का काउन्सेल
दी ग्वालियर रेयन सिल्क
मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी
लिमिटेड, बिड़लाग्राम, नागदा·

उज्जैन
तारीख २२-६-७१

माननीय न्यायाधीश महोदय एस॰बी॰ सेन के समक्ष जांच आयोग अधिनियम के अधीन गठित आयोग जिला प्राधिकारी की ओर से प्रश्नावली के उत्तर।

१॰ प्रश्न क्र॰ १ के सम्बन्ध में—ग्रासिम कम्पनी लिमिटेड, नागदा के संचालकगण निम्नलिखित हैं:—

(एक) श्री जी॰डी॰ बिड़ला—चेअरमैन

(दो) श्री कृष्णराज एम॰ डी॰ ठाकरसी

(तीन) श्री श्रेयांश प्रसाद जैन

(चार) श्री योगिन्द्र भाई मफतलाल

(पांच) श्री एल॰ एन॰ बिड़ला

(छह) श्री अरूण कुमार राय

(सात) श्री कृष्णगोपाल माहेश्वरी

(आठ) श्री सूरजमल मोहता

(नौ) श्री भूपेन्द्र कुमार सेठी

(दस) श्री राजाराम मुछाल

२॰ प्रश्न क्र॰ २ के सम्बन्ध में—निम्नलिखित व्यक्ति नागदा में प्रबंध के प्रभारी हैं:—

(क)	श्री इन्दु एच॰ पारेख	अध्यक्ष
(ख)	श्री बी॰एन॰ पूरणमलका	उपाध्यक्ष
(ग)	श्री जे॰सी॰ धारीवाल	कारखाना प्रबंधक

३॰ प्रश्न क्र॰ ३ के संबंध में यह बताया गया कि ग्रासिम कम्पनी लिमि॰, नागदा के श्रमिकों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ तथा इस विषय से संबंधित करारों/समझौतों/पंचाटों के अधीन राज्य शासन के मानक स्थायी आदेशों व्दारा शासित होती हैं। कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनमान, महंगाई-भत्ता आदि की पूरी-पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।

४॰ प्रश्न क्र॰ ४ के संबंध में यह बताया गया कि इस कम्पनी व्दारा निम्नलिखित कारबार चलाये जाते हैं:—

(क) स्टेपल फाइबर डिवीजन, बिड़लाग्राम तथा बिड़ला कोट्टम

(ख) पल्प डिवीजन, बिड़ला कोट्टम

(ग) वीविंग डिवीजन, बिड़लानगर

(घ) इंजीनियरिंग डिवीजन, बिड़लाग्राम

(ङ) टेक्सटाइल डिवीजन, भिवानी

(च) हरिहर पाली फाइबर्स, हरिहर (निर्माणाधीन)

(छ) केमिकल डिवीजन, बिड़लाग्राम (निर्माणाधीन)

यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये सब एक ही प्रकार की हैं या अलग-अलग प्रकार की।

५. प्रश्न क्र. ५ के संबंध में यह बताया गया कि ग्रासिम कम्पनी, नागदा की तरह के छः और कारबार हैं, जो निम्नानुसार हैं: —

(१) नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, मोहोन कल्याण,

(२) ट्रावनकोर रेयन लिमि., बेरामपुर,

(३) सेन्चुरी रेयन, मरवाड़ रोड, कल्याण,

(४) जे.के. सिन्थेटिक लि., कोटा,

(५) ग्वालियर रेयन्स, ग्वालियर,

(६) श्री राम रेयन, कलकत्ता।

इन कारबारों के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें सुनिश्चित नहीं की जा सकीं। इन कारबारों के कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी और अन्य सुख-सुविधायें आदि भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकीं।

६. प्रश्न क्र. ६ के संबंध में यह बताया गया कि ग्रासिम में एक सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षा कर्मचारी हैं। उसके पास शस्त्र और गोला बारूद और शस्त्रागार भी हैं।

प्रस्तुतकर्ता—

हस्ता. —
जिला मजिस्ट्रेट,
उज्जैन.

उज्जैन :
२२ जून, १९७१.

माननीय न्यायाधीश महोदय एस· बी· सेन नागदा जांच आयोग

इन्दौर

२२ मई, १९७१ को उज्जैन में आयोग व्दारा जारी की गई प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक ३ तथा ५ के उत्तर।

माननीय महोदय,

प्रबन्धकवर्ग निम्नानुसार निवेदन करता है: —

१· प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक १, २, ४, तथा ६, के उत्तर २७ मई, १९७१ को पहले ही दे दिए गए हैं।

प्रश्न क्रमांक ५ का उत्तर भी २२-६-७१ को आंशिक रूप से दे दिया गया है। इस प्रश्न का शेष उत्तर बाद में प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि प्रबंधकवर्ग को अभी आवश्यक जानकारी नहीं मिली है ताकि वह पूर्ण रूप से उत्तर भेज सके।

२· जिन प्रश्नों का उत्तर देना है, वे प्रश्न क्रमांक ३ तथा ५ है। प्रश्न क्रमांक ३ का उत्तर इस आवेदन के परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

प्रस्तुतकर्ता —

उज्जैन
ता· ३१-७-१९७१·

दी ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफेक्चरिंग
(वीविंग) कम्पनी लिमि· बिड़लाग्राम,
नागदा·

परीशिष्ट 'अ'

प्रश्न क्रमांक ३:

ग्रासिम कम्पनी नागदा के श्रमिकों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें क्या हैं?

(१) वेतनमान, महंगाई भत्ते, बोनस आदि

(क) वेतनमान—

श्रेणियां	आरम्भ में रु.	वार्षिक वेतन वृद्धि रु.	अधिकृत रु.
ए	१५६.००	६.००	२६४.००
बी.	१५४.००	७.५०	२६६.५०
सी.	१४४.००	६.५०	२४१.५०
डी.	१३४.००	५.५०	२०६.००
ई.	१२४.००	३.५०	१७६.५०

(ख) **महंगाई-भत्ता**·—कामगारों को वह महंगाई-भत्ता दिया जाता है, जो बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बध्द है। इसकी गणना हर तीसरे महीने अर्थात् एक-चौथाई वर्ष में की जाती है। वर्तमान तिमाही के लिए मासिक महंगाई-भत्ता ११३·१० रू· प्रतिमाह (जो २६ दिन का होता है) है।

(ग) **बोनस, अनुग्रह-राशि आदि**·—लाभांश भुगतान अधिनियम, १९६५ (पेमेण्ट आंफ बोनस एक्ट, १९६५) की धारा ११ के अधीन देय अधिकतम २० प्रतिशत बोनस के अलावा अनुग्रह-राशि, तदर्थ तथा विशेष राशियों के रूप में भी भुगतान किया जाता है। बोनस तथा ऐसे भुगतान मिलकर पूर्ववर्ती पैरा (क) तथा (ख) की उपर्युक्त उपलब्धियों के ३१ प्रतिशत के बराबर होते हैं।

(२) उपदान

पूरे एक वर्ष की सेवा के लिए एक माह (अर्थात् २६ दिन) की मूल मजदूरी के बराबर उपदान कामगारों को दिया जाता है।

(३) भत्ते

विभिन्न विभागों के योग्य कामगारों को करार और पंचाट के अनुसार उन्हें लागू निम्नलिखित दरों के हिसाब से भत्ते दिये जाते हैं:—

(एक) मूल मजदूरियों के १२½ से १५ प्रतिशत तक।

(दो) मूल मजदूरियों के २० से २२½ प्रतिशत तक।

(तीन) २६ दिनों की उपस्थिति के लिए ३० रू०।

(चार) २६ दिनों की उपस्थिति के लिए १४ रू०।

उपर्युक्त का वार्षिक व्ययभार २·०० लाख रू० से अधिक होता है।

(ख) सभी कामगारों को ३६ पैसे प्रति रात्रि के हिसाब से रात्रि-पारी भत्ता दिया जाता है।

(४) कारखाना अधिनियम, १६४८ के अधीन कामगारों को अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त सवेतन आठ दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसकी राशि लगभग २·०० लाख रू० प्रति वर्ष होती है।

(५) भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधायें

(क) **भविष्य निधि**·—कर्मचारियों की मजदूरी तथा महंगाई-भत्ते के ८ प्रतिशत की दर से नियोजक का अंशदान।

(ख) **कर्मचारी राज्य बीमा**·—कर्मचारियों की मजदूरी तथा महंगाई-भत्ते के ४ प्रतिशत की दर से नियोजक का अंशदान। यह बीमारी के समय नगद भुगतान तथा अन्य सुविधाओं सहित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए है।

(६) अन्य सुख-सुविधायें

(क) अनेक विभागों के कामगारों को प्रति वर्ष ४·०० लाख रू० से अधिक कीमत का दूध, विटामिन की गोलियां और वर्दियां।

(ख) कामगारों को परिवारों की आवास व्यवस्था के लिए मकान, जिनका नागदा में भाड़ा मूल्य क्रमशः ४० रू० तथा ४५ रू० प्रतिमाह है, निःशुल्क जल तथा विद्युत (१२ यूनिट) सहित ५ रू० तथा १० रू० प्रतिमाह प्रतीक किराये पर दिये जाते हैं। ऐसे मकानों की कुल संख्या ८६८ है।

(ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था है, जिस पर प्रति वर्ष २·०० लाख रू० से अधिक व्यय होता है।

परिशिष्ट (इ)

विभिन्न रेयन उद्योगों की मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ते की तुलना

	कुशल ए		कुशल बी		अर्ध-कुशल ए		अर्ध-कुशल बी		अकुशल ए		अकुशल बी	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
१. ग्रासिमः—												
मूल मजदूरी	१३८.००	२२८.००	१३३.००	२१४.००	१२३.००	१७८.००	११३.००	१४३.००	१०३.००	१३३.००	..	..
महंगाई भत्ता	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	१०९.५३	..	..
	२४७.५३	३३७.५३	२४२.५३	३२३.५३	२३२.५३	२८७.५३	२२२.५३	२५२.५३	२१२.५३	२४२.५३	..	..
२. सेंचुरी रेयनः—												
मूल मजदूरी	१५३.००	२४९.००	१४८.००	२२६.००	१३३.००	१९३.००	१२८.००	१६४.००	१२०.५०	१५०.५०	११५.५०	१३९५०
महंगाई भत्ता	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	२२८.००	३२४.००	२२३.००	३०१.००	२०८.००	२६८.००	२०३.००	२३९.००	१९५.५०	२२५.५०	१९०.५०	२१४.५०

३. नेशनल रेयन												
मूल मजदूरी	१५५.००	२४८.००	१५०.००	२२४.००	१३५.००	१९०.००	१३०.००	१६५.००	१२५.००	१५०.००	१२०.००	१४०.००
महंगाई भत्ता	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८	८३.९८
	२३८.९८	३२१.९८	२३३.९८	३०७.९८	२१८.९८	२७३.९८	२१३.९८	२४८.९८	२०८.९८	२३३.९८	२०३.९८	२३३.९८
४. श्रीराम रेयन												
मूल मजदूरी	१३३.००	२३४.००	१२०.००	१८६.००	१०५.००	१५९.००	१००.००	१४२.००	९०.००	१४४ ००	..	..
महंगाई भत्ता	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	..	..
	२००.००	२९९.००	१८५.००	२५१.००	१७०.००	२२४.००	१६५.००	२०७.००	१५५.००	२०९.००	..	..
५. केशोवराम रेयन												
मूल मजदूरी	९५.००	१६७.००	७५.००	१३५.००	६०.००	११४.००	५५.००	१०९.००	५०.००	९८.००	४५.००	९३.००
महंगाई भत्ता	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०	९५.७०
	१९०.७०	२६२.७०	१७० ७०	२३०.७०	१५५.७०	२०९.७०	१५०.७०	२०४.७०	१४५.७०	१९३.७०	१४०.७०	१८८.७०

परिशिष्ट (ई)

उन स्थानों की सूची, जिनका दौरा किया.

(१)	हुगली	पश्चिम् बंगाल
(२)	कोटा	राजस्थान
(३)	बम्बई-कल्याण-पुना	(बम्बई)
(४)	दिल्ली	
(५)	ग्वालियर	मध्यप्रदेश.

परीशिष्ट-(उ)

निरीक्षण के समय परीक्षत व्यक्तियों की सूची

१ हुगली—"केशोराम रेयन्स"—

(१) श्री जान मोहम्मद, साइट क्लीनिंग डिपार्टमेन्ट·
(२) श्री कामेश्वर उपाध्याय, सीनियर आपरेटर, स्पिन बाथ सेक्शन·
(३) श्री पशुपति शाह, आपरेटर स्पिन बाथ सेक्शन·
(४) श्री आर· के· श्रीवास्तव, पर्सनल आफिसर·

२ कोटा-(क) "श्रीराम रेयन्स"—

(१) लेफ्टी· कर्नल जे· एन· पटेल, वर्क्स सेक्रटरी·
(२) श्री बी· बी· माथुर, टेकनिकल मैनेजर·
(३) श्री एम· एन· मराठे, प्रोडक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट·
(४) श्री बी· पी· जोशी, चीफ इंजीनियर·
(५) श्री पी· सेन, आक्जिलरी सुपरिन्टेन्डेन्ट·
(६) श्री प्रेम बिहारी सक्सेना, मेन्टेनेन्स फिटर·
(७) श्री नारायण लाल शर्मा, सीनियर फिटर·
(८) श्री रामगोपाल पाण्डे, आपरेटर विसकोज प्रासेस डिपार्टमेन्ट·
(९) श्री नागेश्वर सिंह, आफिस असिस्टेन्ट·
(१०) श्री एस· के· राय, सीनियर आपरेटर·
(११) श्री सिध्दीक मोहम्मद, सीनियर फिटर·
(१२) श्री हरीशचन्द्र व्यास, सीनियर क्लर्क·

(ख) 'श्रीराम फर्टीलाइजर्स'

(१) डा· गरुड़, जनरल मैनेजर·
(२) श्री डी· एस· मेहता, डिप्टी सेक्रेटरी·

३ बम्बई-(क) "सेंचुरी रेयन्स"—

(१) श्री एस· चक्रवर्ती, प्रासेस एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल सुपरिन्टेन्डेन्ट·
(२) श्री प्रभु, लेबर आफिसर·
(३) श्री एम· आर· माने, चार्ज मैन, हायर कार्ड डिविजन·
(४) श्री सम्पत कुमार भोमिया, ग्रुप लीडर, कोनिंग डिपार्टमेन्ट·
(५) श्री डी· पी· मन्डेलिया, बिजिनिस एक्जूटिव, बिड़लाज·
(६) श्री बालकृष्ण मित्तल, चीफ लेबर आफिसर, एन· पी· सी·

(ख) "नेशनल रेयन्स"—

(१) डा॰ एस॰ आई॰ तारापुरवाला, वर्क्स मैनेजर॰
(२) श्री व्ही॰ मशरूवाला, चीफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिक इंजीनियर॰
(३) श्री एस॰ एल॰ मोरले, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर॰
(४) श्री बी॰ के॰ मोथल, चीफ लेबर आफिसर॰
(५) श्री ए॰ आर॰ दुबे, टिवस्टर टायर एण्ड कार्ड डिविजन॰
(६) श्री रामपाल सिंह, जे॰ ठाकुर, स्पिनर॰

४ दिल्ली—बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स—

(१) श्री जगनानी, मैनेजर॰
(२) श्री ज्वाला प्रसाद गुप्ता॰

५ ग्वालियर—'ग्वालियर रेयन्स'—

(१) श्री राजेन्द्रपाल, फैक्ट्री मैनेजर॰
(२) श्री श्रीराम, कार्ड नं॰ ८, वार्पिंग डिपार्टमेन्ट॰

परीशिष्ट (ऊ)

श्री एस॰ के॰ मिश्रा, श्रम उप आयुक्त, पश्चिम बंगाल शासन, न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ११ वीं मंजिल कलकत्ता से श्री एस॰एन॰ मुखर्जी, सहायक न्याय सचिव क्र॰ ३, पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए संपर्क स्थापित किया गया था। कलकत्ता पहुंचने पर मैंने श्री मुखर्जी की मार्फत श्री मिश्रा और श्रम विभाग को यह सूचित किया कि वे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो मुझे पिछली बार कलकत्ता का दौरा करने के पश्चात अभी तक याद आए थे अपना पूरा ब्यान दें। इसी बीच सचिव, नागदा जांच आयोग, इन्दौर का पत्र पहुंचा, किन्तु चूंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाया अतः श्री मुखर्जी आयोग के पत्र की प्रति स्वयं ले कर गए और उन्होंने श्री मिश्रा से निवेदन किया कि वे बयान लेखबध्द करने के लिए मेरे निवास स्थान पर आएं।

मेरे २२ ए प्रतिपादित्य मार्ग, कलकत्ता २६ स्थित निवास स्थान पर मेरी और श्री एस॰के॰ मित्रा की लम्बी चर्चा हुई। हमने विशेष रूप से रेयन उद्योग के संदर्भ में इस राज्य और साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य में श्रमिकों की स्थिति संबंधी विभिन्नता पर भी चर्चा की, जिससे ऐसे किसी विशिष्ट कारण को सुनिश्चित किया जा सके, जिसके कारण २१ दिसम्बर, १६७० की गड़बड़ी हुई। जिसके लिए कि यह जांच की जा रही है।

हमारी चर्चा में यह पाया गया कि पश्चिम बंगाल में न केवल रेयान उद्योग के अपितु अन्य उद्योगों के कामगारों को भी उतना नहीं मिलता, जितना नागदा के कामगारों को मिलता है। यह बात सुविदित है कि पश्चिम बंगाल में श्रमिक अशान्ति लगातार बनी रही है। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जीवन निर्वाह व्यय नागदा की तुलना में बहुत अधिक है और मजदूरी की मांग भी बहुत अधिक है।

श्री एस॰के॰ मित्रा ने ५ दिसम्बर, १६७२ को जो बयान दिया, वह पूर्णतः निम्नानुसार है:—

पश्चिम बंगाल राज्य में मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १६६० के समान कोई राज्य अधिनियम नहीं हैं। श्रमिकों और प्रबंधकों तथा साथ ही शासन के पारस्परिक संबंध औद्योगिक (इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट) लाभांश भुगतान अधिनियम (पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट) और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन तय किए जाते हैं। चूंकि यहां राज्य अधिनियम जैसा कोई अधिनियम नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अतः मान्यता या प्रतिनिधित्व का कोई ऐसा प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता जिसकी व्यवस्था राज्य अधिनियम के अध्याय तीन में की गई है। संबंध और विवाद श्रमिक अधिकारियों की उपस्थिति में आमने सामने बैठ कर तय किए जाते हैं, जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय अधिनियमों में की गई है। चर्चा के लिए केवल प्रतिनिधि संघ को ही चुनने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिक आन्दोलन पर नियंत्रण के संबंध में वे केवल केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का ही अनुसरण करते हैं। सामान्यतः यहां एक से अधिक संघ हैं, जो विभिन्न राजनैतिक दलों से संबध्द होते हैं और अन्ततः बहुमत का ही शासन चलता है। केशोराम रेयान के अलावा यहां कोई अन्य रेयान उद्योग नहीं है, अतः ठीक ठीक तुलना करने के लिए कोई आधार सामग्री नहीं है।

नागदा जांच आयोग•

परीशिष्ट (ए)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस· बी· सेन, नागदा जांच आयोग, इन्दौर के समक्ष

ग्वालियर रेयान, बिड़ला ग्राम के गवाहों की अनन्तिम सूची

१· श्री अब्दे अली	श्रमिक कल्याण अधिकारी, व्दारा ग्रासिम, बिड़ला ग्राम, नागदा·
२· श्री अग्रवाल, आर· बी एल·	व्दारा-ग्रासिम, बिड़ला ग्राम, नागदा
३· श्री आहूजा	फोटोग्राफर, नई सड़क, उज्जैन
४· श्री पाहूजा, एच· के·	पुलिस अधीक्षक, उज्जैन
५· श्री आनन्द, जे· सी·	व्दारा ग्रासिम, बिड़ला ग्राम, नागदा
६· श्री बलवंतसिंह वालिया	सुरक्षा अधिकारी, व्दारा-ग्रासिम, बिड़ला ग्राम, नागदा
७· श्री बापना, ए· एस·	व्दारा-ग्रासिम, बिड़ला ग्राम, नागदा
८· श्री बापना, बी· सी·	समय कार्यालय, ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
९· श्री बस्तेन हेरिस	व्दारा-ग्रासिम बिजलीघर, बिड़लाग्राम, नागदा
१०· श्री भगवानदास	ठेकेदार, ग्राम महेतवास, बिड़लाग्राम, नागदा
११· श्री छतर सिंह	व्दारा ग्रासिम क्लब, बिड़लाग्राम, नागदा
१२· श्री चटर्जी, जी·	डाकखाना-अर्जुनपुर, दमदम, कलकत्ता २४ परगना (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)
१३· श्री धारीवाल, जे· सी·	कारखाना प्रबंधक, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
१४· श्री डीसूजा, ए·	कल्याण अधिकारी, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
१५· श्री दुबे, डी· एस·	केन्टीन प्रभारी, व्दारा ग्रासिम, बिड़ला-ग्राम, नागदा।
१६· श्री व्दारकाप्रसाद, डी· जे·	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा

१७.	श्री फतेहसिंह	डेरी, व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
१८.	श्री फर्नान्डीस	वाटरगेस्ट हाउस, ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
१९.	श्री गनेरीवाल, डी. डी.	विश्रामगृह, ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
२०.	श्री गुप्ता, ओ. पी.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
२१.	श्री गनपथी, बी. एन.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
२२.	केप्टन गिल, एन. जी.	डी/१४४ डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली (आयोग व्दारा परीक्षण किया जाना है)
२३.	केप्टन गुप्ता, डी.	१३१/१४ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-४० (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)
२४.	श्री जैन, के. एम.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
२५.	श्री जैन, एस. के.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
२६.	श्री जैन, के. के.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
२७.	श्री जवकर, एस. आर.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
२८.	कांचा वेटर	व्दारा—ग्रासिम केन्टीन, बिड़लाग्राम, नागदा।
२९.	श्री करणसिंह	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३०.	श्री कौशिक, ओ. पी.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३१.	श्री खण्डेलवाल, के. सी.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३२.	श्री किशोरीलाल, के.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३३.	श्री लाधूसिंह	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३४.	श्री मंडेलिया, डी. पी.	कैडलरोड, माहिम, बम्बई २५ (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)।
३५.	श्री माहेश्वरी, एम. के.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३६.	श्री नीना, एस. के.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
३७.	श्री मदनलाल, रसोइया	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम नागदा।
३८.	श्री मेनन, के. आर. सी.	श्री केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा (राजस्थान) (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)

३९.	श्री मालपानी, जे. पी.	ग्रासिम चिकित्सालय, बिड़लाग्राम, नागदा।
४०.	श्री मेहता, ए. एस.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
४१.	श्री माधोसिंह	जमादार, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
४२.	श्री मुकुन्दसिंह	जमादार, व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
४३.	श्री मूलसिंह	जमादार, व्दारा—ग्रासिम, बिड़ला-ग्राम, नागदा।
४४.	श्री पाण्डे, एल. पी.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा,
४५.	श्री प्रह्लादसिंह	जमादार, व्दारा—ग्रासिम, बिड़ला-ग्राम, नागदा।
४६.	श्री पारीख, आई. एच.	व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
४७.	श्री परवाल एम. सी.	व्दारा भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. बिड़लाग्राम, नागदा।
४८.	श्री पण्डया, आर. वी.	फोटोग्राफर ११० महात्मागांधी मार्ग, इन्दौर।
४९.	श्री पट्टाभिराम, एच. के.	श्री डी.पी. मंडेलिया के सचिव, सेन्चुरी भवन, डा. एनी विसेंट रोड, बम्बई (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)।
५०.	श्री प्रभुसिंह	चालक, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
५१.	श्री पोरवाल, आर. एल.	विनोद हाउस, हेतवास, नागदा।
५२.	श्री परमार, नैनसिंह	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
५३.	श्री पूरनमलका, बी. एन.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
५४.	श्री रामअवतार सोडानी	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
५५.	श्री रुंगटा, ओ. पी.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
५६.	श्री रामसिंह	जमादार, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
५७.	श्री राव, बी. आर.	डी/११६, बी. हौज खास, नई दिल्ली (कमीशन व्दारा परीक्षण किया जाना है)।

५८.	श्री रामबीरसिंह	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
५९.	श्री रावल, ओ. एन.	व्दारा, बिड़लाग्राम अनुसंधान संस्था, (बिड़ला रिसर्च इन्स्टीट्यूट) बिड़लाग्राम, नागदा।
६०.	श्री सेहरा, जे. एस.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
६१.	श्री शर्मा जी. के.	व्दारा विक्रय विभाग, ग्रासिम, नागदा
६२.	श्री सराफ, डी. डी.	व्दारा—विसकोज विभाग, ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
६३.	श्री सिंह, टी. पी.	प्रधानाचार्य, ग्रासिम उच्चतर माध्यमिक शाला, बिड़लाग्राम, नागदा।
६४.	श्री सिंह, वी. एन.	आटोमोबाईल इंजीनियर, ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
६५.	श्री सम्पतसिंह	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
६६.	श्री सुभाष गुप्ता	व्दारा—रामकिशोर गुप्ता, ठेकेदार, ग्राम महेतवास, नागदा।
६७.	श्री डा. सोनार	ग्रासिम चिकित्सालय, बिड़लाग्राम, नागदा।
६८.	श्री सुल्तानसिंह	चालक, व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
६९.	श्री सुराणा, एम. एम.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
७०.	श्री ठाकुर	बाम्बे, फोटोग्राफर
७१.	श्री टंडन, टी. एन.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
७२.	श्री तोला, एस. एल.	लेखा विभाग, व्दारा ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
७३.	श्री त्रिवेदी, जे. एल.	श्रमिक कल्याण अधिकारी, व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा।
७४.	श्री अदानी, एन. जे.	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
७५.	श्री वसंत कुमार	व्दारा—ग्रासिम, बिड़लाग्राम, नागदा
७६.	श्री विठ्ठलनागर	'नई दुनियां' इन्दौर के प्रतिनिधि
७७.	स्टेशन हाउस अधिकारी	मूल प्रथम सूचना प्रतिवेदनों साथ
७८.	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन के कार्यालय से कोई उत्तरदायी व्यक्ति.	दि. ३-११-७० की टिप्पणी की मूल प्रति।

७९.	रा. उ. प. के कुछ व्यक्ति.	कार्यभार के संबंध में रा.उ.प. के मूल प्रतिवेदन के साथ।
८०.	श्रम विभाग के कार्यालय से संबंधित व्यक्ति.	समय में वृध्दि करने के हमारे निवेदन की नामंजूरी।
८१.	वे फोटोग्राफर, जिन्होंने स्थल के फोटो लिए.	१. आर. यू. पण्ड्या का स्टूडियो, ११०, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर। २. नई दुनिया, इन्दौर

ग्वालियर रेयन सिल्क मैनुफेक्चर (बुनाई) कम्पनी लि. के लिए।

(स्टेपल फाइबर डिवीजन)

तथा

(इंजीनियरिंग डिवीजन)

१-७-७१

हस्ता/-

(जे.सी. धारीवाल)

कारखाना प्रबंधक.

ऐसे गवाहों की सूची जिनका परीक्षण नागदा मिल मजदूर संघ द्वारा किया जाना है

क्र. (१)	नाम तथा पदनाम (२)	पता (३)	अभ्युक्ति (४)
१.	डा. के. एन. पवार, चिकित्सा अधिकारी.	सिविल हास्पिटल नागदा	गवाहों को निम्नलिखित अभियुक्तों की चिकित्सा रिपोर्टों के साथ सम्मन किया जाय।
२.	निवासी चिकित्सा अधिकारी	सिविल हास्पिटल नागदा	
			शिवनारायण, आत्मज रामप्रसाद, रामकिशन आत्मज रामअवतार, ब्रिजलाल आत्मज बंसीलाल, बजरंगीप्रसाद आत्मज भगवतीप्रसाद, श्रीकान्त आत्मज लक्ष्मण, रामअवतार आत्मज हीरालाल, महावीरसिंह आत्मज किशनसिंह सवरमल आत्मज सूरजमल, यदुनन्दन श्रीवास्तव, शंकरसिंह आत्मज भांवरसिंह, भंवरसिंह आत्मज विजयसिंह, नबीहुसेन आत्मज खेड़ू, जीवनसिंह आत्मज अमरसिंह, पूरनसिंह आत्मज रामसिंह, रामदास आत्मज जीवनधन, शंकर आत्मज हरीराम, कैलाश आत्मज सूरजमल, सावनसिंह आत्मज शंभूसिंह
३.	डा. डी. आर. सोनार	ग्रासिम हास्पिटल, बिड़लाग्राम, नागदा,	गवाहों को निम्नलिखित अभियुक्तों की चिकित्सा रिपोर्ट तथा संबंधित कागजों सहित बुलाया जाये।
			किशोरीलाल आत्मज लक्ष्मण रामआसरे आत्मज ईश्वरीप्रसाद, रामधारी आत्मज राजई, हरबंस सिंह आत्मज साधूराम, समरोजखां आत्मज लालखां।

४	केसरसिंह आत्मज हरीसिंह	कामगार,	केन्द्रीय जेल भैरोंगढ़, उज्जैन
५	दामोदर दुबे आत्मज हीरालाल	,,	,,
६	प्रभूसिंह आत्मज छतरसिंह	,,	,,
७	बल्लीप्रसाद आत्मज जगदीश	,,	,,
८	राजेन्द्रसिंह आत्मज सुमेरसिंह बुंदेला	,,	,,
९.	हरबंसिंह आत्मज साधूराम,	,,	,,
१०.	महात्तम आत्मज राघो दुबे,	,,	,,
११.	पदमसिंह आत्मज ओंकारसिंह,	,,	,,
१२.	कमरूदीन आत्मज हातिम अली,	,,	,,
१३.	हादी हुसैन आत्मज अमजद हुसैन,	,,	,,
१४.	थगाई प्रसाद आत्मज रामधारी,	,,	,,
१५.	प्रभूसिंह आत्मज भंवरसिंह,	,,	,,
१६.	दयासिंह आत्मज केशरसिंह,	,,	,,
१७.	ओमप्रकाश आत्मज रायदयाल,	,,	,,
१८.	सरलसिंह आत्मज जादूसिंह,	,,	,,
१९.	सुन्दरलाल आत्मज तुलसीराम,	,,	,,
२०.	रामअवध आत्मज रामजतन,	,,	,,
२१.	रामआसरे आत्मज ईश्वरीप्रसाद,	,,	,,
२२.	समरोज खां आत्मज लाल खां,	,,	,,
२३.	रामधारी आत्मज राजाई,	,,	,,
२४.	रामदेव आत्मज जीवधन,	,,	,,
२५.	किशोरीलाल आत्मज लक्ष्मण,	,,	,,
२६.	भगवानसिंह आत्मज रामासिंह,	,,	,,
२७.	सीताराम आत्मज जगदीश,	,,	,,
२८.	प्रताप आत्मज शिवाजी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
२९.	पंचानन आत्मज संतोषकुमार बोरल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा

३०. सोहनलाल आत्मज अमरचन्द,	कामगार,	बिड़लाग्राम नागदा
३१. भेरू आत्मज मांगीलाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३२. रामचन्दलाल आत्मज जमनालाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३३. भगवानराम आत्मज लालराम,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३४. उमाशंकर आत्मज रमाकान्त,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३५. श्रीमती ऊषा भाटिया आत्मज नारायणदास,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३६. रामचन्द्र आत्मज बाबूलाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३७. रामरावखान आत्मज छोटेखान,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३८. रामदयाल आत्मज हरदेवप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
३९. मुरलीधर आत्मज गंगाधर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४०. कालूराम आत्मज भेरूजी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४१. चन्दभानुगुप्ता आत्मज वासुदेव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४२. मोहनसिंह आत्मज प्रवीणसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४३. अनिलप्रकाश आत्मज रतनलाल गुप्ता,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४४. मागीलाल आत्मज कन्हैयालाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४५. महेशकुमार आत्मज भगवती-प्रसाद शर्मा,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४६. पारसमल आत्मज मानकचन्द,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४७. बाबूराम आत्मज हेमराज,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४८. तोलाराम आत्मज सुखदेव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
४९. नन्नूसिंह आत्मज गणेशसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५०. मोहम्मद नासिर आत्मज मोहम्मद गफूर कुरैशी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५१. छोगालाल आत्मज चतुर्भुज,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५२. रामाधार आत्मज गणेशप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५३. जंगीखान आत्मज हबीबउल्ला,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५४. चम्पालाल आत्मज चतुर्भुज,	,,	बिड़लाग्राम नागदा

५५. पन्नालाल आत्मज कन्हैयालाल,	कामगार,	बिड़लाग्राम नागदा
५६. रामप्रताप आत्मज रामसनेही,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५७. सरलप्रसाद आत्मज बद्दू,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५८. श्रीकान्त जोशी आत्मज लक्ष्मण,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
५९. शिवकुमार आत्मज सहदेव शर्मा,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६०. गणेश आत्मज त्रिगुणी नारायण दुबे,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६१. बिन्दूखां आत्मज इब्राहिम,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६२. जाहिद आत्मज नाहरखां,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६३. गुल्लु उर्फ गुल मोहम्मद आत्मज सुबराती,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६४. गणपति आत्मज बाबूराव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६५. बैजनाथ आत्मज रामकिशन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६६. पूरनसिंह आत्मज रामसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६७. बजरंगीप्रसाद आत्मज भगवतीप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६८. शिवनारायण आत्मज रामप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
६९. रामअवतार आत्मज हीरालाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
७०. भंवरसिंह आत्मज विजयसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
७१. शंकरसिंह आत्मज भंवरसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
७२. यदुनन्दन आत्मज माताप्रसाद,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७३. नबी हुसैन आत्मज खेद,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७४. शंकर आत्मज हरीराम,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७५. रामकिशन आत्मज रामअवतार,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७६. जीवनसिंह आत्मज अमरसिंह,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७७. वृजलाल आत्मज बंसीलाल,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७८. सावन्तसिंह आत्मज शंभूसिंह,	,,	नागदामण्डी, नागदा
७९. साबरमल आत्मज सूरजमल,	,,	नागदामण्डी, नागदा

८०. महावीरसिंह आत्मज किशन-सिंह,	कामगार,	बिड़लाग्राम नागदा
८१. महेशप्रसाद आत्मज दीपचन्द,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८२. रामकेवल आत्मज सुखलाल,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८३. परसराम आत्मज सुखलाल,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८४. ब्रजदेव आत्मज बिहारीलाल,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८५. रामसमुज आत्मज रामदुलारे,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८६. बाबूलाल आत्मज कमलसिंह,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८७. अवधेश आत्मज रामावत,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८८. जगदीशचन्द आत्मज भुजिवल-प्रसाद,	,,	नागदामण्डी, नागदा
८९. मोहनलाल आत्मज नागजीराम,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९०. मोहनलाल राठोर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९१. मनोहर आत्मज मनसुख धवन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९२. राधेश्याम आत्मज—शर्मा,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९३. गोपालन आत्मज	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९४. बलराज आत्मज	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९५. बेंजासिन आत्मज	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९६. रामदास पाटिल आत्मज रघुनाथ,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९७. छगनलाल आत्मज गोरख विसपुते,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९८. दामोदर आत्मज भगवान पाटिल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
९९. हीरामन सज्जन चौधरी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१००. भोलाराम मीना,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०१. के. सी. जार्ज,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०२. सुतियाप्रसाद अमरलाल श्रीवास्तव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०३. रतिलाल पाटिल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०४. सी. एस. भटनागर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा

१०५. मदनमोहन श्रीवास्तव,	कामगार	बिड़लाग्राम नागदा
१०६. बी. एस. कपूर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०७. आर. एन. प्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०८. भंवरसिंह राठोर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१०९. भंवरलाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११०. रामभरोसे खण्डेलवाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१११. रमजान,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११२. नरपतसिंह,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११३. गोवर्धनवाली,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११४. डी. डी. करन्दीकर,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११५. रामसिंह गुप्ता,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११६. दयाराम गणेश यादव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११७. टी. के. कन्नू,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११८. देवीलाल,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
११९. मोहनलाल जैन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२०. बाबूखां,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२१. विश्वनाथचन्द,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२२. अधाशंकर श्रीवास्तव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२३. रामब्रज यादव,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२४. पन्नालाल फोरमैन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२५. रामानन्द दुबे,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२६. रामआसरे तिवारी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२६. स्वामीनाथन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२८. रामधारीराय,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१२९. गिरधारीप्रसाद	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३०. बी. एस. वर्मा,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३१. रामनरेश पाण्डे	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३२. रामभरोसे उपाध्याय,	,,	बिड़लाग्राम नागदा

१३३. मोहन ओझा,	कामगार,	बिड़लाग्राम नागदा
१३४. रामविलास तिवारी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३५. हरिशंकर दुबे,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३६. तुलसीप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३७. मेंहदी हुसैन,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३८. जमैयतलसी,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१३९. रामदुलारे मिश्रा,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१४०. विन्दुचल प्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१४१. रामआसरे प्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१४२. नीरीप्रसाद,	,,	बिड़लाग्राम नागदा
१४३. भेरूसिंह गुर्जर,	कामगार नागदा मण्डी,	नागदा
१४४. राजेन्द्रसिंह यादव,	,, नागदा मण्डी,	नागदा
१४५. हीरालाल सोलंकी,	व्यापारी नागदा मण्डी,	नागदा
१४६. ताराचन्द मालपानी	नागदा मण्डी,	नागदा
१४७. मांगीलाल पोरवाल,	नागदा मण्डी,	नागदा
१४८. रामेश्वर कमरिया,	नागदा मण्डी,	नागदा
१४९. अब्दुल साहिब,	नागदा मण्डी,	नागदा
१५०. बालेश्वरदयाल जायसवाल,	नागदा मण्डी,	नागदा
१५१. कन्हैयालाल गुर्जर,	नागदामण्डी,	नागदा
१५२. १-१२-७० से ३१-१२-७० तक की धारीवाल व्दारा भेजे गए या श्री धारीवाल व्दारा प्राप्त किए गए तारों के अभिलेखों सहित महाध्यक्ष डाकतार कार्यालय का संबध्द लिपिक।	नागदा मण्डी,	नागदा
१५३. क. रा. बी. औषधालय, नागदा का प्रभारी और २१-१२-७० से २३-१२-७० तक कर्तव्यस्थ चिकित्सक.		
१५४. २१-१२-७० प्रात: ६ बजे से दोपहर १२ तक टेलीफोन एक्स-चेंज के कर्तव्यस्थ आपरेटर।		

१५५. १-११-७० से ३१-१२-७० तक अतिथिग्रह में रुकने वाले व्यक्तियों के अभिलेखों सहित चंबल अतिथिगृह, नागदा का प्रभारी लिपिक.

१५६. पंडित श्यामाचरण शुक्ला, मुख्य मंत्री, म. प्र. भोपाल.

१५७. श्री गंगाराम तिवारी, श्रम मंत्री, म. प्र. भोपाल.

१५८. श्री वेदराम, परिवहन मंत्री, म. प्र. भोपाल.

१५९. श्री सवाईसिंह सिसोदिया, संसद सदस्य, बड़नगर.

१६०. श्री दुर्गादास सूर्यवंशी, भूतपूर्व विधायक, माधवनगर, उज्जैन.

१६१. श्री सत्यनारायण जोशी, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, उज्जैन.

१६२. श्री बहीदुद्दीन कुरैशी सचिव, उज्जैन मिल मजदूर संघ, उज्जैन.

१६३. श्री अधमसिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, उज्जैन.

१६४. भोजनालय तथा आवास गृह के अभिलेखों सहित ग्रासिम अतिथिग्रह से संबंधित लिपिक.

१६५. चम्बल पंपिंग स्टेशन, नागदा का पम्प अटेण्डेंट जो २१-१२-७० से २४-१२-७० तक केन्द्र में उपस्थित रहा.

१६६. संपादक, दैनिक जागरण इन्दौर (समाचार पत्र के २०-९-७० से ३१-१२-७० तक के अंको सहित).

१६७. सम्पादक नवभारत, प्रधान डाकघर के निकट, इन्दौर (समाचार पत्र के २०-६-७० से ३१-१२-७० तक के अंकों सहित).

प्रस्तुतकर्ता—

हस्ता.
(हीरालाल शर्मा)
अध्यक्ष,
नागदा मिल मजदूर संघ,
नागदा (जिला उज्जैन) म. प्र.

उज्जैन:
३० अप्रैल, १९७१.

जांच आयोग अधिनियम के अधीन

आयोग के समक्ष

(नागदा जांच आयोग)

(जिला अधिकारियों की ओर से गवाहों की अनान्तिम सूची)

क्र.	गवाहों के नाम	पता
१.	श्री समर सिंह	कलेक्टर, उज्जैन
२.	श्री एच. के. पाहूजा	पुलिस अधीक्षक, उज्जैन
३.	श्री वी. के. दुबे	सिविल सर्जन, उज्जैन
४.	श्री वी. के. मजोत्रा (तत्कालीन सहा. कलेक्टर)	अपर कलेक्टर बस्तर
५.	श्री बी. एम. दाते	श्रम आयुक्त, इंदौर
६.	श्री आर. सी. दुबे	सहायक श्रम आयुक्त, इंदौर
७.	श्री एच. एम. मोयदे	पंजीयक, श्रम संघ, श्रम विभाग, भोपाल
८.	श्री श्रीवास्तव	श्रमिक अधिकारी, उज्जैन
९.	श्री डी.डी. शर्मा	संभागीय इंजीनियर म. प्र. वि. मं. उज्जैन
१०.	श्री ए.एस. बेग	सब डिवी. मजिस्ट्रेट खाचरोद, उज्जैन
११.	श्री आर. एम. रावत	पुलिस उप-अधीक्षक, उज्जैन
१२.	श्री ब्रजेन्द्र सिंह	पुलिस उप निरीक्षक, थाना नागदा
१३.	श्री के. एस. बाता	पुलिस उ. नि., थाना नागदा
१४.	श्री बी.पी. तिवारी	कम्पनी कमांडर, २२ वीं बटालियन, वि. श. ब. भोपाल
१५.	श्री उजागर सिंह	कम्पनी कमांडर, पहली बटालियन, वि. श. ब. इंदौर
१६.	श्री कैलास सिंह	प्लाटून कमांडर, २२ वीं बटालियन, वि. श. ब. भोपाल

१७. श्री एस. एन. सक्सेना (तत्कालीन पुलिस उ. नि. उज्जैन).	पुलिस उ. नि., झाबुआ
१८. श्री एस.के. पाण्डेय	पुलिस उ. नि, उज्जैन
१९. श्री एस. एस. तोमर	प्लाटून कमांडर, पहली बटालियन वि. श. ब., इंदौर
२०. श्री माधो सिंह	प्लाटून कमांडर, पहली बटालियन वि. श. ब., इंदौर
२१. श्री दशरथ सिंह	पुलिस सहा. नि., थाना नागदा
२२. श्री नौबत सिंह हेड कांस्टेबल क्र. ७३०	थाना नागदा
२३. श्री शिव प्रसाद हेडकांस्टेबल,	पुलिस थाना, नागदा
२४. श्री रामधनी प्रसाद हेड कान्स्टेबल क्र. १४	डी. ई. एफ. लाइन्स, उज्जैन
२५. श्री डा. आर. डी. सोनार	चिकित्सा अधिकारी, ग्रासिम चिकित्सालय, नागदा
२६. श्री के .एन .पवार	सहा. चिकित्सा अधिकारी, सिविल हास्पिटल, नागदा
२७. डा. एन. के. नाइक	चिकित्सा अधिकारी, सिविल हास्पिटल, उज्जैन
२८. श्री सरबन लाल कान्स्टेबल क्र. ७११	वि. श. ब. २२ वी बटालियन, भोपाल
२९. श्री रामायण प्रताप सिंह कान्स्टेबल क्र. ६९६	२२ वीं बटालियन, वि. श. ब., भोपाल
३०. श्री श्रीराम	२२ वीं बटालियन, वि. श. ब. भोपाल
३१. श्री प्रेम चन्द कान्स्टेबल क्र. १०९	थाना नागदा
३२. श्री अमरसिंह, हेड कान्स्टेबल क्र. ३२२	२२ वीं बटालियन, वि. श. ब. भोपाल
३३. श्री मन्ना सिंह हेड कांस्टेबल क्र. ८२९	२२ वीं बटालियन, वि. श. ब. भोपाल
३४. श्री पोप सिंह, हेड कांस्टेबल क्र. ५२६	पहली बटालियन, वि. श. ब. भोपाल

३५. श्री राजाराम हेड कांस्टेबल क्र. ४२९ — पहली बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

३६. श्री नरेश धर कांस्टेबल क्र. ७२२ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

३७. श्री राम प्रसाद कांस्टे॰ क्र॰ ३५२ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

३८. श्री रामभरोसे कांस्टे॰ क्र॰ ३३६ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

३९. श्री मान बहादुर कांस्टे॰ क्र॰ ५५५ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

४०. श्री नारायण, कांस्टे॰ क्र॰ ५९७ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

४१. श्री भगवान सिंह कांस्टे॰ क्र॰ ७४० — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

४२. श्री जगन्नाथ सिंह कांस्टे॰ क्र॰ २१३ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

४३. श्री राजबहादुर कांस्टेबल, क्र॰ २२३ — २२ वीं बटालियन, वि॰ श॰ ब॰ भोपाल

४४. श्री राज बहादुर कांस्टेबल क्र॰ २४३ — पहली बटालियन वि॰ श॰ ब॰ इंदौर

४५. श्री प्रताप सिंह कांस्टेबल क्र॰ ५२७ — पहली बटालियन वि॰ श॰ ब॰ इंदौर

४६. श्री सदिया कांस्टे॰ क्र॰ २३८ — पहली बटालियन वि॰ श॰ ब॰ इंदौर

४७. श्री राम चरण कान्स्टेबल क्र॰ ३८७ — पहली बटालियन वि॰ श॰ ब॰ इंदौर

४८. श्री मोहम्मद खान कान्स्टेबल क्र॰ ७२७ — पहली बटालियन वि॰ श॰ ब॰ इंदौर

४९. श्री प्रहलाद नारायण कांस्टे॰ क्र॰ ७७१ — डी॰ ई॰ एफ॰ लाइन्स उज्जैन

५०. श्री बन्सी आत्मज बैनीसिंह — बेयरा, अतिथि गृह, ग्रासिम मिल्स, नागदा

५१. श्री मलूक सिंह — पुलिस उप निरीक्षक, थाना परदेशीपुरा, इंदौर

५२. श्री सी॰ डी॰ गन्धे — पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय भोपाल

५३.	श्री ए. एम. कुरेशी	पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान, विभाग मुख्यालय, भोपाल
५४.	श्री वी. पी. दिघे	नगर निरीक्षक, अपराध अनुसधान विभाग, उज्जैन
५५.	श्री सी. एस. कुशवाहा	पुलिस उप निरीक्षक, थाना महाकाल, उज्जैन
५६.	श्री शिवसिंह कुशवाहा	उ. नि. जि. अ. शा० उज्जैन
५७.	श्री देवीसिंह	पुलिस सहा. उ. निरीक्षक जि. प्र. शा., उज्जैन
५८.	श्री पी. एस. सुबलोकी	निरीक्षक, रेंज पुलिस वर्कशाप, इंदौर
५९.	श्री निगम	प्राक्षेपिक विशेषज्ञ, विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
६०.	विशेषज्ञ, भौतिकी विभाग	विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
६१.	विशेषज्ञ रसायन विभाग	विधि चिकित्सा (फारसेनिक) विज्ञान प्रयोगशाला, सागर

व्दारा प्रस्तुत

गवाहों की अतिरिक्त सूची

नागदा मिल मजदूर संघ

क्र. (१)	नाम और पदनाम (२)	पता (३)	अभ्युक्ति (४)
१६८.	विक्रेता, खाचरोद पेट्रोल पम्प; खाचरोद.		१६-१२-७० से २४-१२-७० तक बेचे गए पेट्रोल की बिल बुक (केशमेमो भी) के साथ.
१६९.	पोस्टमास्टर बिड़लाग्राम नागदा.		श्री चन्दूराम आत्मज मुन्शीराम शर्मा की बचत लेखा. पुस्तिका क्र. २८३२१ के साथ और २६-११-७० को जमा अभिलेख भी.
१७०.	चौकीदार, कर्म. राज्य बीमा औषधालय, नागदा.		जो २०-१२-१९७० और २१-१२-७० को रात में कर्तव्यस्थ था.

प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर—
(हीरालाल शर्मा)
अध्यक्ष
नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा,
जिला उज्जैन, (म. प्र.).

उज्जैन:
३० अप्रैल १९७१.

परीशिष्ट ऐ

उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया

(पक्षकार क्र. १)

गवाह क्र. (१)	गवाह का नाम (२)	किसके लिए (३)	परीक्षण की तारीख (४)
१.	श्री राम अवतार सोडानी प्रोसस इंजीनियर.	प्रबन्धक वर्ग (पक्षकार क्र. १)	१५-३-७२
२.	श्री जी. के. शर्मा	तदेव	१५-३-७२
३.	श्री रामसिंह	तदेव	१६-३-७२
४.	श्री रणछोड़ लाल पोरवाल	तदेव	१६-३-७२
५.	श्री सतीश कुमार मीना	तदेव	१६-३-७२
६.	श्री छत्तरसिंह	तदेव	१६-३-७२
७.	श्री कुन्दनमल जैन	तदेव	१६-३-७२
८.	श्री बलवन्त सिंह	तदेव	१७-३-७२
९.	श्री करन सिंह	तदेव	१७-३-७२
१०.	श्री ललित प्रसाद पांडे	तदेव	१७-३-७२
११.	श्री कैलाश सिंह	तदेव	१७-३-७२
१२.	श्री सुभाष गुप्ता	तदेव	१७-३-७२
१३.	श्री कृष्णकान्त जैन	तदेव	१८-३-७२
१४.	श्री दयाशंकर दुबे	तदेव	१८-३-७२
१५.	श्री तेजपाल सिंह	तदेव	१८-३-७२
१६.	श्री जे. सी. आनन्द	तदेव	१८-३-७२
१७.	श्री अबेअली	तदेव	१८-३-७२
१८.	श्री रामवीर सिंह	तदेव	१८-३-७२
१९.	श्री कुंवर किशोरीलाल	तदेव	१८, २० और २१-३-७३
२०.	श्री ओम नारायण रावल	तदेव	२०-३-७२

२१.	श्री वी. एन. सिंह	तदेव	२०-३-७२
२२.	श्री हनुमान सिंह	तदेव	२०-३-७२
२३.	श्री प्रभु सिंह	तदेव	२१-३-७२
२४.	श्री मानिकमल सुराता	तदेव	२१-३-७२
२५.	श्री नैनसिंह	तदेव	२१-३-७२
२६.	श्री व्दारकाधीश	तदेव	२१-३-७२
२७.	श्री हेरिस विनसेन्ट बेस्टियन	तदेव	२१-३-७२
२८.	श्री लाधूसिंह	तदेव	२१-३-७२
२९.	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन	तदेव	२२-३-७२
३०.	श्री आर. वी. पण्डया	तदेव	२२-३-७२
३१.	श्री भगवानदास	तदेव	२२-३-७२
३२.	श्री शंभू शर्मा	तदेव	२२-३-७२
३३.	श्री ओ. पी. रुंगटा	तदेव	२२-३-७२
३४.	श्री मनोहर सिंह	तदेव	२४-३-७२
३५.	श्री चेतनदास	तदेव	२४-३-७२
३६.	श्री यशवन्त सिंह	तदेव	२४-३-७२
३६-अ.	श्री ज्वाला प्रसाद गुप्ता	तदेव	३०-३-७२
३७.	श्री दुर्गा प्रसादा भण्डेलिया	तदेव	२४-४-७२
३८.	श्री बालकृष्ण मित्तल	तदेव	
३९.	श्री जे. सी. धारीवाल	तदेव	२४-४-७२ से १८-६-७२

उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया

(पक्षकार क्र॰ ७)

गवाह क्र. (१)	गवाह का नाम (२)	किसके लिए (३)	परीक्षण की तारीख (४)
१.	श्री कृष्णास्वामी	पक्षकार क्र. ७	१२-४-७२

उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया

(पक्षकार क्र. १०)

गवाह क्र.	गवाह का नाम	किसके लिए	परीक्षण की तारीख
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री राजाराम रावत, पुलिस उप अधीक्षक	जिला प्राधिकारी (पक्षकार क्र. १०)	२६-१०-७१ से ६-१२-७१
२.	श्री आर. सी. दुबे, श्रम उपायुक्त.	तदेव	६-१२-७१ से १४-१-७२
३.	श्री डी. आर. सोनार मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	तदेव	२-२-७२
४.	श्री काशीराव पवार, चिकित्सा अधिकारी.	तदेव	३-२-७२
५.	श्री बहादुर सिंह	तदेव	३-२-७२
६.	श्री प्रेमसागर सबलोक	तदेव	३-२-७२
७.	श्री प्रेम चंद	तदेव	३/४-२-७२
८.	श्री रामधनी	तदेव	४-२-७२
९.	श्री प्रहलाद नारायण	तदेव	४-२-७२
१०.	श्री दशरथ सिंह, सहायक उप निरीक्षक.	तदेव	४/७-२-७२
११.	श्री पैपसिंह	तदेव	७-२-७२
१२.	श्री बंसी लाल	तदेव	७-२-७२
१३.	श्री संतकुमार पाण्डे	तदेव	७-२-७२
१४.	श्री ए. एस. बेग, डिप्टी कलेक्टर तथा उप संभागीय मजिस्ट्रेट.		
१५.	श्री एस. सी. खरे	तदेव	९-२-७२

१६.	श्री एस. एन. सक्सेना	तदेव	१०/१४-२-७२
१७.	श्री गप्पससिंह कुशवाह	तदेव	११-२-७२
१८.	श्री देवीसिंह, सहायक उप निरीक्षक.	तदेव	११-२-७२
१९.	श्री एन. के. नाईक	तदेव	११-२-७२
२०.	श्री बी. पी. दिघे	तदेव	११-२-७२
२१.	श्री राजा राम	तदेव	१४-२-७२
२२.	श्री रामचरन	तदेव	१४-२-७२
२३.	श्री मोहम्मद	तदेव	१४-२-७२
२४.	श्री मलूक सिंह	तदेव	१४-२-७२
२५.	श्री आरिफ मोहम्मद कुरेशी	तदेव	१४-२-७२
२६.	श्री जे. पी. निगम	तदेव	१६-२-७२
२७.	श्री एच. के. पाहूजा, पुलिस अधीक्षक.	तदेव	१६-२-७२
२८.	श्रीमानसिंह राही	तदेव	१७-२-७२
२९.	श्री समर सिंह, कलेक्टर.	तदेव	१९-२-७२
३०.	श्री रामायण प्रतापसिंह, कांस्टेबल.	तदेव	२८-२-७२
३१.	श्री श्रीराम, कांस्टेबल	तदेव	२८-२-७२
३२.	श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, थानेदार, नागदा.	तदेव	२८-२-७२ से १५-३-७२
३३.	श्री प्रताप सिंह, अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय.	तदेव	१७-६-७२

परीशिष्ट (ओ)

औद्योगिक शांति के लिए राष्ट्रपति गिरि की योजना

बंगलौर, १६ जून:

राष्ट्रपति श्री वी॰ वी॰ गिरि ने श्रमिक विवादों के हल के लिए आज एक ऐसी युक्ति का उल्लेख किया जिससे विवादों के समाधान के लिए सीधी कार्यवाही एक अंतिम उपाय ही रह जायगी और इससे देश में औद्योगिक लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए एक ठोस आधारशिला रखी जा सकेगी।

श्री गिरि ने जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् तथा मैसूर राज्य उत्पादकता परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में वेस्ट एण्ड होटल में आयोजित श्रमिक संघों की बहुलता और औद्योगिक संबंधों तथा उत्पादकता पर उसके प्रभाव विषयक दो दिन की विचार-गोष्ठी का उद्घाटन कर रहे थे, कहा कि उनके व्दारा सुझाए गए उपाय अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने में बहुत अधिक सहायक होंगे, जो आर्थिक विकास के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है।

सबसे प्रिय विषय:

इसकी पृष्ठभूमि के रूप में राष्ट्रपति का यह सुप्रसिध्द नारा था कि 'एक उद्योग में एक ही संघ' होना चाहिए और साथ ही देश के आर्थिक विकास के वर्तमान सदर्भ में इस तथ्य ने भी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है कि श्रमिक वर्ग के लोगों में पूर्ण एकता होनी चाहिए जिससे कि कामगारों के हितों का संरक्षण तथा अभिवर्धन और उत्पादकता में वृध्दि दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य तब ही प्राप्त कर सकते हैं जबकि औद्योगिक लोकतंत्र की बुनियाद मजबूती से रखी जाए। इसके लिए अनिवार्य शर्त मजबूत तथा वैज्ञानिक श्रमिक आन्दोलन है।

राष्ट्रपति ने, श्रमिकों को अपना सबसे प्रिय साथी घोषित करते हुए श्रमिक संघों को चेतावनी दी कि एक ही स्थापना में श्रमिक संघों की बहुलता से संघों में परस्पर प्रतिव्दंदिता उत्पन्न होती है जिससे अन्ततः आन्दोलन की जड़ें कमजोर हो जाती है। उससे सामूहिक सौदे बाजी की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और इससे कामगारों की अपने वैध्द अधिकार प्राप्त करने की शक्ति क्षीण हो जाती है।

सदस्यता:

इस संदर्भ में श्री गिरि ने प्रमुख श्रमिक संघ, संगठनों, आईटक (AITUC) इंटक (INTC) और एच॰ एम॰ एस॰ के हाल ही के इस निर्णय का

स्वागत किया कि श्रमिक संघों की प्रतिव्दंदिता को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय श्रमिक संघ परिषद् (नेशनल ट्रैड यूनियन काउंसिल) की स्थापना की जाए किन्तु साथ ही उन्होंने कहा कि यह इस दिशा में केवल पहला कदम ही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक उद्योग में एक संघ के आदर्श को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि सरकार मुख्य श्रम आयुक्त को, केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों के विभिन्न श्रमिक संघों की वास्तविक सदस्यता की सावधानी पूर्वक छानबीन करने के लिए प्राधिकृत करे। तत्पश्चात् विभिन्न संघों की वास्तविक सदस्यता, इन संस्थाओं के अनुमोदन से एक पंजी में सूचीबध्द की जाएगी। अगले कदम के रूप में विभिन्न संघों को इस बात पर सहमत होना होगा कि वे मुख्य श्रम आयुक्त या उसके व्दारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन गुप्त मतदान व्दारा और एक 'ल' संक्रमणीय मत व्दारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन करें ताकि एक ऐसी नयी संस्था अस्तित्व में आए, जिसमें समस्त विद्यमान संघों के प्रतिनिधि हों। यह संस्था उपयोगी रूप में नियोजकों से वार्ता करने की स्थिति में होगी और साथ ही समस्त कामगारों के हितों का समान आधार पर प्रतिनिधित्व भी करेगी। इसी प्रकार, राज्यों में श्रम आयुक्तों को भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले उद्योगों के संबंध में इन्हीं आधारों पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया जायगा।

त्रिदलीय तन्त्र:

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समस्त उद्योगों की वित्त व्यवस्था तथा तक्नीक से संबंधित अद्यतन जानकारी और पूरे तथ्य और आंकडे एकत्र करने के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर एक स्थायी तन्त्र होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त कर्मचारी और तक्नीकी विशेषज्ञ हों। इस तन्त्र में उसके अधीन प्रत्येक प्रमुख तथा बुनियादी उद्योग के लिए विभिन्न तालिकाऐं हों जिनमें नियोजकों, कामगारों तथा तक्नीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह स्थायी त्रिदलीय तन्त्र, उसके व्दारा एकत्र किए गए आधारभूत तथ्यों को, विशेषज्ञ निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की स्थिति में होगा। ऐसा करने से विशेषज्ञों को हड़तालों तथा तालाबंदी के विशिष्ट विवाद्यकों के संबंध में कार्यवाही करने और मतभेदों को दूर करने और मैत्रीपूर्ण समझौता करने में सहायता मिलेगी।

इंडियन एक्सप्रेस—नई दिल्ली
१६-६-७२।

परिशिष्ट (औ)

घटना क्रम

१९६६:

वर्ष १९६६ में नागदा में इंटक में फूट पड़ गई। इंटक दो गुटों में बट गया-एक गुट के नेता श्री वी॰ वी॰ द्रविड़ थे, जिसे इसमें आगे द्रविड़ वाली इंटक कहा गया है, और दूसरे गुट के नेता श्री हीरालाल शर्मा और वहीदुद्दीन कुरेशी थे, जिसे इसमें इसके बाद उज्जैन गुट कहा गया है।

१५-८-६७:

दि॰ १५ अगस्त, १९६७ को ये आपसी संघर्ष नागदा इंटक के कार्यालय, श्रम शिविर नागदा में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये। यह दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष थे। दोनों गुटों के सदस्यों को चोटें आई। पुलिस को गंभीर कदम उठाने पडे और उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ और१४६ के अधीन दोनों गुटों के विरुध्द दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ की। श्रम शिविर, नागदा को पुलिस व्दारा सीलबन्द कर दिया गया और वह अभी भी पुलिस के कब्जे में है।

१८-११-६७ से २९-११-६७:

१८ नवम्बर, १९६७ को कामगारों ने अचानक हड़ताल शुरु कर दी और संयंत्र की विद्युत् पूर्ति तोड़फोड़ व्दारा बंद कर दी। कर्मचारियों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। मिल के कार्यपालक अधिकारियों का घेराव किया गया। यह हड़ताल २९ नवम्बर, १९६७ तक चालू रही।

२०-११-६७ **पहली हड़ताल:**

२० नवम्बर, १९६७ को श्रम न्यायालय, उज्जैन ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कामगारों का काम पर वापस आने का निदेश दिया गया था किन्तु कामगारों ने इस आदेश की अवहेलना की और वे काम पर नहीं आए। अन्तत: ७ जून, १९६८ को श्रम न्यायालय, उज्जैन व्दारा हड़ताल अवैध घोषित कर दी गई। यह नागदा स्थित कम्पनी की फेक्टरियों के इतिहास में उनके प्रारम्भ होने के समय से पहली हड़ताल थी।

दिसम्बर, १९६७:

१८ नवम्बर, १९६७ की हड़ताल के बाद ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा के चुनाव का समय हो गया और वह दिसम्बर, १९६७ में हुआ। इस चुनाव में द्रविड़ गुट के सदस्य, पदाधिकारी तथा जनरल कौंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। तदनुसार पंजीयक, श्रमिक संघ ने उन्हें पदाधिकारी के रूप में अभिलिखित किया।

सितम्बर १९६८ करार दिनांक २७-९-१९६९ प्रदर्श १पी-४५:

सितम्बर, १९६८ में ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा (द्रविड़ गुट) प्रतिनिधि संघ ने ग्रासिम मिल, मजदूर जनसंघ (भा॰ म॰ स॰) तथा ग्रासिम मजदूर यूनियन (आईटक) के साथ मिलकर १९६७-६८ के बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण आदि के सम्बन्ध में प्रबन्धक वर्ग से एक करार किया जिसे पंजीयक व्दारा म॰ प्र॰ औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १९६० के अधीन विधिवत पंजीयित किया गया था। इस करार के अनुसार प्रबन्धक वर्ग तन्तुक विभाग (स्टेपल फाइबर डिविजन) के कामगारों को लाभांश भुगतान अधिनियम, १९६५ (पेमेण्ट आफ बोनस एक्ट, १९६५) (अधिनियम क्र॰ २१, सन् १९६५) के अधीन-विहित अधिकतम २० प्रतिशत की दर से बोनस तथा सद्भावना के प्रतीक स्वरूप अनुग्रहपूर्वक तथा तदर्थ ११ प्रतिशत बोनस अर्थात् कुल मिलाकर ३१ प्रति॰ की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। करार में यह भी व्यवस्था थी कि किसी भी विवाद के मामले में पक्षकार पारस्परिक बातचीत तथा समझौते व्दारा मामला तय करने का प्रयास करेंगे और यदि ऐसा न हो सके तो विवाद किसी ऐसे मध्यस्थ को, जिससे दोनों पक्षकार सहमत हों, निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय बन्धनकारी होगा। तदनुसार गैस भत्ते से सम्बन्धित विवाद, औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश, श्री ए॰ डब्ल्यू॰ कामाडीकर को मध्यस्थता के लिए सौंपा गया था देखिए करार दि॰ ७ नवम्बर १९६८। इसके बावजूद ग्रासिम मिल मजदूर जनसंघ (भा॰ म॰ सं॰) ने नवम्बर, १९६८ में गैस भत्ते के मामले को लेकर एक आन्दोलन आयोजित किया। पंजीयित करारों के उल्लंघन की यह बात प्रबन्धक वर्ग व्दारा राज्य मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन समिति की जानकारी में लाई गई थी।

श्री डी॰ पी॰ पाठक की महामंत्री के रूप में नियुक्ति:

वर्ष १९६९ के प्रारम्भ में औद्योगिक न्यायालय ने श्री डी॰ पी॰ पाठक, मध्यप्रदेश इण्टक के महामंत्री की दोनों गुटों की सहमति से ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा का अध्यक्ष नियुक्त किया क्योंकि इण्टक के प्रतिव्दंदी गुटों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी।

२०-१-१९६९ **व्दितीय-हड़ताल:**

२०-१-१९६९ को इंजीनियरिंग डिविजन के कामगारों ने सबेरे ९॰४५ से १०॰१५ तक १/२ घंटे के लिए दूसरी हड़ताल की। इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री श्री दामोदर दुबे, ने इस हड़ताल में कामगारों का नेतृत्व किया। इस हड़ताल को दि॰ १९-९-१९६० को श्रम न्यायालय, उज्जैन व्दारा अवैध घोषित किया गया।

१२-८-१९६९ **तृतीय हड़ताल:**

१२ अगस्त, १९६९ को कताई तथा अनुषंगी विभाग के कामगारों ने, खाता समितियों के कहने पर, जो उज्जैन गुट के प्रति निष्ठा रखनेवाले कामगारों, भारतीय मजदूर संघ तथा आईटक के कुछ सदस्यों व्दारा गठित की गई थी, हड़ताल की कामगार विभागों में डटे रहे और पूरे समय नारे लगाते रहे और उन्होंने पर्यवेक्षी कर्मचारियों को सामग्री की हानि तथा मशीन को पहुंचाई जाने वाली क्षति को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही नहीं करने दी। ''ग्रासिम'' के इतिहास में यह तीसरी हड़ताल थी। प्रबन्धक वर्ग ने श्रम न्यायालय, उज्जैन में कार्यवाहियां

प्रारम्भ की। यह मामला, क्र॰ ८४ सन् १९६९ म॰ प्र॰ औद्योगिक सम्बन्ध के रूप में पंजीयित किया गया था। १४ अगस्त, १९६९ को श्रम न्यायालय, उज्जैन ने एक अन्तरिम आदेश पारित किया, जिसमें कामगारों को तत्काल काम पर लौट आने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश की भी कामगारों ने अवहेलना की और उन्हें दण्डित नहीं किया गया। इस हड़ताल को भी दि॰ १९-५-१९७० को श्रम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। उपर्युक्त हड़ताल ८ सितम्बर, १९६९ तक चलती रही। हड़ताल समाप्त होने के तत्काल बाद वर्ष १९६८-६९ के लिए बोनस आदि के सम्बन्ध में प्रबन्धक वर्ग और ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा के बीच उसके अध्यक्ष श्री डी॰ पी॰ पाठक के जरिए एक समझौता हुआ।

अप्रैल १९७० में ग्रासिम मजदूर संघ ने द्रविड़ गुट को तथा नागदा मिल मजदूर संघ ने उज्जैन गुट को नियंत्रक के रूप में निर्वाचित किया।

अप्रैल १९७० में ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा का चुनाव हुआ। द्रविड़ वाली इण्टक को चुनाव में पुनः नियंत्रक स्थिति प्राप्त हुई। १५ जुलाई, १९७० को पंजीयक ने इस चुनाव में नियमित पदाधिकारियों के नाम अभिलिखित किए। इसी बीच नागदा मिल मजदूर संघ के चुनाव हुए और उज्जैन गुट को नियंत्रक स्थिति प्राप्त हुई। यह संघ भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के लिए प्रतिनिधि संघ, है।

जून, १९७० मान्यता रद्द करने के लिए आवेदन पत्र: २३-७-७० को ग्रासिम मजदूर संघ की मान्यता रद्द की गई।

जून, १९७० में उज्जैन गुट ने प्रतिनिधि संघों के पंजीयक को आवेदन-पत्र भेजा कि वे ग्रासिम मजदूर संघ की प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता रद्द कर दें क्योंकि नागदा मिल मजदूर संघ पर इस उज्जैन गुट व्दारा नियंत्रण किया जा रहा था। इस निवेदन पर पंजीयक ने आदेश क्र॰ २३-७-१९७० व्दारा ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा की प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता रद्द कर दी। ग्रासिम संघ ने औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश को अपील की जिस पर औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश ने एक अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जिसके अनुसार ग्रासिम मजदूर संघ, नागदा तथा नागदा मिल मजदूर संघ, नागदा को करार करने से रोक दिया गया था। यह स्थगन आदेश २१-१२-१९७० तक प्रभावी रहा। जब औद्योगिक न्यायालय व्दारा ग्रासिम मजदूर संघ की अपील नामंजूर कर दी गई।

सितम्बर-अक्टूबर १९७० में दोनों गुटों के बीच विवाद:

संघों की पारस्परिक प्रतिव्दंदिताओं का भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बिड़लाग्राम पर भी प्रभाव पड़ा। इण्टक के इन दोनों गुटों ने संघ की गतिविधियों में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए सितम्बर-अक्टूबर १९७० के दौरान हिंसात्मक गतिविधियां आरम्भ कर दीं। नागदा मिल मजदूर संघ ने, जो प्रतिनिधि संघ था, भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्धक वर्ग के साथ एक करार किया। इस पर इन्टक के द्रविड़ गुट ने उक्त करार के अधीन नियत बोनस से अधिक की मांग करते हुए हड़ताल करने में कामगारों का

नेतृत्व किया। प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आदेश लागू कर दिया। हड़ताल की इस अवधि के दौरान इन्टक के दोनों गुट हिंसात्मक कार्य करते रहे।

३-११-७० फैक्टरी के प्रबन्धक श्री धारीवाल व्दारा मुख्य सचिव को भेजा गया नोट:

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने कुछ उद्योगों के प्रतिनिधियों की १४ अक्टूबर, १९७० को भोपाल में एक बैठक बुलाई। इस बैठक के लिए प्रबंधक वर्ग ने पहल की तथा मुख्य सचिव से मिले। इन प्रतिनिधियों ने श्री धारीवाल, फैक्टरी मैनेजर, को माननीय श्रम मंत्री से मिलने की सलाह दी। श्री धारीवाल उनसे मिले और तब उन्होंने श्रमिक संघों की प्रतिध्दंध्दिता के मुद्दों और बोनस के मामलों तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण पर माननीय श्रम मंत्री से हुई अपनी चर्चाओं के संबंध में एक नोट दि॰ ३-११-१९७० को मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया।

२४-१०-७० संघर्ष समिति का गठन:

२४ अक्टूबर, १९७० को एक 'एक संघर्ष समिति' बनाई गई। जिसकी मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० के अधीन कोई कानूनी स्थिति नहीं थी। इस समिति के संयोजक श्री जितेन्द्र कुमार गोथरवाल थे। इस समिति का गठन ग्रासिम श्रमिक संघ के सदस्यों, उज्जैन गुट तथा द्रविड़ गुट के दलबदलुओं व्दारा किया गया था।

२५-१०-७०:

२५ अक्टूबर, १९७० को संघर्ष समिति ने अपनी मांगों का एक पत्र प्रस्तुत किया। संघर्ष समिति की मुख्य मांगें वर्ष १९६९-७० के लिए ४५ प्रति॰ की दर से बोनस का भुगतान किया जाने तथा वेतनमानों का पुनरीक्षण करने की थीं। किन्तु लाभांश भुगतान अधिनियम, १९६५ (पेमेन्ट आफ बोनस एण्ट) के अनुसार कामगार २० प्रतिशत से अधिक बोनस की मांग नही कर सकते। यह अधिनियम में दी गई अधिकतम सीमा है। वर्ष १९६६ में २० प्रतिशत से अधिक बोनस का मामला श्रम न्यायालय, उज्जैन को निर्दिष्ट किया गया था। इस विवाद्यक पर श्रम न्यायालय ने अपने २९-५-१९६७ के पंचाट में यह कहा कि किसी भी स्थिति में कामगार लेखा वर्ष के दौरान उन्हें प्राप्त हुए कुल वेतन या मजदूरी के २० प्रतिशत से अधिक बोनस पाने के हकदार नहीं होते, यद्यपि प्रबन्धक वर्ग लेखावर्ष १९६६-६७ के संबंध में तन्तुक विभाग (स्टेपल फाइवर डिविजन) के कर्मचारियों को २० प्रतिशत की दर से बोनस तथा ११ प्रतिशत अनुग्रह तथा तदर्थ भुगतान करने के लिए राजी हो गया था।

संघर्ष समिति की दूसरी मांग विद्यमान वेतनमानों के पुनरीक्षण की थी। ये वेतनमान दिनांक २४-११-६४ के करार व्दारा शासित थे, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू था। १३ वर्ष की अवधि में कामगारों के वेतन-मानों का तीन बार पुनरीक्षण किया गया है। संघर्ष समिति यह भी चाहती थी कि

राष्ट्रीय उत्पादककता परिषद् व्दारा कार्यभार के बारे में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उन पर विचार किए बिना वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाय। प्रबंधकवर्ग इस विवाद को युक्तियुक्त ढंग से और शीघ्रातिशीघ्र सुलझाना चाहता था और इस प्रयोजन के लिए उसने सभी संघों को आमंत्रित किया था किन्तु संघर्ष समिति के तर्कहीन रूख के कारण वे किसी हल पर नहीं पहुंच सके।

२६-१०-७० :

२६ अक्टूबर, १९७० को प्रबंधकवर्ग ने संघों को आमंत्रित किया और आमने-सामने बैठकर विवाद सुलझाने को कहा। क्योंकि इस सूचना के अनुसार ऐसा नहीं किया गया इसलिए ९-११-७० को एक दूसरी सूचना लगाई गई और इस सूचना की प्रतियां संघों को भेजी भी गई। इस सूचना के प्रत्युत्तर में केवल ग्रासिम मजदूर संघ (आइटक) तथा ग्रासिम मजदूर संघ (इन्टक, द्रविड़ गुट) सामने आए और उन्होंने विवाद को सुलझाने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

९-११-७० संघर्ष समिति की बैठक :

९ नवम्बर, १९७० को संघर्ष समिति ने बिड़लाग्राम, नागदा में एक आम सभा की।

११-११-१९७० :

दिनांक ११-११-१९७० को प्रबंधकवर्ग ने ग्रासिम श्रमिक संघ के प्रतिनिधि को विचार विमर्श में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। इस बैठक में विभिन्न प्रतिनिधि संघों ने भाग लिया। श्री एम॰ पी॰ शर्मा, श्री के॰ वाय॰ मुले, श्री मांगीलाल शर्मा बैठक में से उठ कर चले गए इसलिए उस बैठक से कोई लाभ नहीं हुआ।

११-११-७० संघर्ष समिति का जुलूस :

११ नवम्बर, १९७० को दोपहर के समय लगभग १२५ कामगारों का एक जुलूस प्रशासनिक कार्यालय के सामने आया। इस जुलूस का आयोजन संघर्ष समिति ने किया था। कुछ नेताओं ने इस सभा में भाषण दिए। इसके बाद श्री मांगीलाल शर्मा, श्री कैलास शर्मा तथा श्री मुले ने कारखाने में प्रबंधक के कार्यालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की किन्तु उन्हें सुरक्षा जमादार श्री प्रहलादसिंह ने रोक दिया।

१२-११-७० :

संघर्ष समिति ने १२-११-७० को प्रबंधकवर्ग को एक धमकी भरा पत्र भेजा जिसका उत्तर प्रबंधकवर्ग ने दिनांक १६-११-१९७० को दिया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे मामले को आपसी चर्चा तथा कानूनी तरीके से हल करें।

१३-११-७० :

दिनांक १३-११-७० को जब विरोधी पक्षकार एक ही समय दरवाजे पर एक दूसरे के बहुत पास सभा कर रहे थे, तब शान्ति बनाए रखने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

१४-११-७० :

१४ नवम्बर, १६७० को श्री दुबे, सहायक श्रम आयुक्त, नागदा पहुंचे। शाम को करीब ६·०० बजे लगभग ४०० कामगारों का एक जुलूस निकला। प्रदर्शनकारियों ने गंदे नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों की सभा में दिए गए भाषणों का आशय यह था कि प्रबंधकवर्ग को पंजीयित संघों के साथ इस मामले को तय करना चाहिए। दूसरी ओर संघर्ष समिति यह चाहती थी कि इस मामले को केवल उसके साथ ही तय किया जाना चाहिये। इस स्थिति को देखते हुए श्री बेग, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खाचरोद ने १५ नवम्बर, १६७० को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश प्रख्यापित कर दिया। इसके पहले श्री दुबे, सहायक श्रम आयुक्त, प्रबंधकवर्ग, और ग्रासिम मजदूर यूनियन, ग्रासिम मजदूर संघ और नागदा मिल मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे। जिन व्यक्तियों से श्री दुबे ने मुलाकात की थी, वे प्रबंधकवर्ग की ओर से श्री जे·सी· धारीवाल और श्री किशोरीलाल, ग्रासिम मजदूर संघ के श्री रामचन्द्र रघुवंशी, ग्रासिम मजदूर यूनियन के कृष्णास्वामी और नागदा मिल मजदूर संघ के श्री दामोदर दुबे है। इन सभी तीनों संघों ने बोनस संबंधी अपनी मांगें तीन विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत कीं।

१७-११-७० :

१७-११-१६७० को दूसरी बैठक हुई जिसमें विभिन्न संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, साथ ही प्रबंधकवर्ग की ओर से श्री जे·सी· धारीवाल भी मौजूद थे। यह बैठक भी बिना किसी निर्णय पर पहुंचे समाप्त हो गई। नागदा मिल मजदूर संघ ने अवैधरूप से तथा प्रबंधकवर्ग की अनुमति लिये बिना कारखाने के अन्दर दोपहर के लगभग बारह बजे एक सभा आयोजित की। उसे श्री दामोदर दुबे, श्री हादू हुसैन और श्री केशर सिंह ने संबोधित किया। इस दिन दं·प्र·सं· की धारा १५१ के अधीन दोनों गुटों के लगभग आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। कुछ व्यक्ति दं· प्र· सं· की धारा १४४ के अधीन गिरफ्तार किये गये।

नागदा में १७-११-७० को एक नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) स्थापित किया गया। जहां एक उप निरीक्षक, २ हेड कान्सटेबल और तीन कान्सटेबल लगातार कर्तव्यस्थ रहे। नियंत्रण कक्ष की बगल में एक पुलिस बल भी तैनात था, जिसमें १५० ऐसे जवान थे, जिनके पास बन्दूकें नहीं थीं।

१६-११-७० :

१६-११-१६७० को श्री बी· के· तिवारी नामक एक व्यक्ति, जो ग्रासिम मिल के कर्मचारी और प्रमुख कार्यकर्ता थे, दं·प्र·सं· की धारा १४४ का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किये गये।

२०-११-७० :

१६-११-१६७० को गिरफ्तार किये गये व्यक्ति २०-११-१६७० को, व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर रिहा कर दिये गये। कलेक्टर द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी श्रमिक संघ और प्रबंधकवर्ग उपस्थित थे।

२१-११-७०:

२१ नवम्बर, १९७० को कलेक्टर और सहायक श्रम आयुक्त ने नागदा में एक बैठक बुलाई और बैठक सम्पन्न भी हुई। इस बैठक में विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह बैठक श्रमिकों की मांगों पर निर्णय लेने के लिये बुलाई गई थी।

२२-११-७०:

२२ नवम्बर, १९७० को संघर्ष समिति व्दारा, ग्रासिम मिल के लगभग ३०० कामगार श्रम मंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए उज्जैन ले जाये गये, जो उस तारीख को वहां ठहरे हुए थे।

२४-११-७०:

२४ नवम्बर, १९७० को कारखाने के भीतर एक जुलूस निकाला गया जिसमें प्रदर्शनकारी प्राथमिक चिकित्सा कक्ष (फर्स्ट एड रूम) के सामने, अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

२५-११-७०:

२५ नवम्बर १९७० की रात को भी नारे लगाए गए थे।

श्री बेग, सब डि॰ मजि॰ ने २९ नवम्बर, १९७० को नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक गुट के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उनको समझाया गया कि वे दण्ड प्र॰ सं॰ की धारा १४४ का उल्लंघन न करें।

३०-११-७०:

३०-११-१९७० को विश्राम गृह, उज्जैन, में एक बैठक की गई। इस बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति मौजूद थे—श्री पूरनमलका, उपाध्यक्ष, प्रबंधक वर्ग श्री जे॰ सी॰ धारीवाल, कारखाना प्रबन्धक, ग्रासिम संघ की ओर से श्री हनुमान प्रसाद, ग्रासिम मजदूर संघ की ओर से श्री कैलाश शर्मा, नागदा मिल मजदूर संघ की ओर श्री मोहनलाल शर्मा और संघर्ष समिति की ओर से स्वयं के कथनानुसार श्री पंचानन बोरल। इस बैठक में बोनस और वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में, कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बैठक में श्री दुबे, सहायक श्रम आयुक्त भी उपस्थित थे।

२-१२-१९७०:

बोनस के मुद्दे तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में अगली बैठक २ दिसम्बर, १९७० को नागदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:—

श्री दुबे, सहायक श्रम आयुक्त, श्री मजोत्रा, अपर कलेक्टर, उज्जैन, प्रबंधकवर्ग की ओर से श्री जे॰ सी॰ धारीवाल और श्री एस॰ एल॰ जैन, प्रबंधक

वर्ग की ओर से, श्री पूरनमलका भी मौजूद थे, कामगारों की तरफ से श्री हनुमान प्रसाद, कैलास प्रसाद और गोथरवाल (जितेन्द्र कुमार) थे। इस बैठक में भी ऊपर उल्लिखित मुद्दों पर कोई सहमति नहीं हो सकी।

३-१२-७०:

३ दिसम्बर, १९७० को नागदा में एक और बैठक हुई, जिसमें श्री पूरनमलका, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक वर्ग की ओर से श्री जे० सी० धारीवाल तथा शैलेन्द्र जैन, कामगारों की ओर से श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, हनुमान प्रसाद तथा जितेन्द्र गोथरवाल, उपस्थित थे। इस बैठक में बोनस तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में पुनः कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

५-१२-७०:

५ दिसम्बर, १९७० से श्री बी० के० तिवारी नामक एक व्यक्ति पावर हाउस के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने बिजली की खराबी के कारण कारखाना बन्द होते ही अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। यह १२ दिसम्बर, १९७० को हुआ था।

१२-१२-७०:

१२ दिसम्बर, १९७० को प्रबंधकवर्ग ने इस आशय की एक सूचना लगाई कि वह ग्रासिम के कामगारों को ३१ प्रतिशत तथा इंजीनियरी डिविजन के कामगारों को २४·५ प्रतिशत बोनस देंगे। लगभग ३ बजे अपराह्न कामगार अपनी (प्रातः कालीन) पारी का काम पूरा करने के बाद कारखाने के शेड में एकत्र हो गए। बिजलीघर के कामगारों ने काम बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप न केवल बिजली बंद हो गई अपितु लगभग ५·३० बजे शाम तक पानी की सप्लाई भी बन्द रही। बिजलीघर बंद होते ही सारा कारखाना बन्द होगया। प्रबन्धकवर्ग ने भी बोनस तथा वेतनमानों की अनिश्चितता का निवारण करने के लिए सूचनाएं प्रदर्शित कीं।

१४-१२-७०:

१४ दिसम्बर, १९७० को प्रबन्धकवर्ग ने पाया कि अब कोई काम न होगा। इसलिए उन्होने घोषणा की कि कामगार काम पर न आएं। प्रबंधकवर्ग ने कामगारों के समक्ष निर्णयों की घोषणा करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति प्राप्त की। कलेक्टर और पु०अधी० ने कारखाने के कामगारों से अनुरोध किया कि वे कारखाने से हट जाएं, किन्तु उन्होंने यह बात उस दिन नहीं मानी। १५ दिसम्बर को ११ बजे रात तक वे कारखाने के अन्दर ही बने रहे। इसके बाद जिला प्राधिकारियों के निवेदन पर वे बाहर आ गये। भीतर रूकने के दौरान, कैन्टीन और हलवाई की दूकान लूटने के अलावा, वे अन्य अवैध गतिविधियों में भी संलग्न रहे।

१४-१२-१९७० को, प्रबन्धक वर्ग ने श्रम न्यायालय, उज्जैन में स्टेपल फाइबर डिविजन और इन्जीनियरी डिविजन के कामगारों की इस हड़ताल को गैर

कानूनी घोषित कराने की कार्यवाही प्रारंभ की। ये मामले क्र० ३३०/७० और ३३१/७० के मामलों के रूप में दर्ज किये गये। न्यायालय ने १५-१२-१६७० को अन्तरिम आदेश दिये जिनमें कामगारों को निदेश दिया गया कि वे पुन: काम प्रारंभ करें। श्रम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई। श्रम न्यायालय ने इन हड़तालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, देखिये उसका निर्णय दि० २-४-७१ तथा ५-४-७१।

१६-१२-७०:

१६ दिसम्बर, १६७० को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दिये गये आदेश का उल्लंघन करने पर श्री हुकुमचन्द कछवाह, संसद सदस्य (भा० ज० सं०) को, संघर्ष समिति के कुछ नेताओं सहित गिरफ्तार किया गया। बिरला ग्राम में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें हुकुमचन्द कछवाह ने भाषण दिया था। कामगारों व्दारा सभा आयोजित करने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। श्री हुकुमचन्द कछवाह के अलावा अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये।

१७-१२-७०:

संघर्ष समिति के नेताओं ने नागदा में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, १७-१२-७० को कार में जा रहे स्टाफ सदस्यों को वाहन से उतरकर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया।

१८-१२-७०:

१८ दिसम्बर, को श्री शैलेन्द्र कुमार जैन पर एक हड़ताली श्री सुरेन्द्र जैन व्दारा हमला किया गया। उसी दिन श्री एम० के० माहेश्वरी, उप उत्पादन अधीक्षक को पीटने की कोशिश की गई। स्टाफ के एक और सदस्य श्री जी० के० शर्मा पर भी हड़ताली कामगारों ने हमला किया।

ता० १८-१२-१६७० को, शाम के लगभग ५ बजे कामगारों का एक जुलूस निकला। जुलूस नदी के दूसरी तरफ अपनी सभा पूरी करने के बाद बिड़ला ग्राम आया। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट वहां गए और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि वे दंड-प्रक्रिया-संहिता के आदेश १४४ के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए।

१६-१२-७०:

श्री मंडेलिया ता० १६-१२-७० को नागदा पहुंचे।

संघर्ष समिति के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति १६-१२-१६७० को जमानत पर रिहा किए गए।

२०-१२-७०:

ता० २०-१२-७० को रिहा किए गए नेता नागदा पहुंचे और उन्होंने चम्बल नदी के पास एक सभा को संबोधित किया जो उनके अनुयायियों ने दोपहर के डेढ़

बजे से साढ़े चार बजे तक के लिए आयोजित की थी। श्री मंडेलिया ने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। पुलिस अधीक्षक भी अपराह्न के लगभग ४ बजे नागदा आए और म॰ प्र॰ विद्युत मण्डल के विश्राम गृह में ठहरे।

२१-१२-७०:

ता॰ २१-१२-१९७० को श्री राजाराम रावत को, नियंत्रण कक्ष में लगभग ७॰३० बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि लगभग ८० या १०० श्रमिक बिजलीघर के फाटक पर जमा हो गए हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा ब्रजेन्द्र सिंह, थानेदार के साथ उप पुलिस अधीक्षक एक जीप में बिजलीघर के फाटक पर पहुंचे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी दी कि वे दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४४ के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए। यह सुनकर हड़ताली कुछ कदम पीछे हट गए और बिजलीघर के फाटक के सामने के खुले मैदान में दो-दो और तीन-तीन की टोलियों में बिखर गए। उन्होंने पुलिस दल पर पत्थर फेंकने शुरु किये। उस समय रुक-रुक कर सायरन बज रहा था जिसकी ध्वनि समान्य नहीं थी। इस सायरन के बजने के बाद शीघ्र ही कालोनी से एक बड़ी भीड़ निकली और बिजलीघर के फाटक (पावर हाउस गेट) के सामने आई जो लाठियों, लोहे की छड़ों, पाइपों आदि से लैस थी। अब पत्थरबाजी अधिक हो गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें लाउड स्पीकर पर पुनः चेतावनी दी और कहा कि यदि वे तितर-बितर नहीं होंगे तो बल प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया। उल्टी हवा चलने के कारण अश्रु गैस कारगर सिध्द नहीं हुई। तब उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया। उस समय तक लगभग १००० या १५०० श्रमिक इकट्ठे हो चुके थे। वे पुलिस दल को गैरेज चौराहे की ओर पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से पुलिस कर्मचारी पीछे हटा दिए गए। वे लोग जोर-जोर से चिल्ला भी रहे थे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उप-पुलिस अधीक्षक को इस बात की आशंका हुई कि श्रमिक स्टाफ गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और यदि वे वहां तक पहुंच गए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। वे गैरेज चौराहे पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने पाया कि पुलिस का एक छोटा दस्ता वहां पहले से ही मौजूद था। उस समय तक भीड़ तीन दिशाओं से आई। एक तो पावर हाउस गेट की तरफ से, दूसरे स्कूल वाली सड़क की तरफ से, और तीसरे बाग की तरफ से। ये हड़ताली लाठियों, लोहे की छडों, पाइपों, पत्थरों, बोल्टों आदि से लैस थे। वे पत्थर नट और बोल्ट फेंक रहे थे। इससे श्री बेग के माथे पर किसी कड़ी और मोंथरी चीज से, हो सकता है वह पत्थर या बोल्ट रहा हो, चोट लगी। श्री बेग के अलावा श्री रावत की अंगुलियों पर भी चोट आई। तत्पश्चात श्री बेग ने अपने माथे पर लगी चोट का इलाज कराने अस्पताल जाते समय रास्ते में श्री पाहूजा, पुलिस अधीक्षक को इस स्थिति की सूचना दी। सुबह लगभग ९ बजे बिड़ला अतिथि गृह तथा विश्राम गृह में आग लगा दी गई। कुछ व्यक्ति कारखाने में थे। पुलिस की डाज कार में भी आग लगा दी गई और अन्य निजी कारें भी जला दी गई। तब पुलिस अधीक्षक ने गोली चलाने का आदेश दिया। पहली गोली रामधारी नामक एक व्यक्ति को लगी जिसके हाथ में मशाल थी। दूसरी गोली किसी भी व्यक्ति को नहीं लगी। इसके बाद श्री बेग ने अतिथि गृह के एक बेरे के जरिए एक चिट भेजी। चिट कर्फ्यू लगा देने के लिए भेजी गई थी। यह थानेदार ब्रजेन्द्र सिंह को दी गई। सुबह के १० बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रव शान्त हो गया।